कार्य बजट
PERFORMANCE BUDGET

1997-98

शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF EDUCATION

NIEPA DC

D09534

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
नई दिल्ली
NEW DELHI

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-9534
DOC, No........................
Date.................. 16-05-97

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

अध्याय 1

प्रस्तावना 1-3

अध्याय 11

सामान्य समीक्षा 4-8

अध्याय 111

वित्तीय परिव्यय का सार और बजट अनुमान 1996-97, संशोधित अनुमान 1996-97 और बजट अनुमान 1997-98 को दर्शाने वाले चार्ट 9-10

अध्याय 11

क) प्रारम्भिक शिक्षा 11-26
ख) स्कूल शिक्षा 27-58
ग) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 59-79
घ) प्रौढ़ शिक्षा 80-89
ङ) छात्रवृत्तियां 90-96
च) पुस्तक संवर्धन 97-103
छ) हिन्दी का विकास 104-112
ज) आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति 113-118
झ) संस्कृत 119-123
ञ) तकनीकी शिक्षा 124-143
ट) भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग 144-148
ठ) शैक्षिक आयोजना 149-153
ड) राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक सांख्यिकी का संगणकीकरण 154
ण) सचिवालय 155

अध्याय ।

प्रस्तावना

कार्य:

शिक्षा विभाग के कार्यों में शिक्षा नीति के सभी पक्षों को तैयार करना शामिल है। यह विभाग तकनीकी शिक्षा के विस्तार और विकास, पाठ्य पुस्तकों की कोटि में सुधार, छात्रवृत्तियों और अन्य योजनाओं को लागू करने, संस्कृत और अन्य प्राच्य भाषाओं में अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने, अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाकलाप विकसित करने, प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति और यूनेस्को के सहायता कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों के साथ समन्वयन करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्यक्रम/उच्च-कार्यक्रम :

शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में बांटा जा सकता है :-

क. प्रारम्भिक शिक्षा
ख. स्कूल शिक्षा और शारीरिक शिक्षा
ग. विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा
घ. प्रौढ़ शिक्षा
ड. छात्रवृत्तियां
च. पुस्तक प्रोन्नति
छ. हिन्दी
ज. आधुनिक भारतीय भाषाएं
झ. संस्कृत
ञ. तकनीकी शिक्षा
ट. भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग
ठ. शैक्षणिक आयोजना
ड. सचिवालय

क. प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा की योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है।

ख. स्कूली शिक्षा :

इस क्षेत्र में मुख्य संस्थान निम्नलिखित है :-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली ।
4. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
5. नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली ।

ग. विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा :

इस क्षेत्र में मुख्य निम्नलिखित हैं :-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
3. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
4. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
5. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला।
6. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
7. राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्।

घ प्रौढ़ शिक्षा :

इस क्षेत्र के मुख्य संस्थान निम्नलिखित हैं :-

1. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली।
2. श्रमिक विद्यापीठ।
3. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।

ड छात्रवृत्त्यां :-

देश और विदेश में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की योजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाएगा।

च पुस्तक प्रोन्नति :-

इस क्षेत्र में मुख्य संस्थान निम्नलिखित हैं :-

1. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली।

छ हिन्दी का विकास :

इस क्षेत्र में मुख्य संस्थान निम्नलिखित हैं :-

1. हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा।
2. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।
3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली।

ज आधुनिक भारतीय भाषाएं :

इस क्षेत्र में मुख्य संस्थान निम्नलिखित हैं :-

1. राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद्।
2. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।

ञ संस्कृत

इस क्षेत्र के मुख्य संस्थान निम्नलिखित हैं :-

1. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति।
3. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान।

तकनीकी शिक्षा :

इस क्षेत्र के मुख्य संस्थान निम्नलिखित हैं :-

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
2. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज।
3. स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।
4. नैशनल इन्स्टीट्यूट आफ फाइन्डी एण्ड फार्ज्ड टेक्नोलाजी, रांची।
5. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई।
6. तकनीकी शिक्ष प्रशिक्षण संस्थान।
7. भारतीय प्रबंधन संस्थान।
8. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्।
9. संत लौंगोवाल तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान।

ट भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्कों सहयोग आयोग :-

भारत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत सरकार विशिष्ट उद्देश्यासें के लिए इसके सदस्य राज्यों को अंशदान देने के लिए यूनेस्कों द्वारा अपील करने पर उसकेक प्रत्युत्तर में यूनेस्कों को स्वेच्छा से अंशदान देती है। भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्कों सहयोग आयोग भारत के लोगों में यूनेस्कों के उद्देश्यों और लक्ष्यों को समझ को प्रोन्नत करने के लिए यूनेस्कों के संबंधित मामलों पर भारत को सलाह देने के लिए स्थापित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

ठ शैक्षिक योजना :-

इस क्षेत्र में मुख्य संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिणिक आयोजना प्रशासन संस्थान है।

ड सचिवालय

यह मान संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रशासनिक विभाग है। वर्ष 1996-97 के बजट अनुमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए रखे गए 5714,26 करोड़ रु. के कुल बजट अनुमान में से केवल शिक्षा विभाग के लिए 12,01 करोड़ रु. । वर्ष 1996-97 का संशोधित अनुमान है।

अध्याय ।।

वार्षिक योजना 1996-97 में 3386·54 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था जोकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन का आठवां वर्ष था। वर्ष 1997-98 के लिए योजना परिव्यय का निर्धारण 3894·13 करोड़ रूपए किया गया है। इसमें मुख्य कार्यों को पूरा करने के लिए शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय को 1·01 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किए जाने के बाद से इसके अंतर्गत आने वाली सभी प्रमुख योजनाएं समुचित प्रगति कर रही है। वर्ष 1996-97 के दौरान पूर्ण साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायीकरण, स्कूलों में विज्ञान शिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रहा।

प्रारम्भिक शिक्षा

आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना की शुरूआत वर्ष 1987-88 में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में एक चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सुविधाओं को प्रदान करना है। वर्ष 1987-88 और 1995-96 के बीच की अवधि के दौरान शिक्षण अध्ययन उपस्कर की संस्वीकृति 5·23 लाख (100%) प्राथमिक स्कूलों और 47·589 (30%) उच्चतर प्राथमिक स्कूलों और तृतीय शिक्षक की संस्वीकृति 33,605 (23%) प्राथमिक स्कूलों को की गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान लगभग 9000 (7%) प्राथमिक स्कूलों को तृतीय शिक्षक संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

अनौपचारिक शिक्षा अनिवार्यतः उन बच्चों के लिए है जो अनेक कारणों से औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हों। यह योजना, जोकि स्कूलों में औपचारिक शिक्षा की अनुपूरक है, परियोजना के आधार पर कार्यान्वित की जा रही हो। इस समय इस योजना का कार्यान्वयन 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को में किया जा रहा है तथा इसमें विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से अध्येताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन क्रियाकलापों की विविधताओं और पाठ्यचर्या की सार्थकता, संगठनात्मक लचीलेपन पर बल दिया गया है। इस समय लगभग 70·00 लाख बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 2·79 लाख केन्द्रों की संस्वीकृति की गई है। एक लाख से भी अधिक केन्द्र केवल बालिकाओं के लिए है।

स्कूली शिक्षकों को उपयुक्त सेवारत प्रशिक्षण देने के लिए एक जन प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ताकि ये शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अपनी-अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने में सक्षम हो। अभी तक वर्ष 1996-97 में 425 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए है। 108 माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान को शिक्षक शिक्षा कालेजों उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों के रूप में दर्जा बढ़ाया गया है और राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए 18 परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 1996-97 के दौरान सितम्बर,

1996 तक प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 417 लाख शिक्षकों को सम्मिलित किया गया।

महिला समाख्या कार्यक्रम इस समय चार राज्यों नामतः कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के 17 जिलों के 2075 ग्रामों में चलाया जा रहा है।शिक्षा कर्मी परियोजना राजस्थान के 1590 ग्रामों में 28 जिलों और 94 ब्लाकों/यूनिटों में कार्य कर रही है। 1590 दिवस केन्द्रों और 3534 प्रहर पाठशालाओं का गठन किया गया जिसमें 3860 शिक्षा कर्मी, जिनमें 403 महिला शिक्षा कर्मी है, 6-11 वर्ष के आयु वर्ष के 1,50,391 बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के कार्य में संलग्न है। 31•3•97 तक 10 अन्य ब्लाकों/यूनिटों को 350 ग्रामों में शामिल करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय बाल भवन विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के 5-16 आयु वर्ग के बच्चों मे सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए 1956 में स्थापित किया गया था। पूरी दिल्ली में 51 बाल भवन केन्द्र खोले गए हैं। चल रहे कार्यकलापों में 20 कार्यशालाएं आयोजित की गई इनमें 20,000 बच्चों और लगभग 2,500 शिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद सांविधिक स्वायत्त संगठन के रूप में 17•8•95 को स्थापित की गई जिस पाठ्यचर्या उद्देश्य शिक्षक शिक्षा का योजनाबद्ध और समन्वित विकास करना है। इस संक्षिप्त अवधि के दौरान, इस परिषद ने पूर्व प्राथमिक, प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा बहुत से सेमिनार, संगोष्ठियां, जागरूकता उत्पन्न करने वाली बैठकें इत्यादि आयोजित की।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए पहल की गई थी तथा राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्थापित किया गया है। मिशन का उद्देश्य 21वीं सदी के आगमन से पहले 14 वर्ष से कम सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अभियान चलाना है। जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना नवम्बर, 1994 से असम, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, व मध्य प्रदेश के 42 जिलों में आरम्भ की गई है। 1996 में इस कार्यक्रम को उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात के 17 जिलों में बढ़ाया गया।

देश में पहली बार प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से आरम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम नामांकन बढ़ाने, अवरोधन उपस्थिति व इसके साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषाहार पर बल देकर प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को बल प्रदान करता है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से प्राथमिक कक्षाओं के सभी छात्रों को शामिल करेगा। वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम को 5•57 करोड़ बच्चे सम्मिलित करने के लिए आगे और बढ़ाया गया।

स्कूल शिक्षा

वर्ष 1982 में "इनसेट" ट्रांसमीशन स्थापित हो जाने से शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण की एक योजना आरम्भ की गई और केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा 6 राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को 3,038 रंगीन टेलीविजन सेट और 10,644 रेडियो और कैसेट प्लेयर स्वीकृत किए गए है। वर्ष 1996-97 के दौरान उच्च प्राथमिक स्कूलों/प्राथमिक स्कूलों में 9672 रंगीन टेलीविजन सेट और 31,666 रेडियो व कैसेट प्लेयर संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन संस्थान और समाजिक व ग्रामीण अनुसंधान संस्थान ने योजना का मूल्यांकन किया। अभी तक राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को 3,66,732 रेडियो व कैसेट प्लेयर तथा 64,952 रंगीन टेलीविजन सेट संस्वीकृत किए गए है।

प्रतिभावान छात्रों को अच्छी कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए जिन नवोदय विद्यालयों की संकल्पना की गई थी उनका प्रबंध इस विभाग के अधीन एक स्वायत्त समिति नवोदय विद्यालयों समिति द्वारा किया जा रहा है। अभी तक, 378 स्कूल स्थापित किए जा चुके है। 327 स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया जा चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। 215 विद्यालय अपने भवनों में कार्य कर रहे है। आशा है कि 1996-97 के दौरान 22 और विद्यालय अपने भवनों में चले जाएंगे।

शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्र प्रायोजित योजना आरम्भ की गई थी। वर्ष 1995-96 तक संपूर्ण देश के 6476 स्कूलों में 18,709 व्यावसायिक सेक्शन संस्वीकृत किए गए है जिससे व्यावसायिक विषयों में 9.35 लाख छात्रों की क्षमता निर्मित हो जाती है।

भोपाल में एक केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया। विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार करने तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति को पोन्नत करने के लिए वर्ष 1987-88 में स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गई थी। पिछले तीन वर्षों अर्थात 1993-94 से 1995-96 के दौरान उच्चतर प्राथमिक स्कूलों के लिए विज्ञान किटों के प्रावधान, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान की प्रायोगशालाओं का स्तर बढ़ाने के लिए, पुस्तकालय पुस्तकों की पूर्ति एवं सर्वेधित स्कूलों के विज्ञान और गणित के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 24 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और 15 स्वैच्छिक एजेंसियों को 66.62 करोड़ रु0 की राशि संस्वीकृत की गई।

प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन0एल0एम0) जो कि 5 मई, 1988 को प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया, का लक्ष्य 8वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 100 मिलियन निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना है। संपूर्ण साक्षरता अभियान अब इसकी मुख्य रणनीति है। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इसे निरक्षरता को समूल नष्ट करने के प्रमुख पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया है। परवर्ती तीन वर्षों में इस अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर ली है। अक्तूबर, 1996 तक

पूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत 410 और उत्तर साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत 169 जिलों को पूरा या आंशिक रूप से शामिल कर लिया है। चालू वित्त वर्ष अर्थात अक्तूबर, 96 तक संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत 26 जिलों और उत्तर साक्षरता अभियान के अंतर्गत 6 जिलों को संस्वीकृति दे दी गई है। यह अपेक्षा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत 50 जिले और उत्तर साक्षरता अभियान के अंतर्गत 40 जिले शामिल किए जाएंगे।

अब देश के दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में अपनी प्रारम्भिक सफलताओं के बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा के पांच राज्यों में, जहां बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर लोगों का बाहुल्य है, अपना ध्यान केन्द्रित करेगी।

छात्र फिर से निरक्षरता के चक्र में न फंस जाएं इससे बचने के लिए और साक्षरता का स्थायी स्तर प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियानों में सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप भी बड़ी संख्या में नव-साक्षर उभर कर सामने आए जिनको शिक्षा आधारित अध्ययन से स्वंय- निर्देशित अध्ययन में लाने के लिए मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता थी।

उच्च शिक्षा

वर्ष 1995-96 के दौरान, वर्तमान संस्थाओं में सुविधाओं के समेकन का कार्य जारी रहा। पाठ्यक्रमों को पुनःसज्जित और फिर से तैयार करने और दूरस्थ शिक्षा के विकास के लिए प्रयास किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 135 राज्य विश्वविद्यालयों, 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा 19 सम विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा, 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों §14 में से§, 12 सम विश्वविद्यालयों, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे 55 कालेजों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 कॉलेजों को अनुरक्षण अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। आठवीं योजना के चौथे वर्ष तक कुल 224 विश्वविद्यालय और 8613 कालेज थे। 176 §224 में से§ विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत है। 140 §176 में से§ विश्वविद्यालयों को योजना अनुदान दिए जा रहे हैं 4510 §3613 में से§ कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त कर रहे है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अभी तक विभिन्न विषयों में 9 स्कूल स्थापित किए है। "स्कूल आफ लीगल स्टडीज" नामक एक नया स्कूल स्थापित किया गया है। एक नए सुसज्जित परिसर एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में विश्वविद्यालय के पत्र- व्यवहार प्रभाग के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस विश्वविद्यालय ने दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर इसके कार्यक्रमों का प्रसारण भी शुरू कर दिया है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और कॉमनवेल्थ आफ लर्निंग के मध्य सम्पर्क और सहयोग बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद एक स्वायत्त निकाय के रूप में हैदराबाद में अक्तूबर 1995 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा पर महात्मा गाँधी के विचारों के आधार पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को प्रोन्नत करना तथा गांधी बुनियादी शिक्षा तथा नई तालीम के कार्यक्रमों में लगे संस्थानों का नेटवर्क समेकित करना तथा विकसित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद नए प्रोत्साहनों को प्रेरित करके विद्यमान ग्रामीण संस्थानों को प्रोन्नत/पुनर्जीवित करने की कार्य योजना बना रहा है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जैसी उच्च शिक्षण की अन्य संस्थाओं ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का कार्य जारी रखा और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया।

तकनीकी शिक्षा

वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर इंजीनियरी और शिल्प वैज्ञानिक संस्थाओं में आधुनिकीकरण पर बल देना तथा अप्रचलित प्रथाओं को दूर करने का कार्य जारी रहा।

पांच भारतीय तकनीकी संस्थान बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर तथा मद्रास में तकनीकी विकास मिशन तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थापित किए गए हैं:-

(1) फूड प्रांसेसिंग इंजीनियरिंग
(2) समेकित डिजाईन तथा प्रतिस्पर्धात्मक निर्माण
(3) शक्ति कुशल तकनीकें तथा विधियां
(4) सम्प्रेषण नेटवर्क और इन्टेलिजेन्स आटोमेशन
(5) नयी सामग्री तथा आनुवांशिक इंजीनियरी
(6) जैव प्रौद्योगिकी

सतत रूप से चल रहे सभी कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उन्हें और अधिक सार्थक बनाने की दृष्टि से तथा उन योजनाओं/कार्यक्रमों को बंद करने, जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उनकी समीक्षा की गई। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्त संस्थाओं ने अपने-अपने मान्य कार्यकलापों के क्षेत्र में विशिष्टता दिखाई ।

अन्य कार्यक्रम

इसके अतिरिक्त, बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक प्रोन्नति, भारतीय भाषाओं का विकास, छात्रवृत्तियां आदि कार्यक्रम वर्ष के दौरान जारी रहे।

अध्याय -III
वित्तीय परिव्यय का सारांश
सारणी क
कार्यक्रमवार योजनागत और योजनेत्तर परिव्यय
मांग संख्या 48 -शिक्षा विभाग

(लाख रू0 में)

	कार्यक्रम	बजट आकलन 1996-97		संशोधित आकलन 1996-97		बजट आकलन 1997-98	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
	1	2	3	4	5	6	7
1	प्रारम्भिक शिक्षा	226370.00	98.00	156690.00	98.00	254200.00	108.00
2	माध्यमिक और शारीरिक शिक्षा	38111.00	33320.00	36748.00	34167.00	35494.00	32989.00
3	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	23839.00	48460.00	23975.00	48604.00	40300.00	47247.00
4	प्रौढ़ शिक्षा	22450.00	266.00	11216.00	273.00	12700.00	281.00
5	छात्रवृत्तियां	215.00	266.00	70.00	157.00	897.00	84.00
6	पुस्तक प्रोन्नति	198.00	342.00	257.00	337.00	650.00	363.00
7	हिन्दी	684.00	572.40	917.00	580.00	1025.00	623.00
8	आधुनिक भारतीय भाषा	487.00	341.60	275.00	314.00	717.00	322.00
9	संस्कृत	469.00	495.00	970.00	595.00	2628.00	603.00
10	तकनीकी शिक्षा	25391.00	23238.00	25762.00	28420.00	39000.00	28787.00
11	यूनेस्कों के साथ सहयोग के लिए आई एन सी	36.00	514.00	34.00	546.00	66.00	575.00
12	शैक्षिक योजना और अन्य	382.00	411.00	370.00	409.00	1702.00	484.00
13	भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती	-	-	-	-	20000.00	-
14	सचिवालय (प्रकाशन सहित)	22.00	1016.00	20.00	1181.00	34.00	1284.00
	कुल 48 -शिक्षा विभाग	338654.00	109340.00	257304.00	115681.00	409413.00	113750.00
	वसूली		(-) 2.00	-	-	-	-
	कुल मांग संख्या 48 -शिक्षा	338654.00	109338.00	257304.00	115681.00	409413.00	113750.00

सौलह नई केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 78.72 करोड़ रू0 तक का प्रावधान रखा गया है अर्थात 10.00 करोड़ रू0 जनसंचार प्रसार और प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए, 5 करोड़ रू0 राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन के लिए; प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने तथा इसे सांविधिक उपायों से लागू करने के प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विशेष सहायता के लिए 35.00 करोड़ रू0; हिन्दी विश्वविद्यालय के लिए 4.00 करोड़ रू0; उर्दू विश्वविद्यालय के लिए 4.00 करोड़ रू0 भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति परियोजना के लिए 2001 करोड़ रू0; राष्ट्रीय अनुवाद और व्याख्या न्यास के लिए 1.00 करोड़ रू0 7.82 करोड़ रू0 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना; कॉपीराइट व प्रवर्तन सेल स्थापित करने के लिए 0.96 करोड़ रू0 ; कॉपीराईट मामलों पर सेमिनार व कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 0.30 करोड़ रू0; बौद्विक संपदा अधिकार पर वित्तीय सहायता के लिए 0.20 करोड़ रू0 ; कापीराइट कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए 0.68 करोड़ रू0; जम्मू में इंजीनियरी कालेज के लिए 2.00 करोड़ रू0 ; आर ए जी एन आई सी एस के लिए 6.00 करोड़ रू0; विकलांग लोगों के पॉलिटेक्निक के लिए 1.84 करोड़ रू0 भारतीय स्वतंत्रता दिवस की स्वर्ण जयंती के लिए 200.00 करोड़ रू0 इन योजनाओं के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

सारणी ख
वित्त के स्त्रोत

(रू0 लाख में)

	राजस्व अनुभाग	बजट आकलन 1996-97		संशोधित आंकलन 1996-97		बजट आंकलन 1997-98	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
	1	2	3	4	5	6	7
1	सचिवालय मुख्य शीर्ष 225	239.00	1011.00	197.00	1178.00	418.00	1280.00
2	मंत्री परिषद मुख्य शीर्ष 2013	-	5.00	-	3.00	-	4.00
3	सामान्य शिक्षा मुख्य शीर्ष 2203	236818.00	84691.00	164888.00	85789.00	277977.00	83388.00
4	तकनीकी शिक्षा मुख्य शीर्ष 2552	25089.00	23228.00	24527.00	28410.00	37920.00	28777.00
5	उत्तर पूर्वी क्षेत्र मुख्य शीर्ष 2203	300.00	-	1233.00	-	1000.00	-
6	राज्य सरकारों को अनुदान मुख्य शीर्ष 3601	75426.00	272.00	65973.00	270.00	71217.00	270.00
7	संघ शासित प्रदेश सरकार को अनुदान मुख्य शीर्ष 3602	685.00	1.00	419.00	1.00	785.00	1.00
8	सहायता सामग्री व उपकरण मुख्य शीर्ष 3606	-	2.00	-	-	-	-
9	खेल व युवा सेवायें मुख्य शीर्ष 2204	45.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00
10	भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती शीर्ष 2250	-	-	-	-	20000.00	-
	कुल (राजस्व खण्ड)	338602.00	109240.00	257252.00	115681.00	409332.00	113750.00
	पूंजी अनुभाग						
कक.	मुख्य शीर्ष4202 शिक्षा कला व संस्कृति के लिए पूंजी परिव्यय	2.00	-	2.00	-	80.00	-
खख.	शिक्षा, खेल कला और संस्कृति के लिए ऋण मुख्य शीर्ष 6202	50.00	-	50.00	-	1.00	-
गग.	राज्य सरकारों के लिए ऋण अग्रिम मुख्य शीर्ष 7601	-	100.00	-	-	-	-
	कुल पूंजी अनुभाग	52.00	100.00	52.00	-	81.00	-
	कुल योग	338654.00	109340.00	257304.00	115681.00	409413.00	113750.00
	वसूली	-	(-)2.00	-	-	-	-
	कुल जोड़	338654.00	109338.00	257304.00	115681.00	409413.00	113750.00

अध्याय-4

क प्रारम्भिक शिक्षा

आपरेशन ब्लैकबोर्ड

इस योजना की शुरूआत १९८७-८८ में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों को निम्नलिखित प्रावधान द्वारा भौतिक सुविधाओं के न्यूनतम स्तर तक लाना है :-

१. लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन सुविधाओं सहित सभी मौसमों के लिए उपयुक्त, पर्याप्त आकार के कक्ष ।

२. कम से कम दो शिक्षक जिनमें से यथासंभव एक महिला, और

३. श्यामपट्टो, मानचित्रों, चार्टों, एक छोटे पुस्तकालय, खिलौनों, और कार्य अनुभव के लिए कुछ उपस्करों को शामिल करते हुए अनिवार्य शिक्षण अध्ययन सामग्री ।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारें के माध्यम से किया जाता है । शिक्षण अध्ययन उपस्कर हासिल करने और एकल शिक्षक विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए १०० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । विद्यालय के भवनों के निर्माण का दायित्व राज्य सरकारें का है योजना के वार्षिक मूल्यांकन और पिछले अनुभव के आधार पर कार्यान्वयन की प्रणाली में कुछ संशोधन किए गए है । ये हैं :-

१. लचीलापन: राज्यों को उन विशिष्ट अध्यापन अध्ययन सामग्री पर निर्णय करने में पर्याप्त लचीलापन दिया गया है जो विशेष राज्य के लिए प्रासंगिक व उपयोगी होंगे ।

२. विकेन्द्रीकृत क्रय:- राज्यों को उपकरण की खरीद को विकेन्द्रीकृत करने का परामर्श दिया गया है ताकि कोई गुरुत्व युक्तियुक्त कठिनाईयां न हो ।

३. कोटि नियंत्रण : राज्यों से सभी स्तरों पर कोटि नियंत्रण का अनुरोध किया गया है ।

४. अध्यापकों का प्रशिक्षण : अध्यापन अध्ययन सामग्री के सम्पूर्ण उपयोग के लिए एक आवश्यक निवेश के रूप में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक विशेष प्रबोधन कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत १८ लाख प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को अध्यापन-अध्ययन सामग्री के प्रयोग व कार्यान्मुख और बाल केन्द्रीत रूप में पाठ्यचर्या का सम्पादन और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चे अध्ययन का न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सकें, अगले तीन वर्षों में उनका प्रबोधन किया जाएगा ।

५. महिला शिक्षा:- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालिकाओं के नामांकन व अवरोधन पर ध्यान दिया जा सके मूल योजना में विशिष्ट प्रावधानकिए गए ये कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत अतिरिक्त भर्ती अध्यापकों का ५०% प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए । अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी राज्य सरकारें इस शर्त को पूरा करे । यहां यह उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु ने प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के रूप में केवल महिलाओं को भर्ती करने का निर्णय किया है ।

६. निर्माण के लिए वित्तपोषण प्रणाली :- स्कूल भवनों के निर्माण कार्य को तेज करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ जे आर वाई के अधीन एक वित्त प्रणाली तैयार की है जिसमें लागत केन्द्र और राज्यों के बीच बराबर रूप से बांटी जाती है । नई आरंभ की गई रोजगार आश्वासन योजना और गहन जआर वाई कार्यक्रम के अधीन स्कूल भवनों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता मामला बना दिया गया है ।

प्राथमिक स्कूलों को जहां नामांकन १०० से अधिक है और उच्च प्राथमिक स्कूलों तक तृतीय कक्ष

तृतीय अध्यापक प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लेकबोर्ड योजना का विस्तार किया गया है तथा मार्च, १९९४ से आरंभ की गई है । योजना के अंतर्गत नए मामलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए है :-

१. आठवी योजना के दौरान इसे केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रखा जाएगा ।
२. बालिका विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
३. अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अनु० जाति/अनु०जनजाति क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

१९८७-८८ से १९९५-९६ की अवधि के दौरान (१०० प्रतिशत) प्राथमिक स्कूलों, ४७५८९ (३० प्रतिशत) उच्च प्राथमिक स्कूलों को ५•२३ लाख रू तक के अध्यापन अध्ययन उपकरण संस्वीकृत किए गए है तथा ३३६०५ (२३ प्रतिशत) प्राथमिक स्कूलों को तृतीय अध्यापक संस्वीकृत किया गया । वर्ष १९९६-९७ के दौरान करीब ९००० (७ प्रतिशत) प्राथमिक स्कूलों को तृतीय अध्यापक संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है ।

वित्तीय आवश्यकतायें

(रू लाखों में)

	बजट आकलन १९९६-९७	संशोधित आकलन १९९६-९७	बजट आकलन १९९७-९८
योजनागत	२७९,००•००	२७९,००•००	३०४,००•००

२. शिक्षक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ का अनुपालन करते हुए शिक्षक शिक्षा की पुनः संरचना तथा पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष १९८७-८८ से लागू की जा रही है । इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षकों को सेवा पूर्व और सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में अपनी सक्षम भूमिका अदा करें और प्रारंभिक माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में और शुरू किए जा रहे कार्यक्रमों और विभिन्न कार्य नीतियों की सफलता के लिए बुनियादी स्तर पर शैक्षिक और संसाधन सहयोग प्रदान कर सके ।

2. यह योजना मूलतः शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए है । इस योजना में

प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा प्रणालियों को प्रशिक्षण और सामान्य संसाधन सहयोग प्रदान करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण जिला संस्थानों और माध्यमिक शिक्षा पद्धतियों को इसी प्रकार के सहयोग के लिए शिक्षा में उच्च अध्ययन के शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थानों का प्रावधान है । यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् और शिक्षा विश्वविद्यालय विभागों को भी सुदृढ़ता प्रदान करती है ।(विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से)।

3. वर्ष १९९६-९७ में ४२५ जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य पूरा किया गया । आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक १३५ अध्यापक शिक्षा कालेज/उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान स्थापित करने के लक्ष्य के स्थान पर १०८ माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों को अध्यापक शिक्षा कालेजों/उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों में स्तरोन्नत किया गया । राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण प्रथमतः लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं हो सका ।

४. अभी तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की १८ परियोजनाओं को सुदृढ़ करने को अनुमोदित कर दिया गया है । विभिन्न अन्य राज्य अपने विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में है । प्राथमिक अध्यापकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम के अंतर्गत सितम्बर, १९९६ तक ४•१७ लाख अध्यापकों को शामिल किया जा चुका है ।

५. कर्नाटक और मध्यप्रदेश राज्यों में सेटलाईट और अंतर्सक्रिय प्रौद्योगिकी माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में अध्यापकों के पहुंचने के विशिष्ट नवाचार को सफलता पूर्वक प्रयास किए गए । इस कार्यक्रम के अंतर्गत ८५० प्राथमिक अध्यापकों को कर्नाटक में और १४०० प्राथमिक अध्यापकों को मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण दिया गया ।

६. जहां तक शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों को सुदृढ़ करने का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभागीय अनुसंधान सहायता स्तर पर विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पांच विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग का चयन किया है । ये विश्वविद्यालय हैं, काशी विद्यापीठ, एम० एस० यूनिवर्सिटी आंफ बड़ौदा, उस्मानिया विश्वविद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय । विश्व० अनु० आयोग ने शिक्षा में एम ए पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालय विभागों की सहायता देने का निर्णय किया है ।

७. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और लोकजुम्बिश परियोजनायें ब्लॉक और क्लस्टर स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षण आरंभ किया है । जिला संसाधन एककों ने (डी आर यू) प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के व्यक्तियों के प्रशिक्षण का कार्य आरंभ किया है ।

८. आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिन्हें योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत किया गया है को कार्यान्वित करने पर बल दिया गया है । ९ वी योजना के दौरान पहले से संस्वीकृत स्तरोन्नत जि० शि० प्र० सं० और अध्यापक शिक्षा कालेज, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों को सुदृढ करने की प्रक्रिया जारी रखने का प्रस्ताव है प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापकों को उपयुक्त सेवाकालीन प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जि० शि० प्र० सं की स्थापना के लिए देश में सभी जिलों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है ।

वित्तीय आवश्यकतायें

(रू लाखों में)

	बजट आकलन १९९६-९७	संशोधित आकलन १९९६-९७	बजट आकलन १९९७-९८
योजनागत	११७,००.००	१००,००००	१५९,०००००

३. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९५६ में अनौपचारिक शिक्षा के वृहद और व्यवस्थित कार्यक्रम की मांग की गई है जो कि पर्याप्त लचीलेपन के साथ सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धि की कार्यनीति का एक अभिन्न अंग है । इसके माध्यम से शिक्षक स्वयं अपनी गति पर अध्यन कर सकेगा और इसके साथ-साथ औपचारिक शिक्षा के समान कोटि बनाए रख सकेगा ।

इस योजना को १९७९-८० में तैयार किया गया था और इसका संशोधन १९९३ में किया गया था जिसमें विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से अध्येताओं का आवश्यकताओं के अनुसार संगठनात्मक लचीलेपन, पाठ्यचर्या की संगतता, अध्ययन क्रियाकलापों में विविधता पर बल दिया गया था । इस योजना का कार्यान्वयन शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों जैसे आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है । इसमें शहरी झोपड़ पट्टी पर्वतीय, मरूस्थली और जनजाति क्षेत्र तथा अन्य राज्यों के कार्यरत बच्चों की सघनता वाले क्षेत्र भी शामिल है ।

इस समय, इस योजना का कार्यान्वयन २१ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वैच्छिक एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है :

१ सामान्य (सह-शिक्षा) केन्द्र :	६० प्रतिशत
२ केवल बालिकाओं के लिए :	९० प्रतिशत
३ स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्र :	१०० प्रतिशत

सातवीं योजनावधि के दौरान अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या १.६७ लाख से बढ़कर २,५७ लाख हो गई । इस समय लगभग ७० लाख बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए २.७९ लाख केन्द्रों का संस्वीकृति प्रदान की गई है ।

लक्ष्य और उपलब्धियां

अनौपचारिक शिक्षा के लिए ८वीं योजना में ३.५ लाख केन्द्रों के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी । बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हो पिछले ३ वर्षो के दौरान केन्द्रों की संख्या के आधार पर उपलब्धियां निम्नानुसार थी :-

वर्ष	केन्द्रो की संख्या	(लाख में)
१९९३-९४	.२·५५	
१९९४-९५	२·६१	
१९९५-९६	२७९	

चालू वर्ष अर्थात् १९९६-९७ के लिए १५८·२० करोड़ रूपये का आवंटन है । ।१२८·२० करोड़ रूपये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत तथा ३०.०० करोड़ रूपये स्वैच्छिक क्षेत्र के अंतर्गत । राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उतनी ही संख्या में अर्थात २४१ लाख केन्द्र जारी रखने और १९९७-९८ के दौरान ३,००० अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है । राज्य क्षेत्र के अंतर्गत इसके लिए १९१·३१ करोड़रू के आवंटन की आवश्यकता है ।

वित्तीय आवश्यकतायें

।रू लाखों में ।

	बजट आकलन १९९६-९७	संशोधित आकलन १९९६-९७	बजट आकलन १९९७-९८
योजनागत	१५८,२५००	१५८,२५००	३२५,८६,००

४. शिक्षाकर्मी परियोजना

शिक्षा कर्मी परियोजना वर्ष १९८७ से राजस्थान में स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है । शिक्षाकर्मी परियोजना का प्रथम चरण ३०·६·९४ तक था । प्रथम चरण के दौरान परियोजना परिव्यय का ९० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के योजनागत बजट में से लिया गया था जिसकी बाद में स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्रधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई । राजस्थान सरकार ने परियोजना परिव्यय का १० प्रतिशत हिस्सा दिया ।

शिक्षा कर्मी परियोजना का दूसरा चरण १·७·९४ से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा जो ३०·६·९७ तक तीन वर्षो की अवधि के लिए है । परियोजना के चरण -२ के दौरान स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण तथा राजस्थान सरकार के बीच लागत भागेदारी पद्धति ९०:१० स ५०:५० कर दी गई है । चरण - २ के लिए ४८·०० करोड़ रू के परिव्यय की परिकल्पना की गई है , स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण के लिए ६० मिलियन स्वीडिश क्रोनर २४,०० करोड़ रू की सहायता का वचन दिया है ।

परियोजना का लक्ष्य राजस्थान से दूरस्थ व सामाजर्थिक रूप से पिछड़े गांवो में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथ मुख्य रूप से लड़कियों पर ध्यान देते हुए प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है । इस परियोजना स प्रांरभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अध्यापकों की अनुपस्थिति जैसी मुख्य समस्या का पता लगा है । परियोजना स्वेच्छिक एजेंसियो की सहायता से राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

चरण - २ के मुख्य घटक निम्नलिखित है ।

१. दीर्घकालिक कोटि के साथ संतुलित विस्तार
२. प्रबंध समिति का विकेन्द्रीकरण
३. शिक्षाकर्मी के रूप में महिलाओं की बढ़ती हुई भागेदारी
४. दिवस स्कूलों और प्रहर पाठशालाओं में लडकियों के नामंकन और अवरोधन में सुधार
५. शिक्षाकर्मियों के लिए रोजगार अवसर और
६. लोकजुम्बिश कार्यक्रम एंव शिक्षा की मुख्य धारा के साथ अंतरपृष्ठ

मुख्य कार्यकलापों में ग्रामों का चयन, परियोजना व्यक्तियों व शिक्षाकर्मियों का चयन और प्रशिक्षण, दिवसीय व रात्रि केन्द्रो की स्थापना, पाठ्यचर्या का विकास और अनुवर्ती सहायता व निरीक्षण है । मानवशक्ति, प्रबंध, तर्क, अनुसंधान, अनुवीक्षण व मूल्यांकन मुख्य घटक है ।

३०-९-९६ की स्थिति अनुसार, शिक्षाकर्मी परियोजना राजस्थान में २८ जिलों, ९४ ब्लॉक्स, १५९० गांवो में कार्य कर रही है । १५९० दिवस केन्द्र और ३५३४ प्रहर पाठशालाएं है जिसमें ३८६० शिक्षाकर्मी है जिसमें ३४५७ पुरूष शिक्षा कर्मी व ४०३ महिला शिक्षाकर्मी है जो १,५०,३९१ बच्चों की शिक्षा दे रहे है । ३१-३-९७ तक ३५० गांवो में अन्य १० ब्लॉकों यूनिट शामिल करने का प्रस्ताव है ।

१९९६-९७ के लिए ९००.०० लाख रू का बजट प्रावधान किया गया है । इसकी स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी आशा है कि आवंटन चालू वर्ष के दौरान उपयोग में ले लिया जाएगा ।

वित्तीय आवश्यकतायें

रू लाखों में

	बजट आकलन १९९६-९७	संशोधित आकलन १९९६-९७	बजट आकलन १९९७-९८
योजनागत	९००.००	९००.००	१६१७.००

राष्ट्रीय बाल भवन,नई दिल्ली

==========

राष्ट्रीय बाल भवन पहले बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान के रूप में भारतीय बाल भवन सोसायटी 5-16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों विशेष रूप से समाज के कमजोर बच्चों के बीच रचनात्मकता को बढ़ाने में योगदान कर रही है। बच्चे सृजनात्मक/निष्पादन कला, पर्यावरण,एस्ट्रोनामी,फोटोग्राफी,संघटित कार्यकलाप शारीरिक कार्यकलाप तथा विज्ञान से संबंधित कार्यकलापों में से अपनी पसंद के कार्यकलाप पर कार्य कर सकते हैं। कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए गए हैं ताकि बच्चे की अंतःशक्ति को खोज की जा सके और उसे विभिन्न माध्यमों द्वारा विचारों को व्यक्त करने के अवसर दिए जा सकें। इस प्रकार बाल भवन का उद्देश्य स्वतंत्र व प्रसन्न वातावरण में बच्चे का संपूर्ण विकास करना तथा उनमें वैज्ञानिक रूचि को विकसित करना है।

इसके प्रारंभ से बाल भवन की सदस्यता वर्ष 1956 में 300 से बढ़कर पिछले कुछ वर्षों में लाख से अधिक हो गई है। जो बच्चे बाल भवन के केन्द्रीय कार्यलय में इसके कार्यकलापों में भाग नहीं ले सकते,उनके लिए संपूर्ण दिल्ली में 51 बाल भवन केंद्र खोले गए हैं। दो जवाहर बाल भवन एक श्रीनगर में तथा दूसरा मंडी में,को भी निधियां प्रदान की गई है।राष्ट्रीय बाल भवन देश में 61 राज्यों व जिला बाल भवन को जो भारती बाल भवन सोसायटी से संबंद्ध हैं,को सामान्य निर्देशन,प्रशिक्षण सुविधाएं तथा सूचनायें भी प्रदान करता है।

चालू कार्यकलापों में 20 कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें 20,000 बच्चों तथा लगभग 2,500 शिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। गर्मियों के दौरान बहुत से बच्चों ने बाल भवन में अपनी पसंद के विभिन्न कार्यकलापों में भाग लिया। इस वर्ष के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक शिल्प संरक्षण सम्मेलन, आर्टस पर समेकित दृष्टिकोण पर कार्यशाला, ओरिगेमी कार्यशाला,पुस्तक निर्देशन कार्यशाला, मिस्र,श्रीलंका पर कार्यशाला,कठपुतली कार्यशाला तथा जलजीव कार्यशाला आदि मुख्य हैं। अन्य मुख्य कार्यक्रमों में पर्यावरण सप्ताह, साक्षरता कैम्प,पर्वतारोहण तथा शैक्षिक यात्राएं आदि हैं। इस अवसर पर एक पेंटिंग कार्यकम तथा वक्तृता प्रतियोगिता आयोजित की गई। सितम्बर, 1996 में युवा पर्यावरणविदों का सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया ताकि बच्चों का ध्यान पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं तथा उनके सम्भावित समाधानों की ओर दिलाया जा सके। प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर से बाल भवन द्वारा राष्ट्रीय बाल सभा आयोजित की जाती हैं जिसमें देश के सभी भागों से संबंद्ध बाल भवनों के बच्चे हिस्सा लेते हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान सभा का आयोजन 14-20 नवम्बर, 1996 को किया गया। इस वर्ष की सभा का विष "नैतिक मूल्य" हैं। सभी कार्यकमों के आयोजन का कुल व्यय लगभग 80,00लाख रूपये है।

विकासात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत "सूर्य"शीर्षक से एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें इस भवन के सितारे के बारे में सभी तथ्यों का ज्ञान बच्चों को दिया गया। एक बहु-उद्देश्यी स्केटिंग स्थान निर्माणाधीन है। जवाहर बाल भवन, मंडी का आदर्श ग्राम्य बाल भवन के रूप मे नवीकरण तथा विकास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त जवाहर बाल भवन मंडी में कम्प्यूटर कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल भवन में एक सांस्कृतिक शिल्प ग्राम विकास की प्रक्रिया में है ताकि बच्चे भारतीय लोक संस्कृति तथा पारम्परिक लोक कलाओं के बारे में जान सकें। वर्ष 1995 में बाल श्री पुरस्कार की योजना प्रारम्भ की गई ताकि बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का पता लगाया जा सके।

वित्तीय आवश्यकताएं

===============

(रु॰लाख में)

	बजट प्राकलन 1996-97	संशोधित प्राकलन 1996-97	बजट प्राकलन 1997-98
योजना	175,00	175,00	600,00
योजनेत्तर	98,000	98,00	108,00

1/ राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्

भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 1995 को अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् की स्थापना राष्ट्रीय स्तर के एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई जिसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षा के सुनियोजित तथा समन्वित विकास, शिक्षक शिक्षा के मानदण्डों तथा स्तरों के उचित अनुरक्षण के लिए विनियमों तथा उनसे संबंधित मामलों को देखना है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है तथा इसमें विनियामक तथा विकासात्मक कार्य शामिल है। इसके मुख्य कार्यों में से कुछ इस प्रकार हैं, विभिन्न शिक्षक तथा पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करना, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करना, सर्वेक्षण तथा अध्ययन, शोध तथा नवाचार, शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक आदि।

अधिनयम के प्रावधानों के अनुसार उत्तरी, दक्षिणी,पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के लिए चार क्षेत्रीय समितियां स्थापित की गई जिनके मुख्यालय क्रमश: जयपुर,बंगलौर,भुवनेशवर तथा भोपाल में हैं। यह क्षेत्रीय समितियां, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के आवेदनों पर मान्यता/अनुमति प्रदान करने के लिए अधिनियम प्रावधानों के अनुसार विचार करेगी।

परिषद् की स्थापना के पश्चात इस थोडे से समय के दौरान परिषद ने पूर्व-प्राथमिक, प्रारंभिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानदंड तथा स्तर निर्धारित किये है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीएड·तथा एम एड के लिए भी मानदंड तैयार किये गये हैं तथा शीघ्र ही अधिसूचित कर दिये जायेंगे।

वर्ष 1996-97 के दौरान कई सम्मेलन, कार्यशालाएं,संगोष्ठियां तथा जागरूकता बैठकें आयोजित की गई। कई परियोजनाएं तथा अध्ययन भी प्रारंभ किये गये। कुछ मुख्य निम्न प्रकार से हैं:

1· प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए सक्षमता पर आधारित शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का निर्माण
2· शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या कार्य ढांचे का पुनर्निर्माण
3· शिक्षक शिक्षा, चालू स्तर, भविष्य की परियोजनाएं तथा मुद्दों पर राज्य स्तरीय अध्ययन।
4· शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सामग्री का विकास।
5· शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए मानव अधिकार तथा राष्ट्रीय मूल्य।
6· शिक्षक शिक्षकों की अध्ययन रूप रेखा।

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से भी कुछ परियोजनाएं प्रारम्भ की गई। इनमें से मुख्य इस प्रकार है: यूनेस्को द्वारा प्रायोजित शिक्षकों के व्यावसायिक स्तर पर एक सेम्लन तथा इसकी रिपोर्ट की तैयारी तथा सम्मेलन में प्रस्तुत किये गये पत्रों का सारांश, भाषा में शिक्षकों प्रशिक्षकों के लिए स्व-अध्ययन के माड्यूल्स की तैयारी। शिक्षकों के स्तर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/यूनेस्को की सिफारिशों के अनुप्रयोग पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट की हिन्दी अनुवाद।

वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् सारे देश में शिक्षक शिक्षा के सुनियोजित तथा समन्वित विकास, शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों तथा स्तरों के उचित अनुरक्षण तथा विनियमन के उद्देश्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास करेंगी।

वर्ष 1996-97 के लिए 300 लाख रूपये का बजट प्रावधान बताया गया है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू.लाखो में)

	बजट प्राकलन 1996-97	संशोधित प्राकलन 1996-97	बजट प्राकलन 1997-98
योजना	300,00	300,00	600,00

बिहार शिक्षा परियोजना । यूनिसेफ के सहयोग से ।

यूनिसेफ के सहयोग से प्रारम्भ की गई बिहार शिक्षा परियोजना एक मूल शिक्षा परियोजना है जिसका उद्देश्य बिहार राज्य में विद्यमान शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाना है ।

परियोजना को चरणबद्ध रूप से पूरा करने परिकल्पना की गई है । वर्ष १९९१-१९९६ तक ओवरलैपिंग कर अवधि में २० जिलों के १५० ब्लाक शामिल किए गये है । परियोजना का परिव्यय ३६० करोड़ रु था जिसमें से यूनिसेफ, भारत सरकार तथा बिहार सरकार के बीच वित्त पोषण समझौते के ३;२:१ के अनुसार यूनिसेफ को १८० करोड़, भारत सरकार को १२० करोड़ तथा बिहार सरकार ६० करोड़ रूपये का योगदान करना था ।

बिहार शिक्षा परियोजना में शिक्षा प्रणाली के प्रबंध में पणधारियों की भागीदारी तथा सामुदायिक सहयोग की परिकल्पना की गई है । यह परियोजना समाज के अन्त तक के वंचित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति तथा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल देती है । कार्यक्रम के प्रबंध के लिए राज्य स्तरीय स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी नामत: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद । बी एस पी पी । स्थापित की गई है ।

मार्च, १९९६ में समाप्त बिहार शिक्षा परियोजना के प्रथम चरण में सात जिले नामत: रांची, पश्चिम चंपारन, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हजा एवं पूर्व सिंहभूम शामिल किये गये । इनमें से तीन जिलों में प्रथम वर्ष १९९१-९२ में लिए गये जबकि ४ जिले १९९२-९३ में लिये गये । प्रथम चरण १९९१-९६ में संचयी व्यय ४९ करोड़ रू लगभग था जिसमे यूनिसेफ का योगदान भी शामिल है ।

बिहार सरकार के अनुरोध पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन से चरण-२ के लिए दो वर्ष की अवधि १९९६-९८ बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है । इस चरण के दौरान परियोजना को विद्यमान सात जिलों में ही समेकित करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, इस बढ़ी हुई अवधि के दो वर्षो के दौरान १३ नये जिलों मे परियोजना कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे । द्वितीय चरण के १९९६-९८ के लिए कुल परियोजना परिव्यय का अनुमान ६२ करोड़ रू लगाया गया है जो विद्यमान वित्त पोषण फार्मूले के अनुसार यूनिसेफ, भारत सरकार तथा बिहार सरकार में बांटा जायेगा । हालांकि, इस अवधि के दौरान भारत सरकार का योगदान केवल एक करोड़ रू का होगा ।

वित्तीय आवश्यकताए

।रू लाख में ।

	बजट प्राकलन १९९६-९७	संशोधित प्राकलन १९९६-९७	बजट प्राकलन १९९७-९८
योजना	२५००,००	-	१००,००

८. महिला समाख्या

महिला समाख्या कार्यक्रम डच सहायता से वर्ष १९८९ में प्रारम्भ किया गया था । कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम स महिलाओं को अधिकार प्रदान करना था, महिलाओं के स्वयं के बारे में तथा समाज के बारे में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना कि महिलाएं स्वंय अपनी गति से विकास कर सके । यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, गुजरात, कनार्टक तथा आंध्र प्रदेश के १७ जिलों में २०७५ गांवों में लागू किया गया ।

उपलब्धियां

कार्यक्रम इस प्रकार स्थापित किया गया है कि ग्रामीण महिलाओं को शक्तियां प्रदान की जा सके तथा कार्यक्रम की नीतियां तथा प्रणाली इस प्रकार की अपनाई गई है कि कार्यक्रम के सभी उद्देश्य से सामंजस्य स्थापित हो सके । महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए मूलस्तर पर एक प्रतिष्ठान किया गया है तथ महिलाओं के मुद्दों को जन क्षेत्र में स्थापित किया गया । महिलाएं एक मंच के रूप में संघ बनाने के लिए वचनबद्ध है ताकि मिलकर समस्याओं का विश्लेषण कर सके तथ उनके समाधान के लिए सामूहिक कार्रवाई कर सके । सखिया तथा सहयोगिनियां आत्म विश्वासी, सक्षम अभिप्रेरित तथा महिला समाख्या के सिद्धान्तों के लिए वचनबद्ध है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू लाख में)

	बजट प्राकलन १९९६-९७	संशोधित प्राकलन १९९६-९७	बजट प्राकलन १९९७-९८
योजना	५००,००	४७०,००	६००.००

९. लोक जुम्बिश परियोजना

स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता से राजस्थान में लोक जुम्बिस नामक एक नवाचार परियोजना आरम्भ की गई थी । इसका मूल उद्देश्य लोगो को संघटित करके उनकी भागदारी द्वारा २००० ईसवी सन तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है ।

चरण - १

भारत सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण को १९९२-९४ दो वर्ष के लिए अनुमोदित किया जिसमें विभिन्न जिलों के २५ ब्लांक शामिल किये गये जिसकी अनुमानित लागत १८,०० करोड़ रू , स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में

चरण -१ की उपलब्धियां

प्रथम चरण में परियोजना का लक्ष्य २५ ब्लाक प्राप्त कर लिया गया था तथा प्राथमिक शिक्षा के कई घटकों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, न्यूनतम सीखने का स्तर, नये स्कूलों को खोलना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों आदि पर ध्यान दिया गया । लोक जुम्बिश परियोजना की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैः-

लोक जुम्बिश परियोजना नवाचार प्रबंध ढांचे को स्थापित कर सकती है जिसमें विकेन्द्रीकरण तथा प्राधिकरण के प्रत्यायोजन को समायोजित किया जा सकता है इसके साथ-साथ स्थानीय समुदायों तथा स्वैच्छिक सेक्टर की भागीदारी की जा सकती है । सामुदायिक गतिशीलता, स्कूलों की सुव्यवस्था तथा सामुदायिक केन्द्रों के भवनों का विकास, बालिकाओं तथा सामाजिक रूप से अलाभान्वित वर्ग, सीखने की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है ।

चरण - २

लोक जुम्बिश परियोजना का द्वितीय चरण हाल में ही अनुमोदित किया गया है जो १९९४-९७ में लागू किया जायगा । इस चरण में इस परियोजना को ५० ब्लाकों तक बढ़ाया जायेगा । चरण -२ ८० करोड़ रू के परिव्यय की परिकल्पना की गई है जो स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के बीच क्रमशः ३:२:१ के आधार पर बांटी जायेगी ।

लोक जुम्बिश परियोजना की अबतक की उपलब्धियां । ३१-३-९६ तक ।

द्वितीय चरण में वर्ष १९९४-९७ में ५० ब्लाक शामिल करने थे, लोक जुम्बिश परियोजना के कार्यक्रम ब्लाकस में प्रारंभ किये गये । इस प्रकार कुल ५८ ब्लाक शामिल किये गये । लोक जुम्बिश ना ने २१०९ गांवों में वातावरण निर्माण कार्यक्रम शुरू किये है तथा १३८८ गांवों में स्कूलों की था कार्यक्रम पूर्ण किये है । २३६ नये स्कूल खोले गये हैं जबकि २६६ प्राथमिक स्कूलों को किया गया है । लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा २०८२ केन्द्रों में एक नवीन तथा सफल अनौपचारिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

आवश्यकताएं

रू लाख में

	बजट प्राक्कलन १९९६-९७	संशोधित प्राक्कलन १९९६-९७	बजट प्राक्कलन १९९७-९८
जा	२२२०,००	२२२०,००	३२६६,००

१० जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष १९९४-९५ के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शीर्षक से केन्द्र प्रायोजित एक योजना प्रारम्भ की गई जिसका मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण करना था । वर्ष १९९४-९५ के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी । यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखता है तथा जिला विशिष्ट योजना व समेकित लक्ष्य निर्धारण के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसलभीकरण की नीति को कार्यान्वित करता है । कार्यक्रम में योजना व प्रबंध हेतु सहभागिता प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है तथा अभ्यर्थियों पर ध्यान केन्द्रित करता है तथा अध्यापक प्रशिक्षण में निवेश और विकेन्द्रीकृत प्रबंध के माध्यम से स्कूल प्रभावनियता में वृद्धि करता है । कार्यक्रम में राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण पर बल दिया गया है तथा यह ऐसी नीतियां विकसित करता है जिनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है और जो दीर्घकालिक है । वर्ष १९९४ में यह कार्यक्रम असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के ४२ जिलों में प्रारम्भ किया गया । वर्ष १९९६ में यह कार्यक्रम उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश तथा गुजरात के १७ जिलों में प्रारम्भ किया गया । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को चरण २ के राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त ६१ जिलों तक बढ़ाने का विचार है । इस समय जिला योजना बनाने की प्रक्रिया चल रही है तथ मार्च, १९९७ तक इसके कार्यन्वयन की आशा है । यह कार्यक्रम एक मिशन के रूप में कार्यन्वित किया जा रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा विभाग में एक कोर के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्थापित किया गया है । प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को एक अभियान के रूप में सर्वसुलभ कराना है ताकि २१ वी शताब्दी में प्रवेश करने से पहले १४ वर्ष की आयु से कम सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन की एक सामान्य परिषद तथा एक परियोजना बोर्ड है और समय-समय पर निर्धारित तथा स्थापित किए जाने वाले इस प्रकार के अन्य निकाय और कार्य दलन है । राष्ट्रीय प्रबंध ढांचा संपूर्ण देश में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को देखता है तथा राज्यों और जिलों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है । राज्य स्तर पर कार्यान्वयन पंजीकृत स्वायत्त सोसायटी द्वारा किया जाता है जिसमें मुख्य मंत्री सामान्य परिषद के समिति के अध्यक्ष होते है । वर्ष १९९६-९७ के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अपने कार्यन्वयन के तीसरे वर्ष में पहुंच गया । कार्यक्रम के तीसरे वर्ष में सभी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले जिलो में सिविल निमार्ण तथ शिक्षण सीखने की सामग्री का नवीकरण किया गया है । सभी चुने हुए जिलो में नये स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ किये गये । यह कार्यक्रम विकेन्द्रित स्तरों पर क्षमता निर्माण के लिए शैक्षणिक संसाधन संस्थानो तथ गैर सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्क का कार्य कर रहा है । इस कार्यक्रम में शैक्षणिक सहायता संस्थान जैस कि ब्लाक संसाधन केन्द्र, कलस्टर संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये है ताकि शिक्षक प्रशिक्षण ,शैक्षणिक पर्यवेक्षण तथ अध्ययन अवसर प्रदान किये जा सके।

कार्यक्रम के तीसरे वर्ष में राज्य तथा जिला दोनों स्तरों पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानो की वृद्धि, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को सुदृढ़बनाना योजना क्षमता की वृद्धि आदि को शरू किया गया । लड़कियों ,जनजातीय बच्चों तथा अन्य अलाभान्वित वर्गो का नामांकन तथा शिक्षा में रोकने के विशेष प्रयत्न किये गये । विकलांग बच्चो के लिए समेकित शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया । अंर्तराष्ट्रीय विकास संघ ने इस कार्यक्रम के लिए जि० प्र० शि० का० के प्रथम चरण १९९४-२००१ तथा जि० प्र० शि० का० के द्वितीय चरण १९९६-२००२ के लिए क्रमशः २६० मिलियन अमरीकी डालर तथा ४२५ मिलियन

अमरीकी डालर का आ॰ वि॰ रू ऋण अनुमोदित किया। यूरोपियन आयोग के साथ इस कार्यक्रम के लिए 150 मिलियन ई॰ सी॰ यू॰। लगभग 200 मिलियन अमरीकी डालर 1 की वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय करार पर हस्ताक्षर किए है। आंध्रप्रदेश के 5 जिलों में जि॰ प्र॰ शि॰ का॰ चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 4205 मिलियन अमरीकी डालर की निधियां प्रदान कर रहा है।

वित्तीय आवश्यकताएं

रु लाख में

	बजट प्राक्कलन 1996-97	संशोधित प्राक्कलन 1996-97	बजट प्राक्कलन 1997-98
योजना	238,50,00	184,00,00	651,31,00

11॰ प्राथमिक शिक्षा का पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम

15 अगस्त, 1995 को देश में पहली बार प्राथमिक शिक्षा का पोषाहार सहायता का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ किया गया। यह कार्यक्रम मंत्रिमंडल द्वारा पहले 28 जुलाई, 1995 को अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम का अभिप्राय नामांकन, स्कूलों में रोके रखना तथा उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को बढ़ना तथा इसके साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं में पोषण को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम का मूल उद्देश्य प्रति विद्यार्थी, प्रति स्कूल के दिन में 100 ग्राम गेहूं चावल के बराबर कैलोरी वाला पूर्ण पके हुए/संसाधित भोजन का प्रावधान करना है। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों नामतः स्थानीय निकाय/प्राधिकरण जैसे कि पचायतें तथा नगरपालिका आदि से यह आशा की जाती है कि वे अपने स्थानीय क्षेत्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की तिथि से दो वर्ष की अवधि में पका हुआ/संसाधित भोजन प्रदान करने के लिए संस्थाओं का प्रबंध कर ले। इस अंतरिम अवधि में प्राथमिक कक्षाओं में सभी बच्चों का प्रति विद्यार्थी, प्रति माह 3 कि॰ग्रा॰ की दर से अनाज गेहू या चावल वितरित किया जा सकता है बशर्ते की न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत हो।

यह कार्यक्रम 1995-96 से एक चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे देश में सभी सरकारी, स्थानीय निकायों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं (1-5) के सभी विद्यार्थियों को शामिल कर लेगा। वर्ष 1996-97 में कार्यक्रम को काफी बढ़ाया गया ताकि सभी 4426 पुर्नस्थापित लोक वितरण व्यवस्था आर॰पी॰डी॰एस॰ रोजगार आश्वासन योजना ई॰ए॰एस॰ तथा निम्न महिला साक्षरता एल॰ एफ॰ एल॰ ब्लाक्स के 5.57 करोड़ बच्चों को इसमें शामिल किया जा सके। वर्ष 1997-98 में यह कार्यकम सर्वव्यापक रूप से देश के बाकी ब्लाक्स में से 10,82 करोड़ बच्चों को शामिल करेगा तब यह कार्यक्रम देश में प्राथमिक कक्षाओं (1-5) के सभी छात्रों को इसमें शामिल कर लेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता निम्न-प्रकार से होगी :-

1॰ कार्यन्वयन एजेंसियों के लिए मुफ्त अनाज का प्रावधान करना।

2. जिला अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों/गांवों तक अनाज को ले जाने के लिए आर.पी.डी.एस. के अंतर्गत लागू प्रति क्विंटल 25/- रूपये की दर से वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, अनाज के भोजन को पकाने का पारिश्रमिक तथा रसोई घरों के निर्माण का व्यय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित गरीबी उल्मूलन योजनाओं के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

यह कार्यक्रम वर्ष 1995-96 में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया। सात राज्य नामतः गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडू तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी पका हुआ भोजन वितरित कर रहे हैं। दिल्ली में संसाधित भोजन प्रदान किया जा रहा है। बाकी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में अनाज वितरित किया जा रहा है। अनाज की आर्थिक लागत 662,40 प्रति क्विंटल को देखते हुए गेहू तथा अच्छे चावल की बराबर मात्रा प्रदान की जायेगी। कार्यक्रम में 7,57 करोड़ बच्चों के लिए 1400 करोड़ रूपये की राशि बजट अनुमानतः 1996-97 के लिए आवंटित की ग ई। राज्यों/संघ शासित प्रशासन के केवल 5,57 करोड़ नामांकन की सूचना दी है।

वर्ष 1996-97 में 10 शैक्षिक महीनों के दौरान प्राथमिक कक्षाओं के नामाकन के आधार पर सभी राज्यों/संघ शासित को 624934,67 मीट्रिक टन गेहूं तथा 953681,59 मीट्रिक टन चावल आवंटित किये गये।

वित्तीय अपेक्षाएं

(रू लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित बजट 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	1400,00,00	800,00,00	960,00,00

ख) स्कूल शिक्षा

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय,शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। यह संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1980 का 21) के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में 15 दिसम्बर, 1965 को पंजीकृत किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्य उद्देश्य हैं:-

1) रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को एक समरूप शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराके उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना,

2) शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना और मार्ग निर्धारित करना,

3) के•भा•शि•बो•और रा•शै•अ•प्र•इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोगवादिता को शुरू करना और उसे प्रोन्नत करना,

4) राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना और बच्चों में भारतीयता की भावना सृजित करना इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

क) रक्षा कार्मियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों पर विद्यालय स्थापित किये गये हैं।

ख) शिक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों से दी जाती है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में एक जैसी पाठ्यपुस्तकें तथा पाठ्यचर्या होती है।

ग) कक्षा 8 तक की शिक्षा लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए निशुल्क है। तथापि कक्षा 9वीं, 10वीं,ग्यारहवीं तथा बारहवीं के लड़कों से शुल्क लिया जाता है। इन कक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों तथा लड़कियों को शुल्क देने से छूट दी गई है। शिक्षा शुल्क की राशि वर्ष में 1 मई, से बच्चों के अभिभावकों के वेतन से जोड़ी जाती है।

लक्ष्य तथा उपलब्धियां

1) केन्द्रीय विद्यालयों को खोलना

(क) लक्ष्य

वर्ष 1996-97 के दौरान 20 नये केन्द्रीय विद्यालयों को सिविल/रक्षा सेक्टर के अंतर्गत पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

2) पर्वतारोहण स्कीइंग, जोखिम प्रदर्शन, रॉक क्लाईम्बिंग, साईकिल इसफरी, पैरासेलिंग, व्हाइट वाटर रेफ्टिंग जैसे 76 जोखिम पूर्ण गतिविधियों को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

3) 250 खेल कूद छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी

4) विभिन्न शिक्षण स्टाफ केन्द्रों में वर्ष 1997-98 के दौरान प्रस्तावित सेवा कालीन पाठ्यक्रमों के आयोजित करने की अपेक्षा हैं।

5) वर्तमान में 855 केन्द्रीय विद्यालयों में से 107 केन्द्रीय विद्यालयों में एनसीसी शुरू की गई है। निधियां उपलब्ध होने पर और केन्द्रीय विद्यालयों में एन•सी•सी• शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

वित्तीय आवश्यकतापं

(रूपये लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	550•00	2190•00	4120•00
योजनेत्तर	250•00	250•00	250•00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् भारत सरकार द्वारा स्थापित एक मुख्य संसाधन संगठन है जो स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों पर केन्द्र तथा राज्य सरकार को सहायता तथा परामर्श देती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए शैक्षणिक तथा तकनीकी सहायता देती है।

वर्ष 1995-96 के दौरान, रा•शै•अ•प्र•परि•ने अपनी कार्यप्रणाली पर पुनः गौर किया तथा अपने कुछ कार्यक्रमों की प्राथमिकता को पुनः निर्धारित किया ताकि स्कूल शिक्षा में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा जाये। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्कूल शिक्षा सेक्टर के विकास के लिए विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रा•शै•अ•प्र•परि• ने निम्नलिखित कार्यक्रम तथा कार्यकलाप शुरू किये हैं:

1•(क) रा•शै•अ•प्र•परि• की निधियों से आयोजित कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप।

1• (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से चलाये जा रहे कार्यक्रम।

2• राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (स्कूल एवं अनौपचारिक शिक्षा)

1· **सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा**

सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के विस्तृत कार्य ढांचे में शैशव कालीन शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा विशेष आवश्यकताओं सहित बच्चों की शिक्षा, अपंगों के लिए समेकित शिक्षा तथा लड़कियों के लिए शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये।

1·1 **अनौपचारिक शिक्षा**

अनौपचारिक शिक्षा के कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। न्यूनतम सीखने के स्तर पर आधारित अनौपचारिक अध्यापन प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जा रही है। स्थानीय विशिष्ट सामग्री विकसित करने के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा केरल राज्य को शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा रही है।

6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूलों के विकल्प का पता लगाने का अध्ययन प्रगति पर है।

1·2 **लड़कियों के लिए शिक्षा**

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की भर्ती तथा तैनाती की समस्या पर एक विभिन्न राज्य-अध्ययन किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम राज्यों में लिंग अध्ययन पर रिपोर्ट तथा एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण तैयार किया गया। प्राथमिक स्कूल स्तर पर अनुसूचित जाति की लड़कियों के कम नामांकन के कारण तथा स्कूल से बाहर लड़कियों के लिए शिक्षाः गैर सरकारी संगठनों के समन्वयकों की भूमिका" पर अध्ययन प्रगति पर है। लड़कियों की शिक्षा के अनुवीक्षण के लिए सूचक तैयार किये जा रहे हैं।

1·3 **विशेष आवश्यकताओं के लिए समूह शिक्षा**

मध्य प्रदेश तथा गुजरात में अपंगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किये गये। शैक्षिक खिलौनें तथा अपंगों के बारे में पुस्तकें विकसित की गई। बस्तर जिले की गोंड जनजाति पर एक पूरक रीडर तैयार किया जा रहा है।

2· **सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी में शिक्षा**

कुछ स्कूल पाठ्य पुस्तकों को संशोधित किया गया है ताकि भारत में तथा कुछ अन्य देशों में हुए महत्वपूर्ण विकासों को उनमें लाया जा सके। कर्नाटक, महाराष्ट्र,पंजाब तथा बिहार की इतिहास की पुस्तकों का राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया गया। मानव अधिकार शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक कार्यढ़ांचा तैयार किया जा रहा है।

3· **विज्ञान एवं गणित में शिक्षा**

कम्प्यूटर साक्षरता में एक पाठ्यपुस्तक, सीखने के लिए पठन श्रंखला के अंतर्गत हिन्दी में तीन पुस्तकें तथा मानव से संबंधित विषयों पर रसायन शास्त्र में पूरक पठन सामग्री विकसित की गई। माध्यमिक स्तर के लिए साउंड पर एक पारस्परिक कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकसित किया गया तथा कम्प्यूटर सहायता-प्राप्त निर्देशों के संदर्भ में इसका परीक्षण किया गया। समेकित विज्ञान किट के लिए विज्ञान के कार्यकलापों के लिए एक

पुस्तिका तथा माध्यमिक स्तर पर शारीरिक विज्ञान में कठिन मैनुअल विकसित किए जा रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र के लेह तथा कारगिल जिलों के माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

4. शैक्षिक माप तथा मूल्यांकन

परीक्षा सुधार

परीक्षाओं में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय कार्यढ़ांचे का प्रारूप तैयार किया गया तथा बाद में माध्यमिक/स्कूल शिक्षा बोर्ड के विशेषज्ञों की बैठक में उस पर विचार किया गया।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज

परीक्षाएं तथा साक्षात्कार आयोजित किये गये तथा 750 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षाएं तैयार और संचालित की गई तथा परिणाम घोषित किये गये।

5. सेवा-पूर्व तथा सेवा कालिक शिक्षक शिक्षा

5.1 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के रूप में पुनर्निर्मित किया गया जो राज्यों को स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों तथा नीतियों पर परामर्श तथा सहायता देने का कार्य करेंगे। शैक्षणिक वर्ष 1995-96 के दौरान सभी चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों ने (अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर) विज्ञान स्नातक, बी.एड. पाठ्यक्रम तथा एम एड (प्रारंभिक शिक्षा) पाठ्यक्रम के लिए चार वर्ष का समेकित पाठ्यक्रम प्रस्तुत किये हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिलांग में उत्तर पूर्व में एक नया क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापितकरने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। इस संस्थान को 1995-96 से प्रारंभ करने की योजना है।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में विस्तार विभाग को सुदृढ़ किया गया है ताकि राज्य एवं शासित प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में आवश्यकता आधारित कार्यक्रम प्रदान कर सकें।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शनकारी स्कूलों ने प्राथमिक स्कूल शिक्षक अब अपने स्कूलों को प्रयोगशालाओं के रूप में प्रयोग कर रहे हैं जहां न्यूनतम सीखने के स्तर (एम.एल.एल.) पर आधारित शिक्षण प्रशिक्षण पद्धति का परीक्षण किया जा सके।

5.2 अन्य शिक्षक- प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को संकायों के लिए सेवाकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिनका उद्देश्य राज्य तथा जिला स्तरों पर कार्य कर रहे शिक्षक प्रशिक्षकों की क्षमता को बनाना है।

स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा में नव परिवर्तनों तथा प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के

लिए प्रतिवर्ष सेमिनार रीडिंग कार्यक्रमों के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

देश के विभिन्न भागों में चल रहे सेवाकालिक शिक्षा अभ्यासों का प्रलेखन किया जा रहा है।

5.3 **शैक्षिक मनोविज्ञान**

लड़कियों में व्यक्तिगत तथा जीवन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए माडयूलों के प्रारूप बनाये गये हैं।

अनुसंधान परियोजना (1) सृजनात्मक लड़कियों के व्यावसायिक व्यवहार का अध्ययन तथा (2) स्कूली बच्चों के लिए निर्देशन की आवश्यकता पर सर्वेक्षण पूरा किया गया।

केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन के प्रधानाचार्यों के लिए निर्देशन तथा परामर्श का 4 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6. **व्यावसायिक शिक्षा**

वस्त्र निर्माण, आटे इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, मुर्गी पालन, व्यावसायिक वस्त्र डिजाईन तथा निर्माण, रेडियो तथा दूरदर्शन रिसीवर का अनुरक्षण तथा मरम्मत, खेती बाड़ी तथा डेयरी उद्योग में निर्देशात्मक सामग्री विकसित की जा रही है। आटे इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, डेयरी उद्योग, वस्त्र डिजाइन, मधुमक्खी पालन, रेडियो तथा दूरदर्शन की मरम्मत तथा अनुरक्षण, खाद्य संरक्षण तथा संसाधन तथा जी ई सी में अल्पाकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु के मुख्य कार्यकर्ताओं के लिए सात प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किये गये। भारत में गृह विज्ञान व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति तथा विवरण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

7. **शैक्षिक प्रौद्योगिकी**

स्कूल शिक्षा आवश्यकताओं की सहायता के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, शिक्षा दूरदर्शन के कार्यक्रमों का विस्तृत उद्देश्य है।

संघ शासित प्रशासन चण्डीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सहित समूचे हिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार तक 45 मिनट का कार्यक्रम रा.शै.अ.प्र.परि. शिक्षा दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाता है। रा.शै.अ.प्र.परि. ने अपने कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत आकाशवाणी के 10 स्टेशनों से सप्ताह में एक बार शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। शिक्षा दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के अनुवीक्षण का कार्य तथा उनकी विषय-वस्तु के विश्लेषण के लिए जन-माध्यम के व्यक्तियों को पुर्नीनवेशन प्रदान करना जारी रखा जायेगा। प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और डी आई ईटी के लिए इन्सैटपर ट्रांसपोण्डर का प्रयोग करते हुए वीडियो और आडियो के रूप में आयोजित विधि में नवाचार शिक्षक और प्रशिक्षण कार्यक्रम की आयोजना और अभिविन्यास का कार्य पूरा कर लिया गया है।

8. **शैक्षिक अनुसंधान**

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (ई.आर.आई.सी.) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए बाहरी संस्थाओं/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके कार्यात्मक तंत्र को सुधार रूप से कार्यशील बनाने के लिए इसके क्षेत्र को विस्तृत करने हेतु समीक्षा की गई है।

9. शैक्षिक सर्वेक्षण

छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में शैक्षिक सांख्यकी झलक (ई.एस.एफ.) को प्रकाशित करने के लिए तैयार कर लिया गया है।

10. विस्तार और क्षेत्र सेवाएं

रा.शै.अ.प्र.परि. के क्षेत्र अधिकारियों ने अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन पर राज्यों से संपर्क स्थापित किया। क्षेत्र सलाहकारों न अनौपचारिक शिक्षा प्रस्तावों पूर्वानुमोदन में सहयोग किया।

11. प्रकाशन

अप्रैल, 1995 से अक्तूबर,95 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने छह शैक्षिक पत्रिकाओं सहित 131 पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में बिना मूल्य के प्रकाशन, सूचना सामग्रियां भी प्रकाशित की गई हैं।

उर्दू पाठ्य पुस्तकें

उर्दू पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। समीक्षाधीन अवधि के दौरान,प्रकाशन विभाग ने कक्षा 1-10 के लिए, 51 में से 50 उर्दू पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई।

12. प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा (ई.सी.ई.)

प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा परियोजना के अंतर्गत, निम्नलिखित कार्य किए गए:

1) कार्मिक प्रशिक्षण और क्षेत्र विशेष संसाधन सामग्रियों के प्रसार के माध्यम से, 12 राज्यों में आई.सी.डी.एस. के पूर्व स्कूल शिक्षा संघटक को सुदृढ़ करना।

2) मीडिया के उपयोग और पोस्टर जैसे संचार सामग्री के विकास के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा के लिए नाट्य आधारित दृष्टिकोण की वकालत

3) आई.सी.डी.एस. के पूर्व स्कूल शिक्षा संघटक की स्थिति और उसके परिदृश्य और समुदाय द्वारा उपयोगिता के विस्तार पर अध्ययन।

13. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के संकाय द्वारा अनेक अध्ययन कराये गये थे और अध्ययनों पर आधारित शोध पत्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् की अनेक शोध पत्रिकाओं, राष्ट्रीय शैक्षिक समीक्षा में प्रकाशित किए गए।

जुलाई, 1995 में "प्राइमरी स्तर पर स्कूल की प्रभावशीलता और अधिगम उपलब्धि" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और शिक्षा शास्त्र और प्रशिक्षण के निमित्त जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ई॰डी॰सी॰आई॰एल॰से समझौता किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् संकाय के संसाधन समूह अपने संघटकों में कार्यदल के ढंग से स्वीकृत कार्यकलापों को पूरा करने के लिए गठित किये गये हैं। संस्वीकृत दायित्वों को दिसम्बर, 1996 तक क्रमिक कार्यकलापों द्वारा पूरा करने की आयोजना है।

14. प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम (साप्ट एस॰ओ॰पी॰टी)

प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम नामक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परि॰को शैक्षिक निवेश उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कार्यक्रम की आयोजना और अनुवीक्षण का दायित्व सौंपा गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले चार वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष साढ़े चार लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना था। 40 वीडियो कार्यक्रम वाले ई॰टी॰वी॰पैकेज द्वारा मुद्रित सामग्री के दो खंड (अंग्रेजी,हिन्दी) वाला एक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया गया और मुद्रित किया गया। मुद्रित सामग्रियों के अनुलिपिकरण में ई॰टी॰वी॰कार्यक्रमों के प्रभावी उपयोग के लिए एक "मुख्य व्यक्ति के प्रशिक्षण मैन्युअल और प्रयोगकर्ता दिशा-निर्देश का मुद्रण कराया गया। अगले स्तर के कार्यक्रम में 8,574 संसाधन व्यक्तियों और 1,63,883 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

15. सह-आश्रित वीडियो तकनीक का उपयोग करते हुए प्राथमिक स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण

इनसैट पर ट्रांसपॉडर के माध्यम से सह आश्रित वीडियो तकनीक का प्रयोग

करते हुए, विशेष परियोजना के अंतर्गत गणित में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और साप्ट (एस•ओ•पी•टी) योजना का कर्नाटक, मध्य प्रदेश और असम में प्रयोग किया जाएगा। कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 4400 शिक्षकों और डी•आई•ई•टी• के लगभग 200 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करना है। प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और डी•आई•ई•टी•के संकाय के लिए वीडियो और आडियो दोनो तरह से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आयोजना और अभिविन्यास के कार्य को पूरा कर लिया गया है।

16• क्षेत्र गहन शिक्षा परियोजना (ए•आई•ई•पी•)

वर्ष 1995 में, नवाचारों को शुरू करके सूक्ष्म स्तर पर वर्तमान कार्यक्रम को प्रभावी बनाने पर क्षेत्र गहन शिक्षा परियोजना के कार्यकलापों को केन्द्रित किया गया जो कि अन्य बातों के साथ-साथ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से संबद्ध होंगे। खेल-खेल में सीखने और प्रत्येक बच्चे से सम्पर्क बनाने के लिए प्रयोग किए गए। क्षेत्र गहन शिक्षा परियोजना/दृष्टिकोण पर आधारित आंदोलन की राह पर लोग नाम एक प्रलेख प्रकाशित किया गया और इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है।

वर्ष 1997-98 के दौरान भी ऐसे कार्यक्रम और कार्यकलाप जारी रहेंगें।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू•लाखों में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	1996-97	1996-97	1997-98
योजनागत	512•00	512•00	800
योजनेत्तर	2000•00	2000•00	1500•00

111• राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (स्कूल तथा गैर औपचारिक शिक्षा)

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन•पी•ई•पी•) अप्रैल, 1980 में शुरू की गई थी।

इसका उद्देश्य शुरू में ही स्कूलों और गैर औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में जनसंख्या को संस्थागत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना है। जनसंख्या संबंधी मुद्दों के शैक्षिक

प्रत्युत्तर के रूप में जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जनसंख्या विकास संसाधनों पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के बीच अन्तरसंबंध के प्रति जागरूक बनाना, उनमें तर्कसंगत अभिरुचि और उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार विकसित करना और उनमें सकारात्मक मूल्य प्रबोधन उत्पन्न करना है ताकि विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लघु परिवार मापदण्ड के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय ले सके।

राष्ट्रीय शिक्षा परियोजना के लिए धनराशि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या में से ही दी जाती है और दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, काठमांडू, नेपाल के सी॰पी॰टी॰एस॰टी॰के कार्यालय द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

यह परियोजना 29 राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में लागू की जा रही है, गोवा तथा मेघालय राज्य तथा संघशासित क्षेत्र लक्षदीप इसके क्षेत्र से बाहर हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन भारतीय परिवार नियोजन संघ राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और अन्य विभिन्न शैक्षिक संगठन राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर संबंद्ध परियोजना कार्यकलापों में संलग्न हैं।

राष्ट्रीय प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संस्थाओं की व्यवस्था का अगले चक्र के दौरान पुनः मॉडल बनाए जाने की संभावना है।

स्कूलों और गैर औपचारिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा प्रारम्भ करने के विचार से निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं :-

§1§ स्कूल शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा के प्रभावशाली एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम एवं निर्देशन सामग्री का विकास।

§2§ प्रशिक्षण सामग्री एवं दृश्य श्रव्य सामग्री का विकास।

§3§ उभरते हुए मामलों पर सामग्री का विकास।

§4§ शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य पदाधिकारियों का प्रबोधन ।

§5§ स्कूलों और गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सह पाठ्यक्रम कार्यकलापों का संगठन ।

§6§ जनसंख्या शिक्षा में अनुसंधान एवं विकास अध्ययन को प्रोन्नत करना और

§7§ राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर परियोजना कार्यकलापों का अनुवीक्षण ।

4. उपलब्धियां

नीचे दर्शाई गई उपलब्धियां राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सभी परियोजना कार्यकलापों से सम्बन्धित है। ये विनिर्दिष्ट वर्ष 1993 से अब तक प्राप्त की गई हैं।

1. विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की तकरीबन 20 और उपाधियां विकसित की गई है। 1992-93 तक 17 भाषाओं में लगभग 120 उपाधियां लाई गई थी।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने किशोर शिक्षा का सामान्य ढाँचा और प्रौढ़ शिक्षा पर आधारभूत सामग्री का एक पैकेज विकसित किया है जो आदि प्ररूप सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने के लिए है।

3. जहाँ कही भी प्राइमरी, उच्च प्राइमरी और माध्यमिक स्तर की राज्य पाठ्य पुस्तकों में संशोधन हुआ, जनसंख्या शिक्षा तत्वों को उनमें शामिल किया गया।

4. राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित सामग्री प्रकाशित की गई :-

क राष्ट्रीय गैर औपचारिक शिक्षा के शिक्षुओं के लिए दो पूरक रीडर।

ख जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यनीति के लागत प्रभावी अध्ययन पर एक रिपोर्ट मीमो ।

ग• राष्ट्रीय जन संख्या शिक्षा परियोजना §स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा§ §मीमो के मध्यकालिक विकास पर एक रिपोर्ट ।

घ• जनसंख्या शिक्षा बुलेटिन ।

5• राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित वीडियों कार्यक्रमों को बढ़ाया गया और राज्यों को सौपा गया था। 1992-93 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राज्यों ने जनसंख्या शिक्षा पर 35 श्रव्य दृश्य कार्यक्रम तैयार किए है।

6• लगभग 1•8 लाख शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षुकों, राष्ट्रीय गैर- औपचारिक शिक्षा निर्देशकों को तैयार किया गया।

7• जुलाई -सितम्बर के दौरान विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या शिक्षा सप्ताह मनाए गए थे। राज्यों ने भी 1 दिसम्बर, 1995 को विश्व एड्स दिवस मनाया था। 1992 से प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता का राष्ट्रीय घटक आयोजित किया गया। 1992 में दो प्रविष्टियों, 1993 में एक, 1994 में 3 और 1996 में एक प्रविष्टि को विश्व व्यापी निर्णय में पुरस्कृत किया गया था।

8• 11 अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए गए थे जिनमें से 8 पूरे किए गए।

9• जनसंख्या मुद्दों से सम्बन्धित छात्रों की अवधारणा पर एक अध्ययन पोस्टरों के माध्यम से चलाया जा रहा हैं।

10• राज्यों ने भी जनसंख्या शिक्षा और किशारे शिक्षा के क्षेत्रों में मूल्यांकन अध्ययन और सर्वेक्षण चलाए हैं।

11• जनसंख्या शिक्षा और प्रलेखन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य अभिकरणों से सामग्री एकल करता है और जनसंख्या शिक्षा से सम्बंधित सामग्रियों और सूचना का प्रचार करता है।

12• परियोजना प्रगति समीक्षा और त्रिपक्षीय प्रगति समीक्षा की बैठक का आयोजन राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के प्रभावी अनुवीक्षण के लिए किया गया।

5. 1996 के दौरान योजना कार्यक्रम

1. किशोर शिक्षा पर बेसिक सामग्री को अंतिम रूप देना।
2. राज्य पाठ्य पुस्तकों और गैर औपचारिक शिक्षा सामग्री में जनसंख्या शिक्षा घटकों को शामिल करना।
3. जनसंख्या शिक्षा में पाठ्य तथा अन्य सामग्रियों का विकास।
4. गैर औपचारिक शिक्षा निर्देशकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास।
5. स्वतन्त्र एवं संघटित प्रशिक्षण नीतियों के माध्यम से छः लाख शिक्षकों एवं गैर औपचारिक शिक्षा कार्यकर्ताओं को तैयार करना।
6. किशोरों सम्बन्धी शिक्षा पर क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन ।
7. विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या शिक्षा सप्ताह और विश्व एड्स दिवस का मनाना और अन्य इसी प्रकार के कार्यकलापों का आयोजन।
8. जनसंख्या शिक्षा में अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित करना।
9. जनसंख्या शिक्षा प्रलेख केन्द्र द्वारा सामग्रियों को एकत्रित करना और उनका प्रसार।
10. राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर परियोजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना।

वित्तीय आवश्यकताएं :-

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	102.00	102.00	100.00

4. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

देश में मुक्त विद्यालय के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने नवम्बर, 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की थी ।

अक्तूबर, 1990 में भारत सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को इसमें डिग्री-पूर्व स्तर के पाठयक्रम तक पंजीकृत छात्रों की जांच और प्रमाणित करने का प्राधिकार दिया गया है । भारतीय विश्व विद्यालयों की एसोसियेशन ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा को संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के उद्देश्य से हायर सेकेण्डरी/पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षाओं के समकक्ष स्वीकार किया है ।

नए विभाग

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने केवल व्यावसायिक शिक्षा और छात्र सहायता सेवाओं के लिए विभाग बनाने का निर्णय किया है ।

मुक्त व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का महत्व विभिन्न प्रकार और मांडल सहित अधिक से अधिक व्यावसायिक कार्यक्रमों की पहचान, विकास और शुरू करने तथा सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के लिए व्यावसायिक अध्ययन-व-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने पर है ।

मीडिया

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के मीडिया एकक ने गणित और विज्ञान पर 16 वीडियो कार्यक्रम तैयार किए हैं । माध्यमिक (कक्षा-10) पाठ्यक्रम के लिए हिंदी और अंग्रेजी हेतु आडियो कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं । विज्ञान, गणित पढ़ाने की कुशलता, समाज विज्ञान, व्यापार अध्ययन, प्रौद्योगिकी और कृषि पर चालीस वीडियो कार्यक्रम निर्माणाधीन हैं ।

क्षेत्रीय केन्द्र

राज्य केन्द्रों और पढ़ने वाले तथा मुख्यालय के साथ बेहतर सम्पर्क रखने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय केन्द्र कलकत्ता, हैदराबाद, पुणे और गुवाहाटी से कार्य कर रहे हैं । दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय और उत्तर भारत का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थापित किए जाने की संभावना है ।

मुक्त अध्ययन पत्रिका और मुक्त स्कूली व्यवस्था बुलेटिन

"मुक्त सीखने" पर एक तिमाही पत्रिका लगभग 1 लाख मुद्रित संख्या में पहले ही शुरू की जा चुकी है और अब यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है । एक मुक्त स्कूली व्यवस्था बुलेटिन तिमाही आधार पर घरों में परिचालन हेतु तैयार किया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएँ

(रूपये लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	500.00	500.00	500.00
योजनेत्तर	34.00	21.00	21.00

5. शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना

इस योजना में शैक्षिक क्षेत्र की उन्नति के लिए रेडियो और टी.वी. के जरिए, संचार माध्यम के उपयोग में सुधार की अपेक्षा की गई । यह योजना 1974 में आरम्भ की गई थी । इसमें अनेक परिवर्तन हुए है, इस समय इसके निम्नलिखित संघटक हैं :-

(1) उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए रेडियों एवं कैसेट-प्लेयर्स (प्रति सेट 1400 रूपये की सीमा में) (आई.सी.सी.पी.) की समस्त लागतों और अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए 13,000/-रूपए की लागत पर रंगीन टी.वी की 75 प्रतिशत लागत के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त पोषित करना ।

(2) रा.शै.अनु.प्र.परि. में केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में 6 राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की लागतों को वहन करना ।

(3) भाषा संस्थानों में आडियो साफ्टवेयर के निर्माण हेतु वित्त पोषण करना ।

• 1995-96 के दौरान केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विभिन्न शैक्षिक विषय वस्तु पर 359 आडियों और 1045 वीडियो कार्यक्रम तैयार किए । राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वयं अपने द्वारा अथवा सरकारी अभिकरणों के माध्यम से आडियो कार्यक्रम के निर्माण हेतु प्रयास किए है ।

वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 3038 रंगीन टी.वी. और 10,644 रेडियों और कैसेट प्लेयर संस्वीकृत किए गए हैं । वर्ष 1996-97 के दौरान 9,672 रंगीन टी.वी. और 31,666 रेडियों एवं कैसेट प्लेयर अपर प्राथमिक, और प्राथमक स्कूलों में अलग-अलग लगाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिए जाने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर को स्कूल स्तर पर कुछ दक्षिण भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए कैसेटें को तैयार करने हेतु धन दिया गया है ।

योजना का मूल्यांकन

नीपा द्वारा इस योजना का मूल्याकंन किया गया । रिपोर्टें में इसके प्रबंध में कुछ सुधारों के साथ-साथ योजना को जारी रखने की सिफारिश की गई । योजना का मूल्यांकन सामाजिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान नई दिल्ली द्वारा भी किया गया । अध्ययन के निष्कर्ष से शैक्षिक प्रसारणों और जिज्ञासा भाषा कौशल तथा दृश्य कार्यक्रमों मे बच्चों के बेहतर निष्पादन के बीच सीधा सम्बंध दर्शाते हैं । अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के ध्यान में लाया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं:-

(रूपए लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	2288.00	1788.00	1500.00

6. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

एक पंजीकृत स्वायत्त निकाय तथा सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने तथा भारत में तिब्बती स्कूलों के प्रबन्ध को चलाने के उद्देश्य से की गई थी । प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य ये हैं :- (1) आधुनिक शिक्षा के सभी पहलुओं से तिब्बती समुदाय को उन्नत रखना, (2) उनकी परम्परागत पद्धति और संस्कृति के मूल तत्वों को अक्षुण्ण रखने के साथ-साथ उनका विकास करना (3) तिब्बती समुदाय की आश्चयकताओं को पूरा करने के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना करना ।

प्रशासन 30 विद्यालय चला रहा है जिनमें 6 आवासीय स्कूल तथा 53 पूर्ण प्राथमिक स्कूल शामिल है यह संगठन देश के विभिन्न भागों में स्थापित हुए सभी तिब्बती बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जिनकी संख्या 11476 है । यह उन सभी छात्रों को जो दिवा अध्येता है, मध्यान्ह भोजन भी प्रदान करना है और कुछ छात्रों को छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान करता है जिसमें निःशुल्क आवास भी शामिल है ।

प्रशासन उन छात्रों को चन्द छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से सीनियर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं । यह छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम पुरा होने तक युक्तियुक्त है । यह इन्जीनियरी और चिकित्सा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सीटों के आवंटन में भी मदद करता है ।

प्रशासन केन्द्रीय तिब्बती स्कूलों के शिक्षकों को अलग-अलग प्रत्येक संवर्ग हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कृत भी कर रहा है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेत्तर	782.00	965.00	800.00

7. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना 1958-59 में शुरू की गई थी । इसका उद्देश्य उत्कृष्ट शिक्षकों को उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के लिए सम्मान देना तथा उन्हें सार्वजनिक मान्यता प्रदान करना है । 1988-89 से यह पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के शिक्षकों को दिए जाते हैं :-

1. प्राथमिक/मिडिल/उच्च/उच्चतर/माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक
2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन
3. संस्कृत/अरबी/फारसी पाठशालाएं आदि ।

प्रत्येक में एक योग्यता प्रमाण-पत्र, एक रजतपदक तथा 10,000 रूपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है । ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को एक समारोह में दिए जाते हैं जो पुरस्कृत शिक्षकों के सम्मान में विशेष रूप से आयोजित किया जाता है ।

1995 में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 278 शिक्षकों को चुना गया जिनमें 166 प्राइमरी स्कूल शिक्षक, 103 माध्यमिक स्कूल शिक्षक, 6 संस्कृत शिक्षक और 3 अरबी/फारसी शिक्षक थे । वर्ष 1996 के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अरबी/फारसी और संस्कृत शिक्षकों का चयन प्रक्रियागत है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेत्तर	47.00	47.00	35.00

8. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना तत्कालीन समाज कल्याण विभाग द्वारा 1974 में आरम्भ की गई थी और बाद में 1982-83 में शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी । योजना का उद्देश्य सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है ताकि स्कूल पद्धति में उनके अवरोधन को सुकर बनाया जा सके । यह योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के शिक्षा विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है । स्वैच्छिक संगठन भी इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं । आवश्यक सहायता, प्रोत्साहनों और विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की मदद से सामान्य स्कूलों में मामूली विकलांगता से पीडित बच्चों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है ।

2. यह योजना अनेक विद्यमान प्रावधानों को युक्तियुक्त बनाने तथा योजना के उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ नए क्षेत्रों को निगमित करने के लिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 1987 में संशोधित की गई थी ।

3. आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा,हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दमन तथा दीव नामक 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है ।

4. इसके अतिरिक्त वर्ष 1987 से यूनिसेफ सहायता प्राप्त विकलांग बच्चों के लिए परियोजना समेकित शिक्षा{ पी.आई.ई.डी.} कार्यान्वित की जा रही थी । यह परियोजना आई.ई.डी.सी. कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार की गई थी और इसमें संयुक्त क्षेत्र दृष्टिकोण को अपनाया गया था । इसमें एक विशेष ब्लाक को परियोजना क्षेत्र के रूप में चुना गया था और इस ब्लाक के सभी स्कूलों से विकलांग बच्चों को दाखिला करने की अपेक्षा की गई थी । यह परियोजना दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उडीसा, राजस्थान और तमिलनाडु 10 राज्यों में से प्रत्येक के एक चयनित ब्लाक में कार्यान्वित की गई थी । विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के इनपुट शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे जबकि यूनिसेफ ने विभिन्न घटकों जैसे आवश्यक पहचान के लिए सर्वेक्षण, प्रशिक्षण और अनुस्थापन कार्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री की लागत, उपस्कर आदि के लिए सहायता प्रदान की । यूनिसेफ ने यह सहायता वापस ले ली है । तथापि विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के इनपुट अभी जारी हैं ।

5. 8वीं योजना के आरम्भ में विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना 22 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही थी और इसमें लगभग 30,000 विकलांग बच्चों को शामिल किया गया था । यह आशा की गई है कि 8वीं योजना के अन्त तक 50,000 से अधिक विकलांग बच्चों को शामिल किया जाएगा । इस समय 47,000 विकलांग बच्चे शामिल होने की अपेक्षा है ।

6. 1996-97 के दौरान यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में जारी है जहाँ यह पहले ही कार्यान्वित के अधीन है । चालू वर्ष के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित व्यय 600.00 लाख रुपए है । अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वेच्छिक संगठनों को 122.66 लाख रुपए की राशि जारी की गई है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	470.00	600.00	1300.00

9. स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन(क्लास)

स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन(क्लास) नामक एक प्राथमिक परियोजना इलेक्ट्रानिकी विभाग के सहयोग से वर्ष 1984-85 में आरम्भ की गई थी । इस प्रायोगिक परियोजना के व्यापक उद्देश्य में कम्प्यूटर का (कार्य प्रदर्शन) तथा कम्प्यूटर पर कार्य करने का वास्तविक अनुभव प्रदान करना शामिल है । यह परियोजना तदर्थ आधार पर 1992-93 तक जारी रही तथा वर्षानुवर्ष आधार पर 4 से 5 करोड़ रुपए तक की धन राशि उपलब्ध कराई गई । वर्ष 1992-93 तक 2598 विद्यालय सम्मिलित किए गए ।

इस क्लास परियोजना की अनेक एजेंसियों द्वारा पुनरीक्षा की गई है तथा एक संशोधित योजना तैयार की गई और वर्ष 1993-94 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है ।

संशोधित योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्रता हेतु राज्यो / संघ राज्य क्षेत्रों को निम्ननिलिखित शर्तें पूरी करनी है -

(क) नए स्कूलों के लिये योजना का कार्य क्षेत्र सीनियर माध्यमिक स्कूलों तक सीमित रहेगा ।

(ख) चयनित स्कूलों में, कक्षा 11 तथा 12 के सभी छात्रों के लिए संगणक साक्षरता में शिक्षण अनिवार्य रहेगा । ये शिक्षण, औपचारिक परीक्षा के साथ /के बगैर विषय में मूल्यांकन के साथ स्कूली-समय-सारणी का भाग होगा, और

(ग) विद्युत तथा अन्य सुविधाओं के साथ पक्के कमरों जैसे आधार ढांचे, परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले स्कूलों में उपलब्ध कराने होंगे ।

शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विषय निर्वाचन समिति अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण आदि के लिए उत्तरदायी है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरों पर, इस प्रयोजनार्थ

गठित किए गए सैल स्कूलों में योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के अनुश्रवण तथा क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियां मुक्त करने का दोहरा उत्तरदायित्व निभाएंगे ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के कार्यान्यन के लिए 146 करोड रुपए प्रदान किए गए हैं । यह राशि आठवीं योजना के दौरान 1320 अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करने के अतिरिक्त पहले ही शामिल किए गए 2598 स्कूलों के रखरखाव के लिए है । 1995-96 के दौरान 536 अतिरिक्त स्कूलों को शामिल किया गया था । चालू वित्त वर्ष के दौरान 117 अतिरिक्त स्कूलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ।

वित्तीय आवश्यकताएं:

(लाख रुपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	4000.00	3500.00	2000.00

10. स्कूल शिक्षा को पर्यावरणोन्मुख बनाना

यह तथ्य व्यापक रूप से तथा आमरूप से मान्य है कि मानव जाति का अस्तित्व पर्यावरण के संरक्षण तथा परिरक्षण पर निर्भर है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस तथ्य को स्वीकार किया है और "स्कूल शिक्षा को पर्यावरणोन्मुख बनाना" नामक एक परियोजना 1988-89 में आरम्भ की गई थी । इस योजना में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है । स्वैच्छिक अभिकरणों का पर्यावरणीय स्थितियों के साथ स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रमों के समेकन को बढ़ावा देने पर लक्षित प्रायोगिक और नवीन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिसमें निहित पर्यावरणीय संकल्पनाओं को प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी,अपर प्राइमरी, माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तरों पर अनेक विषयों की पाठ्यचर्या की पुनरीक्षा और विकास, प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्तरों पर "पर्यावरणीय अध्ययनों" की पाठ्यपुस्तकों की पुनरीक्षा और विकास, अपर प्राइमरी स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने के लिए रणनीति की पुनरीक्षा उपयुक्त नवीनकार्य अनुभव कार्यकलापों का आयोजन शामिल है । इस योजना में प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री के विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आयोजन हेतु आठवी योजना के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है । सम्बंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा बोर्डो को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने हेतु सीधी जिम्मेदारी सौपने के लिए सुधारात्मक उपाय शामिल किए गए हैं ।

योजनाओं का प्रधान घटक छात्रों में पर्यावरणीय चेतना जगाने हेतु स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा प्रयोग और अभिनव परिवर्तन में सुधार करना है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा हाथ में लिए गए कार्यक्रम सेट डिजाइन की पुष्टि नहीं करता और यह भी कि कार्यक्रमों का विपरीत स्वरूप पहले नहीं देखा गया, इसलिए इस घटक के लिए इस योजना में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया । तथापि इस दिशा में प्राप्त उपलब्धियां पुर्णतः प्रभावी हैं । 1993-94 से 1995-96 के दौरान 15 स्वैच्छिक अभिकरणों (3 नोडल स्वैच्छिक अभिकरणों सहित) को 4·03 करोड रूपएं की राशि की सहायता प्रदान की गई है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	195·00	148·00	200·00

11. नवोदय विद्यालय समिति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में गति-निर्धारण स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है जहां ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को उत्तम कोटि की शिक्षा प्रदान की जा सके ताकि इसके बदले में कुछ देने की उनकी क्षमता पर ध्यान दिए बिना और अधिक गति से वे इस दिशा में आगे बढ़ सकें ।

तदनुसार, सरकार द्वारा उत्तम कोटि की शिक्षा, आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जिसमें संस्कृति का मजबूत घटक, मूल्यों की जागृति पैदा करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप तथा विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को भौतिक शिक्षा, जिसके लिए उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, शामिल है, देश के प्रत्येक जिले में औसत आधार पर नवोदय विद्यालय स्थापित करना एक केन्द्रीय योजना शुरू की गई थी ।

इसे कार्यान्वित करने के लिए, दिल्ली में मुख्यालय और भोपाल, चण्डीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे तथा शिलांग स्थित आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विद्यालयों की स्थापना तथा प्रबन्ध करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में एक स्वायत्त संगठन, अर्थात नवोदय विद्यालय समिति गठित की गई है ।

प्रत्येक जिले के लिए एक नवोदय विद्यालय की व्यवस्था करने के मूल उद्देश्य को सक्रिय ढंग से कार्यान्वित किया गया है और 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने से पहले बाद के दो वर्षों में 200 विद्यालयों की स्थापना की गई थी । 8वीं योजना के दौरान योजना के कार्यान्वयन पर मुख्य बल मौजूदा विद्यालयों को एकत्र करने और 436 जिलों की पूर्ण सहभागिता के लक्ष्य रखकर 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 50 विद्यालय प्रति वर्ष की सहभागिता सहित लगभग 150 नए विद्यालय खोल कर शेष जिलों को शामिल करने पर रहा है । समिति ने 1995-96 के अन्त में 378 विद्यालय स्थापित किए हैं और इसका अनुमान है कि 8वीं योजना के अन्त तक 390 जिलों को शामिल करके वर्ष 1996-97 के दौरान 12 और विद्यालयों को शामिल किया जाएगा । विद्यालयों की स्थापना में गिरावट मुख्यतः जिले में एक विद्यालय स्थापित करने के लिए अस्थायी आवास तथा स्थायी भूमि जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं सहित संबंधित राज्य सरकारों से पर्याप्त उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण आई थी ।

राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने के लिए इस योजना में किसी भिन्न भाषाई राज्य में दो वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-9 में एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में स्थानांतरित करने का प्रावधान है । हिंदी-भाषी और गैर-हिंदी भाषी जिलों के बीच स्थानातरित छात्रों की संख्या निम्नप्रकार है :-

वर्ष	अनुमानित	वास्तविक	
1992-93	4592	4203	91·53 प्रतिशत
1993-94	4037	3724	92·25 प्रतिशत
1994-95	3939	3559	90·35 प्रतिशत
1995-96	3993	3520	88·15 प्रतिशत

नवोदय विद्यालय में प्रवेश संबंधित जिले में आयोजित एक परीक्षा के आधार पर कक्षा-6 स्तर तक दिया जाता है जिसमें वे सभी बच्चे जिन्होंने जिले में किसी तहसील/खण्ड के किसी मान्यताप्राप्त स्कूल से कक्षा-5 उत्तीर्ण की है , बैठने के पात्र हैं । यह परीक्षा जिले की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक खण्ड के लिए आरक्षण सहित खण्ड स्तर पर आयोजित की जाती है । कुल मिलाकर 80 बच्चों को योग्यतानुसार प्रवेश दिया जाता है । न्यूनतम राष्ट्रीय औसत के आधार पर जिले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुसार आरक्षण प्रदान करने के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण है । यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए है कि विद्यालयों में कम-से-कम एक तिहाई छात्र लडकियां है । ग्रामीण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चों तथा लडकियों के प्रवेश तथा प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	प्रवेश प्राप्त कुल बच्चे	ग्रामीण प्रतिशत	अनु·जाति प्रतिशत	अनु·जन जाति प्रतिशत	लडकियां प्रतिशत
निम्न वर्षो तक					
1991-92	80793	77·5 प्रति·	20·12 प्रति·	10·97 प्रति·	28·15 प्र·
1992-93	19585	77·7 प्रति·	21·23 प्रति·	12·67 प्रति·	32·09 प्र·
1993-94	21287	77·5 प्रति·	23·81 प्रति·	14·48 प्रति·	32·87 प्र·
1994-95	20338	77·6 प्रति·	23·75 प्रति·	13·43 प्रति·	32·93 प्र·
1995-96	22655	78·0 प्रति·	23·00 प्रति·	15·33 प्रति·	33·49 प्र·

वर्ष 1996-97 के लिए 374 विद्यालयों में 23120 बच्चों का प्रवेशार्थ चयन किया गया है और उपर्युक्त सभी श्रेणियों में प्रतिशतता में कुछ वृद्धि की अपेक्षा व्यक्त की गई है ।

विद्यालयों के लिए 80 छात्रों के प्रतिस्वरूप, 1996-97 के दौरान औसतन 62 छात्रों का चयन हुआ है जो मुख्यतः कतिपय विद्यालयों में या तो अस्थाई अथवा स्थायी स्थल पर अपर्याप्त आवास के कारण और वर्दियों के प्रयोग, सभी राज्यों में कटौती अंको की सीमा के कारण है, यद्यपि कतिपय राज्यों में प्राथमिक शिक्षा स्तर के मानक भिन्न-भिन्न रहे है । जिनके कारण दाखिले में गिरावट आई है । इसके अतिरिक्तचयन तथा प्रवेश में गिरावट

मुख्यतः असम, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली, लक्ष्यद्वीप, आदि कुछ जिलों में स्थित नवोदय विद्यालयों में है ।

तथापि, गिरावट को नयूतम बनाने के लिए समिति ने 1996-97 से कटौती अंक सीमा में छूट दी है ताकि समिति द्वारा प्रत्येक जिले में प्रदान की गई सुविधाओं का पिछडे दूरवर्ती जिलों में पूरी तरह उपयोग किया जा सके । वर्ष 1997-98 से इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा । अब तक मार्च, 1996 तक कुल 1,66,906 बच्चों का नामांकन किया गया है और संभवतः 23120 अन्य बच्चों को 1996-97 में प्रवेश दिया जाएगा । 8वीं योजना के अन्त में कक्षा 12 स्तर पर लगभग 35,469 बच्चे शिक्षा पूरी कर लेंगे ।

103 विद्यालयों में कक्षा-6 से छात्रों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है और 9 वीं योजना अवधि के दौरान मौजूद शेष विद्यालयों को शामिल करने की आशा व्यक्त की गई है ।

इस योजना से 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ दोनों में लगभग 13750 तक की रोजगार वृद्धि की जा सकती है ।

अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं में नवोदय विद्यालय छात्रों का प्रदर्शन उत्साहप्रद रहा है । नवोदय विद्यालयों की उतीर्ण प्रतिशतता के मा॰शि॰ के औसत की अपेक्षा कहीं अधिक है ।

अनुमान है कि प्रतिशतता में 1996 से आगे अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करके रिक्त शिक्षण पदों को भरने के कारण और वृद्धि हो सकती है ।

शिक्षण स्टाप की व्यवसायिक क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से, के॰मा॰शि॰बो॰ नीपा, सी सी आर टी तथा विभिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रख्यात-शिक्षाविदों/व्यक्तियों की सहायता से नियमिति अनुस्थापन/सेवा कालीन-पाठ्यक्रम/सांस्कृतिक तथा मूल्य शिक्षा कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है ।

1996-97 के दौरान लगभग 105 कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त शिक्षकों के लिए उनकी क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के वास्ते पांच आंचलिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं और से 9वी योंजना अवधि के दौरान कार्य करना शुरू कर देंगे जो बदले में न केवल समिति के कर्मचारियों को अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रदान करते हैं बल्कि ये प्रशिक्षण केन्द्र की सीमा में अन्य शिक्षण स्टाफ की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं । इससे कार्यक्रमों/कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि होगी ।

जहां तक विद्यालय भवनों के निर्माण का संबंध है उल्लेखनीय है कि 327 विद्यालय भवन उपखण्डों के लिए प्रशासनिक संस्वीकृतियां प्रदान की गई हैं और 1995-96 के अन्त में विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति पर है ।

215 विद्यालय अपने निर्मित भवनों में ही कार्य कर रहे हैं । 1996-97 के दौरान संभवतः 22 और विद्यालय भी हासिल कर लिए जायेंगे और अन्य 20 विद्यालय 1997-98 में अपने भवनों में स्थानांतरित हो जायेंगें ।

बजट अनुमान 1996-97 में निधियों की स्थिति तथा संशोधित अनुमान 1996-97 तथा बजट अनुमान 1997-98 में समिति के प्रक्षेपण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(लाख रूपए में)

	योजनेत्तर		योजनागत	
	बजटीय सहयोग	अनुमानित वास्तविक राशि	बजटीय सहयोग	अनुमानित वास्तविक राशि
बजट अनुमान 1996-97	51.24	56.63	106.00	191.86
संशो.अनुमान 1996-97	60.00	61.13	201.00	200.55
बजट अनुमान 1997-98	127.00	128.89	195.00	192.35

उपर्युक्त प्रदत्त/प्रक्षेपित बजटीय सहयोग के अलावा, समिति के पास वर्ष 1995-96 के लिए, योजनेत्तर के अन्तर्गत 8.03 करोड रूपये और योजनागत के अन्तर्गत 8.41 करोड रूपये की व्यय न की गई बकाया राशि है । समिति की प्रभावी निधियों की स्थिति की उपयोगिता का ब्यौरा निम्नप्रकार है :-

	बजट अनुमान 1996-97		संशोधित अनुमान 1996-97		बजट अनुमान 1997-98	
	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत
1.स्टाफ भुगतान	29.35	25.19	31.60	26.30	63.78	14.41
2.छात्रों पर व्यय	12.45	40.09	14.70	38.25	47.79	12.47
3.अन्य आवर्ती और अनावर्ती व्यय	14.33	16.58	14.33	16.92	16.82	20.26
4.निर्माण कार्यकलाप	0.50	110.00	0.50	119.00	0.30	137.21
चालू वर्ष के लिए कुल	56.63	191.86	61.13	200.55	128.89	192.35
5.अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीने के लिए	2.64	2.55	6.90	8.86	15.94	3.79
	59.27	194.41	68.03	209.41	144.83	196.14

बजट अनुमान 1996-97, संशोधित अनुमान 1996-97 और बजट अनुमान 1997-98 के बीच भिन्नता के मुख्य कारणों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

अब संशोधित अनुमान 1996-97 में योजनेत्तर के अन्तर्गत 8.76 करोड रुपये और योजनागत के अन्तर्गत 15.00 करोड रुपये की अतिरिक्त राशि की मुख्यत : निम्नलिखित को वहन करने के लिए मांग की गई है :-

(1) विद्यालयों में शैक्षिक उत्कृष्टता में गिरावट के विरुद्ध सुरक्षण हेतु अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां करके शिक्षण स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के अलावा, अन्तरिम राहत, महंगाई भत्ते तथा बोनस की राशि में वृद्धि ।

(2) पिछले 3-4 वर्षों से समिति/विद्यालय के अधिग्रहण में रहने वाले अपने भवनों के अनुरक्षण सहित निर्माण कार्यकलापों का समर्पित उत्तरदायित्व ।

(3) चूंकि ये विद्यालय दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, अगले वित्तीय वर्ष 1997-98के प्रथम दो महीने के आवर्ती और अनावर्ती व्यय को वहन करने के लिए चालू वर्ष से ही विद्यालयों को निधियाँ प्रदान की जानी हैं ।

1997-98 के लिए योजनेत्तर प्रावधान में पर्याप्त वृद्धि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, के अनुदेशों के कारण है कि वर्ष 1996-97 8 वीं पंचपर्षीय योजना में एक समापन वर्ष है और योजनेत्तर बजट अनुमान 1997-98 में 8वी पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्पन्न योजनागत योजना संबंधी किया गया व्यय शामिल होगा । तदनुसार, 1996-97 की खर्च न की गई बकाया अनुमानित राशि का उपयोग करने की अनुमति सहित संशोधित अनुमान 1997-98 में 127.00 करोड रुपये तक बजटीय सहयोग और 175.00 करोड रुपये योजनागत बजटीय सहयोग की योजनेत्तर आवश्यकताओं में 62.70 करोड रुपये तक के मौजूदा संचालनात्मक योजनागत व्यय के हस्तांतरण का प्रस्ताव किया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपये में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	186,00.00	195,50.00	164,00.00
योजनेत्तर	51,24.00	58,01.00	56,00.00

12. माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के व्यावसायीकरण को प्रदान की गई अग्रता के अनुसरण में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना फरवरी,1988 में शुरू की गई थी । इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाना, कौशल प्राप्त जनशक्ति की मांग व आपूर्ति के बीच असमानता को कम करना, तथा विशेष रूचि अथवा उद्देश्य के बिना उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए कोई विकल्प प्रदान करना । मुख्यतः कक्षा 9 तथा 10 के छात्रों को साधारण बाजार योग्य कौशलों में प्रशिक्षण देने के लिए, व्यावसायिक रूचियां पैदा करने और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन कर सकने को सुकर बनाने के लिए वर्ष 1993-94 से निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी शुरू की गई है ।

यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है । अब तक लक्ष्यद्वीप को छोडकर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने +2 स्तर पर कार्यक्रम में भाग लिया । पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की गई है ।

व्यावसायिक शिक्षा के नवाचारी तथा अनौपचारिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी सहायता प्रदान की जाती है । अब तक इस योजना के अन्तर्गत 56 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी गई है ।

संशोधित नीति में निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक छात्रों को 1995 तक और 25 प्रतिशत को 2000 ईसवी तक व्यावसायिक धारा में मोडने का है । इसके प्रतिपक्ष स्वरूप समूचे देश भर में 6476 स्कूलों में 18709 व्यावसायिक अनुभाग संस्वीकृत किए गए हैं जिससे लगभग 9.35 लाख छात्रों को जो +2 स्तर पर नामांकन का 11 प्रतिशत हैं, व्यावसायिक धारा में मोडने की क्षमता पैदा हुई है ।

चूंकि संस्वीकृत क्षमता के रूप में लक्ष्य पहले ही प्राप्त किया जा चुका है अतः कार्यक्रम के समेकित तथा कोटिपटक सुधार पर पिछले कुछ वर्षों में ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नप्रकार हैं :

§18 राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्धारण तथा समन्वय के लिए अप्रेल, 1990 में एक संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी ।

§25 देश में कार्यक्रम को तकनीकी तथा शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिए जुलाई, 1993 में भोपाल में एक केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्था की स्थापना की गई है ।

§3§ इस योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए 150 पाठ्यक्रमों में से 60 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है ।

§4§ रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि जैसे कुछ सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सहयोगी व्यवस्था की गई है । वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा चर्म में आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

§5§ राज्यों को सलाह दी गई है कि वे विभिन्न स्तरों पर प्रबंध ढांचे की सुदृढ़ करें, कार्यक्रम में व्यावसायिकता वृति लाने के लिए विशेषज्ञों को प्रेरित करना, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम शुरू करना और नौकरी पर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उद्योग के साथ संपर्क मजबूत करना ।

§6§ व्यावसायिक पाठ्यक्रम उतीर्ण करने वालों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने की दृष्टि से भर्ती नियमों के संशोधन से संबंधित पहलु पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का परामर्शदाता नियुक्त किया गया है ।

§7§ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन करने की दृष्टि से चार बाह्य एजेंसियों/संस्थाओं को कार्य आवंटित किया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

§लाख रूपए में§

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	82,00·00	52,00·00	60,00·00

13· स्कूलों में विज्ञान शि क्षा का सुधार

विज्ञान की कोटि में सुधार करने और वैज्ञानिक मानसिकता बढ़ाने के लिए जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में परिकल्पना की गई थी, 1987-88 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार" संचालित की जा रही है । इस योजना में इन उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के संसाधन तथा एजेन्सी का उपयोग किया जाता है । तदनुसार, उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान-किटें की व्यवस्था करने, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं

तथा पुस्तकालय-सुविधाओं को स्तरोन्नत करने और विज्ञान तथा गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना में विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतादेने का भी प्रावधान है ।

सभी राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 1987-88 से 1995-96 तक के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त हुई है । पिछले 3 वर्षों के दौरान, अर्थात 1993-94 से 1995-96 तक के दौरान, 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 15 स्वैच्छिक एजेंसियों को 66·62 करोड रूपये की राशि संस्वीकृत की गई है । यद्यपि प्रायोगिक तथा नवाचारी कार्यक्रम शुरू करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहयोग दिया गया है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उच्च प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किटें की व्यवस्था करने, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तरोन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को विज्ञान से संबंधित विषयों की पुस्तकों की आपूर्ति करने और संबद्ध स्कूलों के विज्ञान तथा गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की गई है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	21,69·00	21,69·00	19,90·00

14· शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता की योजना

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत एक केन्द्रीय क्षेत्र के रूप में भारत की समान सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पता लगाया गया है । शिक्षा में सांस्कृतिक परिपेक्ष्य का उल्लेख करते समय नीति में शिक्षा की औपचारिक पद्धति और भारत की समृद्ध एवं विविध परम्पराओं के बीच की दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । इस नीति में यथासंभव पाठ्यचर्या शिक्षा की प्रक्रियाओं को समृद्ध बनाने की मांग की गई है और इसमें सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की भावना पैदा करने के लिए शिक्षा को एक शक्तिशाली साधन बनाने की आश्यकता को स्पष्ट करने हेतु मूख्य शिक्षा पर प्र्याप्त बल दिया गया है ।

1990 में, पूर्व योजना को अधिक उद्देश्यमूलक बनाने हेतु उसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था । 1992-93 की अन्तिम तिमाही में शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों को सुदृढ़ करने की एक पुनर्निधारित सहायता योजना शुरू की गई थी ।

4. संशोधित योजना के दो विस्तृत घटक है जो इस प्रकार हैं :-

(1) स्कूल में संस्कृति तथा मूल्य शिक्षा निवेश और अनौपचारिक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करना ।

(2) कौशल, संगीत तथा नृत्य शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपये में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	100.00	90.00	50.00

15. स्कूलों में योग को बढ़ावा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में स्कूलों में योग के शिक्षण पर विशेष बल दिया गया है । तदनुसार,स्कूलों में योग को बढ़ावा देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना अप्रैल, 1989 में तैयार की गई थी जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित योग संस्थाओं को योग शिक्षकों के प्रशिक्षण और इस उद्देश्य के मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है । कैवल्यधाम श्रीमान माधव योग मन्दिर समिति, लोनावाला(पुणे), जो अखिल भारती स्वरूप की एक योग संस्था है, को भी अनुरक्षण तथा विकास व्यय के लिए, बुनियादी अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए और थेराप्यूटिकल पहलुओं के अतिरिक्त योग के विभिन्न पहलुओं में शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमों के लिए सहायत दी जाती है।

2. यह योजना कुछ संशोधनों के साथ विशेषरूप से योजना के विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय मानदण्डों में, 8वीं योजना के दौरान जारी रखी जा रही है । लगभग 7500 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 8वीं योजना का प्रावधान 3.25 करोड़ रूपये है । 12 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनेक संगठनों/संस्थाओं को सहायता दी जा रही है और यह अनुमान है कि अब तक 7000 से अधिक शिक्षको को प्रशिक्षण दिया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	60.00	24.00	24.00
योजनेत्तर	30.00	30.00	30.00

16. **माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन तथा छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना ।**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लडकियों को बनाए रखने को बढ़ावा देना है । चूंकि ऐसे स्थानों में उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल इधर-उधर फैले हुए हैं, लडकियां अपने घर और उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बीच पर्याप्त दूरी के कारण न पहुंच सकने से लगभग वंचित रह जाती है ।

यह योजना 1993-94 में शुरू की गई है जिसका उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मौजूदा छात्रावासों को निम्नप्रकार की सहायता प्रदान करना है :-

(1) आवश्यक फर्नीचर, बर्तनों के प्रावधान के लिए और 1500/- रूपये की प्रति बोर्डर की दर से बुनियादी मनोरंजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक समय की अनुदान अनावर्ती सहायता ।

(2) भोजन, रसोइये तथा धारक के पारिश्रमिक के लिए 5,000/- रूपये प्रति वर्ष प्रति बोर्डर की दर से आवर्ती सहायता ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	55.00	65.00	500.00

ग) विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में एक केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अथवा अन्य संबंधित निकायों के साथ परामर्श से विश्वविद्यालीय शिक्षा के प्रोत्साहन और समन्वयन के लिए तथा शिक्षण के स्तरों को निर्धारण एवं बनाए रखने, परीक्षा एवं विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिए सभी तथा उपयुक्त कदम उठाने के व्यापक उद्देश्य से की गई थी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अपनी योजनेत्तर आवश्यकताओं तथा योजनागत परियोजनाओं/योजनाओं, दोनों के लिए अनुदान प्राप्त करता है ।

इस समय कुल 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 12 सम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के 55 अनुरक्षित कालेज तथा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के 4 अनुरक्षित कालेज अनुरक्षण व्यय प्राप्त करते हैं । आयोग कनिष्ट अनुसंधान फैलो, शिक्षक फैलों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), राष्ट्रीय फैलों, आगन्तुक एसोशिएट विद्वता फैलो को भी शिक्षावृत्तियां प्रदान करता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र विश्वविद्यालयों को सम विश्वविद्यालय संस्थानों और कालेजों को शैक्षिक और प्रशासनिक भवनों, छात्रावासों, पुस्तकों, विशेष विषयों के अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ, जो अन्यथा ऐसे सस्थानों को राज्य सरकारों/इसके रख-रखाव के लिए उत्तरदायी निकायों से उपलब्ध नहीं होते, जैसी कुछ मूलभूत ढ्ांचे संबंधी सुविधाओं के लिए साधारण विकास अनुदान प्रदान करता है ताकि शिक्षण की कोटि को प्रोन्नत किया जा सके ।

14 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 133 राज्य विश्वविद्यालयों तथा 19 सम विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान प्रदान किया जाता है । 4536 कालेज योजना अवधि (1992-97) के दौरान 5-10 लाख रुपये की भिन्न-भिन्न सामान्य विकास संबंधी सहायता के लिए पात्र हैं जो नामांकित छात्रों की संख्या, शिक्षा प्रदान किए जाने वाले स्तर पर निर्भर करता है ।

8वीं योजना की प्रगति

8वीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 612.38 करोड रुपये था और

1992-93 से 1996-97 तक वास्तविक संस्वीकृति 889.57 करोड़ रुपये थी । इसने मंत्रालय के कुल परिव्यय को 8 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व किया ।

विशिष्ट बल क्षेत्रों तथा 8वीं योजनाओं में उनसे संबंधी उपलब्धियों का सार चार विस्तृत श्रेणियों में नीचे दिया गया है, अर्थात (1) पहुंच, (11) कोटि, (111) समबद्धता और (4) संसाधन, जो उच्चतर शिक्षा में विचारणीय प्रमुख क्षेत्र हैं ।

उच्चतर शिक्षा के लिए पहुंच

केन्द्र सरकार ने मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8वीं योजना के दौरान कतिपय नये विश्वविद्यालय शुरू किए । इन विश्वविद्यालयों ने इन क्षेत्रों में छात्रों के लिए नवीन सुविधाओं की शुरूआत की है । महिलाओं, कमजोर वर्गों, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों, आदि सहित विशेष प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की गई हैं ताकि कमजोर वर्गों के लोगों को अन्यों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतियोगिता के योग्य बनाया जा सके । प्रदान की गई नवीन सुविधाओं में बढ़ाई गई प्रवेश क्षमता तथा सुदूर शिक्षा पद्धति का सुधार शामिल है । सभी पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रमों को सुदूर शिक्षा पद्धति में परिवर्तित करने के लिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की सुदूर शिक्षा परिषद के समन्वय से व्यवस्था की गई हैं । महिला-छात्रावासों की संख्या और क्षमता में वृद्धि करने के विशेष प्रयास किए गए हैं ताकि दूरवर्ती क्षेत्रों से भी महिलाएं उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

उच्चतर शिक्षा की कोटि

8वीं योजना के दौरान वि.अ.आ के विभिन्न प्रयास विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षा की कोटि के सुधार में योगदान देने की दिशा में रहे हैं । 8वीं योजना के दौरान अत्यन्त विविधता वाले कार्यकलाप शुरू किए गए थे । इनमें ये शामिल हैं :-

शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ताओं के लिए विनियम तैयार करना, शैक्षिक स्टाफ कालेजों तथा अन्य केन्द्रों द्वारा आयोजित किए गए सतत शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को उनकी अहर्ताएं तथा क्षमताएं सुधारने के योग्य बनाना, शिक्षक शिक्षावृत्तियां, यात्रा सहयोग और आजीविका पुरस्कार । पुस्तकालय सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे और कम्प्यूटीकरण तथा पुस्तकालयों का नेटवर्क तैयार करने और सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना की गई थी ।

विशेष सहायता कार्यक्रम द्वारा अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि जिसके द्वारा अनेक विश्वविद्यालय अनुसंधान के लिए अपनी सुविधाओं को स्तरोन्नत करने और विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा सकें । बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों में उच्च

अध्ययन केन्द्र जारी रखे गए थे । प्रमुख तथा छोटे-छोटे अनुसंधान परियोजनाओं को निधियां प्रदान की गई थी । विशेष संहायता कार्यक्रमों और प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं की मानीटरी की एक विनिर्मित पद्धति है । विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केन्द्रों को सहयोग दिया गया था और नये केन्द्र बनाए गए थे । अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र सुदृढ़ किए गए थे ।

पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठों ने विभिन्न विषयों में अनेक माडल पाठ्यचर्या तैयार कीं । पाठ्यपुस्तक लेखन को सहयोग दिया गया था ।

राष्ट्रीय मूल्याकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना की गई थी ताकि एक सुव्यवस्थित मूल्यांकन कार्य विधि के माध्यम से कोटिपरक सुधार लाया जा सके।

उच्चतर शिक्षा की सम्बद्धता

पाठयक्रमों को और अधिक आजीविकोन्मुख बना कर उच्चतर शिक्षा की सम्बद्धता बढ़ाने के विशेष प्रयास किए गए थे । व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की नई योजना वर्ष 1994-95 से शुरू की गई थी । इससे छात्र चुन्निदा कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में एक विशेष आजीविकोन्मुख पाठ्यक्रम में अवर-स्नातक विषयों में से एक विषय ले सके । साथ-साथ शिक्षा में अनुप्रयोग का एक घटक प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रमों को फिर से तैयार किया गया था । सामुदायिक कालेज की संकल्पना की जांच करने के लिए अध्ययन किया गया था।

उच्चतर शिक्षा के लिए संसाधन जुटाना

8वीं योजना के दौरान, विश्वविद्यालय संसाधन बढ़ा सके इसके लिए अनेक कदम उठाए गए थे । इनमें ये शामिल थे :-

औद्योगिक घरानों तथा अन्य संसाधनों से 100 प्रतिशत कर में छूट देकर अंशदान के लिए प्रोत्साहन । वि•अ•आ• द्वारा इसकी संचित निधि में से विश्वविद्यालय द्वारा जुटाए गए 25 प्रतिशत संसाधनों का अंशदान ।

जैसा कि पुन्नैया समिति द्वारा सुझाव दिया गया था इकाई लागतों के आधार पर विश्वविद्यालयों के निधिदाय ढांचे को तर्कपूर्ण बनाना ।

वर्ष 1997-98 के लिए विकास प्रक्षेपण

8वीं योजना के चौथे वर्ष तक, 224 विश्वविद्यालय तथा 8613 कालेज थे ।

इनमें से 176 विश्वविद्यालय सीधे ही वि•अ•आ• की छत्रछाया में हैं । इन 176 विश्वविद्यालयों में से 140 को वि•अ•आ• द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करके योजनागत अनुदान प्राप्त होते हैं । 8613 कालेजों में से 4510 कालेज वि•अ•आ• से अनुदान प्राप्त कर रहे थे । यह अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 1997-98 के दौरान वि•अ•आ• से सहायता के लिए पात्र विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 100 से 200 तक होंगी और कालेजों की संख्या लगभग 5000 होगी ।

वर्ष 1997-98 के लिए प्राथमिकताएं

हम स्वीकार करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य बहुआयामी तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले सामाजिक न्याय तथा समानता सहित अक्षुण्ण विकास है । शिक्षा की विषय वस्तु तथा इसकी सम्बद्धता इससे प्राप्त की जानी चाहिए और बदले में शिक्षा को राष्ट्रीय आयोजना तथा इन लक्ष्यों को बनाने वाली सुविधा का अति महत्वपूर्ण क्षेत्र बनना चाहिए । उस सीमा तक, ज्योंही हम इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के साथ इसके संबंधों, निकट के समुदाय, जिसके साथ यह कार्य करती है, के साथ इसके संबंधों की पुनः जांच करने के लिए शिक्षा का लोकमत है । तभी इसकी एक कोटि-परक शिक्षा विकसित करके, जिसमें पद्धति के उत्पाद ज्ञान, कौशल, उपयुक्त मूल्य तथा अभिवृत्तियां न केवल प्रौढ़ों के रूप में तत्काल कार्य के लिए अपितु लचीलेपन तथा नवीनता के लिए योग्यता, जो नई शताब्दी में हासिल होगी जिसका आज हमको ज्ञान नहीं है, विकसित करते हैं ।

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अपनी भूमिका तथा कार्य निभा सकने के लिए स्वयं ही वर्तमान ढांचों तथा स्वायत्त संगठनों के रूप में कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्य करने की योग्यता को उजागर करना होगा । संस्थागत ढ़ांचों के संगठनों और उनके प्रबन्धकों को अवश्य कहा जाना चाहिए ।

निधिदाय का महत्व कम नहीं है परन्तु लोगों को सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थाओं, दोनों से उत्तरोत्तर जिम्मेवारी की अपेक्षा है । उत्तरदायित्व लागत-कुशलता के रूप में होना है, शिक्षा, संगत तथा कोटिपटक हैं और युवा प्रौढ़ों को कार्यजगत के लिए अभिभावकों के रूप में जिम्मेवारियों तथा सामाजिक एवं नागरिक जिम्मेवारियों के वास्ते तैयार करनी है । मानव संसाधन विकास को सभी स्तरों पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और इसे राष्ट्र की संपूर्ण विकास कार्यनीति का भाग बनाया जाना चाहिए । वर्ष 1997-98 के लिए प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं :-

सम्बद्धता तथा शिक्षा की कोटि,

पहुंच तथा समानता

विश्वविद्यालय तथा सामाजिक परिवर्तन,

प्रौढ़ सतत शिक्षा तथा दूरगामी,

महिला अध्ययन,

शिक्षा तथा वित्त का प्रबन्ध,

वित्तीय आवश्यकतायें

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	200,63·00	200,63·00	351,11·00
योजनेत्तर	465,00·00	466,14·00	450,00·00

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इ.गा.रा.मु.वि.) की स्थापना सितंबर, 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा देश की शिक्षा प्रणाली में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने और ऐसी प्रणालियों में स्तरों को निर्धारित करने तथा समन्वय के लिए की गई थी । विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में 9 स्कूलों की स्थापना की है । "विधि अध्ययन स्कूल" नामक एक और स्कूल स्थापित किया जा रहा है जिससे स्कूलों की संख्या 10 तक बढ़ जाएगी ।

शैक्षिक कार्यक्रम

विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र में 14 कार्यक्रम डिप्लोमा में 20 कार्यक्रम, स्नातक स्तर पर 26 कार्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 कार्यक्रम प्रदान कर रहा है । वर्ष 1997-98 के दौरान 24 अन्य कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है । 1996-97 तक इं.गां.रा. मुक्त वि. ने 640 श्रव्य तथा 540 तक दृश्य कैसेट बनायी । वर्ष 1997-98 के दौरान प्रकाशित किए जाने वाले खंडों की संख्या छात्र क्षमता और आरम्भ किए जाने वाले नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों पर निर्भर करेगी । पाठ्यक्रम सामग्री के अलावा, विश्वविद्यालय ने लगभग 2100 प्रकाशनों का मुद्रण किया जिनमें कार्यक्रम गाइडों, छात्र अभ्यासकार्य, ब्रोशर, संसूचना पैकेज आदि शामिल हैं । औसतन, देशभर में छात्रों को प्रतिदिन पाठ्यक्रम सामग्री के 2500 पैकेज डाक द्वारा भेजे जाते हैं । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (कोटा, हैदराबाद, नासिक) के प्रयोगार्थ अपनी पाठ्यसामग्री उपलब्ध करवाई है । विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम सामग्रियों की बिक्री जनता के लिए सीमित आधार पर शुरू कर दी है ।

दाखिल कुल छात्रों की संख्या 2.76 लाख है । इनमें वर्ष 1996-97 के दौरान दाखिला 130354 छात्र शामिल है ।

31 मार्च, 1996 को कोर संकाय सदस्यों की संख्या 238 थी । मार्च, 1996 के अन्त में तैनात शिक्षणेत्तर की संख्या 900 थी ।

छात्र सहायता सेवा

विश्वविद्यालय ने एक विस्तृत छात्र सहायता सेवा नेटवर्क की स्थापना की जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित है । 17 क्षेत्रीय केन्द्र और 255 अध्ययन केन्द्र शामिल थे इं.गा.रा.मु.वि. का अध्ययन केन्द्र निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है :-

- ट्यूटोरियल, समस्या निवारण सत्र आदि
- संसूचना, सलाह और परामर्श
- पुस्तकालय सुविधाएं
- श्रव्य दृश्य सुविधाएं
- छोत्रों के सभी अभ्यास कार्यों को प्राप्त करना और उनके मूल्यांकन के लिए व्यवस्था करना ।

क्षेत्रीय केन्द्र अपने संबंधित क्षेत्रों के अध्ययन केन्द्रों के क्रियाकलापों को समन्वित करता है । 1996-97 के दौरान एक क्षेत्रीय केन्द्र और 15 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं । वर्ष 1997-98 के दौरान एक क्षेत्रीय केन्द्र तथा 15 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं ।

परीक्षाएं

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश में सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली का संचालन करता है । वर्ष 1995-96 में परीक्षा के लिए 100308 छात्रों का पंजीकरण किया गया जबकि 1996-97 के दौरान 1,87,645 का पंजीकरण किया गया । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संचार प्रभाग के लिए भवन सहित एक आधुनिक, सुसज्जित स्टूडियो परिसर के निर्माण कार्य के लिए एक जापानी सहायता सहित 68·00 करोड रूपए की एक परियोजना को अन्तिम रूप दिया गया ।

मुक्त विश्वविद्यालय और दुरस्थ शिक्षा प्रणाली का समन्वय और उसे बढ़ावा देना

एक दूरस्थ शिक्षा परिषद् (दू·शि·प·) की स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने, समन्वय करने और मानकों के अनुरक्षण के लिए की गई तथा इसने राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता के प्रावधान के लिए दिशानिर्देशों का अंतिम रूप दे दिया ।

प्रशिक्षण देने व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के वास्ते मानव संसाधनों के विकास के लिए दूरस्थ शिक्षा स्टाफ प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया । दू·शि· स्टाफ प्र· व अ· संस्थान, इं·गा·रा·मु·वि·, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा पत्राचार शिक्षा के पारम्परिक विश्वविद्यालय के संस्थानों को सहायता से पाठ्यक्रम अभिकल्प और विकास, स्व-अध्ययन सामग्री तैयार करने, श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों का निर्माण, छात्र सहायता सेवा के आयोजन आदि में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है ।

मुक्त अध्ययन की भारतीय पत्रिका

मुक्त अध्ययन भारतीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में किया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय तालमेल

इं·गा·रा·मु·वि· और अध्ययन राष्ट्रमंडल के बीच तालमेल बढ़ रहा है । अध्ययन राष्ट्रमंडल ने इं·गा·रा·मु·वि· को "दूरस्थ शिक्षा में उत्कृष्ट केन्द्र" के रूप में मान्यता दी हैं ।

वित्तीय आवश्यकतायें

(लाख रुपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	2150·00	2305·00	2800·00
योजनेत्तर	700·00	700·00	770·00

3· भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद

भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद् की स्थापना 1969 से देश में सामाजिक विज्ञान संबंधी अनुसंधान का उन्नयन और समन्वयन करने के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी ।

2· आठवीं योजना अवधि के दौरान, परिषद ने अपनी सहायक-अनुदान योजना के अंतर्गत दो और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जिससे इनकी संख्या बढ़कर 27 हो गयी । वर्ष 1996-97 के दौरान परिषद ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान में लगी हुई अखिल भारतीय स्वरूप के अनुसंधान संस्थानों को मदद देना जारी रखा ।

3· इस वर्ष के दौरान परिषद का प्रस्ताव 152 नई अनुसंधान परियोजनाओं को अनुसंधान अनुदान देने का है तथा वर्ष 1997-98 में 200 अनुसंधान परियोजनाओं (नयी और कार्यरत) को वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है । वर्ष के दौरान पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं की 90 रिपोर्टों के मूल्यांकन को शुरू करने की उम्मीद है ।

4· वर्ष 1996-97 के दौरान, परिषद का प्रस्ताव 10 नई राष्ट्रीय, 10 सीनियर, 15 सामान्य और 88 डाक्टेरल फैलोशिप देने का है, 120 अध्येताओं को डाक्टेरल अध्ययनों के लिए आंशिक सहायता और आकस्मिक अनुदान भी दिए गए ।

5· वर्ष 1996-97 के दौरान, क्रमशः 14 और चार के लक्ष्य के मुकाबले अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम और समाज विज्ञानों में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा किए जाने की आशा है ।

6· वर्ष 1996-97 के दौरान, 450 पत्रिकाओं (वर्तमान 4000 शीर्षकों की कुल प्राप्ति में से) को लेना जारी रखा गया और पुस्तकों और शोध पत्रों सहित 4000 दस्तावेजों का क्रय किया जाएगा । वर्ष 1996-97 और 1997-98 में क्रमशः 350 एवं 400 ग्रंथ-सूचियों के संकलन का भी प्रस्ताव है । वर्ष 1997-98 के दौरान 150 डाक्टेरल छात्रों को अध्ययन अनुदान प्रदान किए जाने की आशा है ।

7. §1§ नास्डोक में अनुसंधान परियोजनाएं §2§ दिल्ली पुस्तकालयों में सामाजिक विज्ञान पत्रिकाएं §3§ भारत में सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं §4§ सामाजिक विज्ञान में कोर पत्रिकाएं §5§ भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान §6§ भारत में शांति/मानवाधिकार/अन्तर्राष्ट्रीय विधि अनुसंधान और प्रशिक्षण पर आंकड़ा आधार स्थापित किया गया है । §क§ सामाजिक विज्ञान सेमिनार/सम्मेलनों की कार्यवाहियों §ख§ नासडाक द्वारा अर्जित सामाजिक विज्ञानों में पी.एच.डी. शोध पत्र §ग§ पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ग्रंथ सूची पर डाटाबेस सूजित किया जाना प्रस्तावित है । जापानी सहायता से स्थापित दक्षिणी एशियाई प्रलेखन केन्द्र प्रगति हासिल कर रहा है । इस क्षेत्र पर आवश्यक डाटाबेस और अनुसंधान सामग्री अर्जित करने पर भी कार्रवाई चल रही है ।

8. वर्ष 1997-98 के दौरान, परिषद देश में 10 संस्थाओं के जरिए 136 अध्येताओं को परामर्शी सेवाएं प्रदान करेगी और सामाजिक वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन बनाने का कार्य करेगी ।

9. 1997-98 में, परिषद पत्रिकाओं तथा न्यूजलैटरों के 86 अंक प्रकाशित करेगी । परिषद वर्ष 1996-97 में पांच तथा वर्ष 1997-98 में प्रत्येक में पांच पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन में सहायता देने की योजना बना रही है ।

10. वर्ष 1996-97 में 35 राष्ट्रीय तथा 5 अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों सम्मेलनों आदि के लक्ष्य के मुकाबले परिषद 40 राष्ट्रीय सेमिनारों की सहायता करने की आशा करती है । वर्ष 1997-98 में परिषद का प्रस्ताव 45 सेमिनार तथा सम्मेलनों के आयोजन/सहायता करने का है । इसका आशय कार्य समन्वित करने के लिए विदेशों का दोरा करने के लिए 125 भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों की सहायता करने का भी है और इसी प्रयोजनार्थ पारम्परिक आधार पर भारत का दौरा करने वाले 60 विदेशियों को सहायता प्रदान करने का है ।

11. सांस्कृतिक शैक्षिक विनियम कार्यक्रमों में परिषद अपने कार्यकलापों को रूस, फ्रांस,नीदरलैंड, चीन, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, वियतनाम के साथ जारी रखेगी । नए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के लिए जापान, दक्षिण अफ्रीका, सार्क देशों के साथ प्रस्तावों पर सक्रियता विचार किया जा रहा है । परिषद सक्रिय रूप से आई.एस. एस.सी. आर., आई.एफ.एस.एस.ओ. तथा ए.ए. एस. एस. आर. ई.सी. जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकलापों में भी भाग लेती है । इच सरकार के साथ एक प्रमुख सहयोग कार्यक्रम जिसे आई.डी.पी.ए.डी. के नाम से जाना जाता है अपने चौथे चरण में पहुंच गया और इसे 1997-98 के दौरान भी जारी रखा जाएगा ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	450·00	450·00	700·00
योजनेत्तर	520·00	520·00	540·00

4· भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की स्थापना दर्शन शास्त्र पर प्रगति की समीक्षा करने तथा दर्शनशास्त्र में तथा उससे सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए की गयी ।

इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिषद फैलोशिप प्रदान करती है, सम्मेलनों का आयोजन, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, वार्तालापों, बोलचाल का आयोजन करती है यह भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विख्यात भारतीय और विदेशी दार्शनिकों के व्याख्यान आयोजित करती है । यह सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

वर्ष 1996-97 के दौरान परिषद ने 37 फैलो को परिषद में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया । इसके अलावा, 6 सामान्य अध्येताओं 7 कनिष्ठ अध्येताओं 2 सीनियर अध्येताओं 3 राष्ट्रीय अध्येताओं तथा 1 अध्येता ने पिछले वर्ष से अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कार्य जारी रखा ।

परिषद ने 5 सेमिनार आयोजित किए और 4 सेमिनार यथाशीघ्र आयोजित किए जाएंगे । इसके अलावा, देश के विभिन्न भागों में कई सम्मेलन/सेमिनार आयोजित करने के लिए परिषद ने आंशिक अथवा पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की । वर्ष 1997-98 के दौरान, परिषद का प्रस्ताव 2 पूर्ण प्रायोजित राष्ट्रीय सेमिनारों के अलावा धर्म पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने का है ।

अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों/शैक्षिक तालमेल के लिए, परिषद ने इन्डो-फ्रेंच सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत पैरिस में एक अध्येता को तैनात किया है और विदेश में सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो अध्येताओं को यात्रा अनुदान दिए गए । परिषद ने यह निर्णय लिया कि गुजरात विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाई·ए· याज्ञनिक को आमंत्रित किया और वार्षिक व्याख्याताओं के रूप में आदरणीय दलाईलामा, प्रोफेसर नागबंध अथवा प्रोफेसर नकुमारा को

परिषद अब तक 6 पुस्तकें प्रकाशित की और शीघ्र ही कुछ और पुस्तकें प्रकाशित करने की उम्मीद है । अब तक परिषद के पुस्तकालय में 15,957 पुस्तकें अर्जित की और 99 मुख्य पत्रिकाओं की ग्राहक बनी ।

वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति के इतिहास की अन्तः विषय परियोजना पर कार्य जारी रहा । सम्पादकीय अध्येताओं के रूप में तीन अध्येताओं के नियुक्त किया और इस परियोजना के शामिल न किए गए क्षेत्रों में सम्पादकीय अध्येताओं के रूप में नियुक्ति के लिए तीन और अध्येताओं का अभिनिर्धारण किया गया । वर्ष 1995-96 के दौरान पी•एच•आई•एस•पी•सी• मोनोग्राफों का प्रकाशन किया गया और 1996-97 के दौरान एक तथा वर्ष के दौरान दूसरे की योजना तैयार की गयी । विभिन्न खण्डों पर पाण्डुलिपियों निमार्णधीन हैं और वर्ष 1997-98 के दौरान इसे जारी रखा जाएगा ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	202•00	202•00	125•00
योजनेत्तर	69•69	72•00	78•00

5• भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

इस संस्थान की स्थापना अक्तूबर, 1965 में की गई और इसका उद्देश्य जीवन और विचारधारा के मूलभूत विषयों, समस्याओं की स्वतंत्र और सृजनात्मक जांच करना है । यह अनुसंधान के लिए एक आवासीय केन्द्र है और ऐसे क्षेत्रों में सृजनात्मक विचारों की प्रोन्नति के लिए बढ़ावा देता है जो गहन महत्व के हैं और विशेष तौर पर मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञान और समय-समय पर जैसा भी संस्थान निर्णय लें, जैसे चुनिंदा विषयों में शैक्षिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराता है ।

यह संस्थान प्रख्यात अध्येताओं का निमंत्रण के जरिए एक वर्ष में 5 राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां प्रदान करता है । जबकि अध्येताओं की संख्या दो थी परन्तु वर्ष 1997-98 के दौरान उनकी संख्या चार से पांच हो गयी । यह संस्थान खुले-विज्ञापनों के जरिए राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की अधिसूचनाओं के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में अध्येताओं

को शिक्षावृत्तियां देता है । शिक्षावृत्तियों की संस्वीकृत संख्या 25 से 30 तक है जिसमें संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर वृदि की जा सकती है । शिक्षा वृत्ति की अवधि 3 माह से 2 वर्ष के बीच होती है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । वर्ष 1996-97 के लिए लक्ष्य 30 शिक्षावृत्तियों का था जिसके मुकाबले 20 फैलों §1996-97 में§ शिक्षावृत्ति प्राप्त कर रहे हैं । वर्ष 1997-98 के लिए लक्ष्य 30 से 35 फैलो का है

वर्ष 1996-97 के दौरान संस्थान ने अब तक 4 राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए । वर्ष 1997-98 के लिए 5 सेमिनार का लक्ष्य है ।

वर्ष 1996-97 के दौरान संस्थान ने 9 प्रकाशन निकाले और 9 प्रकाशन निकालने की उम्मीद करता है । वर्ष 1997-98 के लिए लक्ष्य बारह प्रकाशनों का है ।

वर्ष 1996-97 के लिए 400·00 लाख रूपये के योजनागत बजट में राष्ट्रपति निवास भवन के परिरक्षण, संरक्षण और जीर्णोदार के लिए विशेष अनुदान शामिल है । इन्टेक और के·लो·नि· विभाग के साथ यह कार्य प्रगति पर है । संस्थान द्वारा "गांधीवादी परिप्रेक्ष्य" नामक परियोजना पर एक नया दल लिया गया है । इस परियोजना के तीन वर्ष के अन्दर पूरा हो जाने की उम्मीद है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

§लाख रूपए में§

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	400·00	400·00	90·00
योजनेत्तर	150·00	165·00	180·00

6· भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना इतिहास के वैज्ञानिक लेखन और उद्देश्य का प्रोन्नत करने के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी । परिषद के मुख्य उद्देश्यों में इतिहासविदों को एक साथ लाना, ऐतिहासिक अनुसन्धान कार्यक्रमों को प्रायोजित करना और देश की राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के अन्दर का मन में बिठाना है ।

वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान §1·4·96 से 31·10·96 तक§ योजनाएं संस्वीकृत की गई तथा 53 मामलों में शिक्षावृत्ति अनुदान और 24 मामलों में सम्मेलनों

बढ़ाने की अनुमति दी गई थी । परिषद ने 45 अध्येताओं का यात्रा आकस्मिक अनुदान सहित अध्ययन अनुदान संस्वीकृत किए और 17 मोनोग्रामों के प्रकाशनों के लिए इमदाद लागत स्वीकृत की । सेमिनार तथा संगोष्ठियों के आयोजन के लिए इतिहासविदों की 34 व्यावसायिक संगठनों की सहायता की गई । विदेशों में आंकडे संग्रहित करने के लिए चार अध्येताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

उक्त कार्य के अलावा भा॰ए॰ अ॰ परिषद वर्ष में दो बार अंग्रेजी में "इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू" नामक पत्र और हिंदी में "इतिहास" नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है । विशेष प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "टूवार्ड फ्रीडम" खण्डों के प्रकाशन में 4 खण्डों को पूरा किया जा चुका है । दो खण्ड रायल्टी टर्म आधार पर प्रकाशनार्थ आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दिये गए । आर्थिक इतिहास परियोजना का कार्य प्रगति पर है तथा रेलवे, कृषि और सिंचाई पर दस्तावेज के समापन का कार्य जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	49·00	49·00	75·00
योजनेत्तर	140·00	145·00	155·00

7· शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान

कनाडा में निगमित एक स्वायत्त संगठन, शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान ने भारत सरकार और शास्त्री-इन्डो कनाडा संस्थान के बीच संगम ज्ञापन के अनुसरण में वर्ष 1968 में कार्यकलाप आरम्भ किए । संस्थान का उद्देश्य, अध्येताओं में तथा अन्य छात्रों में एक देश के ज्ञान तथा सूझ-बूझ की उन्नति को बढ़ावा देने तथा सहायता करने के दोहरे प्रयोजन प्रदान करना है । भारत सरकार दिनांक 29 नवम्बर, 1968 के संगम ज्ञान के अनुपूरक परिशिष्ट-7 के अनुसार भारत में अपने कार्यकलापों को संचालित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है ।

29 जुलाई, 1994 को हस्ताक्षरित संगम ज्ञापन के परिशिष्ट-7 के अनुसार भारत सरकार, संस्थान को 1 अप्रैल 1994 से 31 मार्च, 1999 की अवधि में पांच वर्ष के लिए 5 करोड रूपये से अधिक का अनुदान न देगी । इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1994 को/अथवा उसके बाद संस्थान में शामिल होने वाले प्रत्येक नए सदस्य के लिए पुस्तकों की आपूर्ति हेतु संस्थान को 1·00 लाख रूपये की राशि दी जायेगी ।

संस्थान के कार्यकलापों में ये शामिल हैं :-

(1) शिक्षावृत्तियां प्रदान करना ।

(2) कनाडा निवासियों को भारत में अध्ययन हेतु तथा भारतीय अध्येताओं को कनाडा दौरों के लिए छात्रवृत्तियां तथा बर्सरी प्रदान करना ।

(3) कनाडा के विश्वविद्यालयों में वितरण हेतु भारतीय पुस्तकालय सामग्री प्राप्त करना और

(4) भारत में कनाडा अध्ययन का विकास ।

वर्ष 1996-97 के दौरान संस्थान ने भारत में मानविकियों तथा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के लिए कनाडा के अध्येताओं को 25 शिक्षावृत्तियां प्रदान की । वर्ष 1996-97 के दौरान संस्थान ने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कनाडा दौरे के लिए 26 अध्येताओं को प्रायोजित किया ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेत्तर	100.00	97.00	110.00

8. डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास, दिल्ली

डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास की स्थापना वर्ष 1973 में डा. जाकिर हुसैन कालेज (पहले दिल्ली कालेज) के प्रबन्ध और रख-रखाव के उत्तरदायित्व के अधिग्रहण के लिए की गई थी । कालेज का रख-रखाव व्यय, वि. अनु. आयोग तथा न्यास द्वारा 95:5 के अनुपात में बाटा जाता है । इसके अतिरिक्त, वि. अनु. आयोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित की गई सहायता की पद्धति के अनुसार कालेज को विकास अनुदान करता है । इस प्रकार के विकास संबंधी व्यय का बराबर का हिस्सा न्यास द्वारा किया जाना अपेक्षित है । चूंकि न्यास के अपने कोई सूत्रे नहीं है, अतः उपर्युक्त व्यय का वहन करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किए जाते है । न्यास के प्रशासनिक व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है । दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उपेन्द्र बक्शी ने दिसम्बर, 1995 में जाकिर

हुसैन स्मारक व्याख्यान दिया ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 19996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	25·00	--	28·00
योजनेत्तर	12·00	12·00	13·00

9· अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थाएं

यह मंत्रालय कुछ स्वेच्छिक संगठनों अखिल भारतीय महत्व के उच्च अध्ययन शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । इस योजना के अन्तर्गत उन संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है जो विश्वविद्यालय प्रणाली से परे है और जो नए प्रकार के कार्यक्रमों में लगे हुए है ।

चूंकि योजनागत स्कीम के अन्तर्गत इन संस्थाओं को प्रमुख सहायता दी जा रही है अतः प्रत्येक योजना के अन्त में एक योजना से दूसरी योजना तक सहायता जारी रखना निर्धारित करना होता है । आठवीं योजना अवधि के दौरान, इन संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता की प्रकृति और मात्रा की जांच तथा सिफारिश करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1990 में अभ्यागत समितियां गठित की गई थी जो आठवीं अवधि के दौरान भविष्य में दी जाने वाली सहायता की प्रकृति और क्षेत्र को सिफारिश करने और उनके कार्य निष्पादन का स्थल पर निर्धारणकरने के लिए इन संस्थाओं का दौरा करेगी । अभ्यागत समितियों की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं के वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । (1) श्री अरबिन्दो अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, आरोबिल्ले, तमिलनाडु (2) श्री अरबिन्दो अन्तराष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी (3) लोकभारतीय सनोसरा, गुजरात तथा (4) मित्रानिकेतन वेल्लानाबाद, केरल ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	20.00	20.00	35.00
योजनेत्तर	21.00	21.00	23.00

×· भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली

भारतीय वि·वि·संघ विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन है तथा यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। यह वि·वि·के प्रशासकों और शिक्षाविदों को परस्पर विचार विनिमय करने के लिए तथा आम हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह उच्च शिक्षा में सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करता है और कई उपयोगी प्रकाशन, शोध निबन्ध और "यूनिवर्सिटी न्यूज" नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालता है।

इस संघ को वि·वि· से वार्षिक चन्दे के रूप मे पर्याप्त धन प्राप्त होता है। भारत सरकार भी इसके रख-रखाव के व्यय को आंशिक रूप से वहन करने के लिए अनुदान संस्वीकृत करती है जिसमें वि·वि·प्रणाली से संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों को आरम्भ करने के लिए स्थापित किया गया अनुसंधान प्रकोष्ठ (सेल) भी शामिल है जो विभिन्न कार्यकलापों को करता है, जिनमें अनुसंधान अध्ययन, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रश्न बैंक तथा डाटाबेस इत्यादि शामिल है।

अप्रैल 1996 से नवम्बर, 1996 तक 8 कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। अवर स्नातक छात्रों के लिए प्राणिविज्ञान विषय में प्रश्न बैंक संशोधित करके प्रकाशित किए गए।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रूपये लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	23·00	15·00	25·00
योजनेत्तर	15·00	15·00	15·00

×1· विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना

विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों के वेतनमान संशोधित करने की योजना की घोषणा सरकार द्वारा 22 जुलाई, 1988 को की गई थी। उस घोषणा को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अधिकांश राज्यों ने लागू किया है। जैसा कि इस योजना के अंतर्गत परिकल्पना की गई है, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए इसमें शामिल अतिरिक्त खर्च के 80 प्रतिशत की सीमा तक केन्द्रीय सहायता भी लगभग 22 राज्यों को मुक्त की गई है। भारत सरकार की सहायता 1·1·86 से 31·3·90 तक की अवधि के

के लिए है। कुछ राज्य सरकारों के बाकी दावों का वहन के लिए तदनुसार बजट प्रावधान किया गया है।

जैसा कि वेतनमान के संशोधन की योजना में परिकल्पना की गई हैं, लेक्चररों की नियुक्ति हेतु वि•अनु•आयोग द्वारा एक वर्ष में दो बार अखिल भारतीय आधार पर राष्ट्रीय अर्हता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। आयोग ने शिक्षकों के कार्य निष्पादन, मूल्यांकन और शिक्षकों की व्यावसायिक आचार-शास्त्र नियमावली हेतु दिशानिर्देश भी परिचालित किए हैं। विश्वविद्यालयों और कालेजों से दिशानिर्देशों को अपनाने का अनुरोध किया गया है।

आयोग ने नियुक्त किए गए नए शिक्षकों के प्रबोधन के लिए तथा मौजूदा शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों में 45 शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित किए हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं

§रू•लाखों में§

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेतर	190•00	190•00	190•00

×11• अध्ययन राष्ट्रमण्डल §सी•ओ•एल•§

अध्ययन राष्ट्रमण्डल की स्थापना 1988 में राष्ट्रमण्डलों की सरकारों के बीच "समझौता ज्ञापन" के जरिए की गई थी। भारत ने राष्ट्रमण्डल अध्ययन की स्थापना के लिए प्रारम्भिक योगदान के रूप में एक मिलियन §250 लाख रूपये§ देने का वचन दिया। 250•00 लाख रू• की पूर्व वचनबद्ध राशि का भुगतान अध्ययन राष्ट्रमण्डल को कर दिया गया है। वर्ष 1994-95 के दौरान भी 100 लाख रूपये की राशि भी अध्ययन राष्ट्रमण्डल को तदर्थ आधार पर मुक्त कर दी गई है। वर्ष 1995-96 के दौरान भी, 75 लाख रूपये तदर्थ आधार पर जारी की गई। वर्ष 1996-97 के दौरान तदर्थ आधार पर 110 लाख रू• जारी करने का प्रस्ताव है। व्यय विभाग तथा योजना आयोग की सलाह के अनुसार वर्ष 1997-98 से अध्ययन राष्ट्रमण्डल की योजना को योजनागत से योजनेत्तर में अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है। भारत 6 प्रमुख दानदाताओं में से एक होने के कारण, राष्ट्रमण्डल अध्ययन के शासी बोर्ड का एक सदस्य है।

अध्ययन राष्ट्रमण्डल ने अब तक शैक्षणिक सामग्रियों, दूर संचार एवं प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण सूचना सेवाओं तथा व्यावसायिक शिक्षा के कार्यकलापों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। भारत के संबंध में, अध्ययन राष्ट्रमण्डल द्वारा बताये गये उद्देश्यों में,

इ·गा·रा·मु·विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए एक संस्था की स्थापना में सहायता करना, अध्ययन दौरों आदि के लिए अध्येतावृत्ति पाठ्यक्रम, डिजाइन उपकरण में परामर्शदाता स्टाफ आदि के लिए अध्ययन दौरों और अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान करते हुए, राष्ट्रीय खुला विद्यालय की मदद करना, सिविल कर्मचारियों के लिए उपयुक्त दूरस्थ शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने में कार्मिक मंत्रालय की सहायता करना, मुक्त विश्वविद्यालयों और पत्राचार अध्ययन संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए बी·एड·कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सहायता करना है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु·लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	75·00	110·00	100·00
योजनेत्तर	-	--	120·00

×111· राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 में यथा-संशोधित और इसके कार्यान्वयन की कार्य योजना में सेवाओं में भर्ती के लिए, जिनके लिए विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यक योग्यता के रूप में जरूरत नहीं होती है, विश्वविद्यालय की डिग्रियों को हटाने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना इस प्रयोजनार्थ एक स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन:-

(क) उन विनिर्दिष्ट व्यवसायों के लिए, जिनके लिए, डिप्लोमा या डिग्रियों की योग्यता आवश्यक नहीं है, उम्मीदवारों की उपयोगिता को प्रमाणित करने के वास्ते स्वैच्छिक आधार पर परीक्षण करेगी।

(ख) ये परीक्षण उम्मीदवारों की इच्छा पर लिए जाएंगे और जिन्हें विनिर्दिष्ट व्यवसायों के लिए अर्हक प्रमाणित किया गया है, वे ऐसे पदों/सेवाओं के लिए किसी अन्य योग्यता के बिना नियुक्ति के पात्र होंगे।

(ग) विस्तृत व्यवसाय विवरण, व्यवसाय विश्लेषण इत्यादि के आधार पर परीक्षणों की श्रंखला तैयार करेगी ताकि व्यवसाय के लिए अपेक्षित ज्ञान, सक्षमता, दक्षता निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आवश्यक अभिरूचि का पता लगाया जा सके।

(घ) परीक्षण विकास, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण अंकन, कम्प्यूटर प्रणाली के अनुप्रयोग और विकल्प चिन्ह आदि पठन में राष्ट्रीय स्तर पर सुसज्जित संसाधन केन्द्र के रूप में काम करेगी।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू.लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	25.00	5.00	24.000

XIV प्रशासनिक निरीक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना

इस योजना के तहत विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन पहल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के खर्चों के उपयोग के लिए वित्तीय आवंटन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद्, प्रत्यायित परिषद्, राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन इत्यादि की स्थापना जैसी नवीन परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू. लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	1.00	1.00	1.00

XV. राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है। इसका पंजीकरण दिनांक 19 अक्तूबर को हैदराबाद में किया गया। इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

क) महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के आधार पर ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (यथा संशोधित 1992) में की गई परिकल्पना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को परिवर्तित करने वाली सूक्ष्म आयोजना की चुनौतियों को हाथ में लिया जा सके।

ख) गांधीवादी बेसिक शिक्षा तथा नई तालीम के कार्यक्रमों से जुड़ी संस्थाओं के नेटवर्क तथा इस दिशा में किए गए विकास कार्यों को समेकित करना,

ग) गांधीवादी शिक्षा दर्शन के अनुसरण में विकास करने के लिए अन्य शैक्षिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।// राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद मौजूदा ग्रामीण संस्थाओं को बढ़ावा देने/पुनर्गठित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर रही है ताकि नई योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इसने पोचमपल्ली में स्वामी रामानन्द तीर्थ ग्रामीण संस्थान की स्थापना किए जाने में प्रोत्साहन दिया। इसके लिए राज्य सरकार इसे 17 एकड़ भूमि अंतरित करने तथा वार्षिक व्यय का 15 प्रतिशत भाग वहन करने के लिए सहमत है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद ने स्वामी रामानन्द तीर्थ ग्रामीण संस्थान को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्रमशः 10.00 लाख तथा 100 लाख रु. की सहायता राशि (सीडमनी) प्रदान की गई है।

इस परिषद् को असम, बिहार, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में ग्रामीण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु. लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	300.00	300.00	375.00

घ· प्रौढ़ शिक्षा

1· निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजनाएं
(संपूर्ण साक्षरता अभियान)

संपूर्ण साक्षरता अभियान देश में निरक्षरता उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यनीति है। इसका लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 15-35 वर्ष की लक्षित आयु-वर्ग में 100 मिलियन (10 करोड़) व्यक्तियों को कार्यात्मक रूप से साक्षरता प्रदान करना है। औपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में 1-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल नहीं किया जा सका है, उन्हें संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत भी शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, न्यूनतम साझा कार्यक्रम दृष्टिकोण के अंतर्गत इस लक्ष्य को वर्ष 1998-99 के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण साक्षरता अभियान क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, स्वयंसेवा के आधार पर प्रदत्त, लागत प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी हैं। सामान्यतौर पर जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में गठित जिला साक्षरता समितियों द्वारा इनका कार्यान्वयन किया जाता हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा होने पर बाकी बचे हुए निरक्षरों को शामिल करने तथा संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान हासिल की गई साक्षरता की उपलब्धियों को समेकित करने के लिए उत्तर साक्षरता अभियान शुरू किया जाता है ताकि नवसाक्षर अपनी स्वशिक्षा के लिए अपनी योग्यताओं को विकसित कर सकें। ये अभियान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सामान्य जिलों के लिए 2:1 के अनुपात तथा जनजातीय उपयोजना वाले ब्लाकों के लिए 4:1 के अनुपात में जिला साक्षरता समितियों को सीधे तौर पर वित्तपोषण के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

अक्तूबर, 1996 तक, संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत 410 जिले तथा उत्तर साक्षरता अभियानों के अंतर्गत 169 जिले पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1996 तक संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत 26 जिले तथा उत्तर साक्षरता अभियानों के अंतर्गत 6 जिले स्वीकृत किये गए हैं। आशा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत 50 जिले तथा उत्तर साक्षरता अभियानों के अंतर्गत 40 जिले सम्मिलित कर लिए जाएंगे।

संपूर्ण साक्षरता अभियानों की विशेष रूप से हिन्दी भाषी राज्यों में प्रगति धीमी होने के कारण अपेक्षित संख्या में उत्तर साक्षरता अभियान के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के वित्त वर्ष की भौतिक/वित्तीय उपलब्धियां निम्नवत हैं:-

वर्ष	लक्ष्य (वार्षिक योजना)		उपलब्धियां	
	भौतिक (जिला सं.सा.अ./ उ.सा.अ.)	वित्तीय (करोड़ रु.)	भौतिक (जि.सं.सा.अ. उ.स.अ.)	वित्तीय (करोड़रु.)
वर्ष 1994-95	60/100	154.75	88/54	155.27
वर्ष 1995-96	60/100	120.00	63/33	100.00

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु0 लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	10,000.00	5000.00	5000.00

11. स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की योजना

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 15-35 वर्ष की आयु वाले प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने, जन शिक्षण निलयमों की स्थापना तथा उनका संचालन करने पुस्तकों/पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहायता उपलब्ध कराने तथा कार्यशाला, सेमिनारों और सम्मेलनों को आयोजित करकने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अक्तूबर, 1991 में इस योजना में संशोधन कर दिया गया था ताकि क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, परिणामोन्मुखी, स्वयंसेवक आधारित संपूर्ण साक्षरता अभियान तथा उत्तर साक्षरता अभियान की परियोजनाएं शुरू की जा सके।

इस योजना के अंतर्गत कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बशर्ते परियोजनाओं के क्षेत्र में उनकी परियोजना

की कुल लागत का प्रशासनिक खर्च 9 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। इस योजना को विकेन्द्रीकृत भी कर दिया गया है तथा परियोजनाओं को स्वीकृत करने, सहायता अनुदान संवितरित करने निगरानी तथा मूल्यांकन इत्यादि करने का दायित्व राज्य में राज्य संसाधन केन्द्रों जैसी प्रमुख स्वैच्छिक एजेंसियों को सौंपा गया है। राज्य संसाधन केन्द्रों के वित्तपोषण स्वरूप में वृद्धि कर दी गई है तथा राज्य संसाधन केन्द्रों को "क" ख" और "ग" श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान की परियोजनाएं केवल उन्ही क्षेत्रों में स्वीकृत की जा रही हैं जिन क्षेत्रों में जिला साक्षरता समितियों द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान उत्तर साक्षरता अभियान शुरू नहीं किए गए हैं। जनशिक्षण निलयमों को भी केवल उन्हीं क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिन क्षेत्रों में जिला साक्षरता समिति द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान शुरू न किया गया हो।

वर्ष 1995-96 के दौरान 92 स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई है।

इस समय विभिन्न राज्यों में 22 राज्य संसाधन केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा ये केन्द्र इन राज्यों में कार्य करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों/जिला साक्षरता समितियों को तकनीकी एवं शैक्षिक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू0 लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	1000.00	700.00	1000.00

111. प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनिक ढ़ांचे के सुदृढ़ीकरण की योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1978-79 में आरम्भ किया गया था ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे की मूलभूत आवश्यक सुविधाएं सृजित की जा सके और जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। केन्द्रीय अनुदान का तात्पर्य स्वीकृत किए गए स्टाफ की परिलब्धियों से संबंधित संपूर्ण व्यय पी.ओ.एल.(पोल) जैसे मदों से संबंधित व्यय, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय इत्यादि को शामिल करना है। आशा है कि राज्य/संघ क्षेत्र सरकार द्वारा इनका वहन किया जायेगा।

वर्ष 1995-96 के दौरान 14·00 करोड़ रू0 का प्रावधान था जिसमें वास्तविक तौर पर 11·00 करोड़ रू0 ही खर्च किया गया था।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू·लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	1800·00	1200·00	1520·00

iv· राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

==========

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन मई 1988में शिक्षा विभाग के एक स्वतंत्र तथा स्वायत्त स्कंध के रूप में कियागया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के पास एक परिषद् है तथा इसकी एक कार्यकारिणी समिति है जिसके अध्यक्ष शिक्षा सचिव हैं। संपूर्ण देश में संपूर्ण तथा उत्तर साक्षरता अभियान की परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए वर्ष 1994 में एक परियोजना अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। परिषद् वृहत नीतियां निर्धारित करती हैं और कार्यकारिणी समिति परिषद द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार प्राधिकरण के सभी कार्यों को कार्यान्वित करती है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सचिवालय के रूप में कार्य करता है तथा इस योजना के अंतर्गत जो परिव्यय निर्धारित किए गए हैं, उनमें से वह विभिन्न बैठकों में भाग लेने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों के व्ययों, कार्यशालाओं, साक्षरता संबंधी परिचर्चाओं को आयोजित करने तथा साक्षरता कार्यक्रमों में अध्ययन, अनुसंधान रिपोर्टों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा साक्षरता पर किए गए अन्य विविध व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू·लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	200·00	43·00	100·00

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना

==========

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना नामक प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र आधारित कार्यक्रम दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से समाप्त कर दिया गया था जब संपूर्ण साक्षरता अभियानों को अधिकाधिक जिलों में आरम्भ करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि इससे निरक्षरता उन्मूलन के लिए सही लागत पर समय बाधित कार्यनीति उपलब्ध होती है।

2. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना के संशोधित स्वरूप को जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों राजस्थान के सीमावर्ती राज्य और दादरा एवं नगर हवेली (जिनकी स्थलाकृति संपर्क एवं गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करती हैं) में आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्ष 1994-95 संशोधित योजना के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष है। वर्ष 1994-95 के दौरान असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मीजोराम, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर और राजस्थान में कार्यान्वयन के लिए 142 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना के कार्यान्वयन का निर्णय नहीं किया है किन्तु वह संपूर्ण साक्षरता अभियान का कार्यान्वयन कर रही है। वस्तुतः 56 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जो कि कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

3. वर्ष 1995-96 के दौरान कोई व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। 27,00,000/-रु0 की राशि केवल मौजूदा परियोजनाओं को प्रदान की गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान 90,000 लाख रु.के बजटीय आकलन की तुलना में जिसे घटाकर 40,000/-रु.कर दिया गया था। वर्ष 96-97 के संशोधित आकलन में व्यय का स्तर 33.00 लाख रु.है।

वित्तीय आवश्यकताएं

	बजट आंकलन 1996-97	संशोधित आंकलन 1996-97	बजट आंकलन 1997-98
योजनागत	90.00	40.00	100.00

4. नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा

नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा की योजना का अनुमोदन उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की पूर्व योजना के प्रतिस्थापन हेतु किया गया जिसे केन्द्र आधारित बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम के अनुवर्ती कार्यक्रम के तौर पर मार्च 1988 में आरंभ किया गया था। उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु जन शिक्षण निलयम प्रमुख उपकरण थे।

नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा की संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य सतत शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से सतत शिक्षा का संस्थागत तंत्र प्रदान है ताकि अध्येता अपनी आवश्यकतानुसार तथा अपने मूल ज्ञान और दक्षता को कार्यरूप दे सके तथा अपने मूल ज्ञान और दक्षता का प्रतिधारण कर सकें व उसमें सुधार ला सके और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्व-निर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से सतत अध्ययन को सुविधाजन बनाया जा सके। सतत शिक्षा केन्द्रों के अलावा लक्ष्य विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रावधान है उदाहरणार्थ अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से समता कार्यकम, दक्षता विकास/उन्नयन केंद्रों के माध्यम आय उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम, जीवन के स्तर में सुधार लाने वाले कार्यक्रम, इत्यादि।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से जिला स्तरीय जिला साक्षरता समिति द्वारा किया जा रहा है।

इस योजना के संबंध में कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं है। इस योजना का कार्यान्वयन उन जिलों में किया जाएगा जहां पूर्ण साक्षरता अभियान और साक्षरोत्तरता अभियान दोनों को ही पूरा कर लिया गया हो और पूर्ण साक्षरता अभियान का बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा।

वर्ष 1996-97 के दौरान 75.50 करोड़ रू0 की राशि योजना के अंतर्गत प्रदान की गई थी जिसका संशोधित रूप घटाकर 20.00 करोड़ रू0 कर दिया गया था क्योंकि चौथे एवं पांचवे वर्ष में संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य प्रशासनों द्वारा 50% वित्तीय सहायता प्रदान करने और कार्यान्वयन के आरम्भिक पांच वर्ष के पश्चात शत-प्रतिशत के आधार पर योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में को प्रतिबद्धता प्राप्त नहीं हुई थी।

5. वर्ष 1995-96 के दौरान नव-साक्षरों के लिए सतत शिक्षा की संशोधित योजना का कार्यान्वयन इसलिए संभव नहीं हो सका। क्योंकि इस योजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिसम्बर 1995 {वर्ष का अंतिम चरण} में प्राप्त नहीं हो सका। वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की पूर्व संशोधित योजना के अंतर्गत पूर्व संस्वीकृत और प्रचालनीय जन शिक्षण निलयम जारी रखे गये।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु0 लाख में)

	बजट आकलन 1996-97	संशोधित आकलन 1996-97	बजट आकलन 1997-98
योजनागत	7550.00	2500.00	2900.00

VII. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय**

==========

प्रौढ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का एक शैक्षिक तथा तकनीकी स्कन्ध है। यह देश में साक्षरता को बढावा देने से संबंधित कार्यकलापों का मार्गदर्शन तथा तत्संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। प्रौढ शिक्षा निदेशालय की प्रमुख भूमिका तथा कार्य निम्नव हैं:

× पाठ्यचर्या तैयार करना तथा दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

× बेसिक साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता के लिए पठन-पठन सामग्री तैयार करना।
× दिशा-निर्देश तैयार करना तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
× राज्य संसाधन केन्द्रों, श्रमिक विद्यापीठों राज्य के प्रौढ शिक्षा निदेशालयों, विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक एजेंसियों, मूल्यांकन तथा अन्य एजेंसियों को शैक्षिक एवं तकनीकी मार्गदर्शन करना तथा सहायता प्रदान करना।

× संचार तथा प्रचार माध्यम की सुविधा प्रदान करना।
× प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमोंके कार्यान्वयन की निगरानी करना।
× प्रौढ शिक्षा यू.एन.एफ.पी.ए. से सहायता प्राप्त परियोजना में जनसंख्या शिक्षा परियोजना को कार्यान्वित करना।

उपलब्धियां (1996-97)

==========

द्विभाषी साक्षरता मिशन पत्रिका का प्रति माह प्रकाशन और उसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस -96 के अवसर पर उसका विमोचन। 5 पुस्तकों नामतः "विमेन एण्ड लिटरेसी", "आवर होप्स एण्ड ड्रीम्स इन आवर वर्ड्स", लिटरेसी फैक्ट्स एट ए ग्लांस",टुवर्ड्स ए लिटरेट इंडिया" एवं "साक्षर" का मुद्रण एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा इनका विमोचन किया गया।

- "आओ एक दीप जलाएं" शीर्ष से प्रचलित सिनेमा गीतों के साथ एक घंटे के साक्षरता कार्यक्रम को तैयार किया गया तथा टाइम्स एफ॰एम॰ के माध्यम से इसे प्रसारित किया गया।
- सितम्बर, 1996 में दूरदर्शन-1 पर "अक्षरमाला" शीर्षक से एक साक्षरता पहेली का प्रसार किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष में समाचार पत्रों के माध्यम से आकर्षक विज्ञापनों का व्यापक प्रकाशन किया गया। विज्ञापनों का प्रकाशन कम्प्यूटरीकृत रेलवे टिकटों,लेखन सामग्री, डाक टिकटों और उन पत्रिकाओं में भी किया गया जो डी॰ए॰वी॰पी॰के पैनल पर नहीं थीं।
- निर्मित फिल्म की वी॰एच॰एस॰ प्रतियों को अभियान जिलों के 35 जिला कलेक्टरों, 15 एस॰आर॰सी॰, 4 एस॰वी॰पी॰,4 एस॰डी॰ए॰ई॰ और 31 स्वैच्छिक एजेंसियों को भेजा जाता है।
- नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा योजना पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला, एस॰आर॰सी॰निदेशकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन, लेखकों, कलाकारों की एक कार्याशाला, जन शिक्षा परियोजना और प्रौढ/जन संचार के निदेशकों के राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों पर एक मूल्यांकन कार्यशाला, जन शिक्षा क्रियाकलापों पर क्षेत्रीय कार्यशाला और नवसाक्षरों के लिए सामग्री की समीक्षा हेतु 8 आई॰पी॰सी॰एल॰बैठकों का आयोजन किया गया।

- निबंध,फोटो एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।
- अहमदाबाद में डी॰आर॰यू॰के प्रशिक्षकों के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान पर प्रबोधन कार्यक्रम।
- वर्ष के बचे हुए भाग में प्रबोधन कार्यशालाओं का आयोजन निर्धारित है
- दिनांक 8 सितम्बर, 1996 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया।

प्रौढ शिक्षा निदेशालय द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप जारी हैं और उन्हें वर्ष दर वर्ष और अधिक उत्साह और सुधार के साथ कार्यान्वित किया जाता है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू0 लाख में)

	बजट आकलन 1996-97	संशोधित आकलन 1996-97	बजट आकलन 1997-98
योजनागत	1096.00	1096.00	1350.00
योजनेत्तर	115.00	118.00	125.00

VIII. राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान

राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान की स्थापना सभी प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को शैक्षणिक, तकनीकी और अनुसंधान सहायता प्रदान करने

के उद्देश्य से दिनांक 1 जनवरी, 1991 को एक स्वायत्त निकाय के तौर पर की गई थी।

राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान को पूर्णतः कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है तथज्ञ यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संपूर्ण मार्गदर्शन में अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए उससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस संस्थान के पास एक सामान्य निकाय तथा एक कार्यकारी समिति है जो इसके दिन प्रतिदिन के कार्यों का निरीक्षण करती है। इस समय संस्थान मुख्य रूप से प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। यद्यपि मंत्रिमंडल ने प्रौढ शिक्षा निदेशालय का आमेलन राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान के साथ करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया था तथापि कुछ संकाय सदस्यों द्वारा रिट याचिका दायर किए जाने के कारण इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान का कार्यात्मक आमेलन प्रौढ शिक्षा निदेशालय में किए जाने संबंधी मामले को निपटने के लिए एक व्यक्ति समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान को वर्ष 1997-98 के दौरान भी जारी रखा जाएगा अथवा जब तक उसे जारी रखने के संबंध में निर्णय नहीं ले लिया जाता अथवा अन्यथा।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू. लाख में)

	बजट आ. 1996-97	सं.आ. 1996-97	बजट आ. 1997-98
योजनागत	75.00	20.00	50.00

jX. श्रमिक विद्यापीठ

श्रमिक विद्यापीठ योजना कामगारों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का एक कार्यक्रम है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, खानों बागानों, निर्माण तथा सेवा एककों तथा शहरी अर्धशहरी बागानों, खानों और औद्योगिक क्षेत्रों के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों तथा इन क्षेत्रों में उनके संभावित परिवार की शैक्षिक व्यावसायिक तथा काम-काज की बढती हुई जागृति का प्रतीक है।

यह योजना वर्ष 1967 में आरम्भ की गई थी। आठवीं योजना अवधि के दौरान, इस योजना को जारी रखने तथा संशोधित वित्तीय स्वरूप के साथ-साथ इस योजना को आगे बढाने के लिए विचार किया गया था। व्यय वित्त समिति द्वारा अगस्त, 1993 में इसका अनुमोदन कर दिया गया था। यह योजना प्रति वर्ष 5 श्रमिक विद्यापीठों की दर से बढाई जाएगी। अनावर्ती व्यय के लिए यह वित्तीय सहायता 1.50 लाख रू. से बढकर 3.00 लाख रू. कर दी गई है तथा आवर्ती व्यय के लिए वित्तीय सहायता 6.32 लाख रू. से बढकर 12.30 लाख रू. कर दी गई है। 5 वर्ष से अधिक समय से संचालित होने वाली तथा 5 वर्ष से कम अवधि से संचालित होने वाली प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ को 8.00 लाख रू. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उस समय से लेकर अब तक 15 स्वैच्छिक संगठनों की पहचान की गई और उनके तत्वाधान में नई श्रमिक विद्यापीठ स्वीकृत की गई है। इस समय देश के भिन्न-भिन्न भागों में राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/स्वैच्छिक एजेंसी/केन्द्रीय सरकार द्वारा 53 श्रमिक विद्यापीठें चलाई जा रही हैं।

नवीं योजनावधि के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से श्रमिक विद्यापीठ को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। प्रति वर्ष 20 नए श्रमिक विद्यापीठों तक इस योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव भी है। श्रमिक विद्यापीठ को कार्यालय प्रयोजनों तथा अध्येताओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए भवन अनुदान सेंस्वीकृत करने का प्रस्ताव भी है। अतः श्रमिक विद्यापीठ योजना के अंतर्गत बजट आवश्यकता में वृद्धि होगी।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु. लाख में)

	बजट आकलन 1996-97	सं. आकलन 1996-97	बजट आकलन 1997-98
योजनागत	495.00	495.00	500.00
योजनेत्तर	130.00	135.00	135.00

1॰ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली किन्तु निर्धन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना हैं ताकि वे अपने शैक्षिक भविष्य को संवार सकें।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है। इस मद पर होने वाला खर्च वर्ष 1989-90 के अंत तक निर्धारित स्तर से अधिक हो गया था। इस व्यय का वहन भारत सरकार करती है।

इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां योग्यता तथा आय के आधार पर प्रदान की जाती है। पोस्ट मैट्रिक स्तर पर ये छात्रवृत्तियां उन्हीं छात्रों को दी जाती हैं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 25,000/रू अथवा इससे कम होती है और स्नातकोत्तर स्तर पर आय की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

वर्ष 1991-92 के दौरान, आठवीं योजना अवधि के लिए योजना आयोग के अनुमोदन से छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 33000 से बढ़कर 38000 कर दी गई है। छात्रवृत्तियों की दरें 60 रू॰ प्रतिमाह से लेकर 300 रू॰ प्रतिमाह होती है जो शिक्षा तथा पाठ्यक्रम अध्ययन के स्तर पर निर्भर करती है। वर्ष 1997-98 के दौरान 38,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय आवश्यकताएं

§रू॰ लाख में§

	बजट आ॰ 1996-97	सं॰ आ॰ 1996-97	बजट आ॰ 1997-98
योजनागत	75॰50	45॰00	75॰00

11॰ राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

यह योजना जरूरतमंद तथा मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि वे बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह मेधावी छात्रों को व्यवसाय के रूप में शिक्षण कार्य अपनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी होगी। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

ये छात्रवृत्तियां योग्यता तथा आय के आधार पर प्रदान की जाती है। पोस्ट मैट्रिक स्तर पर ये छात्रवृत्तियां उन छात्रों को प्रदान की जाती हैं जिनके अभिभावकों की आय 25,000 रू॰ प्रतिवर्ष अथवा इससे कम हो, जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर आय की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। छात्रवृत्तियों की दरें 720/-रू॰ प्रतिमाह से लेकर 1750/-रू॰ प्रतिमाह है जो उनके अध्ययन पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है।

इस योजना के मौजूदा स्वरूप को वर्ष 1991-92 से समाप्त कर दिया गया है। और इस समय इस योजना को संशोधित किया जा रहा है।

(रु.लाख में)

वित्तीय आवश्यकताएं

	बजट आ. 1996-97	संशोधित आ. 1996-97	ब.आ. 1997-98
योजनेत्तर	100.00	--	782.00

111. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वसूल न किए जाने योग्य ऋणों और अग्रिमों को रद्द करना।

इस योजना के अंतर्गत ये ऋण उन छात्रों के संबंध में रद्द कर दिए जाते हैं जो (1) ऋण चुकाने के पूर्व ही दिवंगत हो जाते हैं अथवा विकलांग हो जाते हैं अथवा जीविकोपार्जन करने में अक्षम हो जाते हैं (2) जो छात्र शिक्षण व्यवसाय में रक्षा सेवाओं में लड़ाकू सैनिक के रूप में देश की सेवा करते हैं। बाद वाले मामले में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करने पर प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए मूल ऋण के दसवें भाग की छूट तब तक दी जाती है जब तक संपूर्ण राशि पूरी नहीं हो जाती है।

छठे वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 1974 के पूर्व के समेकित ऋणों की वापसी में होने वाले किसी कमी के मामलों में छात्रों से वसूल किए जाने योग्य ब्याज समेत की गई वसूली के 50 प्रतिशत राशि को राज्य सरकारों को अपने पास रखने की अनुमति दी गई है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उनके द्वारा केन्द्र सरकार के खाते में जमा कराना आवश्यक है। राज्य सरकारों को 50 प्रति. सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है ताकि केन्द्र को ऋणों की अदायगी में उनके दायित्वों को कम किया जा सके।

(रु. लाख में)

वित्तीय आवश्यकताएं

	ब.आ. 1996-97	सं.आ. 1996-97	ब.आ. 1997-98
योजनेत्तर	10.20	10.20.	10.20

IV. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के संभाव्य प्रतिभाशाली बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्ति कक्षा 6 के स्तर पर आरंभ होती है और (+2) स्तर सहित माध्यमिक स्तर तक जारी रहती है।

इस योजना का कार्यान्वयन,राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है जो वित्त आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्तर तक व्यय का वहन करेंगे। इस समय राज्य सरकारों का दायित्व 1989-90 के अंत तक हुए व्यय स्तर तक है और इस स्तर के ऊपर होने वाले व्यय की पूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। छात्रवृत्ति दर निम्न प्रकार से है:

(क) छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए 100 रूपए प्रतिमाह।
(ख) दिवा छात्र (कक्षा 11 और 12) 60 रू॰ प्रतिमाह।
(ग) दिवा छात्र (कक्षा6/8 से 10) 30 रू॰प्रतिमाह और अध्ययन शुल्क जहां लगाया गया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1991-92 के दौरान छात्रवृत्तियों की संख्या 38,000से बढ़कर 43,000 कर दी गई है।

वर्ष 1995-96 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सामुदायिक विकास ब्लाक को एकक के रूप में लेते हुए 43,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है। श्रेणीवार वितरण निम्न प्रकार से है

सामान्य श्रेणी-प्रति सामुदायिक विकास ब्लाक 4 छात्रवृत्तियां।
भूमिहीन-श्रमिकों के बच्चे-प्रति सामुदायिक विकास ब्लाक 2 छात्रवृत्तियां।
अनुसूचित जाति के बच्चे-प्रति सामुदायिक विकास ब्लाक 2 छात्रवृत्तियां और 20 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले सामुदायिक विकास ब्लाक के लिए एक अतिरेक्त छात्रवृत्ति।
अनुसूचित जनजाति के बच्चे-प्रति जनजातीय सामुदायिक विकास ब्लाक 3 छात्रवृत्तियां।

वर्ष 1996-97 के दौरान उतनी ही 43,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रू॰)

	बजट आ॰ 1996-97	सं॰आ॰ 1996-97	बजट आ॰ 1997-98
योजनागत	39.50	25.00	40.00

हिन्दी में मैाटकोत्तर अध्ययन के लिए गैर-हिन्दी भाषा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियों की सहायता अनुदान योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गैर- हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को शिक्षक व अन्य पदों के लिए "जहां हिन्दी का ज्ञान आवश्यक हो" उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत गैर- हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हिन्दी में मैाटकोत्तर अध्ययन जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। पूर्व वर्ष के समान, वर्ष 1995-96 के लिए भी इस योजना के अंतर्गत गैर- हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए ऐसी 2500 नई छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई है। यह योजना तामिलनाडु को छोडकर राज्य तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा चलाई जाती है तथा जहां छात्रवृत्ति की अदायगी मंत्रालय द्वारा संस्था के प्रमुखों के माध्यम से की जाती है।

वर्ष 1996-97 से आगे यह योजना जारी रहेगी।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रूपए लाख में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	1996-97	1996-97	1997-98
योजनेतर	34·10	25·10	25·10

VI. मान्यता प्राप्त आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य कम आय वर्ग वाले ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है जो अच्छे आवासी स्कूलों में पढने के अवसर प्राप्त नहीं कर सकते। हर वर्ष 11-12 आयु वर्ग के 500 छात्र जिनके अभिभावकों/संरक्षकों का वार्षिक आय 25,000 रूपए से अधिक नहीं है, इस योजना के अंतर्गत चुने जाते है। वर्ष 1992-93 के आगे छात्रों का चयन नहीं किया जाएगा किन्तु इस समय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों के योजना के प्रावधान के अनुसार +2 स्तर की शिक्षा पूरी होने तक छात्रवृत्ति दी जाएगी । इस योजना को 1997-98 में संशोधित किया जाएगा।

यह छात्रवृत्ति माध्यमिक शिक्षा एवं +2 स्तर तक की शिक्षा तक होगी। इसमें स्कूल का शुल्क (आवास और भोजन सहित), पुस्तकें और लेखन सामग्री भत्ता, वर्दी और वस्त्र भत्ता, वर्दी और वस्त्र भत्ता, जेब खर्ची, यात्रा भत्ता, भ्रमण भत्ता और स्कूल के अन्य अनिवार्य प्रभार भी सम्मिलित होंगे।

वित्तीय आवश्यकता

(रू0लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेतर	70.00	70.00	2.00

vii · विदेश मे भारतीय राष्ट्रकों को उच्च अध्ययनों के लिए विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियां

उच्च अध्ययनों/विशिष्ट प्रशिक्षणों के संबंध में विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों आदि के लिए भारतीय अध्येताओं का चयन किया जाता है। विदेश के खर्च तथा अनेक मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों, गैर- सरकारी सदस्यों/विशेषज्ञो जिन्हें उम्मीदवारों को साक्षात्कार छंटनी के लिए चयन समिति की सहायता के लिए बुलाया गया है का यात्रा भत्ता /महंगाई भत्ता वहन किया जाता है और उन उम्मीदवारों को जिनकी छात्रवृत्ति की शर्त में यात्रा भत्ता शामिल है, उन व्यक्तियों के संबंध में यात्रा भत्ता वहन करती है वर्ष 1996-97 में 66 छात्रवृत्तियां का प्रयोग किया गया है। इस वर्ष के दौरान 75 और छात्रवृत्तियां का प्रयोग किए जाने की संभावना है। वर्ष 1997-98 के दौरान लगभग 200 छात्रवृत्तियां प्राप्त होने की संभावना है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु0लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेतर	25·00	30·00	30·00

viii) विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वर्ष 1990 से बन्द कर दी गई थी। अतः कोई भी छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई। तथापि, पहले चुने गए अध्येताओं के अध्ययन का व्यय वहन करने के लिए बजट प्रावधन किया जा रहा है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू0लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेतर	25·00	20·00	15·00

च. पुस्तक संवर्धन

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का स्थापना पुस्तकों तथा उनके पढने की आदत को बढावा देने के लिए वर्ष 1957 में की गई थी। यह अंग्रेज़ी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में अलग-अलग विषयों में विभिन्न आयु के वर्गों के आम पाठकों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करता है। सातवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने आदान प्रदान, नेहरू बाल पुस्तकालय, आर्थिक सहयोग योजना जैसी योजनेत्तर और योजनागत प्रकाशन योजनाओं और उत्तर साक्षरता शिक्षा और प्राचीन ग्रन्थों के लिए प्रकाशन में 1931 पुस्तकें प्रकाशित की। वर्ष 1994-95 के दौरान 601 पुस्तकें प्रकाशित हुई और वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान 542 पुस्तकें प्रकाशित हुई। सम्भावना है कि न्यास 600 पुस्तकों के प्रकाशन का लक्ष्य पूरा कर लेगा।

प्रकाशन में सहायता

सातवीं योजनावधि के दौरान विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकें और डिप्लोमा स्तर की तकनीकी पुस्तकों जैसी उच्च शिक्षा क्षेत्रों के लिए 106 पुस्तकों को सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान 34 पुस्तकों को सहायता प्रदान की गई। वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से वर्ष 1995-96 के दौरान 15 पुस्तकों को सहायता प्रदान करने के लक्ष्य की अपेक्षा केवल 8 पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता दी गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 10 पुस्तकों के प्रकाशन के लक्ष्य को पूरा किए जाने की संभावना है।

पुस्तक संवर्धन

यह न्यास पढने की आदत को बढावा देने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाएं, पुस्तक प्रदर्शनियां तथा मेले इत्यादि आयोजित करता है। सातवीं योजना अवधि के दौरान इस न्यास ने 8 बाल पुस्तक मेले आयोजित किए और 48 क्षेत्रीय पुस्तक पर्व, 7 कार्यशालाओं और 3 राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भग लिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान इस न्यास ने 328 के लक्ष्य की तुलना में 394 बाल पुस्तक मेलों, क्षेत्रीय पुस्तक पर्व/कार्यशालाओं इत्यादि में भग लिया और आयोजित किया। इस तरह लक्ष्य से भी अधिक कार्य किया गया। वर्ष 1995-96 के दौरान इस न्यास ने दिल्ली की विभिन्न बास्तियों में बाल पुस्तक मेलों की 44 प्रदर्शनियाँ आयोजित की तथा उडीसा के विभिन्न जिलों में चुनिन्दा उडिया प्रकाशनों की 20 प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र

भारत की सभी भाषाओं में बाल साहित्य को बढावा देने के लिए एक प्रमुख एजेन्सी

के रूप में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र की स्थापना की गई है। वर्ष 1995-96 के दौरान, पाठक क्लब स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में पंजीकृत पाठक क्लब की संख्या 2600 से बढकर 4675 हो गई । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, लोक जुम्बिश परिषद के सहयोग से राजस्थान के 25 ब्लाकों में पठन को बढावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

नेहरू भवन

इन्स्टीट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज, फेज 2 में इस न्यास ने अपने कार्यालय की इमारत के लिए 1 हेक्टयर भूमि के एक प्लाट को प्राप्त कर लिया है और एक वास्तुकार को डिजाइन तैयार करने का कार्य सौंप दिया गया है और भवन के निर्माण कार्य की तैयारी शुरू की जा रही है। भवन की उँचाई के संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इण्डिया से अनुमति ली गई है तथा भवन निर्माण के लिए दिल्ली शहरी कला आयोग से भी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक जाँच करने के पश्चात, भवन निर्माण के प्रस्ताव को अनुमति के लिए चीफ फायर आफीसर को भेजा गया। चीफ फायर आफीसर की स्वीकृति एक माह के अन्दर मिलने की सम्भावना है, इसके पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी अनन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, विस्तृत अनुमान तैयार कर रहा है। इन अनुमानों के पश्चात् ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। भूमि स्थल पर कुछ विशेष कार्य आरम्भ किए गए है।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला

इस न्यास द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित किया जाने वाला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला एशिया तथा अफ्रीका में सबसे बडा मेला है। इस मेले ने न केवल भारत के लोगों को ही अपितु अन्य देशों जिनमें प्रकाशन उद्योग पराकाष्ठा पर है, के लोगों को भी आकर्षित किया। फरवरी, 1996 में नई दिल्ली में आयोजित 72वें विश्व पुस्तक मेले का मुख्य आकर्षण दक्षिण अफ्रीका था इस मेले में 1135 व्यक्तियों ने भाग लिया राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा फरवरी, 1998 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेले का मुख्य आकर्षण दक्षिण पूर्व एशिया होगा।

पुस्तक निर्यात संवर्धन की गतिविधियां

वर्ष 1992-93 से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को पुस्तक निर्यात संवर्धन गतिविधियों का कार्य दायित्व सौंपा गया है। विदेशों में भारतीय प्रकाशनों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेता है तथा विभिन्न भारतीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित चुनिन्दा प्रकाशनों की विशेष प्रदर्शनियाँ भी आयोजित करता है। न्यास के पुस्तक संवर्धन कार्यकलापों में मुख्य ध्यान दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका पर दिया गया। वर्ष 1995-96 के दौरान, इस न्यास ने छः अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया तथा बंगलादेश, मिश्र,

जर्मनी, मारीशस/पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका (दो प्रदर्शनियां) तथा जिम्बाब्वे में प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, न्यास ने बोलोना (इटली), नैरोबी (कीन्या), हरारे (जिम्बाब्वे) फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) अकरा (घाना) तथा कोलम्बो (श्रीलंका) में आयोजित पुस्तक मेलों में भाग लिया तथा जकार्ता (इण्डोनेशिया) में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। रूस में भारतीय संस्कृति दिवस के दौरान, मास्कों में भारतीय पुस्तकों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। न्यास, ढाका (बंगलादेश) तथा केरो (मिश्र) में आयोजित होने वाले पुस्तक मेलों में भग लेगा। फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले के दौरान, दो गोल मेज बैठकों का आयोजन, इस वर्ष की मुख्य उपलब्धि रही ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रूपए लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	189·00	248·00	409·00
योजनेतर	300·00	305·00	320·00

11. राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् को अनुदान प्रदान करना

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद एक सलाहकार निकाय है। यह पुस्तक उद्योग के विकास के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए 1967 में स्थापित की गई थी । इस परिषद की अवधि नवम्बर, 1993 में समाप्त हो गई और इस परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव और इस परिषद के सदस्यों का नामांकन अभी भी मानव संसाधन विकास मंत्री के विचाराधीन है। इस नई निकाय को राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद कहा जाएगा। और यह पुस्तकों के लेखन/लेखक को कवर करने, पुस्तकों का लेखन, प्रकाशन और बिक्री, मूल्य और कापीराइट, पुस्तकों को पढने की आदत का विकास करने विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनसंख्या के विभिन्न वर्गों तक पुस्तकों को पहुंचाने और सामान्य रूप से भारतीय पुस्तकों के स्तर और सार के साथ-साथ पुस्तक प्रोन्नति के सभी मुख्य पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को सुकर बनाने के लिए सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी।

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इस योजना के लिए 20.00 लाख रु0 का कुल प्रावधन है। कुछ भी खर्च नहीं किया गया क्योंकि इस परिषद को पनर्गठित किया जा रहा है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु0 लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	2.00	2.00	2.00

III · पुस्तक संवर्धनात्मक कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्राप्त करना

इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक सम्मेलनों, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि को आयोजित करने के लिए पुस्तकों को संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है। उक्त कार्यकलापों के लिए स्वीकृत व्यय के 75% भाग का वहन मंत्रालय करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत 3·86 लाख रु0 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक यह योजना आर्थिक उपायों के रूप में वित्त मंत्रालयों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की बजह से इस योजना को कार्यान्वित करना रुक गया। तथापि, नए संगठनों को इस प्रतिबंध में छूट देकर विशेष मामलों के रूप में अनुदान दिया गया था। तब से वित्त मंत्रालय ने 1·4·94 से इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। वर्ष 1995-96 के दौरान 2·60 लाख रु0 का संपूर्ण प्रावधान उपयोग किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में आर्थस गिल्ड आफ इण्डिया को 0·52 लाख रु0 की राशि प्रदान की गई तथा भारतीय लेखक संघ को 0·41 लाख रु0 की राशि प्रदान की गई। चूंकि अनुदान तदर्थ आधार पर दिया जाता है अतएव कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता । आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए कुल 30·00 लाख रु0 का परिव्यय रखा गया है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु0 लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	5·00	5·00	5·00

17 अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट संघः भारत का वीपो (योजनेतर) को सहयोग

भारतीय साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन का सदस्य है। यह सम्मेलन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा द्वारा आयोजित किया जाता है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ (प्रणाली) की एक विशिष्ट एजेंसी है। उपर्युक्त सम्मेलन का सदस्य होने की वजह से भारत समय समय पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा निर्धारित वार्षिक अंशदान देता है। वीपों को भारत का सहयोग योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1996-97 के 40·00 लाख रूपए के बजट प्रावधान में से 31·29 लाख रू0 की राशि प्रयुक्त की गई। यह राशि 112623 स्विस फ्रैंक्स को विदेशी विमुद्रा में बदलने के लिए भारतीय अंशदान के रूप में प्रयुक्त की गई थी। इस दर में भिन्नता का मुख्य कारण, विनिमय की दर में गिरावट आना है। दर में गिरावट, भुगतान के समय प्रत्याशित नहीं थी।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू0 लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेत्तर	40·00	31·29	40·00

राष्ट्रीय लेखक संघ (योजनागत)

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, लेखकों तथा अन्य सर्जक व्यक्तियों के हितों तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए सामूहिक संगठन के रूप में राष्ट्रीय लेखक संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। जब यह प्रस्ताव विचाराधीन था, उसी समय कापीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के प्रयास किए गए। कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1994 में लेखकों के विभिन्न वर्गों के लिए पृथक कापीराइट सोसायटी की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। तथापि, राष्ट्रीय लेखक संघ की स्थापना का विचार छोड दिया गया तथा प्रस्तावित बजट प्रावधान को स्थापित की गई नई कापीराइट सोसायटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। स्थापित की जाने वाली नई सोसायटियों (विद्वानों, लेखकों, कलाकारों आदि) को कापीराइट कार्य के लिए प्रारम्भिक स्तर पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत हो सकती है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु0 लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेत्तर	2·00	2·00	2·00

छ. हिन्दी का विकास

1. आहंदी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति

भारत सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही (1) हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा (2) आहंदी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलने सुदृढ करने की योजनाओं के तहत त्रिभाषा सूत्र लागू करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण के लिए आहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना मे इन योजनाओं को "हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण" नामक एकल योजना में मिला दिया गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान इसी पैटर्न के आधार पर लगभग 1521 हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति/अनुरक्षण तथा हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढाने के लिए आहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता जारी रही।
वित्तीय आवश्यकताएं

(रु0 लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	250.00	450.00	300.00

।। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण, आगरा

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। यह मंडल अपने तत्वावधन में "केन्द्रीय हिंदी संस्थान" नामक एक संस्थान का संचालन करता है। इस संस्थान को सम्बद्ध शैक्षिक क्षेत्र में द्वितीय विदेशी भाष के रूप में हिंदी में शिक्षण तथा शोध करने के लिए तथा शिक्षण एवं अनुवाद में प्रायोगिक हिन्दी भाषा विज्ञान के प्रयोग के लिए इस संस्थान को उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

संस्थान ने भारत और विदेशों में छात्रों के लिए 18 भिन्न भिन्न प्रकार के हिन्दी शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए, इसके अन्तर्गत 850 छात्र प्रशिक्षित किए गए। विश्वविद्यालयों/कालेजों के हिन्दी शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत 50 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत 111 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।इसी प्रकार 300 से भी अधिक शिक्षकों को संवर्धनात्मक पाठ्यक्रम तथा कुशलपरक पाठयक्रम प्रशिक्षण पाठयक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया। संस्थान ने नागालैण्ड के छात्रों के लिए हिन्दी में दो पाठय पुस्तकें तैयार की हैं तथा यह हिन्दी शिक्षण की अनुसंधान प्रक्रिया की दिशा में द्वितीय एवं तृतीय भाषा के रूप में निरन्तर कार्य कर रहा है। विदेशी छात्रों के लिए भाषा दक्षता प्रायोगिक कार्य भी प्रगति पर है। संस्थान द्वारा एन ए वी ए आर डी लखनऊ के कर्मचारियों के लिए दूरस्थ हिन्दी शिक्षण माडॅल्स परियोजना का कार्य भी उन्नति पर है। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल गोवा सरकार की भी हिन्दी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में सहायता कर रहा है। नागालैण्ड, मिजोरम, अण्डमान एवं निकोबार, उडीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तथा भारत के अन्य राज्यों हिन्दी शिक्षुओं के लिए दृश्य -श्रव्य साधनों के लिए भाषा प्रौद्योगिकी विकसित की हैं। संस्थान ने अहिन्दी भाषीयों के लाभार्थ कम्प्यूटरों पर सुधारक पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान, 13 हिन्दी अध्येताओं को पुरस्कृत किया गया था।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु0 लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	117·00	128·00	200·00
योजनेत्तर	240·00	225·60	247·00

III. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना मार्च, 1960 में इस मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में हुई थी। तब से ही निदेशालय हिंदी की प्रोन्नति तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

यह निदेशालय, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित द्विभाषी, त्रिभाषी तथा बहुभाषी शब्दकोश तैयार करने के काम में लगा हुआ है। अब तक इस निदेशालय ने हिंदी भाषा पर आधारित 13 द्विभाषी तथा 30 अन्य द्विभाषी तथा त्रिभाषी शब्दकोश तैयार किए हैं। चैक-हिंदी, जर्मन-हिंदी, हिंदी-चीनी, हिंदी-अरबी, हिंदी-फ्रेंच तथा हिंदी-स्पैनिश शब्दकोष पूर्ण कर लिए गए हैं। इस निदेशालय ने अहिंदी भाषी भारतीय छात्रों के लिए 11 वार्तालाप निर्देशिकाएं तथा विदेशियों के लिए एक हिंदी प्रारंभिकी (चार भागों में) भी प्रकाशित की है। पड़ौसी देशों की भाषाओं का एक द्विभाषी शब्दकोष तैयार करने के लिए एक परियोजना भी आरंभ की गई है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

यह निदेशालय स्वैच्छिक हिंदी संगठनों की योजना तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और हिंदी प्रकाशनार्थ वित्तीय सहायता की योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के प्रसार तथा विकास में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत है। इसमें निदेशालय द्वारा हिंदी शिक्षण, हिंदी आशुलिपि तथा टंकण, हिंदी पुस्तकालय चलाना इत्यादि शामिल है। शिक्षकों के प्रशिक्षण, हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन, भवनों के निर्माण, शिक्षण सामग्री तैयार करने तथा उसके प्रकाशन परीक्षाओं के आयोजन, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए भी अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। हिंदी के संवर्धन के लिए हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन तथा खरीद के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों को सीमित वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान, इन योजनाओं के अंतर्गत 154 संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 19 पांडुलिपियों का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त, हिंदी की 24 कृतियों की खरीद का अनुमोदन भी किया गया।

यह निदेशालय अहिंदी भाषी भारतीयों को द्वितीय तथा विदेशी भाषा के रूप में शिक्षा प्रदान कर रहा है तथा विदेशियों को पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए अंग्रेजी माध्यम से तमिल, मलयालम तथा बंगला के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 3·25 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

निदेशालय द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाएं इस प्रकार हैं: अहिंदी भाषी राज्यों के हिंदी लेखकों को पुरस्कार §।।§ अहिंदी भाषी राज्यों में कार्यक्रमों का विस्तारीकरण, §।।।§ अहिंदी भाषी राज्यों में स्थित पुस्तकालयों/स्कूलों/कालेजों को हिंदी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, 7।।/§ एक अर्द्धमासिक साहित्यिक पुस्तिका "भाषा" का प्रकाशन।

निदेशालय के 4 क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता तथा गुवाहाटी में भी स्थित हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं:

§रु·लाखों में§

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	252·00	289·00	460·00
योजनेतर	267·00	289·00	310·00

11/· वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में एकरूप शब्दावली विकसित करने तथा विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने, पूरक पुस्तिकाओं तथा अन्य संदर्भ साहित्य तैयार करने के लिए अक्तूबर, 1961 में की गई थी। जिससे विश्वविद्यालयों में शिक्षण माध्यम से इस आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

शब्दावली

हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली को विकसित करना।

आयोग ने 35 वर्ष की कार्य अवधि के दौरान, सभी विषयों आधारभूत विज्ञान से औषधि, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी में तकनीकी शब्दों का संग्रह का विकास किया है। तकनीकी शब्दों की एक संशोधित तथा व्यापक संस्करण वर्ष 1991 में प्रकाशित किया था जिसमें औषधि विज्ञान, भेषजी तथा मानव विज्ञान के लगभग 50,000 शब्द समाहित हैं, इसी प्रकार, उसी वर्ष में कृषि विज्ञान, सारगर्भित कृषि शब्दावली का एक संशोधित तथा विस्तृत संस्करण प्रकाशित किया गया।

तकनीकी शब्दावली

आयोग ने अध्ययन के सभी विषयों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग, औषधि, कृषि, पशु विज्ञान तथा विभागीय शब्दावली जैसे सेना, राजस्व, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इत्यादि से संबंधित अब तक लगभग 5·5 लाख वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों का विकास एवं प्रकाशन किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, मनोविज्ञान, लोक-प्रशासन, रसायन इंजीनियरिंग, पेट्रोलोजी, खान एवं भू-विज्ञान, पशु विज्ञान, सेल-बायोलाजी, चमड़ा प्रौद्योगिकी इत्यादि विषयों में शब्दावलियां तैयार की गई। शब्दावली तैयार करना वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का निरंतर चलते रहने वाला कार्य है तथा आजकल अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रशासन तत्व तथा अन्य वैज्ञानिक विषयों को आधुनिक बनाने का कार्य चल रहा है।

पारिभाषिक शब्दकोष

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने विभिन्न विषयों में 52 पारिभाषिक शब्दकोष प्रकाशित किए हैं, जिससे विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा छात्र इसे संदर्भ सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त 18 अन्य पारिभाषिक शब्दकोष तथा शब्द संग्रहों का प्रकाशन कार्य चल रहा है तथा जिसकी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तैयार होने की संभावना है। इन पारिभाषिक शब्दकोषों में लगभग सभी मौलिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी तथा पुरातत्व विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसे विशिष्ट विषयों को शामिल किया गया है। भाषा विज्ञान, धातु विज्ञान, सैल, बायोलोजी, पादप विज्ञान, कीट विज्ञान, कोशिका अनुवांशिकी जैसे विशिष्ट विषयों में पारिभाषिक शब्दकोषों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है।

पन-इंडियन शब्दावली

यह परियोजना राज्य पुस्तक निर्माण बोर्डों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिन्हें विशेष विशेषज्ञों को मनोनीत करने का निवेदन किया जाता है, जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में मौलिक शब्दों के समतुल्य संबंधित क्षेत्रीय भाषा का पूर्ण ज्ञान रखते हों। इस परियोजना के अंतर्गत कुछ हजार पन इंडियन समतुल्यों की पहचान की गई तथा अब तक 19 पन इंडियन शब्दकोषों का प्रकाशन किया।

राष्ट्रीय शब्दावली बैंक

आयोग ने कंप्यूटर आधारित राष्ट्रीय शब्दावली कोश तैयार किया ताकि रचना के काम के आधुनिकीकरण करने तथा डाटाबेस बनाने वाले पारिभाषिक शब्दों के प्रयोगकर्ताओं के लिए अद्यतन तकनीकी शब्दों के प्रचार को सुसाध्य बनाया जा सके। अब तक इस बैंक के डाटाबेस में 2·5 लाख तकनीकी शब्दों को डाला गया है। 2·5 लाख शब्दों के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

प्रशासनिक एवं विभागीय शब्दकोश

आयोग ने लगभग 12000 शब्दों को समाहित कर एक समेकित शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी) प्रशासनिक शब्दावली तैयार की है।

आयोग भारत सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली हिंदी के समतुल्य शब्दकोश काफी पहले से प्रदान करता रहा है। अब तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने रेलवे, सेना, खेल, पोस्ट एवं टेलिग्राफ, राजस्व, अंतरिक्ष विज्ञान तथा खान इत्यादि से संबंधित विभिनन शब्दकोश प्रकाशित किए हैं।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करना

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग को उन सभी 15 भाग लेने वाले राज्यों के कार्य की प्रगति का समन्वय तथा निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन हेतु हिंदी ग्रंथ एकेडमी तथा राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड की स्थापना की हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी में लगभग 2950 पुस्तकें तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में 8800 पुस्तकें तैयार की हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने अपने सीधे नियंत्रण के अंतर्गत इंजीनियरिंग में 85 पुस्तकें, औषधि में 76 तथा कृषि विज्ञान में 235 पुस्तकें तैयार की हैं।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

हिंदी में वैज्ञानिक लेखन की एक समुचित पद्धति के विकास में सहयोग देने की दृष्टि से तथा ज्ञान के विभिनन क्षेत्रों से संबंधित आधुनिक जानकारी प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग वर्ष 1986 से विज्ञान गरिमा सिंधु नामक एक तिमाही पुस्तिका का प्रकाशन कर रहा है। अब तक 18 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा 19 वां प्रकाशनार्थ प्रेस में है।

कार्यशालाओं का आयोजन

शिक्षा के उच्च स्तरों पर भारतीय भाषाओं को अपनाने में आने वाली बाधाओं में से एक यह है हमारे अधिकांश शिक्षकों की हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं पर पर्याप्त अधिकार नहीं है। हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं में तकनीकी विषयों पर लेक्चर देने में सक्षमता प्रदान करने के लिए तथा जो क्लास रूम लेक्चर में स्तरीय शब्दावली के प्रयोग से अनभिज्ञ है, उनके लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्दावली के प्रयोग के समान निर्देश देने तथा हिंदी माध्यम से संबंधित विषयों में शिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षकों की मौखिक दक्षता में सुधार करने के लिए शब्दावली अभिमुख कार्यशला कार्यक्रमों का आयोजन किया। अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 5 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इस वर्ष ऐसी 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें लगभग 300 अधिकारियों/शिक्षकों ने भाग लिया।

प्रदर्शनियां

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग समय-समय पर पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करता है, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रकाशनों के साथ विभिन्न हिंदी ग्रंथ एकेडेमियां भी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाती हैं। प्रदर्शनी के दौरान इन पुस्तकों की बिक्री भी की जाती है।

नई योजनाएं

एक बैठक का आयोजन किया गया तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख अध्येताओं तथा वैज्ञानिकों के साथ काफी विचार विमर्श के पश्चात वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में निम्नलिखित नई योजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया:

1. दृश्य श्रव्य प्रयोगशालाओं की स्थापना।

2. आयोग द्वारा विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हुए किसी विज्ञान में हिंदी में थिसीस लेखन को पुरस्कार।

3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आयोग की सहभागिता तथा आयोजन।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु. लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	65.00	50.00	65.00
योजनेतर	65.40	65.40	65.40

छ. आधुनिक भारतीय भाषाओं का संवर्धन

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना उर्दू भाषा की प्रोन्नतात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के परिवर्तन द्वारा हुई।

उर्दू तरक्की बोर्ड का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों से जानकारी प्राप्त करने के लिए उर्दू में शैक्षिक साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन करना है, जिसमें बाल-साहित्य, सामान्य विज्ञान, उर्दू विश्व कोश, विभिन्न विषयों में परिभाषित शब्दों के निर्माण के लिए अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश, पुस्तक प्रकाशन तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता तथा देश के विभिन्न भागों में उर्दू सुलेख प्रशिक्षण केन्द्र योजना कार्यान्वित करना भी शामिल है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु. लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	100.00	100.00	227.00

11. सिंधी भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद

सिंधी भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद बड़ोदरा में मुख्यालय के साथ एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना की गई। सेमिनारों का आयोजन, कार्यशालाएं, सिंधी भाषा में दुर्लभ पुस्तकों का प्रकाशन, सिंधी भाषा में अन्य भाषाओं/साहित्य का अनुवाद, सिंधी भाषा में तकनीकी शब्दावली का संग्रह, भाषा संवर्धन योजनाओं का कार्यान्वयन, कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टोर एवं उपस्कर की खरीद इत्यादि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो वर्ष के दौरान परिषद के लिए पूर्वानुमानित थीं।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु. लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	60.00	1.00	80.00

11. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र

केन्द्रीय भाषा संस्थान की स्थापना 17 जुलाई, 1969 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत सरकार की भाषा नीति को विकसित करने तथा कार्यान्वित करने में सहायता करना और भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करना है। संस्थान को भाषा विश्लेषण भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी तथा समस्याओं के समाधान के लिए भाषा का प्रयोग तथा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में अनुसंधान करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। यह संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है।

यह संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण, सामग्री निर्माण के माध्यम से भारतीय भाषाओं का विकास और त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए भारतीय भाषाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की इसकी दो प्रमुख योजनाएं हैं।

आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत, हिंदी भाषी राज्यों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिएयह संस्थान एक नोडल एजेंसी भी है।

यह संस्थान भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की योजनाएं भी चलाता है। भारतीय भाषाओं (हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त) जनजातीय भाषाओं में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत अनुदान दिए जायेंगे।

वर्ष के दौरान, संस्थान द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं:

1) संस्थान ने हिमाचल प्रदेश की हो, गुतुब, पहाड़ी भाषाओं, नागालैंड की एड़ो, नोकटे, हेजा, संगतम चोकरी, लोथा, कर्बी, दिमासा, माओ, पेट, तिब्बतन, बोलियां, माहल, जेनू कुरूबा, मोंपा, अवल कॉर निकोनारीस, बिसन होरन मारिया, गोड़ी बोलियां का अध्ययन कार्य निरंतर जारी है तथा पूर्णता के विभिन्न चरणों में है।

।।§ तेलुगू, नेपाली, बंगाली तथा सिंधी, कश्मीरी पूरक पुस्तिका, चित्रात्मक शब्द तथा डोगरी में मुहावरे तैयार करने के लिए कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कालेजों के भाषा पाठ्यक्रम का विकास का आयोजन होता है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली में मूल पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के लिए भी कार्याशालाएं आयोजित की जाएंगी।

।।।§ औद्योगिकी में भाषा प्रयोग की परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में चुनिंदा औद्योगिक इकाईयों को भाषा प्रयोग पर प्रश्नावली भेजी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सामाजिक भाषायी झलक के लिए पुस्तकालय कार्य प्रगति पर है।

।।/§ अनुवाद के लिए नियमावली कोश रचना, विधि शब्दकोश का सरलीकरण, हिंदी अंग्रेजी स्कूल अध्ययनकर्ताओं के लिए शब्दकोश तैयार करने के लिए कार्यशाला आयोजित की जायेगी। बंगाला-नेपाली-हिंदी शब्दकोश का निर्माण चल रहा है।

।/§ प्राइमरी स्कूल शिक्षकों §मदरसों और मदुरई§ के लिए ध्वनि विज्ञान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। यही कार्यक्रम कालेज भाषा शिक्षकों के लिए भी किया जायेगा।

।/।§ पहले तैयार किया गया 14 भाषाओं में योग्यता परीक्षा को अंतिम रूप दिया गया। मातृ भाषा शिक्षा, पुस्तकालय तथा संदर्भ कार्य में प्रबंधन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

।/।।· प्राथमिक ग्रेड में अध्ययन सक्षमता के मूल्यांकन की परियोजना के लिए सीमापुरी, दिल्ली, उ0 प्र0 सीमा स्कूलों का निरीक्षण तथा व्यैक्तिक परीक्षा आयोजित की गई। कर्नाटक में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का इतिहास तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

8। ताकि लोक साहित्य और प्रवचन पर राष्ट्रीय सेमिनार, लोकगीत सिदांत और पद्धति तथा कश्मीर और इसके आसपास के इलाकों के लोकगीत पर कार्यशाला अन्य संगठनों के सहयोग से आयोजित की जाएगी ।

9। भारतीय भाषा के सांगणिक विश्लेषण के लिए शब्दकोशीय संसाधन, भारतीय भाषा समूह तथा इनका अनुप्रयोग, दूसरी भाषा सीखने के लिए सी ए एल एल पैकेजों का विकास तथा भारतीय भाषाओं के विकास पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी ।

10। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संस्थान ने दूरस्थ पाठ्यक्रम के लिए बंगला में 39 तामल में 52, तेलुगू में 26 आवेदकों का पंजीकरण किया है ।

11। बंगला, तेलुगू और मलयालम की लिप के शिक्षण पर वीडियो फिल्म, बंगला और उडिया में गहन पाठ्यक्रम की श्रव्य रिकार्डिंग का काम किया जा रहा है ।

क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों में दाखिला प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या नीचे दी गई है :-

एस आर एल सी	:	कन्नड-15,तेलुगु-12, तामल-20, मलयालम-14 योग-61
ई आर एल सी	:	बंगला-16,उड़िया-13, असामिया-7 योग-36
डब्ल्यू आर एल सी	:	मराठी-6, गुजराती-4,सिंधी-2 योग-12
एन आर एल सी	:	पंजाबी-10,कश्मीरी-7, उर्दू-13 योग-30
यू टी आर सी	:	सोलन-22, यूटीआरसी (लखनऊ)-13

किये गये कुल नामांकनों की संख्या 174 है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रुपये लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	112·00	104·00	125·00
योजनेतर	279·60	304·00	312·00

IV अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय भाषा शिक्षण संस्थानों तथा अंग्रेजी जिला केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद द्वारा अंग्रेजी भाषा के अध्यापन और अध्ययन के स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :-

(1) अंग्रेजी जिला केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की योजना :- इस योजना के तहत अंग्रेजी भाषा के लिए एक जिला केन्द्र प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र में स्थापित किये जाने हैं ताकि ये केन्द्र लागत प्रभावी तरीके से अंग्रेजी के शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण

प्रदान करने के लिए एक कार्यात्मक माडल के रूप में कार्य कर सके । अब तक संस्थीकृत किये गये 26 जिला केन्द्रों में से 7 जिला केन्द्र देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं । ये केन्द्र अंग्रेजी शिक्षकों के लिए अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं । इन केन्द्रों में लगे विशेषज्ञों को केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

(2) अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों के क्षेत्रीय संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना ।

केन्द्र सरकार देश में नौ अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को तथा अंग्रेजी के दो क्षेत्रीय संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं । ये संस्थाएं भारत सरकार की निधि से प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा (स्टाईपेंड) देने के लिए और उनकी बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त संकाय सदस्य नियुक्त करती है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रूपये लाखों में)

-	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	67·00	58·00	74·00

V उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति तथा उर्दू शिक्षण/अध्ययन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति तथा उर्दू शिक्षण तथा अध्ययन के लिए विशेषकर लड़कियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । इस योजना को उन क्षेत्रों में शुरू करने के लिए प्रस्तावित किया गया है जिनमें उर्दू भाषी लोगों की संख्या अधिक है । राज्य सरकार के परामर्श से इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रूपये लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	80·00	1·00	80·00

VI हिन्दी भाषी राज्यों /संघराज्य क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों

(हिन्दी से इतर) की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा आठवीं योजना अवधि के दौरान 1993-94 में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है । इस योजना के तहत 1994-95 के दौरान हरियाणा सरकार को 58 तेलुगु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 8,61,300/-रूपये का अनुदान तथा हिमाचल प्रदेश को 24 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3,36,000/-रूपये का अनदान दिया गया । हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उक्त अनुदान से उसने 1996-97 के दौरान 13 शिक्षक नियुक्त किये हैं तथापि हरियाणा सरकार ने अनुदान को इस आधार पर लौटाने का निर्णय किया है कि वहां पर तेलुगू शिक्षकों की मांग नहीं हैं । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इस शर्त पर 120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया हैं कि नौवीं योजना के दौरान योजना को जारी रखने का आश्वासन दिया जाए । योजना को जारी रखने संबंधी प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	60·00	1·00	10·00

झ· संस्कृत

1· राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1970 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी । संस्थान के मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा का परिरक्षण, प्रचार तथा संस्कृत के परम्परागत अध्ययन और अनुसंधान का आधुनिकीकरण करना है । इलाहाबाद, पुरी, जम्मू, गुरुवयूर, जयपुर, लखनऊ तथा श्रृंगेरी में इसके सात संघटक विद्यापीठ हैं तथा इससे संबद्ध कई स्वयंसेवी संस्कृत संस्थाएं भी हैं । इसके अलावा, यह आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान, स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता जिसे भारत सरकार द्वारा अंतरित किया गया, नामक योजनाएं भी लागू कर रहा है ।

संस्थान अपने 7 संघटक विद्यापीठों में स्कूल पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टरेट स्तरों पर संस्कृत के शिक्षण की सुविधाएं प्रदान कर रहा है । इन विद्यापीठों में स्नातक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है । संस्थान के मुख्यालय कार्यालय से प्रारंभिक संस्कृत भाषा में दो स्तरीय पत्राचार पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं । टीका-टिप्पणी और अनुवादों के साथ संपादित संस्कृत की कृतियों के प्रकाशन का कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जाता

है तथा विभिन्न विषयों में अनुसंधान संचालित किया जाता है । विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित किये जाने के अलावा संस्थान द्वारा विभिन्न विश्वकोशों की तैयारी, पाण्डुलिपियों के संग्रह तथा इससे जुड़ी अन्य परियोजनाओं पर भी काम किया जाता है ।

लक्ष्य

आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता की योजना (मंत्रालय द्वारा अंतरित) के तहत पुरी, जम्मू, जयपुर, लखनऊ और श्रृंगेरी में भवन निर्माण, भोपाल (मध्य प्रदेश),कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में चार और मुंबई (महाराष्ट्र) में दो नये विद्यापीठों की स्थापना, दो नये आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता, पहले से ही स्वयंसेवी संस्कृत संगठनों की योजना के तहत महाविद्यालयों के रखरखाव से संबंधित कार्य योजना । 1997-98 के दौरान अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता, संस्कृत के प्रख्यात विद्वानों की सेवाओं का उपयोग, विशेष प्रबोधन पाठ्यक्रम, संस्कृत की पुस्तकों की खरीद, संस्कृत साहित्य का प्रकाशन, डेकन कॉलेज, सम्मान प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति प्रदान करना, दुर्लभ पाण्डुलिपियों का क्रय और प्रकाशन आदि जैसे कार्यों की परिकल्पना की गई है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	290·00	420·00	1123·00
योजनेतर	495·00	595·00	603·00

11· राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से संस्कृत के विकास की योजना

यह एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम है जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से 1962 से लागू किया जा रहा है । निम्नलिखित पांच प्रमुख कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय अनुदान दिये जाते हैं :-

(क) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाले संस्कृत के प्रख्यात विद्वानों को वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत वृद्ध प्रख्यात (परम्परागत ढंग वाले) संस्कृत विद्वानों को सहायता दी जा रही है जिनकी आयु 55 वर्ष से कम नहीं है तथा जो अभाव का जीवन जी रहे हैं और संस्कृत के अध्ययन/अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं । इन्हें उनके अन्य स्रोतों से वार्षिक आय का घटाते हुए अधिकतम 4,000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता दी जाती है । 1996-97 के दौरान लगभग 1240 विद्वानों को इसका लाभ पहुचाने की संभावना है । नौवीं योजना में इस राशि को बढ़ाकर 10,000/-रुपये करने का प्रस्ताव है । 4,000/-रुपये की राशि 1988-89 में नियत की गई थी । इस प्रकार इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है क्योंकि तब से मूल्य सूचकांक में काफी वृद्धि हो चुकी है ।

(ख) **संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण**

संस्कृत शिक्षा की पुरानी और आधुनिक प्रणालियों के बीच एकरूपता लाने के उद्देश्य से अनुदान दिया जाता है ताकि संस्कृत के परम्परागत पाठशालाओं में गणित और मानविकी सहित आधुनिक भारतीय भाषा, विज्ञान जैसे चुने गये आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हो सके । 1995-96 के दौरान प्रत्येक राज्य में तीन-तीन पाठशालाओं के लिए प्रत्येक पाठशाला में तीन-तीन शिक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु, त्रिपुरा और केरल की सरकारों को अनुदान जारी किये गये । यह राशि लगभग 17·86 लाख रूपये प्रतिवर्ष के बराबर होगी । यह राशि 1996-97 में भी जारी की जानी है । कर्नाटक और राजस्थान से भी प्रस्ताव मिले हैं जो विचाराधीन हैं ।

(ग) **हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना**

जो राज्य सरकारें संस्कृत के शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं है वहां के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त किये जाने वाले संस्कृत के शिक्षकों के वेतन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है । केवल एक ही राज्य नागालैण्ड इस सुविधा का लाभ उठा रहा है । तथापि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 1996-97 के दौरान अनुदान के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं ।

(घ) **हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति**

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ने के लिए छात्रों को आकर्षित करने के वास्ते 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संस्कृत के छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है । कक्षा 9वीं और दसवीं के छात्रों को 25/-रूपये प्रतिमाह की दर से तथा कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के छात्रों को 35/-रूपये प्रतिमाह की दर से । इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 3000 छात्र लाभान्वित होते हैं । छात्रवृत्ति की दर कक्षा नौवीं से दसवीं के छात्रों के लिए 25/-रूपये से बढ़ाकर 100/-रूपये प्रतिमाह तथा कक्षा 11वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 35/-रूपये से बढ़ाकर 150/-रूपये करने के लिए राज्यों की ओर से जोरदार मांग की जा रही है ।

(ङ) **संस्कृत के संवर्धन के लिए उनकी स्वयं की योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अनुदान**

संस्कृत के विकास और प्रचार के लिए शिक्षकों के वेतन को स्तरोन्नत करना ,वैदिक विद्वानों को सम्मानित करना, विद्वत सभाएं संचालित करना, संस्कृत शिक्षण के लिए सांध्यकालीन कक्षाएं लगाना, कालिदास समारोह मनाना आदि जैसे अपने स्वयं के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें योजनाएं बनाने के वास्ते स्वतंत्र है । आधारभूत सुविधाओं के लिए संस्कृत

अकादमी, मेलकोट को तथा कल्पतरू अनुसंधान अकादमी, बंगलौर को उनके विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी कर्नाटक सरकार की सिफारिशों के साथ प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं :-

वित्तीय आवश्यकताएं

(रूपये लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	56·00	147·00	400·00

III. महर्षि सांदपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

महर्षि सांदपनी राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1987 में की गई । मौखिक वैदिक परम्परा का परिरक्षण, वैदिक विद्या की विषय वस्तु में अनुसंधान तथा आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में वैदिक ज्ञान की प्रासांगिकता का पता लगाना कुछ ऐसे प्रमुख उद्देश्य हैं जिनके लिए प्रतिष्ठान की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई । मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अक्षयनिधि की स्थापना करके इसका वित्त पोषण किया जा रहा हैं । अक्षय निधि में जमा राशि पर अर्जित ब्याज से प्रतिष्ठान के विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकलापों को वित्तपोषित किया जाता है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एम एस आर वी वी पी की अक्षय निधि के लिए 10·00 करोड़ रूपये प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं । 1995-96 तक मंत्रालय द्वारा 8·77 करोड़ रूपये जारी किये जा चुके हैं ।

इसके अलावा, वेद पाठशालाओं को अनुदान तथा वेदों के सस्वर पाठ की मौखिक परम्परा को परिरक्षण नामक दो योजनाएं 1994-95 के दौरान प्रतिष्ठान को अंतरित की गईं ।

1995-96 के दौरान ऊपर उल्लिखित दो योजनाओं के लिए क्रमशः 27·00 लाख रूपये तथा 8·00 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया ।

तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा मुनिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम वेद संस्थान, बरूनदानी को आर वी वी पी के जरिये उनके भवन के निर्माणके लिए 12·00 लाख रूपये अनुदान देने का अनुमोदन किया गया था । 1994-95 के दौरान 6·50 लाख रूपये की पहली किस्त संस्वीकृत की गई । 1996-97 के दौरान 5·50 लाख रूपये की दूसरी किस्त उनके लिए संस्वीकृत की जानी है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

	बजट अनुदान 1996-97	संशोधित अनुदान 1996-97	बजट अनुदान 1997-98
योजनागत	65·00	158·00	4·00·00

मदरसों (मकतबों) का आधुनिकीकरण

अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त समिति के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आठवीं योजना के दौरान मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू की जा रही है । यह योजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित है । इस योजना का उददेश्य मदरसों तथा मकतबों जैसी परम्परागत संस्थाओं को अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित,सामाजिक अध्ययन, हिन्दी और अंग्रेजी शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करना है । मदरसों और मकतबों को ऐसे कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है जिनसे ये उद्देश्य पूरे हों । इस योजना से इन संस्थाओं के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के समतुल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी । इसे राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिये लागू किया जाता है ।

योजना के तहत सरकार प्रत्येक मदरसे को एक शिक्षक के वेतन के लिए 26,400/-रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान तथा विज्ञान और गणित की किटों की खरीद के लिए प्रत्येक मदरसे को 4,000/-रुपये का एक कालिक अनुदान देती है

1993-94 तथा 1994-95 के दौरान हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से ही प्रस्ताव प्राप्त हुए । 1995-96 के दौरान केन्द्र को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों से उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं तथा निधियों के विनियोजन के लिए योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 12 राज्यों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को 40·00 लाख रूपये के बजट अनुमान की पृष्ठभूमि में 120,07,000/-रूपये की राशि संस्वीकृत की गई है ।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक स्तर के मदरसों को राज्य के ये जो ये वेतनमान पर प्रति मदरसा तीन शिक्षक तथा विज्ञान उपस्कर के लिए प्रति मदरसा 70,000/-रूपये प्रदान करने की परिकल्पना है । इसलिए 2000 मदरसों/मकतबों (प्राथमिक स्तर के 1000 तथा माध्यमिक स्तर के 1000) को कवर करने का प्रस्ताव था । जिसका अर्थ है 400 मदरसे प्रतिवर्ष ।

यह सच है कि नौवीं योजना में इस योजना को चालू रखने संबंधी कोई गारंटी नहीं दी गई है तथापि इसे नौवी योजना में शामिल किया गया है । योजना आयोग की संचालन समिति द्वारा नौवीं योजना के लिए इस योजना पर विचार किया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रूपये लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	33·00	244·00	700·00

V राष्ट्रीय संस्कृत और प्राचीन भाषा आयोग

(भारतीय प्राचीन भाषा अनुदान आयोग)

राष्ट्रीय संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषा अनुदान उप आयोग (भारतीय प्राचीन भाषा आयोग) की स्थापना पर मंत्रालय द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है । यह उप आयोग संसकृत और प्राचीन भाषाओं के विकास, शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण तथा उनके अध्ययनों और अनुसंधानों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से प्रस्ताव की जांच की गई । ऐसी संभावना है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव परिपक्वता हासिल कर लेगा ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रूपये लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	25·00	1·00	5·00

तकनीकी शिक्षा
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

खड़गपुर, बम्बई,कानपुर, मद्रास और दिल्ली में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना देश में प्रमुख संस्थानों के रूप में की गई थी जिनका उद्देश्य पूर्व स्नातक स्तर पर इंजीनियरी और अनुप्रयुक्त विज्ञानों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है ।

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम तथा भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित में समेकित मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने के अलावा ये संस्थान इंजीनियरी, विज्ञान और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में पी एच डी कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अन्य इंजीनियरी कॉलेजों के संकाय के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, पाठ्यचर्या आयोजना, संकाय विकास, अंतर विषयक अनुसंधान, परामर्शी सेवा आदि के काम में भी लगे हैं ।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास का काम उन्हें सौंपा गया है । वे संस्थागत नेटवर्क कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहे हैं । इन पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का निम्नलिखित पैराओं में उल्लेख किया गया है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में फ्रैक्चर मैकेनिक्स तथा कंपोजिट स्ट्रक्चर्स के साथ-साथ अनस्टडी एयरोडायनामिक्स, शीयर फ्लो स्टेबिलिटी तथा टर्बुलेन्स, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में एयरोलेस इंजीनियरी वर्क संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यकलाप भी आयोजित

किये जा रहे हैं । लंबी दीवार खनन प्रणालियों की विश्वसनीयता तथा उपलब्धता पर अनुसंधान कार्य खनन इंजीनियरी विभाग तथा विश्वसनीयता इंजीनियरी केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है । एयरोस्पेस इंजीनियरी विभाग में नई सुविधाओं से एन्जेक्टर्स तथा नोजलस के निष्पादन का अध्ययन करने के लिए हाई प्रेशर सुविधा प्राप्त की गई है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में शुरू किये गये अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में शामिल हैं - टेलिमैटिक्स, एटीएम स्विच का प्रयोग करते हुए व्यापक आधार वाली आई एस डी एन प्रणाली को डिजाइन तथा विकास, वीडियो कानफरेसिंग लिंक स्थापित करने संबंधी संभाव्यता अध्ययन, 2 मोईट आई एस डी एन मल्टीप्लेक्सेन की डिजाइन और विकास, सीरियल लिंक {एच डी एल सी} की डिजाइन और विकास, इंटरफेस तथा डाटा लिंक ड्राइवर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरमेटेलिक/सेरेमिक मैट्रिक्स का विकास, जैव प्रौद्योगिकी संगणक प्रणाली पैरीकर्लस, भूमि संसाधनों के लिए दूर संवेदी अनुप्रयोग, शहरी विकास आयोजना, आप्टोइलेक्ट्रानिक सामग्री के लिए सुविधाएं, पावर मेटलर्जी मेटल - सेरेमिक कंपोजिट, लेसर प्रोसेसिंग मैटेरियल्स, परिवहन इंजीनियरी और आर्टीफिसिल इंटेलीजेंस ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में औद्योगिक प्रबंध प्रणाली और नियंत्रण विश्वसनीयता इंजीनियरी कोरोसन विज्ञान और इंजीनियरी, बायो मेडिकल इंजीनियरी आदि जैसे नए क्षेत्रों को विकसित किया जाता है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के विभिन्न विभागों तथा केन्द्रों की विभिन्न प्रयोगशालाओं को जेनटी लेन कम्प्यूटर प्रणाली, अल्ट्रासोनिक 2डी इकोकार्डियोग्राफी प्रणाली, डायनामिक स्ट्रेन डाटा अधिग्रहण प्रणाली, डाटा संप्रेषण के लिए 9600 बी पी एस हाई स्पीड लाइन, जर्मनी से बोइन्डर लेथ, सी आई टी काइक्रोलर आदि जैसे अतिरिक्त उपकरणों से सुदृढ़ किया गया है । भारत-जर्मनी सहयोग कार्यक्रम के तहत ओ ई सी, एम एस आर सी, यांत्रिक इंजीनियरी के उत्पादन इंजीयरी प्रकोष्ठ, सी ई सी, रसायनशास्त्र तथा मेटलर्जी विभाग के केटालिसिस प्रकोष्ठ में परियोजनाओं की पहचान की गई है ।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, दिल्ली के अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में बेसिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, डिजाइन विकास और इंजीनियरी के व्यापक कार्यकलाप शामिल हैं । जिन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य किये गये हैं उनमें शामिल हैं ऐटमासफीरिक बाउण्डरी लेयर में प्रदूषण डिसपोजल के माडेलिंग पर विंड ट्यूनल स्टडी यांत्रिकी विभाग में कम्पयूटेशनल मीकेनिक्स में साफ्टवेयर विकास ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्कृष्टता प्राप्त करना जिनका लक्ष्य है, इस पहलू को निरन्तर बरकरार रखा है । अनुसंधान, सेमिनार /गोष्ठी/अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के आयोजन के क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की है । उन्होंने न केवल भारत के तकनीकी विकास से संबद्ध होकर बल्कि वास्तव में इसके सम्पूर्ण विकास से संबद्ध होकर एक विकासशील समाज के लिए उत्प्रेरक

का काम किया है ।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अंता न पाने वाले अ0जा0/0ज0जा0 के छात्रों को 10 माह का तैयारी पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है तथा पपाठ्यक्रम पूरा होने के बाद जो छात्र परीक्षा उत्तीर्ण होते है उन्हें बी0टेक0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान किया जाता है । ऐसे छात्र जेबखर्च भत्ता, निःशल्क भोजन, विवेकाधीन आधार पर भत्ता आदि के रूप में निरन्तर वित्तीय सहायता पाते हैं ।

अगस्त, 1995 में हुए ऐतिहासिक "असम समझौते" के तहत असम में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है । प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में 1994 में संशोधित किया गया ताकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गौहाटी (असम) को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में पघोषित किया जा सके । संस्थान की स्थापना के लिए उत्तरी गौहाटी में 708 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है । औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 1995-96 से शुरू हो गये हैं । इस पहले सत्र में यांत्रिक इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी और इलैक्ट्रानिकी तथा संप्रेषण इंजीनियरी नामक तीन विषयों में कूल 65 छात्र हैं ।

मितव्ययिता बरतने तथा संसाधन जुटाने को बढ़ावा देने के विचार से आई आई टी, गौहाटी को छोड़कर शेष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 1993-94 से वित्त पोषण की संशोधित पद्धति अपनाई गई है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(रूपये लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	2600.00	3403.00	5000.00
योजनेतर	12516.00	16665.00	17076.00

II अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पारिषद्

एक सलाहकार निकाय के रूप में 1945 में स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पारिषद् को 1987 में संसद के एक अधिनियम के जरिये सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया । यह अधिनियम 28 मार्च, 1988 को लागू हुआ । सांविधिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पारिषद् के मुख्य कार्यों में शामिल है - देश में तकनीकी शिक्षा की समन्वित आयोजना तथा समन्वित विकास, प्रणाली के सुनियोजित विकास और विनियमों की अपेक्षा में सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार तथा प्रतिमानकों एवं मानकों का अनुरक्षण ।

नए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के अनुमोदन को कारगर और प्रभावी बनाने की दृष्टि से पारिषद् द्वारा नई संस्थाओं की स्थापना । नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने आदि के संबंध में

विनयम जारी किये गये हैं ।

परिषद् ने वास्तुशिल्प परिषद् (वास्तुशिल्प अधिनियम के तहत) तथा भारतीय फार्मेसी परिषद् (फार्मेसी अधिनियम के तहत कार्यरत) के साथ उनके अपने अपने क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों तथा संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए एक समझौता किया है ।

परिषद् ने विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिमानक और मानक निर्धारित किये हैं । उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में परिषद् द्वारा व्यावसायिक कॉलेजों में शिक्षण और अन्य शुल्क वसूल करने संबंधी प्रतिमानक तथा दिशानिर्देश तय करते हुए तथा छात्रों के इनमें प्रवेश संबंधी दिशानिर्देश प्रदान करते हुए विनियम जारी किये गये हैं ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में तकनीकी संस्थाओं, पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए भी विनियम जारी किया है । इन विनियमों के तहत गैर-सरकारी सहायता न पाने वाली संस्थाओं को भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

उपर्युक्त सांविधिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने समन्वय और केंद्रीय सुविधा, मान्यता एवं प्रत्यापन, जनशक्ति आयोजना और कैरियर विकास नामक ब्यूरो के जरिये विभिन्न कार्यक्रमों और संबद्ध विनियामक कर्तव्यों को संचालित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं । तकनीकी शिक्षा में समन्वय और मानकों के अनुरक्षण के लिए अखिल भारतीय स्तर के कई सांविधिक बोर्ड स्थापित किये गये हैं । ये बोर्ड इस प्रकार हैं : फार्मेसी शिक्षा, वास्तुशिल्प, प्रबंधन, व्यावसायिक शिक्षा, संगणक विज्ञान, स्नातकोतर शिक्षा एवं अनुसंधान, पूर्व स्नातक अध्ययन तथा शहरी एवं ग्रामीण आयोजना संबंधी अखिल भारतीय बोर्ड । इसके अलावा परिषद् द्वारा गुणवत्ता कार्यक्रमों के कारगर संचालन के लिए अनुसंधान बोर्ड (बी ओ आर) तथा औद्योगिक संस्थान संबंध बोर्ड (बी ओ आई आई) स्थापित किये गये हैं ।

कानपुर, मद्रास, बंगलौर, बम्बई और कलकत्ता में क्षेत्रीय समितियों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सहायक प्रणाली के रूप में सक्रिय किया गया है । भोपाल और चण्डीगढ़ में भी नई क्षेत्रीय समितियां स्थापित की गई हैं । ये ब्यूरो, बोर्ड और क्षेत्रीय समितियां अपने अपने सांविधिक दायित्वों के अनुसार तकनीकी शिक्षा मे विभिन्न श्रेणी के कार्यक्रमों आयोजना, कार्यान्वयन, वित्त पोषण, मॉनिटरिंग आदि समीक्षा में परिषद की सहायता करते हैं । तकनीकी शिक्षा के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरी और तकनीकी जनशक्ति की पूर्ति और मांग को मॉनिटर करने के वास्ते डाटा बेस सृजित करने के ए परिषद के पास एक योजना है ताकि तकनीकी शिक्षा का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके ।

31 दिसम्बर, 1995 तक परिषद् द्वारा 1029 पोलिटेक्निकों को अनुमोदित किया गया है जिनमें डिप्लोमा के 4080 पाठ्यक्रम हैं तथा दाखिला क्षमता 166456 है तथा इसके

द्वारा 416 इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संस्थाओं को अनुमोदित किया गया है जिनमें डिग्री के 1919 पाठ्यक्रम हैं तथा दाखिला क्षमता 101451 है ।

इसके अलावा, फार्मेसी में डिप्लोमा के लिए 352 पाठ्यक्रम वाले 18310 छात्रों की दाखिला क्षमता वाले 352 कॉलेज 150 डिग्री पाठ्यक्रम वाले 7015 छात्रों की दाखिला क्षमता वाले 150 कॉलेज अनुमोदित किये गये । प्रबंधन पाठ्यक्रमों के संबंध में अनुमोदित संस्थाओं, पाठ्यक्रमों तथा उनकी दाखिला क्षमता संबंधी आंकड़ा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

1·4·1994 से इस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही निम्नलिखित संस्थाएं/योजनाएं परिषद् को हस्तांतरित कर दी गई हैं :-

1· राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली
2· तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ।
3· राष्ट्रीय प्रशिक्षण औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान ।
4· राष्ट्रीय ढलाई और भट्टी प्रौद्योगिकी संस्थान ।
5· आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल ।
6· स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का विकास ।
7· गैर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रबंध पाठ्यक्रमों का विकास ।
8· चुनिन्दा उच्च शिक्षा तकनीकी संस्थाओं में अनुसंधान तथा विकास ।
9· आधुनिकीकरण तथा अप्रचलनता को दूर करना ।
10· तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र ।
11· संस्था उद्योग अन्तर्सम्बन्ध ।
12· सतत् शिक्षा ।
13· सन्त लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान ।
14· दक्षता सुधार कार्यक्रम ।
15· भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी ।

1996-97 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित योजनाओं को अब इसके जरिये लागू किया जाएगा :-

क) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (टी टी आई)
ख) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, बम्बई
ग) राष्ट्रीय फाउण्ड्री एवं फोर्ज टैक्नालॉजी संस्थान, रांची
घ) आयोजना और वास्तुशिल्प स्कूल, नई दिल्ली
ड·) संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रूपये लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	7189·00	7189·00	7910·00
योजनेतर	2000·00	2000·00	816·00

§3§ क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज §आर·ई·सी·§

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, जिनकी कुल संख्या सत्रह है, की स्थापनपा भारत सरकार और सम्बंधित राज्य सरकारों के संयुक्त एवं सहयोगी उपक्रमों के रूप में की गई है । इनमें चौदह की स्थापना 1959-60 के दौरान की गई । अन्तिम क्षेत्रीय इंजोनियरी कालेज पंजाब प्रान्त के जालन्धर शहर में 1986 में स्थापित किया गया । सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों को दाखिला प्रदान करके तथा अखिल भारतीय आधार पर उपलब्ध सबसे उपयुक्त संकाय की नियुक्ति करके प्रत्येक कालेज द्वारा राष्ट्रीय स्वरूप का सुनिश्चय किया जाता है । क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की भूमिका अपने-अपने क्षेत्रों में गति-निर्धारित के रूप में काम करने की तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं को शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने की है । ये कालेज सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860§1860 का अधिनियम सं·21§ के अन्तर्गत स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किए गए हैं ।

ये कालेज शासी बोर्ड §बी·ओ·जी·§ द्वारा अभिशासित हैं तथा इन्हें वित्तीय और प्रशासनिक दोनों ही मामलों में पर्याप्त स्वावयत्तता प्राप्त है ।

आर·ई·सीश सिस्टम के लिए व्यापक नीतियों पर सलो देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए एक सलाहकार परिषद हैं जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ।

वित्तपोषण

भारत सरकार इन कालेजों के पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अनावर्ती व्यय और 50 प्रतिशत आवर्ती व्यय वहन करती है । बाकी का 50 प्रतिशत आवर्ती व्यय उस राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है जिसमे क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थित होता है । स्नातकोत्तर पाठ्यकम संबंधी सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

राज्यों के सभी इंजीनियरी कालेजों में दाखिला के लिए सम्बंधित राज्यों के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर दाखिला दिया जाता है । जिस राज्य में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थित होता है उस राज्य के अर्हता प्राप्त छात्रों से प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज की 50 प्रतिशत सीटे भरी जाती है । बाकी की 50 प्रतिशत सीटें दूसरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आने वाले छात्रों से पूर्व निर्णीत वितरण के आधार पर भरी जाती है । यह प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने तथा वास्तविक राष्ट्रीय चरित्र को बनाए रखने के लिए अपनाई गई है ।

सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में छात्रों (पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एम.सी.ए.) की संस्वीकृत संख्या 6703 है (लगभग) ।

वर्तमान पहले

शिक्षा और अनुसंधान व शोध, आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यचर्या विकसित करने तथा उद्योग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को अधिकार प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजना शुरू की गई है ।

यू.के.-भारत आर.ई.सी. परियोजना

12-1-1994 को भारत सरकार तथा यू. के. के बीच औपचारिक सूझ-बूझ-ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के बाद अप्रैल, 1994 में चार तकनीकी शिक्षयों:-डिजाइन (इलाहाबाद और जयपुर स्थित आर.ई.सी.), ऊर्जा (भोपाल और त्रिचुरापल्ली स्थित आर.ई.सी.), संसूचना प्रौद्योगिकी (सुरतखल एवं वारंगल स्थित आर.ई.सी.) तथा सामग्री इंजीनियरी (नागपुर और राउरकेला स्थित आर.ई.सी.) में 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को सहायता के जरिए भारत में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की यू.के. भारत तकनीकी सहयोग परियोजना शुरू की गई है ।

समुद्रपार विकास प्रशासन (ओ.डी.ए.) प्रशिक्षण, अध्ययन दौरा व परामर्शी सेवा तथा उपकरण के रूप में 6.207 मिलियन अमेरिकन डालर के मूल्य की तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय चार वर्ष के अधिक समय से भवन, उपकरण, स्थानीय यात्रा तथा सूचना सेवाओं के लिए 200 मिलियन रु0 का अपना योगदान कर रहा है ।

चारों मुख्य विषय क्षेत्रों अर्थात डिजाइन, ऊर्जा, संसूचना प्रौद्योगिकी तथा सामग्री इंजीनियरी के लिए एक-एक उप-समिति बनाई गई है । उद्योग के प्रख्यात विशेषज्ञों को इनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष बनाया गया है । पिछले चार माह के दौरान विषय क्षेत्र में हुए कार्यकलाप का जायजा लेने के लिए इन समितियों की चार माह में एक बार बैठक होती है । इसमें परामर्श संबंधी योजनागत कार्यकलाप एवं प्रक्रिया उपकरण विनिर्देशन तैयार किए जाते हैं तथा पी.एस.सी. द्वारा अभिपुष्टि प्राप्त की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के अध्ययन बोर्ड को नई पाठ्यचर्या के बारे में सिफारिश की जाती है । ये प्रति वर्ष दो बार पी.एस.सी. को रिपोर्ट करेंगे । प्रत्येक विषय की उप-समितियां औद्योगिक आवश्यकता से उपयुक्त पाठ्यचर्या आयोजना दल भी बनाएगी ।

परियोजना संचालन समिति सहयोजन सहित समिति की संरचना को अनुमोदित करेगी । क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के लिए औद्योगिक सलाहकार बोर्ड की भूमिका अदा करने तथा विषय विकास को प्रक्षेपित करने के लिए इस समिति के उद्योग के प्रतिनिधि भी होंगे ।

परियोजना में शामिल 8 इंजीनियरी कालेजों के प्रिंसिपलों के एक दल तथा राष्ट्रीय परियोजना निदेदाक ने 17-28 अक्तूबर 1994 की अवधि के दौरान यू·के· के विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा किया ताकि वे यू·के· विश्वविद्यालयों, शिक्षा प्रणालियों, विज्ञान पार्क, सम्बद्ध उद्योग और उपस्कर विनिर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें । इसी प्रकार 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के परियोजना समन्वयकों द्वारा यू·के· में एक अध्ययन 12-24 फरवरी, 1995 के दौरान किया गया था । इस दौरे का लक्ष्य समन्वयकों को प्रेरित करना था ताकि वे यू·के· प्रणाली और शिक्षक-प्रशिक्षण प्रणाली विज्ञानों में अनुभव और मूल्यांकन तकनीकों, संस्थान-उद्योग सम्बन्ध, पाठ्य चर्या संशोधन प्रणाली और यू·के· संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही प्रबन्ध सूचना प्रणाली में जानकारी के माध्यम से क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज प्रणाली की संस्कृति में अपेक्षित परिवर्तन ला सके ।

1994-95 तथा 1995-96 अवधि के दौरान डिजायन,उर्जा,सूचना प्रौद्योगिकी और सामग्री के विषयों के 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के 66 संकाय सदस्य प्रशिक्षण के लिए यू·के· जा चुके हैं । इसी प्रकार यू·के· के 51 परामर्शदाताओं ने 1994-95 और 1995-96 के दौरान 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का दौरा किया ।

इस परियोजना के लिए 20 करोड रू· के भारतीय घटक में से दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों अर्थात 1993-94 से 1995-96 के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के लिए 2·125 करोड रू· की दर से 8 क्षेत्रीय इजीनियरी कालेजों को 17 करोड़ रू· की राशि दी जा चुकी है ।

जहां तक 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए यू·के· से प्राप्त होने वाले उपकरण का सम्बन्ध है 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों द्वारा विकसित विषय केन्द्रो के लिए यू·के· से प्राप्त किए जाने वाले उपकरण के विनिर्देश को अनुमोदित करने के लिए प्रत्येक विषय अनुसार चार समितियाँ गठित की गई हैं ।

25· आर·ई·सी· के उत्कृष्टता केन्द्र कार्यक्रम

इंजीनियरी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समकक्ष 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए 1993-94 के दौरान सरकार सामान्य योजना अनुदान के अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में हर वर्ष प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज को योजना के अन्तर्गत

निम्नलिखित क्षेत्रों में एक करोड रु॰ की विशेष अनुदान प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है :-

1॰ सामान्य प्रबन्धन
2॰ भवनों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला सुविधाओं के अच्छे मानकों ।
3॰ शोधकर्ताओं, छात्रों के बीच तथा प्रशासन/वित्त में गहन प्रयोग के लिए पर्याप्त रूप से जुडी संगणक प्रणाली के क्षेत्रों में हस्तक्षेप
4॰ शिक्षकों के स्तरोन्नयन तथा
5॰ उद्योग एवं जनता के लिए कार्यक्रम शुरू करने ।

स्थाई मानिटरिंग समिति के जरिए इस योजना के कार्यान्वयन की मानिटरिंग की जाएगी । मानीटरिंग समिति क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में "कम्प्यूटर सुविधाओं" के स्तरोन्नयन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए एक पैटर्न के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश करेगी । इस विशेषज्ञ समिति ने "पुस्तकालयों" उपकरण (आर एण्ड डी), भवन (नवीकरण/विस्तार) शिक्षक स्तरोन्नयन और अलग-अलग संकाय विकास के संबंध में 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है । सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को इस बात के आवश्यक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं कि वे विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित राशि खर्च कर सकें ।

पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान "उत्कृष्टता केन्द्र" कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 क्षेत्रीय कालेजों को 51 करोड़ रु॰ की राशि प्रदान की गई है (प्रति वर्ष 1 करोड़ रु0) ।

वित्तीय आवश्यकतायें

(रु॰ लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	4100·00	3500·00	4100·00
योजनेत्तर	3328·00	3328·00	3660·00

4॰ भारतीय प्रबन्ध संस्थान

प्रबन्ध में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कलकत्त, अहमदाबाद, बंगलौर, लखनऊ में एक-एक

के हिसाब से कुल चार भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए गए हैं । भारत सरकार ने इन्दौर तथा कालीकट में दो नए प्रबन्ध संस्थानों की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है । नए प्रबन्ध संस्थानों में 1997-98 से प्रथम एकैडमिक सत्र शुरू करने का प्रस्ताव है ।

ये संस्थान, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, फेलोशिप कार्यक्रम, प्रबन्ध विकास कार्यक्रम तथा संगठन आधारित कार्यक्रम चला रहे हैं । ये संस्थान, अनुसंधान तथा परामर्श में प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं तथा देश के औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय सहयोग दे रहे हैं । ग्रामीण विकास केन्द्र, कृषि प्रबन्ध केन्द्र, सार्वजनिक प्रबन्ध प्रणाली आदि की स्थापना , इन संस्थानों की भावी योजनाएं हैं ।

1993-94 से संसाधनों के सृजन को बढ़ावा देने में पहल करते हुए तथा मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए आई॰आई॰एम॰ लखनऊ को छोडकर निर्धारण योजना के संशोधित पैटर्न को अनुमोदित कर दिया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रूपए में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	1250·00	1943·00	1380·00
योजनेत्तर	1598·00	2401·00	1612·00

5· एशियाई प्रौद्योगिकीसंस्थान, बैंकाक

यह एक चाहू योजना है जिसका, कार्यान्वयन मंत्रालय सीधे कर रहा है ।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक की स्थापना 1967 में एक स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय स्नातकोत्तर इंजीनियरी संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका संचालन एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यास बोर्ड द्वारा किया जाता है । भारत सहित अन्य देश इस बोर्ड के सदस्य हैं । इसके शैक्षिक विकास में भारत के सहयोग के प्रति सद्भावना के प्रदर्शन के लिए भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक को निम्नलिखित सहायता प्रदान कर रही है:-

- इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय

शिक्षकों/विशेषज्ञों को प्रायोजित करना तथा उनके शिष्टमण्डल के सम्पूर्ण खर्च को वहन करना ।

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए 300 लाख का वार्षिक अनुदान :-

(क) भारत से उपकरणों की खरीद,
(ख) पुस्तकों की खरीद तथा भारत में प्रकाशित शैक्षिक तथा तकनीकी पत्र-पत्रिकाओं के अंशदान का भुगतान ।
(ग) भारत में शिक्षा से संबंधित कार्यकलापों पर व्यय ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू. लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेत्तर	18.00	8.00	18.00

6. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना**

इस योजना में प्रशिक्षुता अधिनियम 1961(1993 तथा 1986 में यथा संशोधित) तथा केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद द्वारा निधारित नीतियों तथा दिशा -निर्देशों के अनुसार उद्योगों तथा अन्य संगठनों में स्नातक इंजीनियरों, तकनीशियनों और 10+2 (व्यावसायिक) उतीर्ण करने वालों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ।

मुम्बई,कलकत्ता, कानपुर, और चेन्नई स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड को (बी.ओ.ए.टी.) प्रशिक्षुता अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकार हैं, इसमें इन श्रेणियों के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है । शिक्षु प्रशिक्षाणार्थियों को वृति का भुगतान किया जात है । यह वृत्ति केन्द्र सरकार की ओर नियोक्ता द्वारा बराबर अंशदान कर दी जाती है । इस समय स्नातकों तकनीशियनों, तकनीशियनों(व्यावसायिक) प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली वृत्ति की पर क्रमशः 1400/- रू0, 1000/- रू0, 770/- रू0 प्रति माह है । ये दरें 1 अगस्त 1996 से लागू हैं ।

8वीं योजना अवधि के लिए निधारित लक्ष्य 1.50 लाख प्रशिक्षाणार्थियों को

प्रशिक्षित करने का है । वित्तीय वर्ष 1995-96 के अंत तक प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या लगभग 1·14 लाख थी । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (30 जून, 1996 के अनुसार) चल रहे व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या 30628 है । इस योजना के अन्तर्गत 9वीं योजना अवधि में परिकल्पित लक्ष्य लगभग 2·75 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करन का है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रु· में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	1250·00	800·00	1800·00
योजनेत्तर	3410·00	3413·00	3750·00

7· समुदाय पालिटेक्निक

तकनीकी शिक्षा प्रणाली में निवेशों से ग्रामीण सोसाइटी के लाभ को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक प्रयोगात्मक आधार पर 36 पालिटेक्निकों में 1978-79 में प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता के तहत समुदाय पालिटेक्निक की योजना शुरू की गई थी । समुदाय पालिटेक्निक योजना का उद्देश्य पर्यावरण को दूषित किए बगैर सूक्ष्म स्तरीय आयोजना के जरिए तथा आयु, लिंग या योग्यता संबंधी बगैर किसी पूर्वशर्त के कौशल उन्मुख तकनीकी/व्यावसायिक ट्रेडों में स्थान-संस्कृति विशिष्ट अनौपचारिक आवश्यकता पर आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण के जरिए गरीब उन्मुलन में लोगों की भागेदारी, रोजगार सृजन और महिलाओं से संबंधित नीरस कार्यों को खत्म करके सामाजिक-आर्थिक उत्थान तथा आम लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके समाज का स्थायी विकास करना है । यह प्रशिक्षण विशेष रूप से बेरोजगारों/योग्यता के अनुसार रोजगार न पाने वाले युवकों/स्कूल/कालेज छोडने वालों, कम सुविधा पाने वालों तथज्ञ वांछित वर्गों की जरूरत को पूरा करने के लिए है जिसमें महिला, अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्ग शामिल हैं । समुदाय पालिटेक्निक सामुदाय के लिए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, तकनीकी सहायता और एस· एण्ड टै· संबंधी जानकारी जैसे कार्यकलाप करता है ।

समुदाय पालिटेक्निकों की सूची को 1978-79 में 36 थी । 1995-96 में बढ़कर 375 हो गई है और सी डी आर टै की संख्या 31 हो गई है ।

1996-97 के दौरान योजनागत के अन्तर्गत 30·00 करोड रु· का बजट प्रावधान किया गया है । राशि में वृदि करने के निम्नलिखित कारण हैं:-

§1§ 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान योजना अन्तर्गत अधिक से अधिक संस्थाओंको शामिल करने का प्रस्ताव है ।

§2§ राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समुदाय पापलिटेक्निक योजना के संबंध में परिचर्चा की सिफारिशों को शिक्षा सचिव/मानव संसाधन विकास मंत्री ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है ।

वित्तीय आवश्यकतायं

§रु·लाख में §

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	3000·00	2850·00	6800·00
योजनेत्तर	210·00	158·00	210·00

8. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है और कई वर्षों से असने अन्तर्राष्टीय दर्जा प्राप्त किया है । संस्थज्ञन ने इंजीनियारंग, विज्ञानों और अनुप्रयुक्त क्षेत्र में एक सुदृढ़ अनुसंधान केन्द्र के रूप में ख्याति प्राप्त की है । यह 1909 में स्थापित हुआ और 1958 में इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला । इसने सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने, उत्कृष्टता को बढ़वा देने और नवीन अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है । समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देता रहा है । संस्थान ने संगणन सुविधाओं, एरो स्पेस, बायोमास प्रौद्योगिकी बायो-मेडिकल इंजीनियारंग,केमिकल, मेटलार्जिकल तथा अन्य इंजीनियारंग क्षेत्रों को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है । संस्थज्ञन एक ऐसा केन्द्र भी है जो विद्वान शिक्षा शास्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा उन्हें अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करके अपने यहां बनाये रखता है । संस्थान जे॰एन॰टाटा सभाभवन जो राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार पारसर का एक अंग है को भी लगभग संस्थान ने राष्ट्रीय महत्व की सुपर कम्प्यूटर सुविधा की भी स्थज्ञपना की है । केन्द्र में अन्तर्राष्ट्रीय टार्मनलों के साथ माइक्रोवेव सम्पर्क है (मितव्यामता) ।

संसाधनों के सृजन को बढ़वा देने के लिए और बरतने की दृष्टि से वर्ष 1993-94 में निधिकरण योजना के संशोधित पैटर्न शुरू किया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू॰ लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	1050·00	1390·00	1600·00
योजनेत्तर	2450·00	3164·00	3350·00

9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुरक्षित इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों को शिक्षा और शोध के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इस समय विश्वविद्यालय अनुरक्षित ऐसी 32 संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है । पूर्वस्नातक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के अलावा ये संस्थाएं इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में कई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन करती है । शिक्षा प्रक्रियाओं का समन्वय और विकास तथा अन्य व्यावसायिक

कार्यकलाप आठवीं योजना के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है और नौवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 10997-98 से 2002 तक इन्हें जारी रखने का प्रस्ताव है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू॰ लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	25,00·00	2500·00	3000·00

10· विश्व बैंक परियोजना-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

सरकार ने विश्व बैंक की सहायत से राज्य सरकारों को उनके पालिटेक्नीकों की क्षमता, गुणवत्ता तथा दक्षता का स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक परियोजना प्रारम्भ की है । यह परियोजना दो चरणों में लागू हो रही है । 1990-1998 की अवधि में 540 पालिटेक्नीकों को सम्मिलित करने के लिए लगभग 567 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक केन्द्रीय ऋण सहायता सहित इसकी अनुमानित लागत 1650 करोड रूपए है । ये पालिटेक्नीक 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्र में फैले हैं । 1990-91 से प्रथम चरण तथा 1991-92 से दूसरा चरण कार्यान्वित किया जा रहा है । चरण-1 और चरण-2 राज्यों की मध्यकालिक समीक्षा क्रमशः 1994 और 95 में की जा चुकी है । विश्व बैंक मिशन ने परियोजना के कार्यान्वयन से संतुष्ट जाहिर की है ।

परियोजना के पास केन्द्रीय मार्गदर्शन, सहायता और अनुश्रवण तंत्र का एक ठोस घटक है, जिसके लिए एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में एज्यूकेशनल कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड, (एजू॰सी॰आई॰एल॰) नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एन॰पी॰आई॰यू॰) स्थापित की गई है । राज्य परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन करने, परियोजना कार्यान्वयन की मानीटरिंग और समीक्षा करने, परामर्श सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने, राज्य सरकारों और तकनीकी शिक्षा, पालिटेक्नीक शिक्षा से जुडे को दिशा निर्देश देना रा॰ प॰ का॰ई॰ के मुख्य कार्य हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू॰लाख में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान

	1996-97	1996-97	1997-98
योजनागत	150·00	130·00	150·00

11· तकनीकी शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन

यह एक चालू योजना है । इसमें राज्य सरकार को ग्राह्य वेतनमान में संशोधन की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत विवरण-वार, संस्था व्यय प्राप्त होने पर वेतनमान के संशोधन और राज्य सरकार के साथ सेवाओं के अंतिम निपटन पर आने वाले व्यय का 80 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

वित्तीय आवश्यकतायें

(रू· लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	10·00	10·00	10·00

12· प्रौद्योगिकी विकास मिशन

सितम्बर, 1991 को आयोजित योजना आयोग की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देखा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थानों बंगलौर जैसी उत्कृष्ट संस्थाओं का ध्यान प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और पूर्वानुमान की ओर केन्द्रित करने की जरूरत है ताकि भावी दृष्टिकोण को देश में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों के विकास करने के लिए पुनः उन्मुख किया जा सके । कार्य नीति संबंधी महत्व के 7 व्यापक क्षेत्रों को अनुमोदित किया गया है जो निम्नलिखित है :-

1· खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी
2· समेकित डिजायन एवं प्रतिस्पर्धात्मक निर्माण
3· फोटोनिक डिवाइस एवं प्रौद्योगिकी
4· ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकी
5· संचार नेटवर्क आसूचना स्वचलन
6· नई सामग्री
7· जेनेटिक इंजीनियरी तथा जैव प्रौद्योगिकी

एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर सातो क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए अग्रणी संस्थान होगा । उद्योगों की भागेदारी के अलावा तीन तक सहभागी संस्थान होंगे ।

योजना आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है । इन मिशनों के कार्यकलापों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

इन मिशनों के दिन प्रति दिन के कार्य को समन्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा मिशन प्रबन्धन बोर्डों का गठन किया गया है । मिशन प्रबन्धन बोर्ड में विभिन्न विकासशील एजेंसियों की सहभागीता संबंधित संस्थानों के साथ सुनिश्चित की गई है ।

इन मिशनों ने उद्योगों की स्वीकृति प्राप्त कर ली है क्योंकि यह विभिन्न प्रौद्योगिकियों/उत्पादनों के विकास के लिए उनके द्वारा समझौता ज्ञापन पर किए जा रहे हस्ताक्षरों की संख्या से स्पष्ट है । अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए यह योजना एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है ।

वित्तीय आवश्यकतायं

(रू॰लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	2000·00	822·00	1500·00

13· उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटनगर

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान(नेरिस्ट) ईटनगर (अरूनाचल प्रदेश), 1985 में इन्जीनियरी एक प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान की धाराओं में कुशल जनशक्ति सृजित करने के लिए स्थापित किया गया था जिससे कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास किया जा सके । नेरिस्ट को प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में दो-दो वर्ष की अवधि वाले प्रमाणपत्र, डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए माडयूलर कार्यक्रमों की श्रंख्ला प्रदान करने वाले औदेतीय संस्थान के रूप में माना गया । उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा इसे अन्तिम संबद्ध प्रदान किया गया है ।

इस मंत्रालय ने नेरिस्ट की स्थज्ञपना की योजना के कार्यान्वयन के सम्पूर्ण मूल्यांकन करने और संस्थान के विकास के लिए उपर्युक्त सिफारिश करने के लिए प्रो॰ वी॰ नाग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया थज्ञ । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच एन॰ई॰सी॰ और अन्य संबद्ध मंत्रालयों, योजना आयोग आदि के परामर्श से मंत्रालय में की गई । उक्त सिफारिशों के आधार पर ई॰एफ॰सी॰ ने आठवीं

योजना के दौरान 4259·34 लाख रु0 की राशि नोरेस्ट के और अधिक विकास के लिए अनुमोदित की है जिसमे अनावर्ती घटक की राशि 2242·94 लाख रु· तथा आवर्ती घटक की राशि 2016·40 लाख रु· है । 1995-96 तक हमने 3026·00 लाख रु· जारी कर दिए हैं । चालू वित्तीय वर्ष के लिए 300·00 लाख रु· का बजट प्रावधान किया गयाहै । यह पूरी की पूरी राशि दे दी गई है । 300·00 लाख रु· के बजट आवंटन के अलावा 933·00 लाख रु· की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाता है ।

वर्ष वार व्यय निम्नलिखित था :-

वर्ष	राशि (रु·लाखों में)
1992-93	587·00
1993-94	754·00
1994-95	800·00
1995-96	885·00

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु· लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	300·00	1233·00	1000·00

14· एजुकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (एड सील)

एजुकेशनल कंसलटेंटस इंडिया लिमिटेड, शिक्षा विभाग के अधीन एक सार्वजानिक क्षेत्र उपकम विकासशील देशों की सरकारों और शैक्षिक संस्थाओं जैसी अनेक एजेंसियों और वित्तपोषित संगठनों जैसे विश्व बैंक एशियन विकास बैंक आदि को शैक्षिक परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तथज्ञ शैक्षिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने, संभाव्यता /मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने और देश के भीतर और बाहर ट्रंकी आधार पर शैक्षिक संस्था कार्यकम की योजना बनाने तथा स्थापित करने के लिए जून, 1981 में स्थापित किया गया था । कम्पनी की प्राधिकृत की गई तथा दी गई पूंजी 31·12·96 तक 125·00 लाख रु· थी ।

कम्पनी ने प्रस्ताव किया है कि या तो उसकी प्राधिकृत की गई तथा दी गई पूंजी 125·00 लाख रु· से बढ़कर 200·00 लाख रु की जाए या 75·00 लाख

रु· ब्याज रहित ऋण के रूप में दिए जाएं जिससे वह नोएडा स्थित अपने भवन की अतिरिक्त निर्माण लागत को पूरा कर सके । इस संबंध में इस प्रस्ताव की सिफारिश की गई है जो स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु· लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	2·00	2·00	80·00

ट॰ यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

यूनेस्को के लिए योगदान

यूनेस्कों में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का अंशदान संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानदण्डों और यूनेस्कों के महासम्मेलन द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार निर्धारित किया जाता है । यूनेस्कों के सदस्य होने नाते द्विवार्षिक 1996-97 के यूनेस्कों के बजट में भारत का अंशदान 1995 में आयोजित यूनेस्कों को महासम्मेलन के 28 वें अधिवेशन द्वारा क्रमशत 0·3049 प्रतिशत और 0·30 प्रतिशत निर्धारित किय गया था । तदनुसार 2·00 करोड रू॰ पहले ही जारी कर दिए गए हैं और 1·65 करोड रू॰ का प्रस्ताव कलैन्डर वर्ष 1996 के लिए यूनेस्को बजट के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है । विशेष उद्देश्यों के लिए यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों से की गई अपील पर भारत सरकार यूनेस्को को स्वैच्छिक योगदान भी देती हैं ।

भारत दिल्ली स्थित यूनेस्कों के भवन के किराए का खर्च भी वहन कर रहा है । इस समय यह कार्यालय 8 पूर्वी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली में स्थित है । इस आवास के लिए भारत सरकार 75000/- रू॰ प्रतिमाह की दर पर किराए की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गई है । तदनुसार 9·00 लाख रू की राशि 1 अप्रैल, 95 से 31 मार्च, 96 तक यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय को प्रति पूर्ति कर दी गई है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रू॰ में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेत्तर	450·00	479·00	500·00

।।॰ औरोविले प्रबन्ध

वर्ष 1990 में भारत सरकार ने औरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के अधीन औरोविले प्रतिष्ठान का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था जो 8 सितम्बर, 1988 से प्रभावी हुआ । यह प्रतिष्ठान 29·01·1991 की अधिसूचना के अन्तर्गत स्थापित किया गया था । अधिनियम में प्रतिष्ठान के प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान का प्रावधान है जिसमें औरोविले के विभिन्न विकास कार्यकलाप भी शामिल है । 30·1·1991

की अधिसूचना के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के शासी बोर्ड का गठन किया गया था तथा 27.1.1995 की अधिसूचना के अन्तर्गत उसका पूनर्गठन किया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू. लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	20.00	20.00	50.00
योजनेत्तर	30.00	33.00	37.00

III. यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

भारत संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के संस्थापक सदस्यों में से एक है । यूनेस्को के संविधान के अनुसार, भारत के लोगों के बीच यूनेस्को के उद्देश्य तथा लक्ष्यों संबंधी ज्ञान को बढ़ावा देने में यूनेस्को का सहयोग करने और यूनेस्को से संबंधित मामलों के बारे में भारत सरकार को सलाह देने के लिए भारत ने एक भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है ।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना तैयार की । इस योजना में शामिल हैं :-

1. आई.एन.सी. पुस्तकालय का भारत में यूनेस्को के प्रकाशन के लिए पूर्ण प्रलेखन और संदर्भ केन्द्र के रूप में पुनर्गठन ।

2. यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ने के क्रम में समितियों की बैठकों/सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का आयोजन ।

3. यूनेस्को के कार्यक्रम और कार्यकलापों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करना ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रू. लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	11.00	11.00	11.00

11/· विदेशों के साथ शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करना ।

80 से भी अधिक देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत शैक्षिक कार्यकलाप किए जाते हैं । बाह्य शैक्षिक संबंध (ई·ए·आर·) एकक विशेषकर राष्ट्रमंडल तथा सार्क देशों और इस प्रकार के अन्य देशों के साथ अधिक आदान प्रदान कर रहा है

शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी समन्वयक भूमिका से विदेशों के साथ शैक्षिक संबंधों को प्रभावी ढंग से सुदृढ करने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना है कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के शैक्षिक घटकों और राष्ट्रमंडल, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन तथज्ञ सार्क जैसे महत्वपूर्ण दिवपक्षीय व्यवस्थाओं के बारे में समझोता करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए उपयुक्त वित्तीय तंत्र प्रदान करना आवश्यक हो गया है जिसके द्वारा हम न केवल आवधिक चर्चायें तथा मूल्यांकन के लिए सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत कर सकते हैं बल्कि इस विभाग के और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का अन्य देशों के प्रतिस्थानियों के साथ अपने हित के विषयों पर बातचीत करने के लिए प्रतिनियुक्ति भी कर सकते हैं ।

वित्तीय आवश्यकतायें

(रु·लाख में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	5·00	3·00	5·00

1/ यूनेस्को कूरियर के हिंदी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन के लिए यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का व्यय

भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के सहयोग से "कूरियर" नामक यूनेस्को की मासिक पत्रिका का हिंदी और तमिल संस्करण प्रकाशित करता रहा है जो विश्व की महत्वपूर्ण शैक्षिक और सांस्कृतिक पत्रिकाओं में एक है। इस प्रयोजनार्थ यूनेस्को 18420 डालर की आर्थिक सहायता देता है। यह आयोग केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली के जरिए हिंदी संस्करण तथा दक्षिण भाषा पुस्तक न्यास, मद्रास के जरिए तमिल संस्करण प्रकाशित करवाता है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनेतर	20.00	20.00	22.00

। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र है जिसका उद्देश्य अध्ययन, नए विचारों तथा तकनीकों के सृजन तथा अनुकूल समूहों के प्रशिक्षण के साथ अंतर्संबंध के लिए उनका प्रसार करके शिक्षा में आयोजना और प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करना है। नीपा शैक्षिक आयोजना और प्रशासन से जुड़े प्रशासकों के लिए प्रबोधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। भारत के विभिन्न राज्यों की तथा विश्व के अन्य देशों की शैक्षिक तकनीकों तथा प्रशासनिक प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन सहित शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के विभिन्न घटकों में अनुसंधान करना, सहायता देना, बढ़ावा देना तथा उसका समन्वय करना भी नीपा के लक्ष्यों और उद्देश्यों में शामिल है। यह शैक्षिक आयोजना और प्रशासन सेवा तथा अन्य कार्यक्रमों में अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार पर विचार और सूचना के समाशोधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है। नीपा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निबंध, पत्रिकाएं और पुस्तकें भी तैयार, मुद्रित और प्रकाशित करता है तथा यह खासतौर पर अंग्रेजी में और प्रवेशिका हिंदी में प्रकाशित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन , नवोदय विद्यालय समिति, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राज्य सरकारें, राज्य लोक प्रशासन संस्थान, एस सी ई आर टी, डी आई ई टी तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड आदि ने जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को यह संस्थान शैक्षिक और व्यावसायिक सहायता सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। यूनेस्को, यूनेप, विदेश मंत्रालय आदि जैसी प्रायोजक एजेंसियों की मदद से नीपा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

प्रशिक्षण कार्यकलाप

1997-98 के दौरान संस्थान का लगभग 49 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सेमिनार/गोष्ठी आयोजित करने का तथा भारत के विभिन्न भागों के तथा बंगलादेश, इथोपिया, घाना, इंडोनेशिया, मालदीव , मारीशस, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, वियतनाम, जाँबिया, जंजीबार आदि जैसे अनेक अन्य देश के 2000 प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर-विषयक स्वरूप के होंगे तथा उनमें केस स्टडी और सेमिनारों के लिए व्यावहारिक और सिंडीकेट कार्य शामिल होंगे। 1996-97 के दौरान संस्थान 38 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर चुका है जिनसे लगभग 950 सहभागी लाभान्वित हुए हैं। यह चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान 10 और कार्यक्रम संचालित करेगा जिनसे लगभग 475 सहभागी लाभान्वित होंगे। इस प्रकार संस्थान लगभग 1425 सहभागियों के लाभार्थ 48 कार्यक्रम संचालित करेगा।

अनुसंधान

वर्ष 1997-98 के दौरान संस्थान पहले से चल रही अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करेगा। चल रही परियोजनाओं में से कुछेक 1997-98 के दौरान पूरी हो जाएंगी।

वर्ष 1997-98 के दौरान लगभग 5-6 और अनुसंधान अध्ययन हाथ में लिए जाएंगे।

1997-98 के दौरान परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा नए विचारों के प्रसार के अलावा कुछेक कार्य उन्मुख पथभंजक अनुसंधन अध्ययन शुरू करने का भी संस्थान का प्रस्ताव है।

योजनागत के तहत छात्रावास की लिफ्ट को बदलने तथा अपने प्राध्यापकों तथा अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए डी डी ए से कुछ फ्लेट प्राप्त करने के लिए प्रावधान है। नया कार्यालय ब्लाक संगणक केन्द्र निर्मित करने तथा संगणक प्रणाली के स्तरोन्नयन तथा पूर्ण नेट वर्किंग का भी हमारा प्रस्ताव है। नए छात्रावास ब्लाक जोकि पूर्णतया तैयार है, के साज-सज्जा तथा विद्युतीकरण के लिए व्यवस्था की जानी है। ये सुविधाएं तत्काल अपेक्षित हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	100·00	100·00	617·00
योजनेतर	106·00	106·00	115·00

II शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि की सहायता के लिए योजना

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि की योजना का उद्देश्य पात्र संस्थाओं, संगठनों को उनके प्रस्तावों के गुण-दोष के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनका सीधा संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रबंध तथा कार्यान्वयन संबंधी पहलुओं से हो। इसमें सेमिनारों का प्रायोजित किया गया, प्रभाव और मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन तथा परामर्श संबंधी सौंपे गए कार्यों का निष्पादन शामिल है जिससे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वोत्तम विकल्पों और मॉडलों के संबंध में सरकार को सलाह प्राप्त हो सके।

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता में परियोजना कर्मचारियों का वेतन और भत्ता/टी ए/डी ए का भुगतान, लेखन सामग्री और मुद्रण, कार्यालय उपस्कर का किराए पर लिया जाना तथा डाक प्रभार आदि सहित आकस्मिक खर्च शामिल हैं। आमतौर पर ऐसी सहायता की अधिकतम सीमा 1.00 लाख रु0 प्रति परियोजना है।

1996-97 के दौरान दिसम्बर, 1996 तक एक कार्यशाला, दो सेमिनारों, पांच सम्मेलनों तथा एक अध्ययन के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	35.00	35.00	35.00

।।। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना

इस केन्द्रीय योजना को मई, 1993 में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया कि शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी शैक्षिक सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना के लिए प्रावधान किया जा सके जहाँ प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को (राज्य सरकारों के जरिए) निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है :-

(।) ऐसे क्षेत्रों में नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना जहाँ उनकी आवश्यकता महसूस की गई हो और उनकी साध्यता स्कूल स्थान निर्धारण संबंधी कार्यकलाप के जरिए स्थापित हो गई हो

(।।) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में आधारभूत शैक्षिक सुविधाओं तथा भौतिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

(।।।) लड़कियों के लिए ऐसे अनेक विषयों वाले आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना जहाँ विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं।

सभी के लिए सुलभ कार्यक्रमों का आयोजन इस तरह से किया जाए कि समाज के ऐसे वर्गों को प्राथमिकता मिल सके जो शिक्षा तथा विकासात्मक कार्यों से वंचित रहे हैं।

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित है तथा इसे राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और स्वयंसेवी संगठनों के जरिए लागू किया जा रहा है। समुदाय विकास ब्लाक या तहसील इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की इकाई है।

महापंजीयक के कार्यालय से परामर्श लेकर कल्याण मंत्रालय द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ब्लाकों की पहचान न होने तक इस योजना को सर्वप्रथम कार्य योजना 1986 में सूचीबद्ध अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 41 जिलों में शुरू किया गया तथा अब इसे 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी के शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 331 ब्लाकों में लागू किया जा रहा है।

1995-96 के लिए बजट अनुमान 220·00 लाख रु0 था। उस वर्ष के दौरान सहायता अनुदान समिति द्वारा 534·02 लाख रु0 की राशि वाले प्रस्ताव अनुमोदित किए गए।

इस राशि से 155·00 लाख रु0 (127·30 लाख रु0 उत्तर प्रदेश को तथा 27·64 लाख रु0 राजस्थान को) प्रथम किस्त के रूप में जारी किया गया। इसके अलावा दूसरी किस्त के रूप में 65·00 लाख रु0 (45·70 लाख रु0 उत्तर प्रदेश को तथा 19·30 लाख रु0 पश्चिम बंगाल को) जारी किया गया।

अब तक निम्नलिखित के लिए आंशिक वित्तीय सहायता जारी की गई :

427 प्राथमिक स्कूल/उच्च प्राथमिक स्कूल

3 माध्यमिक स्कूल

6 आवासीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

561 शिक्षण कक्ष

खेलने/उनके लिए भवन का निर्माण

-22 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों के रूप में

2 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए

- 10 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए छात्रावास भवन के निर्माण के वास्ते

- 10 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण

- 527 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्ययन अध्यापन सामग्री का प्रावधान

वर्ष 1996-97 के लिए बजट अनुमान 220·00 लाख रु0है। इस राशि में से 107·695 लाख रु0 69·03 लाख रु0 कर्नाटक को तथा 38·665 लाख रु0 उत्तर प्रदेश को जारी किया जा चुका है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	220·00	220·00	1000·00

ङ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक सांख्यिकी का संगणकीकरण

योजनागत परियोजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु विस्तृत शैक्षिक डाटा संग्रहीत करने के लिए तथा मौजूदा मैनुअल श्रृंखलाओं में शैक्षिक डाटा के संग्रह में लगाने वाले समयांतराल को घटाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा "राज्य स्तर पर शैक्षिक सांख्यिकी का संगणकीरण" नामक एक केंद्रीय योजना शुरू की गई थी।

योजना को सर्वप्रथम 1987-88 में शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में शुरू किया गया था तथा बाद में 1991-92 से इसे शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी शुरू किया गया। इस योजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के निकट सहयोग से लागू किया जा रहा है, जिन पर जिला/राज्य स्तर पर विस्तृत डाटा के संगणकीकृत प्रोसेसिंग के लिए व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। योजना में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संगणकीकृत फार्मों के मुद्रण की लागत की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। 1992-93 से 1995-96 के दौरान जिन राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए मंत्रालय के पास बिल भेजा गया है उन्हें 31 लाख रूपये की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। 12 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति 1995-96 में 7 राज्यों को की गई है। चालू वर्ष अर्थात् 1996-97 में इसमें सुधार आने की संभावना है।

9-10 अप्रैल को आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डी.पी.आई./डी.ई. तथा सांख्यिकी अधिकारियों की बैठक में की गई सिफारिशों के प्रकाश में इस योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं। इस समय सभी राज्य इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं परंतु ऐसी संभावना है कि प्रस्तावित संशोधित योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा पूरे मन से लागू की जाएगी/अपनाई जाएगी। इस प्रकार व्यय में तद्नुसार वृद्धि होगी।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु. लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1999-98
योजनागत	27.00	15.00	5.00

ग. सचिवालय

निम्नलिखित प्रावधान के अंतर्गत विभाग की योजनागत तथा योजनेतर स्थापना के अनुरक्षण पर व्यय, आतिथ्य प्रकाशन तथा आमोद प्रमोद व्यय, आयोजना तथा सांख्यिकी एकक, व्यावसायिक शिक्षा तथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड पर होने वाला व्यय आता है।

अब तक कुछ पुनर्मुद्रण सहित 12 प्रकाशन 1996-97 के दौरान (31.12.1996 तक) प्रकाशित किए जा चुके हैं। 1997-98 के दौरान इतने ही प्रकाशनों के प्रकाशित होने की उम्मीद है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(रु. लाखों में)

	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
योजनागत	22.00	20.00	34.00
योजनेतर	1016.00	1181.00	1284.00

CONTENTS

	PAGES
CHAPTER I	
Introductory	1
CHAPTER II	
General Review	4
CHAPTER III	
Abstracts of Financial Outlays and Barcharts indicating BE 1996-97, RE 1996-97 and BE 1997-98	8
CHAPTER IV	
A. Elementary Education	10
B. School Education	23
C. University and Higher Education	48
D. Adult Education	62
E. Scholarships	69
F. Book Promotion	74
G. Development of Hindi	78
H. Promotion of Modern Indian Languages	83
I. Sankrit	88
J. Technical Education	93
K. Indian National Commission for Cooperation with UNESCO	107
L. Educational Planning	110
M. Secretariat	114

CHAPTER - I

INTRODUCTORY

Functions

The functions of the Department of Education are to evolve educational policy in all its aspects and to coordinate and determine standard in higher education including research. This Department is also responsible to expand and develop technical education, to improve quality of textbooks, to administer scholarships and other schemes, to foster and encourage studies and research in Sanskrit and other classical languages, to develop activities in the field of non-formal education, to promote adult education and to co-ordinate with the programmes of assistance and other activites of UNESCO.

Programmes/Sub-Programmes

The programmes undertaken by the Department of Education can be broadly classified under the following heads:-

A. Elementary Education.
B. School and Physical Education.
C. University and Higher Education.
D. Adult Education.
E. Scholarships.
F. Book Promotion.
G. Hindi.
H. Modern Indian Languages.
I. Sanskrit.
J. Technical Education.
K. Indian National Commission for Cooperation with UNESCO.
L. Educational Planning.
M. Secretariat.

A. Elementary Education

The Schemes of elementary education are being implemented mainly through State Governments, UTs.

B. School Education

In this field the main institutions are:-

1. Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi.
2. The National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
3. The Central Tibetan School Administration, New Delhi.
4. National Open School.
5. Navodaya Vidyalaya Samiti, New Delhi.

C. *University And Higher Education*

In this field the main institutions are:-

1. University Grants Commission, New Delhi.
2. Indira Gandhi National Open University, New Delhi.
3. Indian Council of Social Science Research, New Delhi.
4. Indian Council of Philosophical Research, New Delhi.
5. Indian Institute of Advanced Study, Shimla.
6. Indian Council of Historical Research, New Delhi.
7. National council of Rural Institutes.

D. *Adult Education*

The main institutions in this field are:-

1. Directorate of Adult Education, New Delhi.
2. Shramik Vidyapeeths.
3. National Institute of Adult Education, New Delhi.

E. *Scholarships*

The Schemes of scholarships for higher studies within and outside the country are implemented through the Central and State Governments.

F. *Book Promotion*

In this field the main institution is:-

National Book Trust, Delhi.

G. *Development Of Hindi*

In this field the main institutions are:-

1. Hindi Shikshan Mandal, Agra.
2. Central Hindi Directorate, New Delhi.
3. Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi.

H. *Modern Indian Languages*

The main institutions in this field are:-

1. National Council for Promotion of Urdu Language.
2. Central Institute of Indian Languages, Mysore.

I. Sanskrit

In this field the main institutions are:-

1. Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi.
2. Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Tirupati.
3. Rashtriya Veda Vidya Pratisthan.

J. Technical Education

In this field the main institutions are:-

1. Indian Institutes of Technology.
2. Regional Engineering colleges.
3. School of Planning and Architecture, New Delhi.
4. National Institute of Foundry and Forged Technology, Ranchi.
5. National Institute for Training in Industrial Engineering, Bombay
6. Technical Teachers' Training Institutes.
7. Indian Institutes of Management.
8. All India Council of Technical Education.
9. Sant Longowal Institute of Engineering and Technology.

K. Inc For Co-Operation With Unesco:

India is one of the founder members of the United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation. The Government of India makes voluntary contributions to UNESCO in response to appeals addressed by UNESCO to its Member States for contribution for specific purposes. Indian National Commission for Cooperation with UNESCO has been established to promote understanding of the aims and objectives of UNESCO amongst the people of India and to advise the Government of India on matters relating the UNESCO. Various programmes are in operation for the purpose.

L. Educational Planning

In this field the main institution is National Institute of Educational Planning and Administration.

M. Secretariat

It is the administrative Department of HRD Ministry. Out of the total budgetary allocation of Rs. 5714.26 crores made for the Ministry of HRD in BE 1996-97, Rs.12.01 crores (RE-1996-97) relate to the Department of Education alone.

CHAPTER - II

GENERAL REVIEW

An outlay of Rs. 3386.54 crores was provided in the Annual Plan 1996-97 which was also the eighth year of the implementation of the National Policy of Education (NPE), 1986 and Programme of Action (POA). The Plan outlay for 1997-98 has been fixed at Rs. 3894.13 crores. Out of this, Rs.1.01 crores have been allocated to Ministry of Urban Affairs & Employment for carrying out capital works.

The nine years after the formulation of the NPE, all major schemes under the NPE have made significant progress. During the year 96-97, various schemes for Total Literacy, Non-Formal Education, Vocationalisation of Education, Science teaching in Schools, Educational technology and Higher Education continued to be implemented.

Elementary Education

The scheme of Operation Blackboard started in 1987-88 aims at providing essential facilities in all primary schools in the country in a phased manner. During the period between 1987-88 and 1995-96, teaching learning equipment has been sanctioned to 5.23 lakhs (100%) primary schools and 47,589 (30%) upper primary schools, and the third teacher has been sanctioned to 33,605 (23%) primary schools. It is proposed to sanction third teacher to about 9,000(7%) primary schools during 1996-97.

The Non-Formal Education Scheme is essentially aimed at those children who cannot obtain formal schooling due to a variety of reasons. The Scheme, while supplementing the formal education in schools is being implemented on a project basis. At present the scheme is being implemented in 21 States/UTs with emphasis on organizational flexibility, relevance of curriculum and diversity in learning activity to suit the needs of learners through decentralized management. Presently, 2.79 lakhs centres have been sanctioned for imparting Education to about 70.00 lakhs children. More than one lakh centres are exclusively for girls.

With a view to equip the school teachers with suitable in-service training so as to make them competent to discharge their roles in the context of NPE, so far 425 District Institutes of Education and Training (DIETs) have been established in the year 1996-97. 108 Secondary Teacher Education Institutions have been upgraded into Colleges of Teacher Education (CTEs)/Institutions of Advanced Study in Education (IASEs) and 18 Projects for strengthening of State Councils of Educational Research and Training (SCERTs) have been sanctioned. During 1996-97, upto September 1996, 417 lakhs teachers have been covered under the special Orientation Programme for Primary Teachers.

Mahila Samakhya programme is currently operational in 2075 villages in 17 districts, in the four States of Karnataka, Uttar Pradesh, Gujarat and Andhra Pradesh. Shiksha Karmi Project is functioning in 28 districts and 94 blocks/units in 1590 villages in Rajasthan. 1590 Day Centres and 3534 Prehar Pathshalas have been set up in which 3860 Shiksha Karmis out of which female Shiksha Karmis

403 are involved in imparting education to 1,50,391 children between the age group 6-11 years. Another 10 blocks/units in 350 villages are proposed to be covered upto 31.3.97.

The National Bal Bhavan was established in 1956 for enhancing the creativity amongst children in the age group 5-16 years especially from the weaker sections of the society. 51 Bal Bhavan Kendras, spread all over Delhi, have been opened. Under on-going activities, 20 workshops have been conducted in which 20,000 children and about 2,500 teachers/resource persons have participated.

The National Council for Teacher Education (NCTE) has been established as a statutory autonomous organisation w.e.f. 17.8.95 with the objective of achieving planned and coordinated development of teacher education. During the brief period, the council has laid down norms and standards for pre-primary, elementary and secondary level teacher education institutions. During the current year a number of seminars, symposia, awareness meetings, etc. have been organised by the NCTE.

A major initiative was taken to achieve universalisation of elementary Education and a National Elementary Education Mission has been set up. The objective of the Mission is to bring a sense of expedition to fulfil the constitutional objective of free and compulsory education to all children below the age of 14 years before the advent of 21st century. The District Primary Education Project (DPEP) has been launched in 42 districts of the States of Assam, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu & Madhya Pradesh from November, 1994. In 1996, the programme has been extended to 17 districts of Orissa, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh and Gujarat.

For the first time in the country a nation wide programme of Nutritional Support to Primary Education was launched on 15th August, 1995. The programme is to give boost to universalisation of primary education by increasing enrolment, retention, attendance and simultaneous impact on nutrition to students in primary classes. The programme will cover, in a phased manner, all students of primary classes. In 1996-97, the programme has been expanded to cover a total of 5.57 crores children.

School Education

With the commissioning of INSAT transmission in 1982, a scheme for Educational Television Programme Production was introduced and the Central Institute of Educational Technology and six State Institutes of Educational Technology were set up. During 1995-96, 3,038 Colour Television sets and 10,644 radio-cum-cassette players have been sanctioned to States/UTs. During 1996-97, it is proposed to sanction 9672 CTVs and 31,666 RCCPs for installation in upper primary/primary schools. The scheme has been evaluated by National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) and Social and Rural Research Institute (SRRI), New Delhi. So far 3,66,732 RCCPs and 64,952 CTVs have been sanctioned to States/UTs.

Navodaya Vidyalayas, which were conceived with a view to provide good quality education to the talented children particularly from rural areas, are being managed by the Navodaya Vidyalaya Samiti, an autonomous society under the Department. So far, 378 schools have been established. Administrative approval

for construction of buildings in respect of 327 schools have been given and the work is in progress. 215 Vidyalayas are functioning in their own buildings. 22 more vidyalayas are likely to shift to their own buildings during 1996-97.

In order to make education job oriented, a Centrally Sponsored Scheme of Vocationalisation of Secondary Education was launched in 1987-88. Till 1995-96, 18,709 vocational sections have been sanctioned in 6476 schools all over the country thereby creating capacity for diversions of 9.35 lakh students to Vocational stream. A Central Institute of Vocational Education (CIVE) has been set up at Bhopal. To improve quality of Science Education and promote scientific temper a centrally sponsored scheme of improvement of Science Education in schools was launched in 1987-88. During the last 3 years, viz. 1993-94 to 1995-96 a sum of Rs. 66.62 crores has been sanctioned to 24 States/Union Territories and 15 voluntary agencies for provision of science kits to upper primary schools, upgradation of science laboratories in secondary/senior secondary schools, supply of Library books and training of Science and Mathematics teachers of the relevant schools.

Adult Education

The National Literacy Mission (NLM), which was launched by the Prime Minister on the 5th May 1988 has the objective of functional literacy to 100 million illiterates in the 15 to 35 years of age group by the end of 8th Five Year Plan. Total Literacy Campaign is now its principal strategy. This has been accepted by all States/UTs as a principal mode for eradication of illiteracy. For three years in succession, the campaign has attracted international recognition. As on Oct., 1996, as many as 410 districts under the TLC and 169 districts under PLCs have been brought with full or partial coverage. During the current financial year, as on Oct., 1996, 26 districts under Total Literacy Campaign and 6 districts under Post Literacy Campaign have been sanctioned. It is expected that 50 districts under TLCs and 40 districts under PLCs (Post Literacy Campaign) would be covered in the current financial year.

The focus of the National Literacy Mission after its initial successes in Southern, Eastern and Western parts of the Country, is now to concentrate in the 5 States of Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh and Orissa where bulk of the illiterate population is concentrated.

Successful implementation of TLCs also resulted in the emergence of new literates who needed to be guided from teacher dependent learning to self-guided learning to prevent relapse into illiteracy and to lead to a sustainable level of literacy.

Higher Education

During 1995-96 the work of consolidation of the facilities in the existing institutions continued. Efforts were made for re-designing and restructuring of courses and development of distance education. University Grants Commission has been providing general development grant to 133 State Universities and 14 Central Universities and 19 Deemed Universities. In addition, 10 (out of 14) Central Universities, 12 deemed Universities, 55 maintained colleges of Delhi University and 4 colleges of Banaras Hindu University are being provided maintenance grant. Upto the fourth year of the VIIIth Plan, there were 224

Universities and 8613 Colleges. 176 (out of 224) Universities are directly under the umbrella of UGC. 140 (out of 176) Universities are being given plan grants. 4510 (out of 8613) Colleges are receiving grants from the UGC.

The Indira Gandhi National Open University has so far set up 9 schools in various disciplines. One more school namely, 'School of Legal Studies is being established. The construction work of its new campus with well-equipped complex including buildings for the University's Communication Division at IGNOU's permanent campus site is completed. The University also commenced telecasting its programme on National Network of Doordarshan. Interaction and cooperation has been growing between IGNOU and the Commonwealth of Learning (COL).

The National Council of rural Institutes was set up as an autonomous body, in October, 1995 at Hyderabad with the aims and objectives to promote rural higher education on the lines of Mahatma Gandhi's ideas on education and to consolidate network and develop institutions engaged in programmes of Gandhian Basic Education and Nai Talim. NCRI is preparing an Action Plan for promotion/revival of existing rural institutes as also encourage new initiatives.

The other institutions of higher learning such as Indian council of Social Science Research, Indian council of Historical Research, Indian Council of Philosophical Research and Indian Institute of Advanced Studies continued to pursue their objectives and were duly encouraged by the Government towards attainment of their goals.

Technical Education

The thrust on modernisation and removal of obsolescence in engineering and technological institutions at all levels continued during the year.

Technology Development Missions have been set up in five Indian Institutes of Technology at Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur and Madras and at Indian Institute of Science, Bangalore in the following areas:-

i) Food Processing Engineering.
ii) Integrated Design and Competetive Manufacturing.
iii) Energy Efficient technologies and Devices.
iv) Communication Net-Working and Intelligence Automation.
v) New Materials and Genetic Engineering, and
vi) Bio-Technology.

All ongoing programmes have been reviewed to make them more meaningful in their pursuit of excellence and to drop those schemes/programmes which have lost relevance. Autonomous institutions in the field of technical education excelled in their recognized field of activities.

Other Programmes

In addition, the programmes including Book Promotion, Development of Indian Languages, Scholarships, etc. were continued during the year keeping in view the budget provisions.

CHAPTER III

ABSTRACT OF FINANCIAL OUTLAYS

TABLE A

PROGRAMME-WISE PLAN AND NON-PLAN OUTLAYS

DEMAND NO.48 - DEPARTMENT OF EDUCATION

(Rs. in Lakhs)

	Programme	Budget Estimates 1996-97		Revised Estimates 1996-97		Budget Estimates 1997-98	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
	1	2	3	4	5	6	7
1	Elementary Education	226370.00	98.00	156690.00	98.00	254200.00	108.00
2	Secondary and Physical Education	38111.00	33320.00	36748.00	34167.00	35494.00	32989.00
3	University and Higher Education	23839.00	48460.00	23975.00	48604.00	40300.00	47247.00
4	Adult Education	22450.00	266.00	11216.00	273.00	12700.00	281.00
5	Scholarships	215.00	266.00	70.00	157.00	897.00	84.00
6	Book Promotion	198.00	342.00	257.00	337.00	650.00	363.00
7	Hindi	684.00	572.40	917.00	580.00	1025.00	623.00
8	Modern Indian Language	487.00	341.60	275.00	314.00	717.00	322.00
9	Sanskrit	469.00	495.00	970.00	595.00	2628.00	603.00
10	Technical Education	25391.00	23238.00	25762.00	28420.00	39000.00	28787.00
11	INC for Co-operation with UNESCO	36.00	514.00	34.00	546.00	66.00	575.00
12	Educational Planning and others	382.00	411.00	370.00	409.00	1702.00	484.00
13	Golden Jubilee of India's Independence	00.00	00.00	00.00	00.00	20000.00	00.00
14	Secretariat (including publication)	22.00	1016.00	20.00	1181.00	34.00	1284.00
	Total 48-Deptt. of Education:	338654.00	109340.00	257304.00	115681.00	409413.00	113750.00
	Recoveries		(-)2.00	-	-	-	-
	Net Demand No. 48 - Education	338654.00	109338.00	257304.00	115681.00	409413.00	113750.00

Provisions to the tune of Rs. 78.72 crores have been made for sixteen new Central Plan/Centrally Sponsored Schemes, i.e., Rs.10.00 crores for National Programme of Media Publicity and Advocacy of UEE; Rs.5.00 crores for National Elementary Education Mission (NEEM); Rs.35.00 crores for Special Assistance to States/UTs for implementing the proposals to make EE a fundamental right and to enforce it through Statutory Measures; Rs.4.00 crores for Hindi University; Rs. 4.00 crores for Urdu University; Rs.20.01 crores for project of History of Indian Science, Philosophy and Culture; Rs.1.00 crore for Establishment of National Translation and Interpretation Trust; Rs.7.82 crores for National Loan Scholarship Scheme; Rs.0.96 crore for Setting up of Copyright & Enforcement Cell; Rs.0.30 crore for organising Seminars & Workshops on Copyright Matters; Rs.0.20 crore for Financial Assistance on Intellectual Property Right; Rs.0.68 crore for Modernisation of Copyright Office; Rs.2.00 crores for Engineering College at Jammu; Rs.6.00 crores for RAGNICAS; Rs.1.84 crores for Disabled Polytechnics and Rs.200.00 crores for Golden Jubilee of India's Independence. Details of these schemes are being worked out.

TABLE B
DEMAND NO.48 - DEPARTMENT OF EDUCATION
SOURCES OF FINANCE

(Rs. in Lakhs)

	Revenue Section	Budget Estimates 1996-97		Revised Estimates 1996-97		Budget Estimates 1997-98	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
	1	2	3	4	5	6	7
1	Secretariat Major Head 2251	239.00	1011.00	197.00	1178.00	418.00	1280.00
2	Council of Ministers Major Head 2013	-	5.00	-	3.00	-	4.00
3	General Education Major Head 2202	236818.00	84691.00	164888.00	85789.00	277977.00	83388.00
4	Technical Education Major Head 2203	25089.00	23228.00	24527.00	28410.00	37920.00	28777.00
5	North East Areas Major Head 2552	300.00	-	1233.00	-	1000.00	-
6	Grants to State Govts. Major Head 3601	75426.00	272.00	65973.00	270.00	71217.00	270.00
7	Grants to Union Territores Govts. Major Head 3602	685.00	1.00	419.00	1.00	785.00	1.00
8	AID Materials and Equipment Major Head 3606	-	2.00	-	-	-	-
9	Sports & Youth Services Major Head 2204	45.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00
10	Golden Jubilee of India's Independence Major Head 2250	-	-	-	-	20000.00	-
	Total (Revenue Section)	338602.00	109240.00	2572052.00	115681.00	409332.00	113750.00
	Capital Section						
AA.	Major Head 4202 - Capital Outlay for Education, Arts & Culture	2.00	-	2.00	-	80.00	-
BB.	Loans for Education, Sports & Arts & Culture Major Head 6202	50.00	-	50.00	-	1.00	-
CC.	Loans and Advances to State Govts. Major Head 7601 Charged	-	100.00	-	-	-	-
	Total Capital Section	52.00	100.00	52.00	-	81.00	-
	GRAND TOTAL	338654.00	109340.00	257304.00	115681.00	409413.00	113750.00
	Recovery	-	(-)2.00	-	-	-	-
	NET TOTAL	338654.00	109338.00	257304.00	115681.00	409413.00	113750.00

CHAPTER - IV

A. ELEMENTARY EDUCATION

I Operation Blackboard

The scheme was started in 1987-88 to bring all existing primary schools in the Country to a minimum standard in physical facilities by providing them with:-

i) At least two reasonable large all weather rooms alongwith separate toilet facilities for boys & girls;

ii) At least two teachers as far as possible one of them a woman; and

iii) Essential teaching and learning material inclduing blackboards, maps, charts, a small library, toys and games and some equipments for work experience.

The scheme is implemented through State Governments 100% Central assistance is provided for procurement of teaching learning equipment and appointment of additional teacher in single teacher schools. Construction of school buildings is the responsibility of the State Governments.

Based on the external evaluation of the scheme and the past experience, certain modifications in the methodology of implementation have been brought about. These are:-

i) Flexibility: The States have been given sufficient flexibility to decide on the specific teaching-learning materials which would be relevant and useful for the particular State.

ii) Decentralised Purchase: States have been advised to decentralise purchase of equipment so that there are no major logistical bottlenecks.

iii) Quality Control: States have been requested to ensure quality control at all levels.

iv) Training of Teachers Being an essential input for optimum utilisation of teaching learning materials a Special Orientation Programme for Primary Teachers (SOPT) has been launched under which 18 lakhs primary school teachers would be given orientation for the next three years in the use of teaching-learning material and transaction of curriculum in an activity oriented, child centered manner and in ensuring that all children acquire minimum levels of learning.

v) Women Teachers: In order to ensure that enrolment and retention of the girls child is focussed upon, specific provision was made in

the original scheme that 50% of the additional teachers recruited under Operation Blackboard should be women. It has now been made mandatory that all State Governments adhere to this stipulation. It may be mentioned here that Tamil Nadu has decided to recruit only women as primary school teachers.

vi) Funding Pattern for Construction: In order to accelerate the pace of construction of school buildings, the Department of Education has worked out in consultation with Ministry of rural Development a funding pattern under JRY wherein the cost is almost equally shared between the Centre and the States. Construction of school buildings has also been made a higher priority item under the newly introduced employment Assurance Scheme and the Intensive JRY Programme.

The scheme of Operation Black Board has been expanded to provide third room/third teacher to primary schools where enrolment exceeds 100 and to extend to upper primary schools and has been launched from March, 1994. Following criteria has been suggested to State Governments for fresh coverage under the scheme:-

i) It will be limited to rural areas only during VIIIth Plan.

ii) Girls schools will be given first priority.

iii) SC/ST areas will be given preference over other areas.

During the period from 1987-88 to 1995-96. Teaching Learning Equipment has been sanctioned to Rs.5.23 lakhs (100%) primary schools, 47589 (30%) Upper primary schools and third teacher has been sanctioned to 33605 (23%) primary schools. It is proposed to sanction third teacher to about 9000(7%) primary schools during 1996-97.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	279,00.00	279,00.00	304,00.00

II. Teacher Education

In pursuance of the National Policy on Education, 1986, a Centrally Sponsored Scheme of Restructuring and Reorganisation of Teacher Education is being implemented since 1987-88. Its objectives are to impart suitable preservice and in-service training to teachers, so that they may discharge their role in the context of National Policy of education competently and to provide academic and resource support at the grass level for the success of the various strategies and programmes being undertaken in the areas of elementary, secondary and adult education.

The scheme primarily provides for strengthening of teacher training institutions. It envisages District Institutes of Education and Training(DIETs) to provide training and general resource support to elementary education and adult education systems, and Colleges of Teacher Education/Institutions of Advance Study in Education (CTEs/IASEs) to provide similar support to secondary education system. It also provides for Strengthening of State Councils of Educational Research and Training (SCERTs) and of University Departments of Education (through UGC).

The target of establishing 425 District Institutes of Education and Training (DIETs) has been met in the year 1996-97. 108 Secondary Teacher Education Institutions have so far been upgraded into Colleges of Teacher Education (CTEs/Institutes of Advanced Study in Education (IASEs) against the target of establishing 135 CTEs/IASEs at the end of the 8th Five Year Plan. It has not been possible to meet the target primarily because of non-receipt of proposals from the State Governments.

18 Projects for Strengthening of State Councils of Educational Research and Training (SCERTs) have so far been approved. Various other States are in the process of formulation of their detailed project proposals. Under the special orientation programme for Primary Teachers, 4.17 lakhs teachers have been covered upto September, 1996.

A significant innovation in reaching out teachers in remote areas through satellite and inter-active technology has been tried successfully in the States of Karnataka and Madhya Pradesh. Under this programme, 850 primary teachers were training in Karnataka and 1400 primary teachers in Madhya Pradesh.

As regards strengthening of University Departments of Education, the UGC has selected the Department of Education in five universities under Special Assistance Programme at the level of Departmental Research Support (DRS). These universities are Kashi Vidyapeeth, M.S. Univesity of Baroda, Osmania University, Rohilkhand University and Punjab University. The UGC has, also decided to assist some distinguished university departments on regional basis for taking MA course in Education.

The DPEP and Lok Jumbish projects have taken up teacher training at Block and cluster levels. District Resource Units (DRUs) have made a beginning in training of personnel of adult literacy and non-formal education programmes.

During the last year of the 8th Five Year Plan, emphasis has been to operationalise DIETs, which have been sanctioned during the plan period. The process of strengthening the already sanctioned/upgraded DIETs and CTES and IASEs is proposed to be continued during the 9th Plan. It is also proposed to cover all the districts in the country for establishment of DIETs with a view to ensure that adequate service training facilities are available to teachers of elementary education.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	117,00.00	100,00.00	159,00.00

III Non-Formal Education Programme

The National Policy on Education 1956 called for a large and systematic programme of Non-Formal Education is an integral component of the strategy to achieve Universal Elementary Education with enough flexibility to enable the teachers to learn at their own pace and at the same time have quality comparable with Formal Education.

The scheme was conceived in 1979-80, and revised in 1993 with emphasis on organisational flexibility, relevance of curriculum, diversity in learning activity to suit the needs of learners through decentralised management. The scheme is being implemented in educationally backward States viz. Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. It also covers urban slums, hilly, desert and tribal areas and areas with concentration of working children in other States as well.

At present, the scheme is being implemented in 21 States/UTs. Under the scheme, central assistance is provided to States/UTs and voluntary agencies on the following pattern:-

i)	General (Co-educational) centres	:	60%
ii)	Centres exclusively for girls	:	90%
iii)	Centres run by voluntary agencies	:	100%

The number of NFE centres during the 7th Plan period increased from 1.67 lakhs to 2.57 lakhs. Presently, 2.79 lakhs centres have been sanctioned for imparting education to about 70 lakhs children. More than one lakh centres are exclusively for girls.

Targets and Achievements

The 8th Plan target envisaged for NFE was 3.5 lakhs centres, subject to availability of funds. Moreover, the achievements in terms of number of centres during the last three years, were as follows:

Year	No. of centres
1993-94	2.55
1994-95	2.61
1995-96	2.79

For the current year i.e 1996-97, there is an allocation of Rs.158.20 crores (Rs. 128.20 crores under State Sector and Rs. 30.00 crores under voluntary sector). Under State Sector, it is proposed to continue the same number of centres viz. 2.41 lakhs and undertake marginal inevitable additionality of 3,000 NFE during 1997-98. This would require allocation of Rs.191.31 crores under State Sector.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	158,25.00	158,25.00	324,86.00

IV Shiksha Karmi Project

Shiksha Karmi Project (SKP) is being implemented in Rajasthan since 1987 with co-assistance from Swedish International Development Agency (SIDA). The first Phase of the SKP was upto 30.6.94. During the first phase, 90% of the project outlay was funded out of plan budget of the Central Government which is subsequently reimbursed by SIDA. The Government of Rajasthan shared 10% of the project cost.

The second phase of the SKP is being implemented from 1.7.94 and is for a period of three years upto 30.6.97. The cost sharing between SIDA and Government of Rajasthan has been revised from 90:10 to 50:50 during phase-II of the project. An outlay of Rs. 48.00 crores has been envisaged for Phase-II. SIDA has committed an assistance of 60 Million Swedish Kroner (M.SEK) (Rs.24.00 crores) for Phase II.

The project aims at Universalisation and Qualitative improvement of primary education in remote and socio-economically backward villages in Rajasthan with primary attention given to girls. The project identifies teachers' absenteeism as a major obstacle in achieving the objective of UEE. The project is being implemented by the Government of Rajasthan through Rajasthan Shiksha Karmi Board (RSKB) with assistance of voluntary agencies.

The main components of Phase-II are:-

i) Balanced expansion with sustained quality;

ii) Decentralisation of management;

iii) Increased participation of women as Shiksha Karmis;

iv) Improved enrolment and retention of girls in day schools and Prehar Pathshalas;

v) Career opportunities for Shiksha Karmis; and

vi) Inter-face with Lok Jumbish Programme and main-stream education.

The major activities are selection of villages, selection and training of project personnel and Shiksha Karmis, establishment of day and night centres, development of syllabi and follow-up support and supervision. The components are man-power, management, logistics, research, monitoring and evaluation.

As on 30.9.96, Shiksha Karmi Project is functioning in 28 districts, 94 blocks, 1590 villages in Rajasthan. There are 1590 day centres and 3534 Prehar

Pathshalas in which 3860 Shiksha Karmis out of which Male Shiksha Karmis 3457 and female Shiksha Karmis - 403 are involved in imparting education to 1,50,391 children. Another 10 Block Units in 350 villages are proposed to be covered upto 31.3.97.

A budget provision of Rs. 900.00 lakhs has been made for 1996-97. This will be fully reimbuyrsed by SIDA. The allocation is expected to be utilised during the current year.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	900.00	900.00	1617.00

V. National Bal Bhavan, New Delhi

The National Bal Bhavan (formerly Bal Bhavan Society India), New Delhi was established by the Government of India in 1956 at the initiative of Pandit Jawahar Lal Nehru. An autonomous institution fully funded by the Department of Education, the National Bal Bhavan (NBB) has been contributing towards enhancing the creativity amongst children in the age group 5-16 years especially from the weaker sections of the society. The children can pursue activities of their choice such as creative arts, performing arts, environment, astronomy, photography, integrated activities, physical activities, science related activities etc. in a joyful manner. The programmes are so designed as to explore the inner potential of a child and giving him opportunities for expression of ideas through various media. Bal Bhavan thus aims at the all around growth of a child in a free and happy atmosphere and helps them develop a scientific temper.

Since its inception, the membership of Bal Bhavan has grown from 300 in 1956 to over a lakh in the recent years. In order to cater to the requirements of the children who cannot afford to participate in Bal Bhavan activities in its central office, 51 Bal Bhavan Kendras, spread all over Delhi, have been opened. Two Jawahar Bal Bhavans - one in Srinagar and another in Mandi, have been funded. The National Bal Bhavan also provides general guidance, training facilities and transfer of information to 61 States and District Bal Bhavans which are affiliated to them.

During 1996-97, a large number of activities relating to educational and creative development of children have been organised by Bal Bhavan. These include workshops, conferences, camps, training programmes, cultural exchange programmes, conventions, sports and cultural activities etc. benefitting thousands of children and trainers. Under on-going activities, 20 Workshops have been conducted in which 20,000 children and about 2,500 teachers/resource persons have participated. During summer, large number of children pursued various activities of their choice at Bal Bhavan. The notable among this year's summer programmes are the Cultural Craft Conservation Convention, Workshop on Integrated Approach to Performing Arts, Origamy Workshop, Book Illustration Workshop, Workshop on Egypt, Sri Lanka, Puppetary Workshop and Aquarium Workshop. Other special programmes were environment Week, Literacy Camp, Trekking and Educational trips. In October, 1996, World Habitat Day was

observed with the theme of Urbanisation and Human Solidarity. A mass painting activity and elocution contest was organised on this occasion. The 7th national Conference of Young environmentalists was held in September, 1996 to focus the attention of children on several environment problems and their probable solution. Every year, a National Children Assembly is organised by Bal Bhavan from 14th November in which children of all affiliated Bal Bhavans from all over the country take part. The Assembly, during 1996-97, was organised during 14th-20th November, 1996. The theme of this year's Assembly is "Moral Values". The total expenditure on conducting the on-going activities is of the order of Rs.80.00 lakhs.

Under developmental activities, an exhibition entitled "SURYA" has been installed to give children in-depth knowledge about all the facets of the magnificient star. A multi-purpose skating rink is under construction. The Jawahar Bal Bhavan (JBB), Mandi is being renovated and developed as Model Village Bal Bhavan. Moreover, computer activities are being added in Jawahar Bal Bhavan, Mandi. A cultural craft village is under the process of development in National Bal Bhavan to enable the children to know the folk culture and traditional folk arts of India. In 1995, a scheme of Bal Shree Awards was launched to identify the children who have creative potential in them.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	175.00	175.00	600.00
Non-Plan	98.00	98.00	108.00

VI. National Council For Teacher Education

The National council for Teacher Education (NCTE) has been established as a national level statutory body by the Government of India vide its notification dated August 17, 1995 with the objectives of achieving planned and coordinated development of teacher education, regulations and proper maintenance of norms and standards of teacher education and for matters connected therewith. The mandate of the NCTE is quite wide and includes regulatory as well as developmental functions. Some of the major functions are laying down norms for various teacher education courses, recognition of teacher education institutions, laying down guidelines in respect of minimum qualifications for appointment of teachers, surveys and studies, research and innovations, prevention of commercialisation of teacher education, etc.

As per the provisions of the Act, four Regional Committees for the Northern, Southern, Eastern and Western regions have been set up with Headquarters at Jaipur, Bangalore, Bhubaneshwar and Bhopal respectively. These Regional Committees have to consider the applications of institution of teacher education for recognisation/permission in accordance with the provisions of the Act.

During the brief period that the Council has been in existence, the Council has laid down norms and standards for pre-primary, elementary and secondary level teacher education institutions. Norms for B.Ed through distance education mode and M.Ed have also been prepared and are likely to be notified soon.

During the year 1996-97 a number of seminars, workshops, symposia, awareness meetings, etc. have been organised. A number of projects and studies have also been taken up. Some of the more important ones are:

i) Formulations of competancy based teacher education curriculum for elementary teacher education institutions.

ii) Re-structuring of curriuclum frame work of teacher education.

iii) State level studies on teacher education - current status, issues and future projections.

iv) Development of quality training material for teacher education institutions.

v) Human rights and national values for teacher educators.

vi) Study of profile of teacher educators.

In addition, a few projects were also taken up with assistance of international agencies, notable among these are - a UNESCO sponsored conference on professional status of teachers and preparation of its reports and compendium of papers presented in the conference; preparation of self-learning modules for teacher educators in language. Mathematics and Environmental Studies with the assistance of Commonwealth of Learning; Hindi translation of ILO/UNESCO recommendation concerning the status of teachers and the report of experts on the applications of the recommendations.

During the year 1997-98, the NCTE would make all out efforts in achieving planned and coordinated development of teacher education throughout the country, regulation and proper maintenance of norms and standards in teacher education system.

A budget provision of Rs.300.00 lakhs has been made for 1996-97.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	300.00	300.00	600.00

VII. Bihar Education Project

The UNICEF-assisted Bihar Education Project (BEP) is a basic education project aimed at bringing about a qualitative improvement in the existing education system in the State of Bihar.

The project envisaged to cover, in a phased manner, 150 blocks spread over 20 districts over the project period spanning 1991-96. The outlay of the project was Rs.360 crores, of which UNICEF was to contribute Rs.180 crores, the GOI Rs.120 crores and the GOB Rs.60 crores as per the agreed funding pattern of 3:2:1 between UNICEF, GOI and GOB.

BEP envisages community participation and partnership of stake holders in management of the education system. The project lays special emphasis on the education of hitherto deprived sections of the society, i.e. SCs/STs and the women. A State level autonomous registered society, namely, Bihar Shiksha Pariyojana Parishad (BSPP) has been set up for the management of the programme.

In the 1st phase of BEP which was over in March, 1996, seven districts namely Ranchi, West Champaran, Rohtas, Muzaffarpur, Sitamarhi, Chatra and East Singhbhoom were covered. Of these 3 Districts were taken up in the first year (1991-92) while 4 Districts were taken up in 1992-93. The Cumulative expenditure in the 1st Phase (1991-96) was Rs.49 crores (approx.) including supplies made by UNICEF.

On the request of Government of Bihar approval of Cabinet has been obtained for extension of BEP for a two year period phase - II (1996-98). During this phase the project is proposed to be consolidated in 7 existing districts. Besides project activities will be initiated in 13 new districts during second year of the extended period. The total project outlay for the 2nd Phase (1996-98) is estimated at Rs. 62 crores to be shared between UNICEF, GOI and GOB as per the existing funding formula. Government of India contribution however will be only Rs. One Crore approximately during this period.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2500.00	-	100.00

VIII. Mahila Samakhya

Mahila Samakhya Programme was launched in 1989 with Dutch assistance. The Programme aims at empowerment of women through education seeks to bring about a change in women's perception about themselves and of society and creates circumstances for women to learn at their own pace and rhythem.

The Programme is implemented in 2075 villages in 17 districts of Uttar Pradesh, Gujarat, Karnataka and Andhra Pradesh.
Achievements:

- The programme has set in motion process of empowering rural women and the programme strategies and mechanisms adopted are in congruence with the overall objectives of the programme.

- A foundation for women's empowerment has been built at grass-root level and women's issues established in public domain.

- Women are committed to formation of Sanghas as a forum to share and analyse issues and take collective action to solve them.

- Sakhis and Sahoyoginis are self-confident, competent, motivated and committed to the ideology of Mahila Samakhya.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	500.00	470.00	600.00

IX. Lok Jumbish Project

An innovative project "Lok Jumbish' (People's movement for Education for All) with assistance from Swedish International Development Authority (SIDA) was launched in Rajasthan. The Basic objective of the project is to achieve education for all by the year 2000 through people's mobilisation and their participation.

Phase-I

The Government of India has approved the first phase of the project for a period of two years, 1992-94 to cover 25 blocks spread over several districts with an estimated cost of Rs.18.00 crores to be shared by SIDA, Government of India, Government of Rajasthan in the ratio of 3:2:1. The Phase -I concluded on 30th June, 1994.

Achievements of Phase-I

During the first phase the target for project coverage was achieved (25 blocks) and project interventions were made in several components of primary education like teacher's training, minimum levels of learning, opening of new schools, non-formal education centres etc. The salient achievements of Lok Jumbish Project are - Lok Jumbish has been able to set up innovative management structures incorporating the principles of decentralisation and delegation of authority as well as built partnerships with local communities and voluntary sectors; Community mobilisation and school mapping and community centres buildings develpment; Focus on girls and socially disadvantage groups; Improvement in the quality of learning.

Phase-II

The second phase of Lok Jumbish Project was recently approved which will be implemented between 1994-97. In this phase the project would be extended to 50 blocks. An outlay of Rs.80 crores has been envisaged for phase-II sharable between SIDA, GOI, and GOR in 3:2:1 basis respectively.

Achievements of LJP so far: (As on 31.3.96)

In the second phase, out of 50 blocks to be covered during 1994-97, LJP activities has commenced in 33 blocks. Thus, the total coverage extended to 58 blocks. LJP has undertaken environment building activities in 2109 villages and has completed school mapping exercises in 1388 villages. 236 new schools have been opened while 266 primary schools have been upgraded. An innovative and successful NFE programme launched by LJP has spread to 2082 centres.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2220.00	2220.00	3266.00

X. District Primary Education Programme

A Centrally sponsored scheme titled District Primary Education Programme was started during the year 1994-95 with a view to providing special thrust to achieve Universalisation of Elementary Education (UEE). The programme takes a holistic view of primary education development and seeks to operationalise the strategy for UEE through district specific planning and disaggregated target setting. The programme lays great emphasis on participation process for planning and management and has marked gender focus and seeks to enhance school effectiveness through inputs in teacher training and decentralised management. The programme emphasises on capacity building at all levels, National, State and local and seeks to evolve strategies which are replicable and sustainable.

In 1994, the programme was launched in 42 districts in the State of Assam, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Maharashtra. In 1996, the programme has been extended to 17 districts of Orissa, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh and Gujarat. DPEP programme is poised to expand into additional 61 districts in the State under Phase-II programme as well as West Bengal. Currently, district plan formulation exercises are going on and implementation is likely to commence by March, 1997.

The programme is being implemented in a Mission Mode. At the national level, National Elementary Education Mission (NEEM) has been set up in the Department of Education with District Primary Education Programme (DPEP) as its core. The objective of Elementary Education Mission are to bring to bear upon the Universalisation of elementary Education - a sense of expedition so that the constitutional objective of free and compulsory education is provided to all children below the age of 14 years. The National Elementary Education Mission has a General Council and a Project Board and such other bodies and task forces as are determined and set-up from time to time. The national Management Structure oversees the implementation of the programme throughout the Country and provide the necessary technical support to the States and districts. The implementation at the State level is facilitated through registered autonomous societies with CMS as ex-officio Presidents of the General Council and Chief Secretary/Education Secretary as the Chairman of the Executive Committee.

DPEP entered its third year of implementation during 1996-97. In the third year of the programme, the tasks of civil construction, renewal of teaching-learning material have been undertaken in all DPEP districts. Opening of new schools, non-formal education centres has also commenced in all the selected districts. The programme is actively networking with academic resource institutions and non-governmental organisation for capacity building at decentralised levels. The programme has also set up academic support institution like Block Resource Centres, Cluster Resource Centres to provide teacher training, academic suprvision and peer learning opportunities. DIET augmentation, strengthening of

SCERT, augmentation of planning capacity both at State and District level have been undertaken in the third year of the programme. Special interventions to enhance enrolment and retention of girls tribal children and other disadvantaged groups have been initiated. Initiatives for integrated education for disabled children have also been included.

International Development Association has approved an IDA Credit of US $260 million and US $425 million for DPEP-I (1994-2001) and DPEP-II (1996-2002) respectively. A financial agreement with European Community for programme support to the tune of 150 million ECU (approx. US $200 million) has also been signed for funding of DPEP in 19 districts of Madhya Pradesh. ODA is providing funds to the extent of $ 42.5 million for undertaking DPEP in 5 districts of Andhra Pradesh.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	238,50.00	184,00.00	651,31.00

XI. National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE)

For the first time in the country a nation-wide programme of Nutritional Support to Primary Education was launched on the 15th August, 1995 to give a boost to universalisation of primary education by increasing enrolment, retention and attendance and simultaneous impacting on nutrition of students in primary classes.

The ultimate goal under the programme is provision of wholesome cooked/processed food having a calorific value equivalent to 100 grams of wheat/rice per student per school day. The implementing agencies of the programme, namely, local bodies/authorities such as Panchayats and Nagarpalikas are expected to develop institutional arrangements for providing cooked/processed food within a period of two years from the date of commencement of the programme in the local area. In the interim period, foodgrains (wheat or rice) at the rate of 3 Kgs. per student per month may be distributed to all children in primary classes subject to a minimum attendance of 80 per cent.

The programme will cover, in a phased manner, commencing from 1995-96, all sutdents of primary classes (I-V) in all government, local body and government-aided schools in the country. In 1996-97, the programme has been expanded to cover a total of 5.57 crore children in all the 4426 Revamped Public Distribution System (RPDS)/Employment Assurance Scheme (EAS) and Low Female Literacy (LFL) blocks. In 1997-98, the programme will cover the remaining block in the country to have universal coverage of 10.82 Crore children when the programme becomes fully operational in the country for all students in primary classes (I-V).

The Central support to be provided by the Department of Education, Ministry of Human Resource Development Under this programme is on the following:

i) Provision of foodgrains (wheat/rice) free of cost to the implementing agencies.

ii) Reimbursement to District authorities for transportation cost for moving of food-grains from Food Corporation of India godowns to schools/villages at the rate of Rs. 25/- per quintal as applicable under RDPS.

Besides, remuneration for conversion of foodgrains into cooked food as well as expenditure on construction of kitchen sheds, will be eligible for coverage under the poverty alleviation schemes being administered by the Ministry of Rural Development.

The programme commenced in all the States/UTs during 1995-96. Seven States namely, Gujarat, Jammu & Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa and Tamil-Nadu and the UT of Pondicherry are serving cooked meal. In Delhi processed food is being served. In rest of the States/UTs foodgrains are being distributed. Taking the economic cost of foodgrains at Rs. 662.40 per quintal assuming distribution of wheat and super fine rice would be supplied in equal measure, an amount of Rs. 1400 crores was allocated in BE 1996-97 for the programme for estimated number of children of 7.51 crores. The enrolment intimated by States/UTs is only 5.57 crores.

On the basis of enrolment in primary classes, 624934.67 MT of wheat and 953681.59 MT of rice have been allocated to all States/UTs for 10 academic months during 1996-97.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	1400,00.00	800,00.00	960,00.00

B. SCHOOL EDUCATION

I. Kendriya Vidyalaya Sangathan

The Kendriya Vidyalaya Sangathan is an autonomous body fully funded by the Ministry of Human Resource Development, Department of Education. The Sangathan was registered as Society under the Societies Registration Act (XXI of 1860) on December 15, 1965.

The main objectives of the Kendriya Vidyalaya Sangathan are:-

i) To meet the educational needs of the children of transferable Central Government employees including Defence Personnel by providing a common programme of education.

ii) To pursue excellence and set pace in the field of education.

iii) To initiate and promote experimentation and innovation in education in collaboration with bodies like CBSE and NCERT etc.

iv) To develop the spirit of National Integration and create a sense of Indianness among the children.

The main features of the Schemes are:-

a) Kendriya Vidyalayas are established at places having sizable concentration of transferable Central Government Employees including Defence personnel.

b) Instructions are imparted through the media of both Hindi and English. The same text books and syllabus are followed in all Kendriya vidyalayas.

c) Education upto class VIII is free for both boys and girls. Tuition fee is however, charged from boys in classes IX, X XI and XII. SC ST and Girl students in these classes have been exempted from tuition fees. The amount of tuition fee is linked to the pay of the parents of the children as on Ist May of the year.

Targets And Achievements

i) Opening of Kendriya Vidyalayas.

(a) Targets

During 1996-97, 20 new Kendriya Vidyalayas have already been sanctioned under Civil/Defence Sector.

(b) School buildings/Staff Quarters during 1996-97:-

Against the target of 20 permanent buildings sanctions have already been issued for construction of 7 permanent and 3 temporary school buildings. During

the remaining current Year, 13 permanent school buildings will be considered for sanction.

Staff Quarters:-

So far Staff Quarters have been sanctioned in 6 Kendriya Vidyalayas and 1 caretaker quarter in another Kendriya Vidyalaya during 1996-97. During the remaining financial Year, Staff Quarters will be considered for sanction in 14 Kendriya Vidyalayas at an average of 16 quarters each Vidyalaya.

(c) In-Service/Orientation Courses:-

During the period April 96 to Sept 96, 68 in service/Orientation Courses have been organised for teachers/Principals.

(d) Games and Sports:-

Number of coaching camps have been organised for the students of kendriya Vidyalayas. In the games and sports programmes, participation of students for new disciplines like Lawn Tennis is being added.

(e) Awards/Sports Scholarships:-

(i) KVS awarded 50 Incentives Awards to its teachers.

(ii) 250 Sports Scholarships to the students during the current financial year are proposed to be sanctioned.

(f) Model Kendriya Vidyalayas:-

Under the scheme of Model Kendriya Vidyalayas 50 kendriya Vidyalayas were selected for converting them into Model Kendriya Vidyalayas. These Vidyalayas have been identified to develop them as quality education centre to fulfil the objectives of the scheme of KVS. It has been decided to equip these Vidyalayas with more developed educational technology and to provide additional infrastructural facilities for sports and games, co-curricular activities and general physical environment.

(g) Class Project

The Class Project under pre-revised Scheme CBSE Micro Computer System is operational in 325 Kendriya Vidyalayas. During the current year another 50 Kendriya Vidyalayas are being provided with hardware (computer) i.e. 486-2 System.

(h) The details regarding Vidyalayas, students on rolls, teachers sanctioned and examination results is given below:-

Pariticulars	1992 30.4.92	1993 30.4.93	1994 30.4.94	1995 30.4.95	1996 30.4.96
1	2	3	4	5	6
1. Schools	771	771	818	838	858
2. Students	645772	680000	701400	720000	740000
3. Teachers	30936	32497	32850	34465	35000
4. Ratio of teachers to students	1:20:7	1:20:92	1:21:35	1:21:47	1:21:14
5. No. of students appeared in :					
a) Secondary School Examination (X)	48003	41693	45188	45302	48688
b) Sr. Sec. Certificate	26610	27672	29928	30097	32591
6. No. of Students passed (with pass percentage)					
a) Secondary School Examination (X)	42194 (87.89%)	36502 (87.55%)	38745 (85.74%)	36925 (85.92%)	37499 (77.02%)
b) Sr. Sec. Certificate	22567 (84.81%)	22677 (81.95%)	25197 (84.19%)	26333 (84.17%)	26662 (78.78%)

The following are the targets proposed to be achieved during 1997-98:-

(1) The permanent buildings for 20 KVs will be considered for sanction during 1997-98 and similarly staff quarters will be considered for sanction in 20 KVs at an average of 16 units in each KV.

(2) 76 adventurous activities such as Trekking, Skying adventure exposure, Rock climbing, Cycle Isafri, Parasailing, White water refting have been planned to be organised.

(3) 250 sports scholarships will be awarded to students.

(4) Inservice Courses Proposed to be organised during 1997-98 are expected 87 in different Cadres of teaching staff.

(5) At present only 107 KVs out of 855 got NCC Cover. The proposal to be extended NCC in more KVs can be considered if the funds are available.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	550.00	2190.00	4120.00
Non-Plan	25000.00	25000.00	25000.00

II National Council Of Educational Research And Training

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) is an apex resource organisation set up by the Government of India to assist and advise the Central and the State Government on academic matters related to school education. The NCERT provides academic and technical support for improvement of school education.

During 1995-96, the NCERT had a fresh look at its functioning and reprioritised some of the programmes to respond to national concerns in school education. Elementary education received special emphasis. Special steps are being taken to attend to development of school education sector in the North Eastern region.

To achieve its goals, the following programmes and activities were undertaken by the NCERT:-

1-A Programmes and Activities conducted with NCERT's funds

1-B Programmes undertaken out of specific grants from the M/HRD/International Agencies.

2. National Population Education Project (School and Non-Formal Education)

1. Universalising Elementary Education (UEE)

Within the broad framework of UEE, programmes were conducted in Early Childhood Education. Non-Formal Education (NFE). Education of Children with Special Needs, Integrated Education of the Disabled and Education of the Girl Child.

1.1 Non-Formal Education (NFE)

Training programmes for upgrading the competencies of the NFE functionaries were held. NFE teaching learning materials based on MLLs are being developed. Academic support was provided to the states of Karnataka. Andhra Pradesh and Kerala for development of local specific materials.

Studies for identifying strategies for alternative schooling for children in the age group 6-14 are in progress.

1.2 Education of Girls

A Multi-State study on 'Problems of Recruitment and Posting of Women Teachers in Rural Areas' is in progress. Reports of Gender Studies in DPEP States and a National Overview were prepared. Studies on 'Causes of Low Enrolment of Scheduled Castes Girls at Elementary School level' and 'Education for Out of School Girls:Role of NGO's Coordinators' are in progress. Indicators for monitoring of girls' education are being prepared.

1.3 Education of Groups with Special Needs

State level conferences under the Project Integrated Education of the Disabled (PIED) were organised in Madhya Pradesh and Gujarat. Handbooks on Educational Toys and learning Disabilities were developed. A supplementary Reader on Gond tribe of Baster District is being prepared.

2. Education in 'Social Science and 'Humanities'

Some of the school textbooks were revised to bring them in conformity with significant developments that took place in India and in certain other countries. Status studies in Social Sciences and languages are in progress. The textbooks of History of Karnataka, Maharashtra, Punjab and Bihar were evaluated from the standpoint of national integration. A Framework for strengthening Human Rights Education is being prepared.

3. Education in Science and Mathematics

A textbook in Computer Literacy, three books in Hindi under the Reading to Learn Series and some supplementary reading materials in Chemistry on topics of human concern were developed. An interactive computer software on 'Sound' for Secondary level was developed and field tested in the context of Computer Assisted Instruction (CAI). A Handbook on Science Activities for Integrated Science kit (ISK) and a Teacher's manual for explaining Difficult Concepts in Physical Science at Secondary Level are being developed. A special training programme for the secondary school teachers of Leh and kargil Districts of Ladakh region was organised.

4. Educational Measurement and Evaluation

Examination Reform

The draft of a National Framework for Examination reform was prepared and subsequently was considered in a meeting of experts from the Board of Secondary/School Education.

National Talent Search

The tests and interviews were organised and 750 Scholarships were awarded.

Admission Tests for Navodaya Vidyalaya

Jawahar Navodaya Vidyalaya Admission Tests were designed and administered and the results were declared.

5. Pre-Service and In-Service Teacher Education

5.1 Regional Institute of Education (RIEs)

The Four Regional Colleges of Education (RCEs) have been restructured as Regional Institutes of Education (RICs) to function as support system to States in their regions and advising them on policies and programmes in school education.

During the academic year 1995-96, all the four RIEs (Ajmer, Bhopal Bhubaneshwar and Mysore) have offered the four Year integrated BSc. course and anM.Ed. course. In order to meet the special educational needs of the North Eastern region, steps are being taken to set up a new RIE for the North East at Shillong. This Institute is planned to be commissioned in 1995-96.

The Extension Departments in the RIEs have been strengthened to provide need based programme support to the States/UTs under their jurisdiction.

The primary school teachers of the Demonstration Schools of the RIEs are now using their schools as laboratories to field test the MLL (Minimum Level of Learning) based approach to teaching and learning.

5.2 Other Teachers Training Programme

In-Service training programmes for the faculty of DIETs, IASEs and SCERTs have been planned, which aim at capacity building of teacher educators working at State and District Levels.

To encourage innovations and experiments in school education and teacher education national level competitions are organised every Year in the form of Seminar Readings programmes.

In-Service education practices followed in different parts of the country are being documented.

5.3 Educational Psychology

Drafts of modules for buildings personal and career consciousness in girls have been finalised. Resource books on "Occupational Information in Guidance". "Guidance: Principals and pracitces" and "Career Development for Counsellors" are being finalised. Multi-media packages for fostering creativity and enhancing personal-social skills of students are being developed.

Research Projects (i) A Study of Vocational behaviour of Creative Girls, and (ii) A Survey of Guidance needs of School Going Children were completed.

A 4-day orientation programme in guidance and counselling for the Principals of the Central Tibetan School Administration was organised.

6. Vocational Education

Instructional materials in Textile Designing, Auto Engineering Technology, Poultry Production, Commercial Garment Designing and Making Maintenance and Repair of Radio and T.V. Receivers, Horticulture and Dairying are being developed. Short term training programmes in the fields of Auto Engineering Technology, Dairying, Textile Designing, Bee Keeping, Maintenance and Repair of Radio and T.V. Food preservation and processing and GEC were conducted. Seven orientation programmes were organised for key functionaries of Assam, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Delhi and Tamil Nadu. A national meet on the Status and Prospects of Home Science Vocational Education Programme in India was organised.

7. Educational Technology

The broad objective of ETV programmes is to use Educational Technology to support the needs of the school education.

The NCERT ETV programmes are being telecast for 45 minutes each week from Monday to Saturday in the entire Hindi speaking belt including the UTs of Chandigarh and Andaman and Nicobar Islands. The NCERT entered into an agreement with the AIR for broadcast of its programmes. Under this agreement Educational audio programmes are being broadcast once a week by 10 stations of AIR. Work on monitoring of telecast of ETV programmes and their content analysis for providing feed back to media personnel continued. Planning and designing of the innovative teacher training programme in interactive mode, one way video and two way audio using the transponder on INSAT for Primary school teachers and DIET faculties have been completed.

8. Educational Research

The NCERT's Educational Research and Innovation Committee (ERIC) provides financial assistance to outside institutions/organisations for research in priority areas. Its operational mechanisms were reviewed to broaden its scope and for streamlining its functioning.

9. Educational Surveys

The Sixth All-India Educational Survey (AIES) is in progress, As a part of this survey an Educational Statistics Flash (ESF) has been completed for release.

10. Extension and Field Service

The NCERT Field Offices' liaised with the States on their educational needs and implementation of the Centrally Sponsored Scheme. The Field Advisers assisted in the Presanction Appraisal of the NFE proposal.

11. Publications

From April 1995 upto October 1995, NCERT has brought out 131 books and textbooks including issues of six educational journals. In addition, a large number unpriced publications information materials have also been brought out.

Urdu Textbooks

One of the significant achievements was publishing of Urdu textbooks. During the period, the publication Division could make available 50 Urdu textbooks out of a total of 51 for Classes I-X.

12. Early Childhood Education (ECE)

Under Early Childhood Education Project the following activities were performed:-

i) Strengthening of the Pre-School Education Component of ZICDS in 12 States through training of personnel production and dissemination of region specific resource materials (ii) advocacy of

play based approach for ECE through use of media and development of communication material like posters (iii) study on Status of Pre-School Education Component of ICDS and its perception and Extent of Utilisation by the Community.

13. District Primary Education Programme (DPEP)

A number of studies under DPEP research programme were undertaken by the NCERT's faculty and Research papers based on the studies were published in a special number of the NCERT's research journals the Indian Educational Review.

An International Seminar on 'School Effectiveness and Learning Achievement at Primary Stage' was organised in July 1995.

The NCERT has entered into contract with EdCIL for the implementation of the national component of the DPEP for curriculam, training and pedagogy and research. Resource groups from the NCERT faculty in its constituents have been constituted to carry out the contracted activities in task team mode. The contracted obligations are planned to be executed through sequential activities by December 1996.

14 Special Orientation programme for primary Teachers (SOPT)

In order to strengthen the professional competencies of Primary School Teachers, and MHRD's sponsored scheme called the Special Orientation Programme for Primary Teachers (SOPT) is being conducted in all the States and UTs. The NCERT has been entrusted the responsibility for planning and monitoring of the programme besides providing academic inputs. Four and a half lakh teachers were to be oriented every Year during the last four years of the Eigth Five Year Plan. A training package consisting of two volumes of print materials (Hindi/English) supplemented by an ETV package consisting of 40 video programmes have been developed and printed. A "key person's Training Manual and a User's Guide" for effective use of ETV programmes in transaction of print materials have also been developed and printed. In next level programmes 8,574 Resource Persons and 1,63,873 Primary School Teachers were trained.

15. Training of Primary School Teachers using Interactive Video Technology

Under a special project to train primary School Teachers using interactive video technology through the transponder on the INSAT a training programme of primary school teachers in mathematics and for the SOPT scheme will be experimented in Karnataka, Madhya Pradesh, and Assam. The programme aims at training about 4400 teachers and about 200 members of the DIET's faculty. Planning and designing of a Teacher's Training Programme through interactive mode involving one way video and two way audio for Primary School Teachers and DIETs' faculty has been completed.

16 Area Intensive Education Project (AIEP)

In 1995 the thrust of activities of the Area Intensive Education Project (AIEP) concentrated in making the existing programme effective at micro level by introducing innovations that could inter alia be relevant to the District Primary Education Programme (DPEP). Experiments on joyful learning approach and child to child approach were undertaken. A document entitled "people on the move" based on AIEP approach were published and is being widely disseminated.

During 1997-98 also similar programmes and activities will continue.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	512.00	512.00	800.00
Non-Plan	2000.00	2000.00	1500.00

III National Population Education Project (School And Non-Formal Education)

The National Population Education project (NPEP) was launched in April 1980.

Future plan of Action and Strategies for this Project during 1997-2001 have been worked out in consultation with all the concerned agencies. Project activities will be conducted in the areas of population education in general and adolescence education in particular.

Since its inception the project activities have been directed to attain the objective of institutionalising population education in school and non-formal education system. As an educational response to population issues, population education aims at making learners aware of inter-relationship between population and developmental issues developing in them rational attitude and responsible behaviour and promoting in them positive value orientation so that they may take informed decisions on various population issues. In view of the Paradigm Shift reflected in the Programme of Action adopted at ICPD 1994, the framework of population education is revised and accordingly the NPEP during the next cycle will have reformulated objectives.

The NPEP is funded by the United Nations Population Fund (UNFPA) and technical support is given by the office of the CPTST for South Asia and West Asia, Kathmandu, Nepal.

The Project is being implemented in 29 States and Union Territories. The States of Goa and Meghalaya and the Union Territory of Lakshadweep are out of its fold. The agencies such as the Akashvani and Doordarshan, Council of State Boards of School Education (COBSE). National AIDS Control Organisation (NACO) and different voluntary organisations are involved in relevant Project activities at National and State levels. The institutional arrangement for the implementation of NPEP is likely to be remodelled during the next cycle.

With a view to institutionalising population education in the school and non-formal education the targets have been fixed in terms of :

i) development of curricular and instructional materials to ensure effective integration of population education in the curricula of school education non-formal education and teacher education;

ii) development of training materials and audio-visual materials;

iii) development of materials on emerging concerns;

iv) orientation of teachers, teacher educators and other functionaries;

v) organisation of co-curricular activities in schools and NFE centres;

vi) promotion of research and evaluation studies in population education ; and

vii) monitoring of project activities at National, State and local levels.

Achievements

The achievements stated below relate to all the project activities both at National and State levels. These are cumulative since 1993 as well as year specific.

i) Nearly 20 more titles of different types of materials have been developed. Since 1992-93 about 120 titles have been brought out in 17 Indian languages.

ii) The NCERT developed General Framework of Adolescence Education and A Package of Basic materials on Adolescence Education which is to be used as prototype material.

iii) Population Education elements were integrated in state textbooks of primary, upper primary and secondary stages wherever these were revised, particularly in the light of MLL at primary stage.

iv) At the National level, the following materials were published:

a) Two Supplementary Readers for NFE learners.

b) Report on the Study of Cost-Effectiveness of Training Strategies in Population Education (Mimeo).

c) A Report on Mid-Term Evaluation of National Population Education Project (School and Non-Formal Education) (Mimwo).

d) Population Education Bulletin.

v) Video Programmes developed by NCERT were multiplied and disseminated to States. Since 1992-93 the NCERT and States have produced 35 audio-visual programmes on population education.

vi) About 1.9 lakh teachers, teacher educators, NFE Instructors have been oriented. During the last two years the total numbers of persons trained is five lakhs through both integrated and independent training modalities.

vii) World Population Day and Population Education Week were observed during July-September. States also observed World AIDS Day on 1 December 1995. The National component of International

Poster Contest is organised every year since 1992. In 1992, two entries, in 1993, one entry, in 1994, 3 entries and in 1996, 1 entry were awarded in global judging.

viii) Eleven research studies were sponsored, out of which eight have been completed.

ix) A Study on the Perception Patterns of Students regarding Population Issues through Posters is being conducted.

x) States have also conducted evaluation studies and surveys in the areas of population education and adolescence education.

xi) Population Education Documentation Centre collected materials from International National and State agencies and disseminated population education related materials and information.

xii) Project Progress Review (PPR) and Tripartite Progress Review (TPR) meetings were organised for effective monitoring of NPEP.

Plan Programme during 1996

i) Finalization of Basic materials on Adolescence Education.

ii) Integration of population Education elements in the State textbooks and NFE materials.

iii) Development of Readings and other Materials in Population Education.

iv) Development of Packages of Training Materials for Specific Target Groups.

v) Orientation of six lakhs teachers and NFE functionaries through independent and integrated training strategies.

vi) Organisation of four Regional Seminars on Adolescence Education.

vii) Observance of World Population Day, Population Education Week and World AIDS Day and organisation of other co-curriucular activities.

viii) Sponsoring research studies in population education.

ix) Collection and Dissemination of materials by the Documentation Centre in Population Education.

x) Monitoring the implementation of the Project both at National and State levels.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	102.00	102.00	100.00

IV National Open School

In order to widen the scope of open schooling in the country the National Open School (NOS) was established in November 1989 as an autonomous body by the Government of India.

In October 1990, through a Resolution of the GOI, the NOS was vested with the authority to examine and certify students registered with it upto pre-degree level course. The Association of Indian Universities have accepted the Senior Secondary Examination of the NOS as equivalent to Higher Secondary/Pre-University Examinations for the purpose of admission to institutions for higher learning.

New Departments

The NOS has decided to create exclusive departments for Vocational Educational and Student Support Services.

Open Vocational Education

The thrust of the NOS would be to identify develop and introduce more and more Vocational Programmes with a variety of modes and models and to the setting up of Vocational Study-cum-Training centres for networking all over the country.

Media

Media Unit of the NOS so far produced 16 video programmes on Mathematics and Science. Audio programmes for Secondary (Class X) course of Hindi and English languages are also available. Forty video programmes on Science, Maths Learning skills, Social Sciences, Business Studies, Technology and Agriculture are under production.

Regional Centres

In order to have a better liaison with the State Centres and learners and the Headquarters, NOS Regional Centres have been functioning from Calcutta, Hyderabad, Pune and Guahati. The Delhi Regional Office and North India's Regional Office are likely to be established in Delhi.

Open Learning Magazine and Open Schooling Bulletin

Publication of a quarterly magazine on 'Open Learning' with a Print number of about 1 lakh has already been started and the same is now available in English and Hindi medium. An open schooling bulletin is brought out on a quarterly basis for in house circulation.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	500.00	500.00	500.00
Non-Plan	34.00	21.00	21.00

V Educational Technology Scheme

This Scheme seeks to improve utilisation of the media through radio and TV for the good of the educational sector. Initiated in 1974, it has undergone many changes over the years and at present it has the following components:-

i) Funding the States and UTs for the entire costs of Radio- cum-Cassette Players (RCCPs) for primary schools within a ceiling of Rs. 1400/- per set and 75% cost of colour TVs subject to the cost ceiling of Rs. 13,000/- for the upper primary schools.

ii) Meeting the costs of Central Institute of Educational Technology, within the NCERT and 6 States Institutes of Educational Technology (SIETs) in Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Orissa and Uttar Pradesh.

iii) Funding production of Audio-software in the language Institutes.

During 1995-96, CIET and SIET have produced 359 Audio and 1045 Video Programmes on various educational themes at various levels of school education. SIETs have also made efforts towards production of audio programmes either by themselves or through Government agencies.

During 1995-96, 3,038 CTVs and 10,644 RCCPs were sanctioned to States/UTs. During 1996-97, it is proposed to sanction 9,672 CTVs and 31666 RCCPs to States/UTs for installation in Upper Primary/primary Schools respectively. So far, 3,66,732 RCCPs and 64,952 CTVs have been Sanctioned to States and UTs.

Central Institute of Indian Languages, Mysore has been funded for production of cassettes for learning certain South Indian Languages at the schools level.

Evaluation of the Scheme

The Scheme has been evaluated by National Institute of Educational Planning & Administration (NIEPA). The report inter alia recommends the continuance of the scheme with certain improvements in its management. The scheme has also been evaluated by the Social and Rural Research Institute (SRRI),New Delhi. The findings of the study clearly show a direct relationship between viewing of Educational Telecasts and significantly better performance by children on issues such as curiosity, language skills and visual representation. The major findings of the study have been brought to the notice of the concerned States/UTs for taking necessary action.

D-9534
16-05-97

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2238.00	1788.00	1500.00

VI Central Tibetan Schools Adminstration

The Central Tibetan Schools Administration a registered autonomous body and fully financed by Government was set up by the Government of India in the academic year 1961 with the primary objects of providing educational facilities to the children of Tibetan Refugees and carrying on the management of Tibetan schools in India. The main objectives of the Administration are: (i) to keep the Tibetan community abreast in all aspects of modern education (ii) development while retaining the essentials of their traditional system and culture. (iii) to set up special schools to meet the needs of the tibetan community.

The Administration is running 30 schools including 6 residential schools and 53 pre-primary schools. The organisation is providing free education to all Tibetan children numbering about 11476 settled in the different part of the country. It is also provides Mid-day-Meals to all the students who are day-scholar and also hostel facilities to some children which includes free boarders.

The Administration is giving few scholarships to those students who pass senior secondary examination from the school run by the Central Tibetan Schools Administration for pursuing higher education in recognised institutions. The scholarship is tenable till the completion of courses. It also helps in allotment of seats for professional courses like Engineering and Medicine.

The Administration is also awarding the teachers of Central Tibetan Schools to motivate to excellent work-one each for separate Cadre.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	782.00	965.00	800.00

VII. National Awards To Teachers

The Scheme of National Award to Teachers was started in 1958-59 with the object of raising the prestige of teachers and giving public recognition to the outstanding teachers for their meritorious services. Since 1988-89 the awards are given to the following categories of teachers:-

1. Primary/ Middle/ High/ Higher/Secondary School Teachers
2. Kendriya Vidyalaya Sangthan
3. Sanskrit/Arabic/persian Pathshalas etc.

Each award consists of certificate of merit, silver medal and cash prize of Rs. 10,000/-. The Awards are conferred each year on 5th September at a function specially held to honour the awardee teachers.

In 1995, 278 teachers were selected for the National Award of which 166 were Primary School Teachers, 103 Secondary School Teachers, 6 Sanskrit Teachers and 3 Arabic/Persian Teacher. For the year 1996, selection of teachers from some States/UTs, Arabic/Persian Teachers and Sanskrit Teachers is in process.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	47.00	47.00	35.00

VIII Integrated Education For The Disabled Children (IEDC)

The Centrally sponsored scheme of Integrated Education for Disabled Children was launched in 1974 by the then Department of Social Welfare and was later transferred to the Department of Education in 1982-83. This scheme provides educational opportunities for disabled children in common schools to facilitate their retention and with the ultimate objective of their integration in the General School System. The scheme is implemented through the Education Departments of the State Governments/Union Territory Administrations. Voluntary Organisations are also assisting the State Governments in implementing the scheme. 100% assistance is provided for the education of children suffering from handicaps in common schools with the help of necessary aids, incentives and specially trained teachers.

The scheme was revised in 1987 to rationalise several existing provisions and to incorporate some new areas considered necessary for proper implementation of the scheme and in the light of the provisions of the National Policy of Education- 1986. It was revised again in 1992 mainly to raise some financial ceilings.

Twenty four states and Union Territories are being provided assistance under this scheme, viz. Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, A & N Islands, Chandigarh and Daman and Diu.

In addition, the UNICEF assisted Project Integrated Education for Disabled (PIED) was being implemented since 1987.

This Project was designed to strengthen the IEDC programme and adopted a composite area approach wherein a particular block was selected as the Project area and all the schools in that block were expected to enrol disabled children. This Project was implemented in a selected block in each of the 10 states of Delhi,Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Nagaland, Orissa, Rajasthan and Tamil Nadu. While IEDC inputs were provided by the Department of Education, UNICEF provided assistance for various components like

cost of surveys for need identification, training and orientation programmes, cost of training material, equipment, etc. The UNICEF has withdrawn since then. The IEDC inputs are however continuing

At the beginning of the VIII Plan, the IEDC scheme was being implemented in 22 States and UTs and about 30,000 disabled children had been covered. By the end of the VIII Plan it is envisaged that over 50,000 disabled children would have been covered. The present coverage is expected to be around 47,000 disabled children.

During 1996-97, the programme is being continued in the various States where it is already under implementation. The estimated expenditure on the implementation of the scheme during the current year is Rs. 600.00 lakhs. A sum of Rs. 122.66 lakhs has been released to the States/UTs/Voluntary Organisations so far.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	470.00	600.00	1300.00

IX Computer Literacy And Studies In Schools (CLASS)

A pilot project on Computer Literacy and Studies in Schools (CLASS) was initiated in 1984-85 in collaboration with Department of Electronics. The broad objectives of the Pilot Project included demystification of computer and to provide 'Hands On' experience. The project has been continued upto 1992-93 on adhoc basis and funds to the tune of Rs. 4 to 5 crores were provided on year to year basis. 2598 schools were covered upto 1992-93.

The CLASS Project has been evaluated by a number of agencies and modified scheme has been prepared and is being implemented as Centrally Sponsored Scheme from 1993-94.

To be eligible for assistance under the modified scheme, the following conditions are to be satisfied by the State/UTs:-

a) The coverage of the Scheme for new schools will be restricted to Senior Secondary Schools;

b) In selected schools, instructions in Computer Literacy will be compulsory for all students of classes XI and XII, these instructions will be part of the school time-table with the evaluation in the subject taking place with/without formal examination and;

c) Infrastructure such as a Pucca room with electricity and other fittings will have to be made in the schools to covered under the project by the State Government concerned before taking up the project.

The National Steering Committee under the Chairmanship of Education Secretary is responsible for monitoring and supervision etc. At State/UT levels, Cells set up for the purpose will discharge the dual responsibility of monitoring and actual implementation of the Scheme in the Schools and of releasing the funds to the implementing agencies.

Rs. 146.00 crores has been provided for implementing the scheme during the Eigth Plan. This amount is for maintain 2598 schools already covered under the pre-revised scheme as well as for including 1320 additional schools during the Eigth Plan. 536 additional schools were covered 1995-96. It is proposed to cover 117 additional schools during the current financial year.

The budget provision during the current financial year is Rs. 35.00 crores.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	4000.00	3500.00	2000.00

X Environmental Orientation To School Education

It is widely and commonly recognised fact that the very survival of mankind is dependent on the conservation and protection of Environment. The National Policy Education admitted this fact and a Centrally Sponsored Scheme "Environmental Orientation to School Education" was initiated 1988-89. The Scheme envisages assistance to State Governments/UT Administrations and Voluntary agencies. The voluntary agencies are assisted for conduct of experimental and innovative programmes aimed at promoting integration of educational programmes in schools with local environmental condition; while the States/UTs are assisted for various activities including review and development of curricula of various disciplines at primary, upper primary, secondary and senior secondary levels with a view to infusing environmental concepts therein; review and development of textbooks of 'Environmental Studies' at primary upper primary levels; review of strategy for imparting environmental education at upper primary level; development of teaching-learning material' organisation of suitable innovative work, experience activities. The scheme also envisages assistance to NCERT during the 8th Plan for organisation of regional workshops for development of instructional material in regional languages for training of primary and upper primary teachers. The corrective measures taken include entrusting the responsibility for undertaking review of curricula and text books direct to the Boards of secondary/senior secondary education of the relevant States/UTs.

The major component of the schemes is to promote experimentation and innovation through voluntary agencies for creating environmental consciousness amongst student. In view of the fact that the programmes amongst students, voluntary agencies do not conform to a set design and that the diverse nature of the programmes can not be foreseen. No targets were set for this components of the scheme. The achievements in this direction have however been quite impressive. 15 voluntary agencies (including 3 nodal voluntary agencies) have been provided assistance amounting to Rs. 4.03 crores during 1993-94 to 1995-96.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	195.00	148.00	200.00

XI Navodaya Vidyalaya Samiti

The National Policy on Education, 1986 provides for the establishment of pace setting schools, where good quality education could be imparted to the talented children from rural areas to enable them to proceed at a faster pace irrespective of their capacity to pay for it.

Accordingly, a central scheme was launched by the Government in 1986 to provide good quality, modern education including strong component of culture, inculcation of values awareness of the environment adventurous activities and physical education to the talented children pre-dominantly from the rural areas, without regard to their families' socio-economic conditions by setting up on an average on Navodaya Vidylaya in each district of the country.

To implement this an autonomous organisation namely Navodaya Vidyalayas Samiti has been set up as a Society under the Societies Act under the administrative control of Ministry of Human Resource Development (Department of Education) to establish and manage the Vidyalayas through the Hqr at Delhi and eight Regional Offices located at Bhopal, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Patna, Pune and Shillong.

The original objective of providing one Navodaya Vidyalaya for each district has been actively pursued and during the VII Five Year Plan and subsequent two years before the commencement of VIII Five Year Plan, 200 Vidyalayas were established. The main emphasis on the implementation of the scheme during VIII Plan has been to consolidate the existing Vidyalayas and also to cover the remaining districts by opening about 150 new Vidyalayas with an average of 50 Vidyalayas per annum during the first three years of the VII Five Year Plan targeting the total coverage of 430 districts. The Samiti has established 378 Vidyalayas at the end of 1995-96 and anticipates covering 12 more Vidyalayas during the Year 1996-97 covering 390 districts by the end of VII Plan. The shortfall of establishment of Vidyalayas was mainly on account of non receipt of sufficient suitable proposals from the concerned State Governments along with minimum infrastructure facilities such as temporary accommodation and permanent land to establish a Vidyalaya in the district.

To promote National Integration, the Scheme provides for migration of 30% students for a period of two years at Class-IX level from one Vidyalaya to another Vidyalaya in a different lingusitic State. The number of students migrated between Hindi speaking and Non-Hindi speaking districts is as follows:-

Year	Anticipated	Actuals	Percentage
1992-93	4592	4203	91.5%
1993-94	4032	3724	92.25%
1994-95	3939	3559	90.35%
1995-96	3993	3520	88.15%

Admissions to Navodaya Vidyalayas are made at the level of Class-VI on the basis of a test conducted in the concerned district in which all children who have passed V class from any of the recognised school of any tehsil/block in the district are eligible to appear. The test is conducted at block level with reservation of seats to each block in proportion to the population of the district. 80 Children in all are admitted accordingly to the merit. There is 75% reservations for children from rural areas, besides providing reservations for SC & ST as per their actual population in the district subject to a minimum of national average. Steps have also been taken to ensure that at least on third of the students in the Vidyalayas are girls. The yearly admission of children and percentage of rural, SC/ST and girls are as details below:-

Year Upto	Total Children Addmitted	Rural %	SC %	ST %	Girls %
1991-92	80793	77.5%	20.12%	10.97%	28.15%
1992-93	19585	77.7%	21.23%	12.67%	32.09%
1993-94	21287	77.5%	23.81%	14.48%	32.87%
1994-95	20338	77.6%	23.75%	13.43%	32.93%
1995-96	22655	78.0%	23.00%	15.33%	33.49%

For the year 1996-97, 23120 children has been selected for admission in 374 Vidyalayas and expected some increase in the percentage in all above categories.

Against the 80 students for Vidyalaya the selection is on average 62 students during 1996-97 is mainly on account of inadequate accommodation either at temporary or at permanent site in certain Vidyalayas and also application of the uniform cut off marks limit in all the States, though standards of the primary education level in certain States varying which causing shortfall in enrolment. Further the shortfall in selection and in enrolment is mainly in the Navodaya Vidyalayas located in the States of Assam, Jammu & Kashmir, Manipur, Mizoram , Nagaland, Arunachal Pradesh, some district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Lakshadweep etc. However, to minimise the shortfall the samiti has relaxed the cut off marks limit with effect from 1996-97 so that the facilities created by the samiti in each district are fully utilized in the backward interior districts. This will fully benefit from the Year 1997-98. So far upto March, 1996 a total number of 1,66,906 children have been enrolled and another 23120 students are likely to be admitted in 1996-97. About 35,469 children are likely to complete education at Class XII level at the end of the VIII Plan.

Computer Literacy Campaign Programme for the students from Class-VI has been introduced in 103 Vidyalayas and expected to cover the remaining Vidyalayas that are in existence during IX Plan period.

The Scheme could create employment generation to the extent of 13750 both teaching and non teaching staff at the end of VIII Five Year Plan.

The Performance of the Navodaya Vidyalayas students at the All India Secondary School and Senior Secondary School Examinations, has been

encouraging. The pass percentage of Navodaya Vidyalayas is much higher than the average of CBSE.

It is anticipated that the percentage may increase further on account of filling up of the vacant teaching posts by appointing teachers on contract basis from 1996 onwards.

In order to improve the professional competence of the teaching staff regular orientation/inservice courses/ cultural and value education, workshops are being organised with the assistance of CBSE, NIEPA, CCRT and other eminent educationists/personalities in various fields.

During 1996-97, it is proposed to conduct about 105 number of programmes. Further, Five Zonal Teachers Training Institutes for in-service courses for teachers for improving their capabilities are being set up and will be functional during IX Plan period which in turn provides number of training courses/programmes not only to the employees of the Samiti but also it may cater to the needs of the other teaching staff in the vicinity of the training centre. This will increase the number of programmes/workshops.

In so far as the construction of Vidyalaya buildings is concerned, it may be mentioned that administrative approvals for 327 Vidyalayas building complexes have already been given and the works are in progress in various phases at the end of 1995-96.

215 Vidyalayas are functioning in their own buildings to the extent completed. During 1996-97, 22 more Vidyalayas are likely to be occupied and another 20 Vidyalayas are expected to shift to their own buildings in 1997-98.

The position of funds at BE 1996-97 and projections of the Samiti at RE 1996-97 and BE 1997-98 are as detailed below:-

(Rs. in crores)

	Non-Plan		Plan	
	Budgetory Support	Anticipated Actuals	Budgetory Support	Ancticipated Actuals
BE 1996-97	51.24	56.63	136.00	191.86
RE 1996-97	60.00	61.13	201.00	200.55
BE 1997-98	127.00	128.89	195.00	192.35

Besides, the above budgetary support provided/projected the Samiti has an unspent balance for the 1995-96 of Rs. 8.03 crores under Non-Plan and Rs. 8.41 Crores under Plan. The Utilisation of the effective funds position of the Samiti is as detailed below:-

	B.E. 1996-97		R.E. 1996-97		B.E. 1997-98	
	Non Plan	Plan	Non Plan	Plan	Non Plan	Plan
1. Staff Payments	29.35	25.19	31.60	26.38	63.78	14.41
2. Expenditure on students	12.45	40.09	14.70	38.25	47.79	12.47

3. Other recurring & non-recurring expenditure	14.33	16.58	14.33	16.92	16.82	28.26
4. Constrn. Activities	0.50	110.00	0.50	119.00	0.50	137.21
Total for Current year	56.63	191.86	61.13	200.55	128.89	192.35
For 1st 2 months of next fin. year	2.64	2.55	6.90	8.86	15.94	3.79
Total	59.27	194.41	68.03	209.41	144.83	196.14

The main reasons for variation between BE 1996-97, RE 1996-97 and BE 1997-98 are as detailed below:-

The additionality of Rs. 8.76 crores under Non-Plan and Rs.15.00 crores under Plan at RE 1996-97 stage has since been sought mainly to meet:

i) Increase of amount of interim relief, DA and Bonus besides filling up the vacant posts of teaching staff by contract appointments to guard against the fall of academic excellency in the Vidyalayas.

ii) The Committed liability of construction activities including maintenance of own buildings which were under the occupation of Samiti/Vidyalayas for the last 3-4 years.

iii) As the Vidyalayas are situated in a remote rural areas, the vidyalayas to be provided with funds from the current year itself to meet the recurring and non-recurring expenditure of the Ist two months of the next financial year 1997-98.

The substantial increase in the Non-plan provision for 1997-98 is on account of Ministry of HRD, Department of Education instructions that the year 1996-97 is a terminal year in the VIII Five Year Plan and Non-Plan BE 1997-98 will also include committed expenditure in respect of plan scheme completed during the VIII Five Year Plan. Accordingly the existing operational Plan expenditure to the extent of Rs. 62.70 crores has been proposed for transfer to Non-Plan bringing requirements of the non-plan budgetary support at BE 1997-98 stage to the extent of Rs. 127.00 crores and the plan budgetary support to Rs. 195.00 crores with permission to utilise the anticipated unspent balances of 1996-97.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	18600.00	19550.00	16400.00
Non-Plan	5124.00	5801.00	5600.00

XII Vocationalisation Of Secondary Education

In accordance with the priority accorded to Vocationalisation of Education in the National Policy on Education, a Centrally sponsored Scheme of Vocationalisation of Higher Secondary Education was introduced in Feb., 1988. The main objectives of the scheme are to enhance individual employability, reduce

the mismatch between demand and supply of skilled manpower and provide an alternative for those pursuing higher education without particular interest or purpose. A Centrally Sponsored Scheme of Pre-Vocational Education at Lower Secondary Stage has also been introduced from the year 1993-94 primarily to impart training in simple marketable skills to the students of classes IX & X, to develop vocational interests and facilitate students in making a choice of vocational courses at the higher secondary level.

The scheme is implemented through the State Govts./UT Administrations. So far, all States/UTs except Lakshadweep have joined the programme at the +2 level. Under the Pre-Vocational Education, assistance has been provided to 9 States/UTs for introduction of Pre-Vocational courses in 428 schools.

Assistance is also provided to non-governmental organisations for conducting innovative and non-formal programmes of vocational education. So far, 56 voluntary organisations have been assisted under the scheme.

The target laid down in the revised policy is to divert 10% of higher secondary students to the vocational stream by 1995 and 25% by 2000 A.D. As against this, 18709 vocational sections have been sanctioned in 6476 schools all over the country thereby creating capacity for diversion of about 9.35 lakhs students to the vocational stream which is 11% of the enrolment at the +2 stage.

Since the target has already been achieved in terms of capacity sanctioned, the focus in the last few Years has been on consolidation and qualitative improvement of the programme.

Following are the major steps taken in this direction:-

i) A Joint Council for Vocational Education (JCVE) was set up in April, 1990 for policy formulation and co-ordination at the national level.

ii) A Central Institute of Vocational Education (CIVE) has been set up at Bhopal in July, 1993 to provide technical and academic support to the programme in the country.

iii) Of the 150 courses introduced under the scheme, 60 Vocational Courses have been notified under the Apprenticeship Act.

iv) Collaborative arrangements have been made with some Govt. Departments and Public Sector undertakings like Ministry of Railways, Ministry of Health etc. Efforts are also being made to evolve need-based courses in the area of Textiles, Food Processing and Leather.

v) The States have been advised to strengthen the management structure at various levels, induct experts to infuse professionalism in the programme, introduce need-based courses and to strengthen linkages with the industry for on- the-job and apprenticeship training.

vi) A national level consultant has been appointed to look into the aspect relating to modification of Recruitment Rules with a view to enhance employment opportunities for vocational passouts.

vii) With a view to evaluate the performance of the Vocational Education Programme, four external agencies/institutions have been allotted the work.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	8200.00	5200.00	6000.00

XIII Improvement Of Science Education In Schools

To improve the quality of Science Education and promote scientific temper, as envisaged in the National Policy on Education, 1986, a Centrally Sponsored Scheme, Improvement of Science Education in Schools', has been operational since 1987-88. The Scheme uses the resource and agency of the State Governments and non-governmental organisations for achievement of these objectives. Accordingly, 100% assistance is provided to the States/Union Territories for provision of science kits to upper primary schools, upgradation of science laboratories and library facilities in secondary/senior secondary schools and training of science and mathematics teachers. The scheme also provides for assistance to voluntary organisations for undertaking innovative projects in the field of science education.

All State Governments/Union Territory Administrations have received assistance under the scheme during 1987-88 to 1995-96. During the last 3 years, viz. 1993-94 to 1995-96, a sum of Rs. 66.62 crores has been sanctioned to 24 States/UTs and 15 voluntary agencies. While the voluntary agencies have been assisted for conduct of experimental and innovative programmes; the States/UTs have been provided assistance for provision of science kits to upper primary schools, upgradation and strengthening of science laboratories in secondary/senior secondary schools, supply of books on science related subjects to secondary/senior secondary schools and training of science and mathematics teachers of the relevant schools.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2169.00	2169.00	1990.00

XIV Scheme Of Assistance For Strengthening Culture And Values In Education

Education about India's common cultural heritage has been identified in National Policy on Education as one of the core areas under the National System of Education. While spelling out the cultural perspective in education, the policy has stressed on the need to bridge the scheme between the formal system of education and India's rich and varied cultural traditions. The Policy has, called for enriching the curricula and processes of education in as many manifestation as possible and

has laid considerable emphasis on value education by highlighting the need to make education a forceful tool for the cultivation of social and moral values.

In 1990, a decision was taken to review the earlier scheme to make it more purposeful. A reformulated Scheme of Assistance for Strengthening Culture and Values in Education was introduced in the last quarter of 1992-93.

The revised scheme has two broad components which are:-

(i) Strengthening of cultural and value education inputs in the school and non-formal education system.

(ii) Strengthening the in-service training of craft, music and dance teachers.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	100.00	90.00	50.00

XV Promotion Of Yoga In Schools

The National Policy on Education 1986 lays special emphasis on teaching of Yoga in schools. Accordingly, the Centrally sponsored scheme of Promotion of Yoga in Schools was formulated in April 1989 under which Yoga institutions sponsored by State Governments are assisted for training of Yoga teachers and for building infrastructural facilities for the purpose. Assistance is also provided to the Kaivalya Dham Shriman Madhava Yoga Mandir Samiti, Lonavala (Pune), a Yoga institution of all-India character for maintenance as well as development expenditure, for promotion of basic research and for teacher training programmes in various aspects of Yoga other than the therapeutical aspects.

The scheme is being continued during the VIII Plan with some modifications, particularly in the financial norms for the various components of the scheme. The VIII Plan provision is Rs. 3.25 crores for training about 7500 teachers. Assistance is being provided to a number of organisations/institutions in 12 States and UTs and it is estimated that over 7000 teachers have been trained so far.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	60.00	24.00	24.00
Non-Plan	30.00	30.00	30.00

XVI Scheme For Strengthening Of Boarding And Hostel Facilities For Girl Students Of Secondary And Higher Secondary Schools- Financial Assistance To Voluntary Organisation

The primary aim of the Scheme is to give a boost to retention of girls in High and Higher Secondary schools particularly in rural areas. Since the High/Higher Secondary Schools in such places are sparsely located the girls remain particularly, disadvantaged by not being able to cover considerable distance between their home and High/Higher Secondary schools.

The Scheme has been launched in 1993-94, with the objective of providing the following types of assistance to the existing hostels run by the NGOs:-

(i) Non-Recurring assistance as one-time grant for provision of essential furniture utensils and meeting basic recreational needs @ Rs. 1500/- per boarder.

(ii) Recurring assistance for food emoluments of Cook and Bearer @ Rs. 5000/- p.a. per boarder.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	55.00	65.00	500.00

C. UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION

I. University Grants Commission

The University Grants Commission was set up in 1956 under a Central Act with the comprehensive role "to take in consultation with the University or other bodies concerned all such steps as it may think fit for the promotion and coordination of University Education and determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in universities"

The University Grants Commission receives grants from the Department of Education, Ministry of Human Resource Development both for its non-plan requirements and plan projects/ schemes.

At present 10 Central Universities out of otal 14 central Universities, 12 institutions deemed to be universities, 55 colleges which are maintained colleges of Delhi University and 4 colleges which are maintained colleges Banaras Hindu University receive maintenance expenditure. The commission also provides fellowships to junior research Fellows, Teacher Fellows (SC/ST), National Fellows, Visiting Associates, Emeritus Fellows.

UGC provides general development grant to eligible universities, institutions deemed to be universities and colleges for acquiring certain infrastructural facilities like academic and administrative building, hostels, books and journals, additional teaching staff in specific disciplines, which are otherwise not available to such institutions from the State Government bodies responsible to maintain these, so as to promote quality of teaching.

14 Central Universities, 133 State Universities and 19 institutions deemed to be universities are provided general developmental grant. 4536 colleges are eligible for general developmental assistance varying between Rs. 5-10 lakhs during a plan period (1992-97) depending on the strength of students on the rolls, level upto which education is imparted.

Progress of the VIIIth Plan

For the VIIIth Plan the approved outlay was Rs. 612.38 crores and the actual sanction was Rs. 889.57 crores from 1992-93 to 1996-97. This represented 8 per cent of the total outlay of the Ministry.

The specific thrust areas and the achievements in respect of them in the VIIIth Plan, are summarised below in four broad categories viz. (i) Access, (ii) Quality, (iii) Relevance and (iv) Resources which are the major areas of concern in higher education.

Access to Higher Education

The Central Government started several new universities during the VIIIth Plan mainly in the north-eastern sector. These universities have opened up new facilities for students in these regions. Special efforts have been made to provide equity for special categories including women, weaker sections, hill area population, etc. Special coaching classes have been organised to enable persons

from the weaker sections to compete effectively with others. New facilities created include increased intake capacity and improvement of distance education mode, Arrangements have been worked out in coordination with the Distance Education Council of Indira Gandhi Open University to convert all the correspondence course programmes to the distance education mode. Special efforts have been made to increase the number and capacity of women's hostels so that women even from remote areas are enabled to get higher education.

Quality of Higher Education

The various efforts of the UGC during the VIIIth Plan have been towards contributing to the improvement of the quality of education in the universities and colleges. A large variety of activities were started during the VIIIth Plan. These include:

Framing of regulations for the minimum qualifications of teachers, scheme for enabling teachers to improve their qualifications and research capabilities through continuing education programmes conducted by Academic Staff Colleges and other centres, teacher fellowships, travel support and Career Awards. Special Efforts were made to enhance the library facilities and the Information and Library Network (INFLIBNET) was set up as an Inter- University Centre for computerisation and networking of libraries and providing access to information.

Enhancement of research facilities through Special Assistance Programmes by which a large number of universities were enabled to upgrade their facilities and create special facilities for research. Centres for Advanced Studies were continued in a large number of universities. Major and Minor research projects were funded. The Special Assistance Programmes and Major Research Projects have a built-in system of monitoring. University Science Instrumentation Centres (USICs) were supported and new centres were created. Inter University Centres were strengthened.

Curriculum Development Cells produced a number of Model Curricula in different subjects. Text book writing was supported.

The National Assessment and Accreditation Council (NAAC) was set up to enable quality improvement through a systematic assessment procedure.

Relevance of Higher Education

Special efforts were made to increase the relevance of higher education through making courses more career oriented. The new scheme of Vocational Courses was started from the year 1994-95. This enabled students in selected colleges and universities to have one of the under-graduate subjects in a special career oriented course. Restructuring of courses was taken up simultaneously to provide a component of application to education. A study was started to examine the concept of Community College.

Resource Mobilization for Higher Education

During the VIIIth Plan, a number of steps were initiated to enable the universities to raise resources. These included:

Motivation for contributions from industrial houses and other sources by providing 100% tax exemption to such contribution. A contribution by the UGC of 25% of the resource generated by the university towards its corpus fund.

Initiation of rationalisation of the funding pattern of universities on the basis of unit costs as suggested by the Punnayya Committee.

Growth Projection for the year 1997-98

Upto fourth year of the VIIIth Plan, there were 224 Universities and 8613 Colleges, out of these 176 universities are directly under the umbrella of the UGC. Of these 176 universities, 140 receive plan grants having met the minimum requirements as laid down by the UGC. Of 8613 colleges, 4510 colleges are receiving grants from the UGC. It is expected that during the year 1997-98, the number of universities eligible for assistance from the University Grants Commission would be about 100 to 200, and the number of colleges would be about 5000.

Priorities for the Year 1997-98

We accept that our national goal is sustainable development with equity and social justice in pluralistic and democratic social order, the context of education and its relevance must be derived from it and, in turn, education must become a very important area of national planning and a facility to promote these goals. To that extent, education has the mandate, as we move to the twenty first century, to reexamine its relations with the social and economic order, and its relationship to the immediate community in which it operates. It has to provide access to assure equity, at the same time, developing a qualitative education in which the products of the system develop knowledge, skills, appropriate values and attitudes, not only for immediate tasks as adults but the ability for flexibility and innovation as the new century will usher in developments not known to us today.

To be able to perform their roles and functions, higher education institutions will have to reflect on their own current structures and their ability to function with efficiency and effectiveness as autonomous organisations. Organisation of the institutional structures, as well as their management, must be addressed.

No less is the importance of funding, but the public increasingly requires accountability, both from the public and private educational institutions. Accountability has to be in terms of cost efficiency, an education which is relevant and qualitative and prepares young adults for the world of work, for responsibilities as parents, and also for social and civic responsibilities. Human Resource Development, at all levels, needs to be given priority and made a part of the nation's overall development strategy. Priorities for the year 1997-98:

Relevance and Quality of Education

Access and Equity.

The University and Social Change,

Adult Continuing Education and Outreach,

Women's Studies.

Management of Education and Finance.

Financial Requirements

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	200.63.00	200,63.00	351,10.00
Non-Plan	465,00.00	466,14.00	450,00.00

II. Indira Gandhi National Open University (IGNOU)

The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) was established in September,1985 by an Act of Parliament for the introduction and Promotion of Open University and distance education systems in the educational pattern of the country and for the coordination and determination of standards in such systems. The University has set up 9 Schools in various disciplines. One more School namely "School of Legal Studies" is being established, thereby raising the total number of Schools to 10.

Academic Programmes

The University is offering 14 programmes at certificate, 20 programmes at Diploma, 26 programmes at Bachelor and 4 programmes at Master levels. During 1997-98 it is proposed to start another 24 programmes. Till 1996-97, IGNOU had produced 640 Audio and 540 video cassettes. The number of volumes to be printed during 1997-98 would depend upon the students strength and the number of new courses/programmes to be launched. In addition to the course material, the University has brought about 2100 publications which include programme guides, student assignments, brochures, information packages, etc.

On an average 2500 packages of the course material are mailed daily to the students throughout the country. IGNOU has provided its course material for the use of the State Open Universities (Kota, Hyderabad and Nasik). The University has also started sale of its course materials to the public on a limited basis.

The number of student on roll is 2.76 lakhs. This includes 1,30,354 admitted during 1996-97.

The sanctioned strength of core faculty members as on March 31,1996 was 238. At the end of March, 1996, the Non-academic staff in position was 900.

Student Support Services

The University has established an extensive student support services network consisting of 17 Regional Centres and 255 Study Centres situated in different parts of the country. A Study Centre of IGNOU provides the following services:

Tutorials, Problems Solving sessions, etc.

- Information, advice and counselling
- Library facilities
- Audio Video facilities
- Receive all student assignments and makes arrangements for their evaluation:

The regional centres coordinate the activities of the Study centres in their respective regions. One regional centre and 15 Study centres are proposed to be set up during 1996-97. Also 15 study centres are proposed to be set up during 1997-98.

Examinations

IGNOU operates the largest examination system in the country. 100,308 students were registered for examination during 1995-96 while 1,87,645 were registered during 1996-97.

Campus Development

A project for construction of a modern well-equipped studio complex including the buildings for the University's Communication Division at IGNOU's permanent campus site, with Japanese aid of approximately Rs.68.00 crores was completed.

Promotion & Coordination of the Open University and Distance Education System

The Distance Education Council (DEC) set up under the IGNOU Act for the performance of the functions assigned to University for promotion, coordination and maintenance of standards in distance education, finalised the guidelines for the provision of financial support to the State Open University.

The Staff Training and Research Institute of Distance Education (STRIDE) has been established for imparting training and ensuring development of human resource for the distance education system. The STRIDE offer a variety of programmes of training in course design and development, preparation of self-instructional material, production of audio/video programmes, organisation of student support services etc. for personnel from IGNOU, State Open Universities and Institutes of Correspondence Education of Conventional Universities.

Indian Journal Of Open Learning

The Indian Journal of Open Learning is published twice a year in January and July.

International Interaction

There has been growing interaction and cooperation between IGNOU and the Commonwealth of Learning (COL). The COL has already recognised IGNOU as "Centre of Excellence in Distance education".

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2150.00	2305.00	2800.00
Non-Plan	700.00	700.00	770.00

III. Indian Council Of Social Science Research

The Indian Council of Social Science Research, New Delhi was established in 1969 as an Autonomous Organisation to promote and coordinate social science research in the country.

During VIII Plan Period, the Council brought two more research institutes under its grant-in-aid scheme, bringing the total to 27. During the year 1996-97, the Council continued to assist research institutes of all India character engaged in research in the field of social science.

The Council proposes to sanction research grants to 152 new research projects during this year and proposes to finance 200 research projects (new and ongoing) in 1997-98. It also expects to undertake evaluation of 90 reports of completed research projects during the year.

During 1996-97, the Council Proposes to award 10 new national, 10 senior, 15 general and 88 doctoral fellowships; partial assistance for six months for doctoral studies and contingency grants would also be provided to 120 scholars.

During 1996-97, 12 training programmes in research methodology and 3 in computer applications in social sciences are expected to be completed against the target of 14 and 4 respectively.

During 1996-97, subscription of about 450 (out of total receipt of 4000 current titles) Journals will be continued and about 4000 documents including books and thesis will be purchased. It is also proposed to compile 350 & 400 bibliographies in 1996-97 and 1997-98 respectively. Study Grants are also expected to be provided to 150 doctoral students during 1997-98.

Data base has been set up on (i) Research projects in NASSDOC; (ii) Social Science periodicals in Delhi Libraries; (iii)Social Scientists Research Institutions in India; (iv) Core periodicals in Social Science; (v) Social Science Research and Training Institute in India; (vi) Peace/ Human Rights/ International Law Research and Training Institute in India. Data bases are proposed to be created on (a) Proceedings of Social Science seminars/conferences,(b) Ph.D. thesis in social science acquired by NASSDOC, (c) Area study bibliography on North-East region. The Asian Documentation Centre being set up with Japanese aid is making progress. Action is also on hand to acquire/ create Data bases and research material on the region.

During 1997-98. the Council will provide Consultancy services to 136 scholars through 10 Institutions in the Country and continues with the work on updating the national Register of Social Scientists.

In 1996-97, the Council will bring out 86 issues of Journals and Newsletter. The Council is planning to support the conduct of five book exhibitions each in 1996-97 and 1997-98.

Against the target of 35 national and 5 international seminars, conferences etc. in 1996-97, the Council expect to support 40 national seminars. In 1997-98, the Council proposes to hold/assist 45 seminars and conferences. It also intends to assist 125 Indian social scientists to visit foreign countries for coordinating research work or to attend seminars and conferences and provide assistance to 60 foreigners to visit India on reciprocal basis for similar purpose.

The Council will continue its cultural academic exchange programmes with Russia, France, the Netherlands, China, South Korea, North Korea and Vietnam. Proposals for new cultural exchange programmes with more countries like Japan, South Africa, SAARC countries are under active consideration. The Council has also been actively participating in the activities of international organisations like ISSC, IFSSO and AASSREC.

The collaboration programme with Dutch Government known as IDPAD, has entered its fourth phase and projects will be continued in 1997-98.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	450.00	450.00	700.00
Non-Plan	520.00	520	

IV. Indian Council Of Philosophical Research, New Delhi

The Indian Council of Philosophical Research has been set up to periodically review the progress of research in Philosophy and take other measures for promotion of research in Philosophy and allied disciplines.

In order to achieve its aims and objectives, the council awards fellowships, organises seminars, conferences, refresher courses, dialogues, colloquia, arranges lectures of eminent Indian and Foreign philosophers at various Universities in India; provides financial assistance ot organize seminars/workshops/ conferences.

During 1996-97, the Council has invited 37 fellows to join the Council. In addition to these, 6 General Fellows, 7 Junior Fellows, 2 Senior Fellows, 3 National Fellows and 1 Fellow for preparing learning material have been continuing from the previous year.

The Council has organised 5 seminars and 4 seminars are to be held shortly. Apart from the above, the Council has provided partial or full financial support to organise a number of conferences/seminars in various parts of the country. During 1997-98, the Council proposes to organise an international seminar on 'Dharma' apart from 2 fully sponsored National Seminars.

For international conferences/academic linkages, the Council has deputed one scholar to Paris under Indo-French Cultural Programme and provided travel grant to two scholars to attend the conferences abroad. The Council has decided invited Prof. Y.A. Yajnik Gujrat University and his holiness Dalailama. Prof. Thich Nagh Thanch or Prof Nakumara as Annual Lecturers.

The Council has published 6 books so far and a few more books are expected to be released shortly. The Library of the Council has acquired 15,957 books so far and subscribed 99 important Journals.

Work on the Inter-disciplinary Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture continued during 1996-97. Three scholars had been appointed as Editorial Fellows and 3 more have been identified for appointment as Editorial Fellows in the uncovered areas of the Project. PHISPC Monographs were brought out during 1995-96 and one during 1996-97 and another 2 were planned during the year, work on manuscripts on various Volumes are under preparation and would be continued during 1997-98.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	202.00	202.00	125.00
Non-Plan	69.69	72.00	78.00

V. Indian Institute Of Advanced Study, Shimla

The Institute, set-up in October, 1965, aims at free and creative enquiry into the fundamental themes and problems of life and thought. It is a residential and autonomous centre for research and encourages promotion of creative thought in areas which have deep significance and provides an environemnt suitable for academic research particularly in selected subjects in the Humanities, Social Sciences and Natural Sciences, Indian Culture, Comparative Religion and in such other areas as the Institute, may from time to time decide.

The Institute awards 5 National Fellowships in a year through invitation to eminent scholars. While the number of National Fellows was two, their number would be four to five in the year 1997-98. The Institute awards Fellowships to scholars in various fields through open advertisements and notification to Universities and institutions of national importance. The sanctioned strength of Fellowships is 25 to 30 which can be increased depending upon the facilities at the Institute. The duration of fellowship ranges between 3 months and 2 years and is extendable by one year. The target for the year 1996-97 was 30 Fellowships against which 20 Fellows are in position (1996-97). The target for the year 1997-98 is 30 to 35 fellows.

During 1996-97, the Institute has so far organised 4 National Seminars. The target for 1997-98 is five seminars.

During 1996-97, the Institute brought out 9 titles before 30th October, 1996 and 9 more are in the pipeline. The target for 1997-98 is twelve publications.

Plan budget of Rs 400.00 lakhs for 1996-97 consists of special grant for preservation, conservation and restoration of Rashtrapati Niwas building. The work is in progress with INTACH and CPWD. A fresh team project on "Gandhian Perspectives" has been taken by the Institute. The Project is estimated to be completed within three years.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	400.00	400.00	90.00
Non-Plan	150.00	165.00	180.00

VI. Indian Council Of Historical Research (ICHR), New Delhi

Indian Council of Historical Research was set up as an autonomous organisation to promote objective and scientific writing of history. The broad aims of the Council are to bring historians together, to sponsor historical research programmes and to inculcate an informed appreciation of the country's national and cultural heritage.

During the financial year 1996-97 (1.4.96 to 31.10.96) 3 new research Projects were sanctioned and fellowship grants were provided in 63 cases and extension was allowed in respect of 20 cases. The Council sanctioned study grants including travel-contingent grant to 45 scholars and approved subsidise cost for publications of 17 monographs. 34 Professional organisations of historians have been assisted for organising seminars and Symposia. Financial assistance was provided to 4 scholars for data collection from abroad.

In addition to above work, ICHR is publishing an annual Journal "Indian Historical Review" in English and" Itihas in Hindi, under the Special Publication, programme to bring out volumes of " Towards Freedom" 4 Volumes have been completed. Two volumes have been handed over to Oxford University Press for publication on royalty term basis. Work is also in progress on the Economic History Project and completion of documents on Railways, Agriculture and Irrigation is like to be completed shortly.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	49.00	49.00	75.00
Non-Plan	140.00	145.00	155.00

VII. Shastri Indo-Canadian Institute

The Shastri Indo-Canadian Institute, an autonomous organisation incorporated in Canada commenced its activities in 1968 in pursuance of the Memorandum of Understanding between the Government of India and the Shastri Indo- Canadian Institute. The objective of the Institute is to serve a two fold

purpose of supporting and promoting advancement of knowledge and understanding of one Country among the scholars and students of the other. The Government of India provides grant-in -aid to the Institute for the operation of its activities in India in accordance with Supplementary Addenda VII to the Memorandum of Understanding dated the 29th November, 1968.

As per Addenda VII to the Memorandum of Understanding signed on 29th July,1994, the Government of India will pay to the Institute, a grant not exceeding Rs.5.00 crores for a period of five years with effect from Ist April, 1994 to 31st March, 1999. In addition, a sum of Rs. 1.00 lakh will be paid to the Institute for supply of books for every new member joining the Institute on/or after Ist April,1994.

The activities of the Institute include:

i) award of fellowships;

ii) scholarships and bursaries to Canadian residents for study in India and the Indian scholars for visit to Canada;

iii) acquisition of Library materials of India for distribution among Universities in Canada; and

iv) development of Canadian studies in India.

The Institute awards 25 fellowships to Canadian scholars during 1996-97 for undertaking research in India in the field of Humanities and Social Sciences. During 1996-97 the Institute also sponsored 26 scholars to visit Canada under its various programmes.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	100.00	97.00	110.00

VIII. DR. Zakir Hussain Memorial College Trust, Delhi

Dr. Zakir Hussain Memorial College Trust, Delhi was established in 1973 to take over the responsibility of the management and maintenance of Dr. Zakir Hussain College (formerly Delhi College), which is one of the constituents of University of Delhi. The maintenance expenditure of the College is shared between the University Grants Commission and the Trust in the ratio of 95:5. In addition, the University Grants Commission provides developmental grant to the College according to the pattern of assistance laid down by the commission for various type of programmes. The matching contribution of such development expenditure is required to be made by the Trust. Since the Trust has no resources of its own, grants are provided by the Department of Education for meeting the above expenditure. Financial assistance is also provided for meeting the administrative expenditure of the Trust.

Prof. Upendra Baxi, the Vice-Chancellor of University of Delhi delivered Zakir Hussain Memorial Lecture in December 1995.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	25.00	-	28.00
Non-Plan	12.00	12.00	13.00

IX. Institution Of Higher Learning Of All India Importance

This Ministry has been providing financial assistance to some voluntary organisations/educational institutions of Higher Learning of All India Importance. Assistance under the scheme is provided to institutions which are outside the University system and which are engaged in programmes of innovative character.

Since major part of assistance to these institutions being provided under the Plan Scheme, continuance of assistance from Plan to plan has to be decided at the end of every Plan. In order to examine and to recommend the nature and quantum of assistance to be provided to these institutions during the Eight Plan period, Visiting Committees were constituted by the Ministry in September 1990 to visit the Institutions to make an on-the-spot assessment of their performance and to recommend nature and scope of further assistance during the Eight Plan period. The reports of the Visiting Committees have been made available to the Ministry. Financial Assistance is being given to the following institutions on the basis of reports of the Visiting Committees: (i) Sri Aurobindo International Institute of Educational research Auroville, Tamil Nadu (ii) Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry (iii) Lok Bharati Sanosara, Gujarat and, (iv) Mitraniketan, Vellanad, Kerala.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	20.00	20.00	35.00
Non-Plan	21.00	21.00	23.00

X. Association Of Indian Universities (AIU), New Delhi

The Association of Indian Universities is a voluntary organisation of Indian Universities and is registered under Societies Registration Act. It is also forum for university administrators and academics to come together to exchange views and to discuss matters of common concern. It acts as a bureau of information in Higher Education and brings out a number of useful publications, research papers and a weekly Journal known as "University News"

The Association is substantially financed from the Annual subscription paid by the member universities. The Government of India sanctions grants for meeting a part of its maintenance expenditure including the Research Cell set up to undertake research activities concerning the university system. The Research Cell

undertake various activities including research studies, workshops, training programmes, question banks and data bases etc.

8 workshops were held from April, 1996 to November, 1996. Question Bank on "Zoology" for undergraduate students was revised and published.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	23.00	15.00	25.00
Non-Plan	15.00	15.00	15.00

XI. Scheme Of Revision Of Pay Scales Of Teachers In Universities And Colleges

The Scheme of revision of pay scales of teachers in universities and Colleges, announced by the Government on 22nd July, 1988, has been implemented by all the Central Universities and most of the States. As envisaged under the Scheme, central assistance to the extent of 80% of the additional expenditure involved in giving effect to the Scheme has also been released to most of the States. Under the Scheme, Central assistance is restricted to the period from 1.1.1986 to 31.3.1990 only. Budget provision has accordingly been made for meeting the residual claims of a few State Governments.

As visualised in the Scheme, National qualifying tests are conducted by the UGC twice a year for recruitment of Lecturers on all India basis. The Commission has also circulated guidelines for performance appraisal of teachers and a code of professional ethics for the teachers. The universities and colleges have been requested to adopt these guidelines. The Commission has established 45 Academic Staff Colleges in different universities for orientation of newly appointed teachers and refresher course for existing teachers.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	190.00	190.00	190.00

XII. Commonwealth Of Learning (COL)

The Commonwealth of Learning was established through a Memorandum of understanding between Commonwealth Governments in 1988. India made an initial pledge of 1 million Pounds (Rs.250 lakhs) towards establishment of COL. The entire pledge of Rs.250 lakhs stands remitted to COL. Also, during 1994-95, a sum of Rs 100 lakhs has been released to COL, while during 1995-96 Rs. 75 lakhs were released on ad-hoc basis. During 1996-97 it is proposed to release Rs.110 lakhs on ad-hoc basis. It is proposed to shift the scheme of COL from plan to Non-Plan from 1997-98 as per the advice of Department of Expenditure and Planning Commission. India is a member of the Board of Governors of the COL by virtue of the 6 major donors.

COL has so far focussed its attention on activities in the Instructional Materials, Telecommunication and Technology, Training, Information service and Continuing Professional Education. In regard to India, the major objectives identified by COL are to assist IGNOU in the establishment of an institution for training in distance education, to assist the National Open School by providing consultants in course design equipment, study visits and research fellowships for staff etc.; to assist the Ministry of Personnel in developing suitable Distance Education Training Programmes for civil servants; to assist in the improvement of quality of B.Ed. programmes offered by Open Universities and Institutes of Correspondence Studies.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	75.00	110.00	100.00
Non-Plan	-	-	120.00

XIII. Establishment Of The National Evaluation Organisation

The National Policy on Education as modified in 1992 and the programme of Action for the Implementation thereof envisages the establishment of a National Institution to facilitate the process of delinking University degrees as the basis of recruitment to services for which a University degree need not be a necessary qualification. The National Evaluation Organisation has been set up as an autonomous registered Society for this purpose. The National Evaluation Organisation will:

(a) Conduct tests on a Voluntary basis to determine and certify the suitability of candidates for specified jobs that do not require a diploma or degree as a qualification;

(b) Make the test available to candidates taking the same of their free will and those who are certified as qualified for specified Jobs/ services would be eligible for appointment to such posts/services without insisting on any other qualifications;

(c) devising a series of test on the basis of detailed job description, job analysis etc. to identify requirements of knowledge, competence, skills and aptitudes necessary for the performance of the identified jobs; and

(d) Function as a well- equipped resource centre at the National level in test development, test administration, test scoring, application of computer systems and optical marks reader etc.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	25.00	5.00	24.00

XIV. Scheme for Strengthening of Administrative Monitoring and Evaluation System

The financial allocations under this scheme are utilised to meet expenditure for providing administrative support to the new initiatives in the field of University and Higher Education. These include preparation of project reports for new projects like establishment of National Council of Higher Education, Accreditation Council, National Evaluation Organisation, etc.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	100.00	1.00	1.00

XV. National Council Of Rural Institutes

The National Council of Rural Institutes, as an autonomous society fully funded by the Central Government was registered on October 19, 1995 at Hyderabad with the aims and objectives to:

a) promote rural higher education on the lines of Mahatma Gandhi's ideas on education so as to take up challenges of micro-planning for transformation of rural areas as envisaged in NPE 1986 (as modified in 1992)

b) consolidate network and developed institutions engaged in programmes of Gandhian Basic Education and Nai Talim:

c) encourage other educational institutions and voluntary agencies to develop in accordance with Gandhian Philosophy of education.

NCRI is preparing an Action Plan for promotion/revival of existing rural institutes as also encourage new initiatives. It has encouraged the setting up of Swami Ramanand Tirth Rural Institute at Pochampalli for which State Government have transferred 17 acres of land and has agreed to provide 15% of annual expenditure. NCRI has provided seed money of Rs. 10.00 lakhs to SRTRI during 1995-96 and Rs.100 lakhs during 1996-97.The Council has received proposals for setting up a Rural institute, each in Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	300.00	300.00	375.00

D ADULT EDUCATION

I. Special Projects for Eradication of Illiteracy (TLCs)

The Total Literacy Campaign (TLC) constitutes the principal strategy under the National Literacy Mission which has the objective of making 100 million persons in the target age-group of 15-35 years functionally literate by the end of the Eight Five-Year Plan. Wherever the children in the age-group 9-14 cannot be covered under the scheme of Non-formal education, they should also be covered under the TLCs. Under the Common Minimum Programme Approach, this target, however, has been extended up to the end of 1998-99.

The literacy campaigns under this scheme are area-specific, time-bound, delivered through voluntarism; cost-effective and outcome-oriented, and are implemented by the Zilla Saksharata Samitis, usually headed by District Collectors. After completion of the TLC, Post Literacy Campaign is launched to mop up the left-over illiterates and to consolidate the gains of literacy acquired during TLC, and to enable the neo-literates to develop abilities for self-learning. The campaigns are implemented through direct funding to the ZSS by the Central and State Government in the ratio 2:1 for normal districts, and 4:1 for Tribal and Sub-Plan districts.

As on October,1996 a total of 410 districts under TLCs and 169 districts under PLCs have been covered either fully or partially.

During the current financial year, as on October,1996,26 districts under TLCs and 6 districts under PLCs have been sanctioned. It is expected that in all around 50 districts under TLCs and 40 districts under PLCs would be covered during the current financial year. Due to slow progress of total literacy campaigns, particularly in the Hindi-speaking State, Post Literacy Campaigns proposals have not come up in expected numbers.

Following has been the physical/ financial achievements in respect of the financial years 1994-95 and 1995-96.

	Target (Annual Plan)		Achievements	
Year	Physical	Financial	Physical	Financial
	Distt. TLC/PLC	Rs. Crores	Distt. TLC/PLC	Rs. Crores
1994-95	60/100	154.75	88/54	155.27
1995-96	60/100	120.00	63/33	100.00

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	10000.00	5000.00	5000.00

II. Scheme of Assistance to Voluntary Agencies

The Central Scheme of Assistance to Voluntary Agencies in Adult Education came into operation under the National Literacy Mission (NLM) in 1987-88. under this Scheme VAs are provided financial assistance for imparting literacy to adult illiterates in the age group 15-35 establishment and running of Jana Shikshan Nilayams (JSNs), publication of books/Periodicals, provision of academic and technical resource support, organisation of workshops, seminars, conferences etc.

The Scheme was revised in October, 1991 to provide for financial assistance to Voluntary agencies for taking up area-specific, time bound, result oriented and volunteer based Total Literacy Campaign (TLC) and Post Literacy Campaign (PLC) projects.

Under the revised Scheme as now in operation VAs are funded on 100% basis with a proviso that in field projects, the administrative cost will be restricted to only 9% of the total cost of project. The Scheme has also been decentralised and the responsibilities for sanctioning projects, disbursing grant -in-aid, monitoring evaluation etc. is being delegated to leading VAs in the State like the State Resource Centres (SRCs). The funding pattern of the State Resource Centres has also been enhanced and the SRCs have been divided into three categories "A","B", & "C". TLC/PLC projects are being sanctioned to VAs only in areas where TLC/PLC has not been launched by the Zilla Saksharta Samitis. JSNs are also being funded only in areas where TLC/PLC has not been launched by ZSSs.

92 voluntary agencies have been assisted during 1995-96. 26 State Resource Centres are functioning in the various States at present and providing techno-pedagogic resource support to the voluntary agencies/ZSSs working in the States.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	1000.00	700.00	1000.00

III. Strengthening of Administrative Structure

The Scheme of Strengthening of Administrative Structure in the States/UTs, a centrally sponsored Scheme was introduced to the year 1978-79 to create necessary supportive administrative structure at the States/UTs and district levels for implementation of Adult Education Programmes.

The central grant is meant to cover the entire expenditure on the emoluments of the sanctioned staff, expenditure on other items like POL, reimbursement of medical expenses, office expenses, travel expenses, etc. are expected to be met by the State Government/UT. It is proposed to release one-time grant to SLMAs for infrastructural facilities.

During 1995-96, against the provision of Rs. 14.00 crores, Rs.11.00 crores was actually spent.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	1800.00	1200.00	1520.00

IV. National Literacy Mission Authority

The National Literacy Mission Authority was constituted in May 1988 as an independent and autonomous wing of the Department of Education. The NLMA has a council with the Minister of Human Resource Development as its Chairman and an Executive Committee with the Education Secretary as its Chairman. In 1994, the Project Approval Committee (PAC) was constituted for approving Total and Post Literacy Campaign projects throughout the country. The Council lays down the broad policy and the Executive Committee carries out all the functions of the Authority in accordance with the policy laid down by the Council.

The NLMA functions as the secretariat of the National Literacy Mission and the outlay under the scheme is meant to meet the expenses to officials and non-officials attending various meetings, organising workshops, literacy dialogues and the funding of studies, research reports in literacy programmes and other miscellaneous expenditure incurred on the programme.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	200.00	43.00	100.00

V. Rural Functional Literacy Project

The Centre based programme of adult education, namely Rural Functional Literacy Projects was frozen with effect from Ist April, 1991 when TLCs were decided to be taken up in more and more district since this provided a more cost effective and time bound strategy for eradication of illiteracy.

The revised Scheme of RFLP has been cleared for implementation during the 8th Plan in the States of Jammu & Kashmir, Sikkim, North Eastern States, border districts of Rajasthan and Dadra and Nagar Haveli which have difficult terrain that hinder communication and mobility. The 1994-95 is the first year of implementation of the revised scheme. During 1994-95 as many as 142 projects were cleared for implementation in Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagalannd, Sikkim, J& K and Rajasthan. However, Government of Rajasthan has decided not to implement RFLP but it is implementing TLC. In effect, 56 projects are in progress and are in various stages of implementation.

During 1995-96, no viable proposal was received. A sum of Rs. 27,00,000/- was released only to the existing projects. During 1996-97, against the BE of Rs. 90,00,000/- which was reduced to Rs. 40,00,000/- at RE 1996-97, the level of expenditure is Rs.33 lakhs.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	90.00	40.00	100.00

VI. Continuing Education for Neo-Literates

The Scheme of Continuing Education for Neo-Literates has been approved to replace the earlier Scheme of Post Literacy and Continuing Education (PL & CE) which was launched in March, 1988 as a follow up Programme of the centre based basic literacy programme. Jan Shikshan Nilayams were the principal instrument of implementation of Post Literacy and Continuing Education Programme.

The basic objective of the revised scheme of Continuing Education for Neo-Literates is to provide an institutionalised mechanism of Continuing Education through Continuing Education Centres (CECs) to enable the learners to retain, improve and apply their basic knowledge and skills for satisfaction of their needs and to facilitate continued learning through a self directed process for improvement of quality of their lives. Besides CECs there is a provision of implementing some target Specific Programmes like equivalency programme through study centres, income generating programmes through skill development/upgradation centres, quality of life improvement programmes etc.

The scheme is being implemented by district level Zilla Saksharata Samitis through State Government/ Union-Territories.

There is no physical targets in respect of the Scheme. This scheme is to be implemented in the districts where both TLC and PLC will have been completed and TLC will have been externally evaluated.

During 1996-97, an amount of Rs. 75.50 Crores was provided for under the scheme which has been revised down to Rs.20.00 crores as commitment from most of the State Govts./UT administrations has not been received regarding 50% funding by the respective State Govt/UT administration in the 4th and 5th year and to fund the scheme on cent per cent basis after initial implementation of five year.

During 1995-96, the revised scheme of Continuing Education for Neo-Literates could not be implemented is view of the fact that the Cabinet's approval to the scheme could be obtained in December, 1995; the fag end of the year. Already sanctioned and operational Jan Shikshan Nilayams (JSNs) under pre-revised scheme of Post Literacy and Continuing Education were continued during 1995-96.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	7550.00	2500.00	2900.00

VII. Directorate of Adult Education

The Directorate of Adult Education (DAE) is the Academic and Technical Wing of the National Literacy Mission (NLM). It is responsible for rendering guidance and support connected to literacy promotion activities in the country. The principal roles and functions of the DAE are:

- Preparation of curriculum and formulation of guidelines
- Preparation of teaching-learning materials of basic literacy and post literacy.
- Develop guidelines and organize training of personnel
- Provide academic and technical guidance and support to State Resource Centres(SRCs), Shramik Vidyapeeths (SVPs), Directorate of Adult Education in the States, Universities, Voluntary Agencies, evaluation Agencies and others.
- Communication and media support
- Monitor implementation of Adult Education Programme
- Implement the project of Population Education in Adult Education-UNFPA assisted Project

Achievements (1996-97)

- Bilingual Literacy Mission Journal brought out every month and distributed on the occasion of ILD, 96. 5 books namely, "Women and Literacy", "Our Hopes and Dreams in our Words". "Literacy Facts at a Glance", "Towards a Literate India and *Saakshar*", have been printed and released by the Hon'ble President of India.
- A one hour literacy programme interwoven with famous cine songs titled "*Aao Ek Deep Jalayen*" has been produced and broadcast through times FM.
- A literacy quiz titled *'Akshar Mala'* has been telecast on DD-I in the month of September, 1996.
- Attractive advertisement released widely through newspapers in connection with the International Literacy Day. Advertisements are also released on computerised railway tickets, stationary, postage and magazines which will not be empanelled with DAVP.
- VHS copies of the film produced are sent to 35 District Collectors of campaign districts, 15 SRCs, 4 SVPs, 4 SDAEs, and 31 Voluntary Agencies.
- Organised a Regional Workshop on Scheme of continuing education for neo-literates, a national conference of Director of SRCs, a workshop of Writer's, Artist's, Evaluation workshop on population

education project and national level programmes of Directors of Adult/Mass Communication, regional Workshop on Population Education activities and 8 IPCL meetings to review the materials for neo-literates.

- Organised essay competition, photo competition, poster competition.

- Orientation Programme on TLC for trainers of DRU at Ahmedabad.

- Various training Programmes, TLC programmes, oriented workshops are scheduled to be held during the remaining part of the year.

- Organised ILD'96 on 8th September 1996, at New Delhi.

The Programme and activities undertaken by DAE are going on and they are implemented year after year more vigorously and with lot of improvement.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	1096.00	1096.00	1350.00
Non-Plan	115.00	118.00	125.00

VIII. National Institute of Adult Education

The National Institute of Adult Education (NIAE) was established on 1st January, 1991 as an autonomous body to provide academic, technical and research support to the National Literacy Mission in implementation of all adult education programmes.

The NIAE has full functional autonomy and has an integrated relationship with National Literacy Mission Authority under whose overall guidance it functions. The Institute has a General body and an Executive Committee to oversee its day-to-day functions. Presently, the Institute is mainly engaged in undertaking good quality research programmes on various aspects relating to adult education. Though the Cabinet approved the functional merger of NIAE with DAE, it could not be implemented in view of the writ petition filed by some of the faculty members. In accordance with the directions of the Hon'ble High Court, Delhi a one-man committee to look into the functional merger of NIAE with DAE has been set up. The NIAE would be continued during 1997-98 also or until the final decision is taken about its continuance or otherwise.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	75.00	20.00	50.00

IX. Shramik Vidyapeeth

The scheme of Shramik Vidyapeeth (SV) is a programme of non-formal education of workers. The scheme symbolises the growing awareness of the need for educational, vocational and occupational growth of workers and where possible his family, employed in various sectors, industries, business concerns, mines, plantation, manufacturing and servicing units and other organised and unorganised sectors in urban, semi-urban, plantation, mines and industrial areas.

The scheme has been in operation since 1967. The continuation of the Scheme during the 8th plan period and expansion alongwith Revised Financial Pattern was considered and approved by EFC in August, 1993. The Scheme is to be expanded at the rate of Five SVPs per annum. The financial assistance was enhanced from Rs. 1.50 lakhs to Rs.3.00 lakhs for non-recurring expenditure and from Rs. 6.32 lakhs to Rs.12.30 lakhs for recurring expenditure, to each SVP in operation for more than 5 years and Rs. 8.00 lakhs to those in operation for less than 5 years.

Since, then 15 voluntary organisations were sanctioned New SVPs under their aegis. At present, 53 SVPs are being run by State Government/University Voluntary Agency/Central Government in different parts of the country.

During the Ninth Plan period it is proposed to strengthen the Shramik Vidyapeeth by providing additional financial assistance. It is also proposed to extend the scheme to 20 new Shramik Vidyapeeths per annum. It is also proposed to sanction building grant to the Shramik Vidyapeeths for office purposes as well as hostel accommodation to the learners. Therefore, the budget requirement under the scheme of Shramik Vidyapeeths is going to increase.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	495.00	495.00	500.00
Non-Plan	130.00	135.00	135.00

E SCHOLARSHIPS

I. National Scholarship Scheme

The objective of the scheme is to extend financial assistance to enable brilliant but poor students to pursue an academic career.

This scheme is implemented through State Governments and Union Territory Administrations. The expenditure over and above the level reached at the end of 1989-90 on this account is met by the Government of India.

Scholarships under the scheme are awarded on merit-cum-means basis. At the post-matric level, they are awarded to students whose parental income is Rs.25,000/- p.a. or less, at the Post-Graduate level, there is no income ceiling.

During 1991-92, the number of awards has been increased from 33,000 to 38,000 a year during the 8th Five Year Plan with the approval of the Planning Commission. The rate of scholarships varies from Rs.60/-p.m. to Rs.300/- p.m. depending on the level of education and course of study. 38,000 scholarships are proposed to be awarded during 1997-98.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	75.50	45.00	75.00

II. National Loan Scholarship Scheme

The scheme was designed to provide financial assistance to needy and meritorious students to enable them to complete their education. It was also an incentive to bright students to take up teaching as a profession. The scheme was implemented through State Governments and Union Territory Administrations.

The scholarships were awarded on merit-cum-means basis. At the post-matric level, these are awarded to students whose parental income is Rs.25,000/- p.a. or less, whereas at the Post-graduate level, there is no income ceiling. The rate of scholarship vary from Rs.720/- p.m. to Rs.1750/- p.m. depending on the course of study.

The scheme in the present form has been discontinued from 1991-92 and the revision of the scheme is under way.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	100.00	-	782.00

III. Write-Off of Irrecoverable Loan and Advances Under The National Loans Scholarship Scheme

Under the scheme, loan is written off in respect of scholars (i) who die before repayment of loan or become incapacitated or invalid and are unable to earn an income or (ii) who join the teaching profession or as combatants in Defence Services. In the latter case, a rebate of 1/10th of the original loan for each year of service put up as a teacher in a recognised institution or as a combatant in Defence Service, is allowed until the entire amount is wiped out.

On the recommendation of the Sixth Finance Commission, the State Governments are allowed to retain 50 per cent of the recoveries made by them from the scholars, together with interest recoverable in cases of default in repayments in respect of pre--1974 consolidated loans under the National Loan Scholarship Scheme. The remaining 50% is required to be deposited by them to the Central Accounts. The State Governments are given Grant-in-aid of 50% share in order to reduce their liability towards the Centre for repayment of loans.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	10.20	10.20	10.20

IV. Scheme of Scholarships at Secondary Stage for Talented Children From Rural Areas

The aim and objective of the scheme is to provide financial assistance to the potential talents from rural areas. The scholarship begins at VI class stage and continues upto the secondary stage including plus two stage.

The scheme is being implemented through the State Governments and Union Territory Administration who meet the expenditure upto the level fixed by the Finance Commission from time to time. Presently, the liability of the State Governments is upto the level of expenditure reached at the end of 1989-90. The expenditure over and above this level is met by the Government of India. The rate of scholarship is as under :-

a) Scholars residing in hostels : Rs.100.00 p.m.

b) Day Scholars (Class XI & XII) : Rs. 60.00 p.m.

c) Day Scholars (Class VI/VIII to X) : Rs. 30.00 p.m.
(plus tuition fees where levied.)

During 1991-92, the number of scholarships has been increased from 38,000 to 43,000, a year during the Eighth Five Year Plan. In 1995-96 these 43,000 scholarships have been awarded to States and Union Territories with Community Development Block as a Unit. The Category-wise distribution is as under :-

General Category	:	4 Scholarships per CDB.
Children of Landless labourers	:	2 Scholarships per CDB.
SC Children	:	2 Scholarships per CDB and 1 additional scholarships per CDB having 20% or more SC population.
ST Children	:	3 Scholarships per Tribal Community Development Block.

During 1996-97, the same 43,000 scholarships are proposed to be awarded.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	39.50	25.00	40.00

V. Grant-In-Aid Scheme of Scholarships To Students From Non-Hindi Speaking States/Union Territories For Post-Matric Studies In Hindi

The main objective of the scheme is to encourage the study of Hindi in Non-Hindi speaking States/Union Territories and to make available to the Governments of these States/Union Territories suitable personnel to man teaching and other posts where knowledge of Hindi is essential. Under this scheme, scholarships are awarded to students from Non-Hindi speaking States/Union Territories for pursuing post-matric studies in Hindi. As in the previous year, in 1995-96 also 2500 fresh scholarships have been announced under the scheme for students belonging to Non-Hindi speaking States/Union Territory Administrations. The scheme is being administered by the State Governments/Union Territory Administrations except in the case of Tamil Nadu, where payment of scholarships to the scholars is being made by the Ministry through the Heads of Institutions. The scheme will continue during 1997-98.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	34.10	25.10	25.10

VI. Government of India Scheme of Scholarships in Approved Residential Secondary Schools

The Scheme was intended to provide educational facilities to meritorious children of lower income group, who were otherwise unable to avail themselves of the opportunities of studying in good residential schools. 500 scholars of 11-12 years age group, the income of whose parents/guardians did not exceed Rs.25,000/- per annum, used to be selected under the Scheme each year. It was decided not to select fresh scholars from the academic session 1992-93, but the existing recipients of the scholarships will be enabled to complete their education upto plus two stage as per the provisions of the Scheme. The Scheme may be revived from 1997-98.

The scholarship is tenable upto secondary education, including plus 2 stage of education, and covers expenditure on school fee (including boarding and lodging), books and stationery allowance, uniform and clothing allowance, pocket money, T.A., excursion charges and other compulsory charges of the school.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	70.00	70.00	2.00

VII. Scholarship Offered By Foreign Governments/ Organisations For Higher Studies To Indian Nationals Abroad

Indian scholars are selected for higher studies specialised training against the scholarships etc. offered by foreign Governments/Organisations. Expenses abroad are met by the foreign Governments/Organisations as also international passage costs in many cases. The Central Government meets expenditure on TA/DA to candidates called for interview, TA/DA to Non-official Members/Experts who are called to assist the Selection Committee to interview/shortlist the candidates and also passage costs in respect of those scholars only in whose cases the expenditure on passage cost is included in the terms of the scholarships. 66 scholarships have been utilised so far against the offers received during 1996-97. Another 75 scholarships are expected to be utilised during this year. About 200 scholarships are expected to be utilised during the year 1997-98.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	25.00	30.00	30.00

VIII. Scheme of Scholarship for Study Abroad

This scheme has been discontinued since 1990. Hence, no scholarships are being offered. However, Budget provisions are being made to meet the expenditure on the studies of scholars selected in the past.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	25.00	20.00	15.00

F. BOOK PROMOTION

I. Grants to National Book Trust

The National Book Trust was established in 1957 for the promotion of books and the habit of reading. It publishes books for general readers of different age-groups on a variety of subjects in various Indian languages including English. During the 7th Plan period, NBT published 1931 titles/books under Non-Plan and Plan Publishing Schemes, like Aadan Pradan, Nehru Bal Pustakalaya, subsidy scheme and publication for post literacy education including classics. 601 titles were published during 1994-95 and 542 titles were published during 1995-96 and during 1996-97, NBT is likely to cross a target of 600 titles.

Assistance in Publishing:-

During the 7th Plan period 106 titles for higher education sector i.e., university level text and reference books and technical books of diploma level were subsidised. 34 titles were subsidised during 1992-93, 1993-94 and 1994-95. Due to financial constraints, as against the target of 15 titles during 1995-96, subsidy could be given for the publication of 8 titles only. The target for the current financial year - 10 titles, however, is likely to be achieved.

Promotion of Books

The Trust organises seminars, workshops, book exhibitions, fairs etc. to promote the habit of reading. During the 7th Plan period the Trust organised 8 children's book fairs, participated in 48 regional book festivals, 7 workshops and 3 national book fairs. During the first three years of 8th Five Year Plan, Trust participated and organised 394 children's book fairs, regional book festivals/workshops etc. against the target of 328 thus exceeding the target. During the year 1995-96, NBT organised 44 exhibitions of children's book fairs in different locality of Delhi and 20 exhibitions of selected Oriya publications in various districts of Orissa.

National Centre for Children's Literature (NCCL)

National Centre for Children's Literature has been set up by the NBT as the nodal agency to promote children's literature in all the languages of India. During 1995-96 the scheme for setting up readers' club expanded from 2600 to 4675 in the number of readers' club registered with NBT. During the current financial year, a massive programme of reading promotion is being undertaken 25 blocks of Rajasthan in collaboration with the Lok Jumbish Parishad.

Nehru Bhawan

Having acquired a plot of land measuring 1 hectare for its office building in the institutional area, Vasant Kunj, Phase-II, New Delhi, the Trust has assigned the work of designing to an architect and is preparing for the construction of the building. Clearance has been obtained from the Airport Authority of India

regarding height of the building, and from the Delhi Urban Art Commission for the concept. After initial scrutiny by the Delhi Development Authority, the proposal for clearance has been forwarded to the Chief Fire Officer whose approval is expected within a month following which DDA will give their final approval. Meanwhile, the CPWD are framing the detailed estimates, following which tenders shall be invited. Certain on-site activities have started.

New Delhi World Book Fair

The New Delhi World Book Fair organised every alternate year till now, is a largest book event in Asia and Africa. It attracts participants not only from all over India but also from other countries with strong publishing industries. The 12th New Delhi World Book Fair held in Feb., 1996 focussed on South Africa and attracted record number of 1,135 exhibitors. The 13th New Delhi World Book Fair to be organised by the NBT in Feb., 1998 will focus on South-East Asia.

Book Export Promotional Activities

Since 1992-93, the NBT has been made responsible for the organisation of book export promotional activities in abroad also. To promote Indian publications abroad, the NBT participates in international book fairs and puts up special exhibitions of select publications brought out by various Indian publishers. The main focus areas of activities have been South Asia and Africa. During 1995-96, the NBT participated in six international book fairs and organised exhibitions in Bangladesh, Egypt, Germany, Mauritius, Pakistan, Russia, South Africa (two exhibitions) and Zimbabwe.

During the current financial year, the NBT participated in the book fairs at Bologna(Italy), Nairobi(Kenya), Harare (Zimbabwe), Frankfurt (Germany), Accra (Ghana) and Colombo (Sri Lanka) and has organised a major exhibition in Jakarta (Indonesia). An exhibition of Indian books was also organised i.Moscow during the days of Indian Culture in Russia. The NBT will be participated in Book Fairs in Dhaka (Bangladesh) and Cairo (Egypt). A special achievement of this year has been the organisation of two round-table meetings during the Frankfurt Book Fair.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	189.00	248.00	409.00
Non-Plan	300.00	305.00	320.00

II. Grants to National Book Development Council

The National Book Development Council, is an advisory body set up in 1967 to lay down the guidelines for the development of the Book Industry. The term of the Council has since expired in Nov., 1993 and the proposal to reconstitute the Council and nomination of the members of the Council is still under consideration with the Hon'ble HRM. The new body would be called National Book Promotion Council and will function as an advisory body to facilitate exchange of views on all major aspects of book promotion. *Inter-alia*, covering writing/authorship of books, production, publication and sale of books, prices and copyright, development of

the habit of book reading, reach of books to different segment of population in different Indian languages and quality and content of Indian books in general.

Total provision for this scheme in the 8th Five Year Plan is Rs.20.00 lakhs. No expenditure has been incurred as the Council is being reconstituted.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2.00	2.00	2.00

III. Grants for Book Promotional Activities & Voluntary Organisation

Under this scheme grants are given to voluntary organisation working in the field of book promotion for organising their annual conventions, seminars and training programmes, etc. Ministry meets 75% of the approved expenditure in respect of the above activities. During 7th Five Year Plan, financial assistance of Rs.3.86 lakhs were provided under this scheme. From the year 1991-92 to 1993-94 the operation of the scheme remained suspended due to ban imposed by Ministry of Finance as economy measure. However, few organisations were given grants as special cases in relaxation of the ban. Since the Ministry of Finance has lifted the ban with effect from 1.4.94. During 1995-96, a sum of Rs.2.60 lakhs were utilised and in the current financial year, a sum of Rs.0.52 lakh has been released to Authors Guild of India and Rs.0.41 lakh is to be released to the Indian Society of Authors. Total outlay for the scheme in the 8th Five year Plan is Rs. 30.00 lakhs. As the grants are given on *adhoc* basis, no target can be fixed.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	5.00	5.00	5.00

IV. International Copyright Union : India's Contribution to WIPO(Non-Plan)

India is a member of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Being a party to Berne Convention, India secures protection for its literary and artistic works internationally. This Convention is administered by the World Intellectual Property Organisation (WIPO), Geneva, which is a specialised agency of the United Nations system of organisations. Being a member of the Convention mentioned above, India pays annual contribution to WIPO which is fixed from time to time.

Under the scheme of India's contribution to WIPO, against a provision of Rs.40.00 lakhs made in the BE 1996-97, an amount of Rs. 31.29 lakhs only has been utilised for remitting India's contribution of Swiss Francs 1,12,623 in foreign exchange. The reason for this variation is the fluctuation in the rate of exchange which cannot be anticipated until the day of making the remittance.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	40.00	31.29	40.00

V. National Society of Authors (Plan)

During the VII Five Year Plan, it was proposed to set up a National Society of Authors to serve as a collective organisation to take care of the interests and needs of the authors and other creative people. While this proposal was under consideration, steps were taken for amendments to the Copyright Act, 1957. The Copyright (Amendment) Act, 1994, provides for setting up separate copyright societies for different categories of authors. Hence, the idea of setting up a National Society of Authors has been dropped and the budget provision is proposed to be utilised for providing financial assistance to newly set up copyright societies. New Societies (of literary authors, performance, etc) are likely to be set up may require substantial financial assistance at the initial stage for doing copyright business.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2.00	2.00	2.00

G. DEVELOPMENT OF HINDI

I. Scheme of Appointment of Hindi Teachers in Non-Hindi Speaking States/Union Territories

With a view to assist the States/UTs in implementing the Three Languages Formula, the Government of India have started, in the Second-Five Year Plan, the schemes of (i) Appointment of Hindi Teachers; and (ii) Opening/Strengthening of Hindi Teacher's Training Colleges in Non-Hindi speaking States/UTs. Under these schemes, 100% assistance is provided to the Non- Hindi speaking States/UTs for appointment and training of Hindi Teachers. In the 8th Five Year Plan, these schemes have been merged as a single scheme entitled "Appointment and Training of Hindi Teachers". The Central Assistance on the same pattern has been continued during 1995-96 to the Non-Hindi speaking States/UTs for Appointment/maintenance for about 1521 Hindi Teachers and augmenting the facilities for training of Hindi Teachers.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	250.00	450.00	300.00

II. Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra

The Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra, is an autonomous organisation fully financed by the Government of India under overall control of Ministry of Human Resource Development (Department of Education). The Mandal runs the Kendriya Hindi Sansthan under its aegis. The Sansthan is recognised as an Advanced Centre for teaching, training and research in Hindi as a second/foreign language in related academic areas and also for applied Hindi linguistics and functional Hindi.

The Sansthan has organised 18 different regular teaching training programmes for the students of India and abroad, under which 850 students have been trained. Under the Advanced Orientation Courses for Hindi Teachers of Universities/Colleges, 50 teachers were trained. Apart from this, 111 teachers were trained under the orientation courses conducted for Hindi teachers of non-Hindi speaking States. Similarly, more than 300 teachers were trained under the Samvardhanatmk Pathyakram & Kushalparakh Pathiyakarma training courses. Sansthan has prepared two text books in Hindi for Nagaland students and it has been constantly devoting itself in the direction of Research methodology of teaching Hindi as a second and third language. The work for language skill exercises for foreign students is also in progress. The project Distance Hindi Teaching modules for the staff members of NABARD, Lucknow undertaken by the Sansthan is also in progress. The KHS has also helped the Goa Govt. in preparing the text books for Hindi. The Language technology has been developed for Audio-Video cassettes for the Hindi learners of Nagaland, Mizoram, Andaman & Nicobar, Orissa, Karnataka, Maharashtra, Gujarat and other States of India. The Institute

has developed its remedial lesson on computers for the benefit of non-Hindi speakers. During the year 1996-97, 13 Hindi Sevi Scholars were awarded.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	1 17.00	128.00	200.00
Non-Plan	2·40.00	225.60	247.00

III. Central Hindi Directorate

The Central Hindi Directorate was set up in March, 1960 as a subordinate office of the Ministry. The Diirectorate has since been implementing a number of schemes for the promotion and development of Hindi.

The Directorate is engaged in the task preparation of Hindi and regional language based bilingual, trilingual and Multi-lingual dictionaries. So far the Directorate have brought out 13 Hindi based bilingual and 30 other bilingual and trilingual dictionaries. Czechi-Hindi, German-Hindi, Hindi-Chinese, Hindi-Arabic, Hindi-French and Hindi-Spanish dictionaries have been completed. Th Directorate have also brought out 11 Conversational Guides for non-Hindi speaking Indian students and a Hindi Primer (in four parts) for foreigners. A project of bilingual dictionaries of the language of the neighbouring countries has also been undertaken by the Directorate, which is in progress. The Directorate is also implementing the scheme of voluntary Hindi organisations and Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha and the scheme of financial assistance for publication in Hindi. Under the scheme financial assistance is provided to voluntary organisations engaged in the task of promotion and development of Hindi, especially in the non-Hindi speaking states for running classes for teaching Hindi, courses of Hindi shorthand and typewriting, running Hindi libraries etc. Grants are also being given to certain institutions for training of teachers, publication of Hindi journals, construction of buildings, preparation of Hindi journals, construction of buildings, preparation and publication of teaching material, conducting Hindi examinations as well as for higher education and research. Limited financial assistance is also provided under the scheme of financial assistance for publications in Hindi to voluntary organisations as also to individuals for publication and purchase of books written in Hindi for the promotion of Hindi. Under these schemes 154 institutions were provided financial assistance during the year 1995-96 and 19 manuscripts were approved for financial assistance during·1'995-96. In addition to this, 24 titles of Hindi were also approved for purchase.

The Directorate is also teaching Hindi as a second and foreign language to non-Hindi-speaking Indians and Foreigners through Correspondence Courses through the media of English., Tamil, Malayalam and Bangla. So far 3.25 (approx.) lakhs persons have benefited under this scheme.

The other schemes which are being operated by the Directorate are (i) Awards to the Hindi writers of non-Hindi speaking state;(ii) Extension Programmes in non-Hindi speaking states;(iii) Free distribution of Hindi books to the

Libraries/schools/colleges located in non-Hindi speaking states; (iv) Publication of a Bimonthly literary magazine 'Bhasha'.

The Directorate is also having its 4 Regional Offices located at Madras, Hyderabad, Calcutta and Guwahati.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	252.00	289.00	460.00
Non-Plan	267.00	289.00	310.00

IV. Commission for Scientific and Technical Terminology

The Commission for Scientific and Technical Terminology was set up in October, 1961 for the purpose of evolving uniform terminology in Hindi and other modern Indian languages and Production of University level text books, supplementary readings and other reference literature so as to facilitate smooth change over of media of instruction in Universities. The following functions were assigned since its inception.

Terminology

Evolution of scientific and technical terminology in Hindi and other Indian languages.

During its working span of 35 years Commission has evolved glossaries of technical terms belonging to all disciplines from basic sciences to Medicine, Engineering, Social Sciences and Humanities. A revised and enlarged edition of comprehensive glossary of technical terms containing about 50,000 terms of Medical Science, pharmaceutical and physical Anthropology was published in 1991. Similarly, a revised and enlarged edition of Agriculture Science, Comprehensive Agricultural glossary was published in the same year.

Technical Terminology

The Commission has so far evolved and published about 5.5 lakh scientific and technical terms belonging to all disciplines of studies namely Sciences, social Science, Humanities, Engineering, Medicine, Agriculture, Veterinary Science and Departmental Terminology like Defence, Revenue, posts & Telegraphs, Space Science, Computer Science etc. During the period under review, terminology in psychology, Public Administration, Chemical Engineering, Petrology, Mining and Geology, Veterinary Science, Cell Biology, Aeronautics, Leather Technology etc. were prepared. Terminology is an on going work of CSTT and presently updation in Economics, Political Science, Psychology, Administration Philosophy and many other scientific subjects is going on.

Definitional Dictionaries

The CSTT had brought out 52 Definitional Dictionaries in various disciplines so as to serve as reference material to the University teachers and students. Besides 18 other Definitional Dictionaries and Glossaries are under print and likely to be brought out during the current financial year. These Definitional Dictionaries cover almost all basic sciences, Social Sciences and humanities and specialisedl subjects like Archeology, International Law etc. Definitional Dictionaries of specialised subjects like microbiology, linguistics metallurgy, Cell Biology, Plant Pathology, Entamology, Cyto-genetics are under various stages of preparation publication.

Pan-Indian Terminology

The project is being implemented with the active cooperation of the State Book Production Boards who are requested to nominate subject experts who are well conversant with the resspective languages to furnish regional equivalent of basic technical terms sorted out in CSTT. Under this project several thousand pan-Indian equivalents have been identified and so far 19 Pan-Indian Glossaries have been published.

National Terminology Bank

A computer based National terminology bank has been established by Commission with a view to modernizing the process of lexicography and facilitating instant dissemination of updlating technical terms to the users. So far 2.5 lakh Technical terms have been keyed-in in data-base of this bank, Computerisation of 2.5 lakhs terms is in progress.

Administrative and Departmental Terminology

Commission brought out a consolidated glossary (English-Hindi and Hindi-English) Administrative glossary containing about 12,000 entries.

Commission from the very beginning has been providing Hindi equivalents for specific terminology used lby Ministries and Departments of Govt. of India. Till now CSTT has published different glossaries relating to Railways, Defence, Games, Posts and Telegraphs, Revenue, Space Science and mines etc.

University Level Book Production

CSTT has been assigned the responsibility of coordinating and monitoring the progress of work of all tthe fifteen participating States which set up Hindi Granth Academies and State Text Book Board for implementing this scheme. Under this programme about 2950 books have been produced in Hindi and 8800 books in Indian Modern languages. CSTT under its direct control has produced 85 books in Engineering,76 in Medicine and 235 books in Agricultural Sciences.

Publication of Journals

With a view to help evolution of an appropriate style of scientific writing in Hindi and to provide latest information relating to various fields of knowledge, CSTT has been publishing a quarterly journal Vigyan Garima Sindhu since 1986. Till now 18 issues have been published and 19th is in Press.

Organisation of Workshops

One of the Handicaps for adoption of Indian languages as media at higher levels of education, is that many of our teachers do not have good enough command over Hindi or Indian languages. To be able to deliver lecture on technical subjects in Hindi and in Indian languages who are not well versed using standard terminology in their class-room lecture, CSTT organises terminology orientation workshop programmes to improve the oral skills of the University teachers teaching their respective subjects through the medium of Hindi and to enable instruction with them as the user of terminology. Till now 5 workshops have been organised in different states of the country. In this years such 4 workshops have been organised in which nearly 300 officers/teachers participated.

Exhibitions

CSTT organises book exhibitions from time to time in which publications of CSTT as well as of various Hindi Granth Akademies are displayed. Sale of these books is also undertaken during the exhibition.

New Scheme

A meeting was held and after long discussion with eminent scholars and scientists of various disciplines, the following new schemes were proposed to be launched by the CSTT in the 9th Five Year Plan 1997-2002.

1. Establishment of Audio Visual Laboratories

2. Award for thesis written in Hindi in any science subjects using terminology evolved by the Commission

3. Organisation & Participation of the Commission in the National and International Seminars.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	65.00	50.00	65.00
Non-Plan	65.40	65.40	65.40

H. PROMOTION OF MODERN INDIAN LANGUAGES

I. National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL)

The NCPUL has been set up by conversion of BPU to give further fillip to Urdu promotional activities.

The main objectives of the NCPUL are preparation and publication of academic literature in Urdu in various disciplines of knowledge including children literature, popular science, Urdu Encyclopaedia, Urdu dictionaries, English-Urdu dictionary, coining of technical terms in various disciplines, financial assistance to voluntary organisations for publication and other promotional activities and implementation of the scheme of Urdu Calligraphy Training Centres in different parts of the country.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	100.00	100.00	227.00

II. National Council for Promotion of Sindhi Language

N.C.P.S.L has been set up as an autonomous body with its headquarter at Vadodara. Organization of Seminars; Workshops; Publication of Sindhi Rare Books; Translation of other languages/literature in Sindhi; Coining of technical terminology in Sindhi; implementation of language promotion schemes; appointment of staff; purchase of stores and equipment, etc. are some of the activities which have been anticipated for the Council during the year.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	60.00	1.00	80.00

III. Central Institute of Indian Languages and Regional Languages Centres

The Central Institute of Indian Languages, Mysore established on July 17, 1969 to help evolve and implement the Language Policy of the Government of India and coordinate the Development of Indian Languages is charged with responsibility of conducting research in the areas of Language Analysis, Languages Pedagogy, Language Technology and Language use in Society, Government and Education with a bias towards problem solving and National Integration. The Institute is an Office of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education.

The Institute has two major schemes viz., the Development of Indian Languages through Research, Training, Material Production and Training of Teachers in Modern Indian Languages for the implementation of 3-Language Formula.

The Institute is also a nodal agency for training of teachers to be appointed by the Hindi States under the Scheme of Financial Assistance for appointment of Modern Indian Language Teachers.

The Institute also handles scheme of Financial Assistance for Promotion of Indian Languages. Under the Scheme of financial assistance for publication in Indian Languages (other than Hindi/Urdu, Sanskrit and English) inclusive of tribal languages the grants will be given.

The major works done by the Institute during the year are as follows:-

i) The Institute has taken up the study of Ho, Gutub, Pahadi languages of H.P., Adi, Nocte, Kheza, Sangtam, Chokri of Nagaland, Lotha, Karbi, Dimasa, Mao, Paite, Tibetan Dialects, Mahl, Jenu Kuruba, Monpa, Anal, Car Nicobarese, Bison Horan Maria, Gondi dialect continued and are at various stages of finalisation.

ii) Workshop for the preparation of Nursery Rhymes in Telugu, Nepali, Bengali and Sindhi, Kashmiri Supplementary reader, pictorial glossary and idioms in Dogri, evaluation of language curricula of training colleges are conducted. Workshop to prepare basic course materials in Konkani, Manipuri and Nepali will also be conducted.

iii) For the project on language use in the Industry the questionnaire on language use have been sent to selected industrial units in A.P., Kerala, Tamil Nadu & Karnataka. Library work for the sociolinguistic profile of Andaman and Nicobar Islands is in progress.

iv) Workshop for the preparation of manual for translation, lexicography, simplification of legal terminology, school learners dictionary of Hindi English will be conducted. The Bengali-Nepali-Hindi dictionary is under preparation.

v) Training programme in Phonetics for primary school teachers (Madras and Madurai) were conducted. The same for the college language teachers will be done.

vi) Proficiency test in the 14 languages prepared in the past is finalised. In order to prepare a Monograph on evaluation in mother tongue education, library and reference work is in progress.

vii) For the project on assessment of reading abilities in Primary grades, Delhi/U.P. border schools in Seemapuri were visited and individual test administered. The history of adult literacy programmes in Karnataka is under preparation.

viii) National Seminar on folklore and discourse, workshop on folklore theory and metthod and folklore on Kashmir and surrounding areas will be conducted in collaboration with other organisations.

ix) Workshop on designs on lexical resources for computational analysis in Indian Language, Indian Language corpus and its applications, development of CALL packages for second language learning and evaluation on Indian languages will be conducted.

x) Through the IDistance Education the Institute have registered applicants for distance course in Bengali-39, Tamil-52, Telugu-26.

xi) Video film on script teaching on Bengali, Telugu and Malayalam, audio recording of Intensive course in Bengali and Oriya are undertaken.

In the Regional Language Centers the following number of trainees have taken admission:-

SRLC: Kannada-15, Telugu-12, Tamil-20, Malayalam-14;	Total-61
ERLC: Bengali-16, Oriya-13, Assamese-7,	Total-36
WRLC: Marathi-6, Gujarati-4, Sindhi-2,	Total-12
NRLC: Punjabi-10, Kashmiri-7, Urdu-13,	Total-30
UTRC: Solan 22, UTRC (Lucknow)-13,	Total-35

Total number of admissions made is 174.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	112.00	106.00	125.00
Non-Plan	279.60	304.00	312.00

IV. Financial Assistance for English Language Teaching Institute And Regional Institute of English Language Teaching And District Centres For English

The following two schemes are being implemented by the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad for improving the standard of English Language Teaching and Learning:

i) Scheme of Financial Assistance of setting up of District Centres of English :

Under the scheme one district Centre for English is to be set up in each State/Union Territory to serve as a working model for imparting in service training to the teachers of English in most cost-effective manner. Of the 26

District Centres sanctioned so far, 7 are functioning in different parts of the country. These centres arrange short term and long term training courses for English teachers. The resource persons manning these centres are being trained at the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad.

ii) Scheme of financial assistance to Regional Institute of English Language Teaching Institutes:

Financial Assistance is provided by the Central Government to the nine English Language Teaching Institutes and two Regional Institutes of English in the Country. These Institutions appoint additional faculty from Government of India funds to pay stipends to the trainer and to expand their infrastructure facilities.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	67.00	58.00	74.00

V. Scheme of Appointment of Urdu Teachers And Grant of Incentives for Teaching/Study of Urdu

It is proposed to launch a centrally sponsored scheme for giving financial assistance to States/Union Territories for appointment of Urdu teachers as well as for grant of incentives for teaching and study of Urdu, particularly, by girls. The scheme is proposed to be launched in areas having concentration of Urdu speaking people. The details of the scheme are being worked out in consultation with State Governments:

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	80.00	1.00	80.00

VI. Centrally Sponsored Scheme of Financial Assistance for Appointment of Modern Indian Languages Teachers (Other Than Hindi) in Hindi Speaking States/Union Territories

In pursuance of the National Policy of Education the Government of India has launched a Centrally Sponsored scheme in 1993-94 for appointment of MIL teachers during the 8th Plan period. Under the scheme a grant of Rs.8,61,300/- for appointment of 58 Telugu teachers was given to govt. of Haryana and a grant of Rs.3,36,000/- for appointment of 24 teachers to Himachal Pradesh during 1994-95. The Govt. of HP has reported to have appointed 13 teachers during 1996-97 against the said grant. However, the Govt. of Haryana has decided to refund the grant on the grounds that there is no demand of Telugu teachers in that State. The Govt. of UP has also sent proposal for appointment of 120 teachers provided

the assurance is given to them for the continuation of the scheme during IX Plan period. A proposal for continuation of the scheme is under consideration of Planning Commission.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	60.00	1.00	10.00

I. SANSKRIT

I. Rashtriya Sanskrit Sansthan

The Rashtriya Sanskrit Sansthan was established by the Government of India in the year 1970 as an autonomous organisation under the Ministry of Human Resource Development, Department of Education with the objective of preservation, propagation and modernisation of traditional learning and research in Sanskrit. It has seven constituent Vidyapeethas at Allahabad, Puri, Jammu, Guruvayoor, Jaipur, Lucknow and Sringeri and a number of Voluntary Sanskrit institutions affiliated to it. Besides, it has been implementing the schemes i.e. Adarsh Sanskrit Mahavidyalayas/Sodh Sansthans. Financial assistance to Voluntary Organisation and Eloquetion Contest transferred by the Government of India.

The Sansthan has been providing facilities of Sanskrit teaching at school, under-graduate, post-graduate and doctorate levels in its constituent 7 Vidyapeethas. Teachers training at Graduate level is also imparted in these Vidyapeethas. A two level correspondence course of elementary Sanskrit Language is also run from the Headquarters office of the Sansthan. Publication of Sanskrit work edited with commentaries and translations is undertaken in a phased programme and research is conducted in various diisciplines. Preparation of various encyclopaedia, collection of Manuscripts and various other related projects are undertaken by the Sansthan besides holding examimations of various courses.

Targets:

Programme of work relating to building consstruction at Puri, Jammu, Jaipur, Lucknow and Sringeri, establishment of four new Vidyapeethas at Bhopal (MP), Kangra(HP) and two in Mumbai (Maharashtra), recognition of two new Adarsh Sanskrit Mahavidalayas under the scheme of financial assistance to Adarsh Sanskrit. Mahavidyalaya/Sodh Sansthan (transferred by the Ministry), maintaining the Mahavidyalayas already under the scheme Voluntary Sanskrit Organisations. All India Eloquetion Contest, Utilisation of the services of Eminent Sanskrit Scholars, Special Oriental Course, Purchase of Sanskrit Books, Production of Sanskrit Literature, Deccan College, Certificate of Honours, Award of Scholarship and purchase and publication of rare Manuscripts etc. are envisaged during 1997-98.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996--97	BE 1997-98
Plan	495.00	595.00	603.00

II. Scheme for Development of Sanskrit Through State Governments/Uniom Territories

This is Central Plan scheme operated through the State Governments since 1962. Financial grants are provided by Government of India on 100% basis for the following Five major programmes :-

a) Financial assistamce to eminent Sanskrit scholars in indigent circumstances

Under this scheme,, assistance is being given to old eminent (traditional type) Sanskrit Scholars who are not below the age of 55 years, are in indigent circumstances and are engaged in study/research in Sanskrit at the maximum rate of Rs.4,000/- per annum minus the annual income of the scholar from other sources. About 1240 schcolars are likely to be benefited during 1996-97. The proposal to enhance this amount to Rs.10,000/- per annum has been proposed in the 9th Plan. The amount of Rs.4,000/- per annum was fixed in 1988-89. Therefore, it needs to be enhanced as price index has risen enormously since then.

b) Modernisation of Sanskrit Pathshalas

To bring about a fusion between the traditional and modern systems of Sanskrit Education grants are provided to facilitate appointment of teachers for teaching selected modern subjects i.e. M.I.L., Science including Mathematics and Humanities in the traditional Sanskrit Pathshalas. During 1995-96, grant was released to Govt. of Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Tripura and Kerala for three Pathshalas in each State and for three teachers in each Pathshala. This will amount to about Rs.17.86 lakhs per annum. The same will have to be released in 1996-97 also. Proposals have also been received from Karnataka and Rajasthan which are under consideration.

c) Providing facilities for teaching Sanskrit in High and Higher Secondary Schools

Grants are given to meet the expenditure on salary of Sanskrit teachers to be appointed in Secondary and Senior Secondary schools where the State Governments are not in a position to provide facilities to teach Sanskrit. Only one State of Nagaland is availiing this benefit. However, proposals for grant during 1996-97 have been received from State Govts./UTs of Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan amd Andaman & Nicobar Islands and are under consideration.

d) Scholarships to students studying Sanskrit in High and Higher Secondary Schools

In order to attract students for studying Sanskrit in the Secondary and Senior Secondary Schools, merit scholarships are given to Sanskrit students for IX to XII classes, @ Rs.25/-p.m. for students of IX & X classes and @ Rs.35/-p.m. for students of XI and XII classes. About 3000 students are benefited under this scheme annually. There has been persistent demand from States for enhancement of rate of scholarships i.e. from Rs.25/- to Rs.100/-p.m. for the students of classes of IX to X and from Rs.35/- to Rs.150/-p.m. for the students of classes XI to XII.

e) Grants to State Government for their own scheme for promotion of Sanskrit

State Governments are free to chalk out for implementation of their own programmes for development and propagation of Sanskrit like upgrading the salary of teachers, honouring Vedic Scholars, conducting Vidwat Sabhas, holding of evening classes for Sanskrit teaching, celebrating the Kalidasa Samaroh etc. The proposals received with the recommendations of Govt. of Karnataka for grant of financial assistance to Sanskrit Academy, Melkote for infrastructural facilities and to Kalpatharu Research Academy, Bangalore for their various projects are also under consideration.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	56.00	147.00	400.00

III. Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan (MSRVVP) was set up in 1987. Preservation of oral Vedic tradition, research into the content of the Vedic lore and exploration of the relevance of the Vedic knowledge to the modern scientific, technological and cultural developments are some of the principal objects for which the Pratishthan was established by Ministry of Human Resource Development. This is being funded by the Ministry of Human Resource Development by raising a Corpus Fund. The various programmes and activities of Pratishthan are financed out of the interest earned on deposit of Corpus Fund.

We are committed to provide Rs.10.00 crores for the Corpus Fund to MSRVVP by the end of Eighth Five Year Plan. Till 1995-96 the Ministry had released Rs.8.77 crores.

Besides this two schemes i.e. grant to Veda Pathshalas and Preservation of oral tradition of Vedic recitation were transferred to Pratisthan during 1994-95. During 1995-96 budget provision of Rs.27.00 lakhs and Rs.8.00 lakhs was made respectively for the above mentioned two schemes.

It was approved by the then H.R.M. to give a grant of Rs.12.00 lakhs to Munikulbrahmacharya Ashrama Veda Sansthan Barundani through R.V.V.P for construction of their building. First instalment of Rs.6.50 lakhs was sanctioned during 1994-95. The second instalment of Rs.5.50 lakhs is required to be sanctioned to them during 1996-97.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	65.00	158.00	400.00

IV. Modernisation Of Madrasas (Maktab)

Under the 15 Point Programme of Empowered Committee on Minorities Education the scheme of Modernisation of Madrasas on voluntary basis is being implemented during the Eighth Plan. The scheme has been approved by Planning Commission. The objective of the scheme is to encourage traditional institutions like Madrasas and Maktabs by giving financial assistance to introduce Science, Mathematics, Social Studies, Hindi and English in their curriculum. Assistance is given to Madrasas and Maktabs for activities which contribute to this objective. The scheme will help to provide opportunities to students of these institutions to acquire education comparable to that in the National Education system. It is implemented through State Governments/Union Territories.

Under the scheme, the Government gives a grant of Rs.26,400/- p.a. for the salary of one teacher for each Madrasa and a one time grant of Rs.4,000/- for each Madrasa for purchase of Science and Mathematics Kits.

During 1993-94 and 1994-95 proposals were received only from State Govt. of Haryana, M.P. and U.P. During 1995-96 the Centre had received an encouraging response from State Governments and Union Territories and an amount of Rs.1,20,07,000/- against the Budget Estimate of Rs.40.00 lakhs has been sanctioned to twelve States/Union Territories after taking approval of Planning Commission for appropriation of funds.

In the 9th Plan the scheme itself envisages the coverage of Madrasas at the secondary level with three teachers per Madrasa at TGT scale in the State and Rs.70,000/- per madrasa for science equipments. It was therefore, proposed to cover 2000 (1000 at primary level and 1000 at secondary level Madrasas/Maktabs) which means 400 Madrasas per annum.

It is true that no guarantee has been provided for extension of the scheme in the 9th Plan. However, the scheme has been included in the 9th Plan. The Steering Committee of the Planning Commission has considered this scheme for 9th Plan.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	33.00	244.00	700.00

V. Rashtriya Sanskrit And Classical Languages Commission (Indian Classical Languages Grants Commission)

The establishment of Rashtriya Sanskrit and other Classical Languages Grants sub-commission (Indian Classical Languages Commission) is under active consideration of the Ministry. This sub-commission will work as a National Agency

for the development, maintenance of standards of education and coordination of studies and research in Sanskrit and Classical Languages. The proposal was examined in consultation with the University Grants Commission. This proposal is likely to be matured in IXth Five Year Plan.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	25.00	1.00	5.00

J. TECHNICAL EDUCATION

I. Indian Institute Of Technology

The five IITs at Kharagpur, Bombay, Madras, Kanpur and Delhi were set up in the country as premier institutions for imparting education and training in engineering and applied science at the undergraduate level and to provide adequate facilities for post-graduate studies and research.

Besides conducting undergraduate courses in the field of engineering and Technology and integrated Master's Degree Courses in Physics, Chemistry and Mathematics. The Institutes offer Ph.D programmes in different branches of engineering, science and humanities and social sciences. IITs are also involved in Quality Improvement Programmes (QIP) for the faculty of other Engineering Colleges curriculum planning, faculty development, inter-disciplinary research, consultancy etc.

The work of development in the field of Education Technology has been entrusted to them. They are also implementing Institutional Network Programme. The other important activities of the five IITs are highlighted in the following paras.

In the IIT, Kharagpur, Research and Development activities in Aerospace Engineering work are being conducted on Unsteady Aerodynamics, Shear Flow Stability and turbulence structural dynamics as well as in Fracture mechanics and composite structures. Research on reliability and availability of long wall mining systems has also been taken up jointly by the mining Engineering department and Reliability Engineering Centre. New Facilities in the Aerospace engineering Department have procured a high pressure facility for studying the performance of injectors and nozzles.

In the IIT Kanpur, research and development activities undertaken include Telematics, Design and Development of Broadbased ISDN system using ATM Switch, Feasibility study of setting up of a video conferencing Link, Design and Development of a 2 Moit ISDN Multiplexen Design and Development of Serial Link (HDLC), Interface and Data link Driver, Information Technology, Development of Intermetallic/Ceranul natrux cinolsute Biotechnology Computer System Peripherals, Remote Sensing Application for Earth Resources, Urban Development Planning, Facilities for Optoelectronic Materials, Power Metallurgy Metal-cermaic Composities, Laser Processing Materials, Transportation Engineering and Artificial Intelligence.

In IIT Bombay, new areas, such as, Industrial Management, System and Control Reliability Engineering Corrosion Science and Engineering, Bio-Medical Engineering etc. are developed.

In the IIT Madras, research Laboratories in various Departments and Centres have been strengthened with additional equipment such as, Zenity Lan Computer System, Ultrasonic 2D-Echoeardiographic system, Dynamic Strain Data Acquisition System, 9600 bps High Speed Line for Data Communication, Woilder Lathe from Germany, CIT Cryocooller etc., Under the Indo-German Collaboration Programme Projects have been identified in OEC, MSRC, Production Engineering

Wing of Mechancial Engineering, CEC, Catalysis Wing of Chemistry and Metallurgy Department.

The Research and Development Programmes at IIT, Delhi cover a wide range of activities in Basic and Applied Research, Design Development and Engineering. The areas in which Research and Development activities have been undertaken including wind Tunnel Study on Modelling of Pollution Disposal in Atmospheric Boundary Layer, Software Development in Computational Mechanics in the Department of Applied Mechanics.

The Indian Institutes of Technology which are committed to the pursuit of excellence have maintained this aspect all alongg. They have made progress in the filed of reasearch organisation of Seminars/symposia/short term courses. They have served as catalyst in a developing society, iintimately involving themselves not only with the technical development of India but indeed its overall development.

The SC/ST students, who are unable to qualify at the joint Entrance Examination, are offered preparatory courses for 10 months and on passing the test after completion of the course are admitted to B.Tech courses. Such students continue to get financial support by way of pocket allowance, free messing, allowances on discretionary grounds etc.

Under the historic 'Assam Accord' signed in August 1985, an Indian Institute of Technology has been set up in Assam. Institutes of Technology Act, 1961 was further amended in 1994 to declare IIT, Guwahati (Assam) as an Institution of National importance. The land, measuring 708 acres in North Guwahati, has been acquired for establishment of the Institute. Formal academic programmes have commenced with an intake of 65 students from academic sessions 1995-96 in three disciplines namely, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering and Electronics and Communication Engineering.

From 1993-94, Revised Pattern of funding scheme has been introduced except for IIT, Guwahati with a view to infusing economy and rewarding initiative to promote generation of resources.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2600.00	3403.00	5000.00
Non-Plan	12516.00	16665.00	17076.00

II. All India Council for Technical Education (AICTE)

The AICTE set up in 1945 as an advisory body was given a statutory status through an Act of Parliament in 1987. The Act came into effect on March 28, 1988. The main functions of the statutory AICTE includes proper planning and coordinated development of technical education in the country, qualitative improvement at all levels in relation to planned quantitative growth and regulations of the system and maintenance of norms and standards.

In order to streamline the system of approval of new courses and programmes the Council has issued regulations for establishment of new institutions/starting of new courses etc.

The Council has come to an understanding with the Council of Architecture (functioning under the Architects Act) and the Pharmacy Council of India (under the Pharmacy Act) in the procedure for assessment of courses and institutions in their respective fields.

The Council has laid down norms and standards for diploma, degree and post-graduate courses in various fields. In pursuance of the Supreme Court Judgements, the Council has issued regulations fixing norms and guidelines for charging tuition and other fees and providing guidelines for admissions of students to professional colleges.

The AICTE has also issued Regulations for granting approval to technical institutions, course and programmes in the fields of technical education. Under these Regulation approval are given to private unaided technical institution also.

To carry out the above statutory responsibilities the AICTE has taken numerous steps to operate different programmes and allied regulatory functions through Bureaus namely, Coordination and Central Facilities, Recognition and Accreditation, Manpower Planning and Career Development. A number of statutory All India Boards have been set up for coordination and maintenance of standards in technical education. These are: All India Boards of Pharmaceutical Education, Architecture, Management, Vocational Education, Computer Science, Post Graduate Education & Research, Under Graduate Studies and Town & Country Planning. In addition, the Council has further established Boards of Research (BOR) and Board of Industry Institute Interaction (BOII) for effective operation of quality programmes.

The Regional Committees at Kanpur, Madras, Bangalore, Bombay and Calcutta have been activated as a support system to AICTE. The new Regional Committees at Bhopal and Chandigarh have also been established. These Bureaux, Boards and Regionall Committees facilitate the Council in Planning, implementations, funding, monitoring and review its diverse range of programmes in technical education as per its statutory responsibilites. In order to ensure planned growth of technical education the Council has a scheme to generate data base to monitor supply and demand of engineering and technical manpower to ensure planned development of technical education.

Upto 31st December, 1995, the Council has approved 1029 polytechnics with an intake capacity of 1,66,456 consisting of 4080 courses for diploma and 416 engineering/technology institutions with an intake capacity of 101451 consisting of 1919 for degree.

Besides, 352 colleges with an intake capacity of 18,310 consisting of 352 courses for diploma and 150 collleges with an intake capacity of 7,015 consisting of 150 courses for Degree in Pharmacy were approved. The figures of the approved institutions, courses and their intake capacity is not readily available in respect of management courses.

With effect from 1.4.1994, the following institutions/schemes being administered by this Ministry have been transferred to the Council:

1. National Technical Manpower Information System (NTMIS).

2. Technical Teachers' Training Institutes (TTTIs).

3. National Institute of Industrial Engineering (NITIE).

4. National Institute of Foundry and Forge Technology (NIFFT).

5. School of Planning and Architecture (SPA)).

6. Development of PG Courses.

7. Development of Management Courses at Non-University levels.

8. Research and Development (R&D) in selected higher education technical institutions.

9. Modernisation and Removal or Obsolescence.

10. Thrust Areas of Technical Education.

11. Institution Industry Interaction.

12. Continuing Education.

13. Sant Longowal Institute of Engineering and Technology.

14. Quality Improvement Programmes.

15. Indian Society for Technical Education(ISTE).

During the year 1996-97 a decision was taken by the Ministry of Human Resource Development that the following schemes will now be implemented through it:

a) Technical Teachers' Training Institutes (TTIs).

b) National Institute of Industrial Engineering (NIIE), MUMBAI.

c) National Institute of Foundry and Forge Technology (NIFFT), Ranchi.

d) School of Planning and Architecture(SPA)), New Delhi.

e) Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET).

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	7189.00	7189.00	7910.00
Non-Plan	2000.00	2000.00	816.00

III. Regional Engineerring Colleges (RECs)

The Regional Engirneering Colleges (RECs), Seventeen in number, were established as joint and ccooperative ventures of the Government of India and the concerned State Governmeents. Fourteen of them were established during 1959-1960. The last one was esstablished at Jalandhar in Punjab in 1986. The National character is ensured by eacch College admitting students from all States and Union Territories and further byy appointing the best available faculty on an all India basis. The role of RECs iis to function as pace-setters and to provide academic leadership to the other ttechnical institutions in the respective regions. The Colleges were established as autonomous registered societies under the Societies Registration Act, 1860 (Act No: XXI of 1860).

The Colleges are administered by a Board of governors (BOGs) with a fair degree of autonomy, both fiinancial and administrative.

At the National leveal, there is an Advisory council for RECs, with the Union Minister for Human Resourrce Development as its Chairman for giving advice of the broad policies for the REC ssystem.

Funding

The Government of India meets the entire non-recurring expenditure and 50% of the recurring expeenditure on under-graduate courses of these Colleges. The balance of 50% recurring expenditure is borne by the respective State Governments where the REC is located. The entire expenditure on Post-graduate course is borne by the Govcernment of India.

The admissions are made on the basis of entrance examinations conducted by the Technical Educatiorn Departments of the States concerned for admission to all Engineering Colleges in the States. 50% of the seats in each Regional Engineering College is filleed by the students qualifying from the State where a particular REC is located. The rest 50% seats are filled by the students coming from other States/UTs baased on pre-decided distribution done at MHRD level. This procedure has been aadopted to promote National Integration and maintaining truly National character.

The total sanctioned strength of students in all the RECs is 67036, (UG,PG & MCA) (approx).

Current Initiatives:

To empower RECss for achieving excellence in education and R&D developing curriculum in ttune with present day need and forging closer link with industry, the following initiiatives have been mounted by MHRD.

U K INDIA RECs Project

An Indo-Technical Cooperation project to strengthen technical education in India through assistance tto 8 RECs in four technical themes:- DESIGN(RECs at Allahabad and Jaipur), ENERGY (RECs at Bhopal and Tiruchirapalli), INFORMATION TECHNOLOGY(RECs at Surathakal and Warangal) and MATERIALS ENGINEERING (RECs at Nagpur and Rourkela) commenced in April, 1994 after a

formal MOU was signed between the Governments of India and the UK on 12.1.1994.

Overseas Development Administration (ODA) is providing technical assistance in the form of training, study visits and consultancies and equipment to the value of £ 6.207 million. Ministry of HRD's contribution is Rs.200 million for buildings, equipment, local travel and information services over a period of four years.

British Council Division(BCD) of the British High Commission has been appointed by the ODA as the Field Management Agency to manage the U K inputs of the Project.

There are four(4) Theme Sub-Committees-one each for each major area viz. Design, Energy, IT and Materials. An eminent expert from industry is the Chairman for each of them. These Committees meet once in every four months to review activity in the theme over the previous four month plan activity and procedures for consultancy, equipment specifications and reception for confirmation by PSC and recommend adoption of new curricula to the respective REC Board of Studies. They will report to the PSC twice per year. Each Theme Sub-Committee will also form an appropriate Curriculum Planning Group with industrial participation.

The Project Steering Committee (PSC) approves the composition of the Committee including co-option. This Committee has industrial representation to enable it also to fulfil the role of an Industrial Advisory Board to the RECs and the project theme development.

A team of Principals of 8 RECs involved with the Project and the National Project Director visited the various Universities in U K during the period October 17-28, 1994 in order to give them exposure to the UK Universities, education systems, science parks, related industry and equipment manufacturers. Similarly, a study visit to UK by Project Coordinators of 8 RECs was formalised during February 12-24, 1995. The underlying aim of this tour was to inspire the Coordinators to being about the required change of culture within the REC system through exposure to UK system and experience in teacher-training methodologies and assessment techniques, institute-industry linkage, curriculum revision process and management information system being adopted by U K institutions.

During the period 1994-95 and 1995-96, 66 faculty members of 8 RECs belonging to the Themes of Design, Energy, Information Technology and Materials have gone to U K for training. Similarly, 51 consultants from U K have visited the 8 RECs during 1994-95 and 1995-96.

Out of Indian component of Rs.20.00 crones towards this project a sum of Rs. 17.00 crores has been released to 8 RECs at the rate of Rs. 2.125 crores to each REC during preceeding three financial years i.e. 1993-94 to 1995-96.

As regards equipment to be procured from UK for 8 RECs, four Committees have been constituted per Theme to approve specification of equipment to be procurred from UK for the Theme Centres developed by 8 RECs.

Centres of Excellence Programme Of RECs

During 1993-94 the Government have taken an important initiative of providing a special grant of Rupees one crore to a REC annually in Plan for the remaining period of the 8th Five Year Plan in addition to the general Plan grant, to develop 17 RECs into institutions of excellence at par with the IITs in the field of engineering education and research by intervention in the following areas:-

1. General management;

2. Good standards of buildings, library and laboratory facilities;

3. An adequate linked computer system for extensive use among researchers, students and in administration/finance;

4. Facilitating teacher upgradation and

5. Beginning programme for the industry and public.

The implementation of this scheme is monitored through the Standing Monitoring Committee. The Monitoring Committee recommended to constitute an expert committee on the pattern of the one for finalising the proposal of upgradation of "Computer facilities" in RECs. This Expert Committee approved the proposal of 17 RECs pertaining to the components of "Library", "Equipment (R&D)", Buildings (Renovation/Extension), Teachers upgradation and Individual faculty development. Necessary authorisation has been issued to all RECs to incur the expenditure as approved by the Expert Committee.

Under the Centres of Excellence programme a sum of Rs. 51.00 crores has been released to 17 RECs during the preceeding three years (Rs. 1 crore per year).

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	4100.00	3500.00	4100.00
Non-Plan	3328.00	3328.00	3660.00

IV Indian Institute of Management

The four Indian Institutes of Management were set up by the Government of India at Ahmedabad, Calcutta, Bangalore and Lucknow as 'Centres of Excellence' with the objective of providing educational training, research and consultancy in management. The Government of India has also approved establishment of two IIMs at Indore and Calicut. It is proposed to Start first academic session from 1997-98 in the new IIMs.

The Institutes are running Post-Graduate Programmes (PGP), Fellowship Programmes, Management Development Programmes and Organisation based programmes. The Institutes are taking a leading role in research and consultancy and providing a notable assistance in industrial development of the country. These

institutes have got future plans for setting up of Rural Development Centre, Agricultural management Centre, Public Management System etc.

From 1993-94, revised pattern of funding scheme has been introduced except for IIM, Lucknow with a view to Infusing economy and rewarding initiative to promote generation of resources.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	1250.00	1943..00	1380.00
Non-Plan	1598.00	2401..00	1612.00

V. Asian Institute of Technology, Bangkok

This is an on-going scheme being implemented directly by this Ministry.

Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, was set up in 1967 as an autonomous International Post-Graduate Engineering Institute governed by an International Board of Trustees whose members come from different countries including India. As a gesture of India's association with its academic development the Government of India have been providing the following assistance to AIT, Bangkok:

- Secondment of Indian teachers/experts in specialised areas of engineering and technology and meeting the entire cost of their deputation.

- An annual grant upto Rs.3.00 lakhs for the following purposes.

  a) Purchase of equipment from India;

  b) purchase of books and payments for subscriptions of academic and technical journals published in India;

  c) expenditure on academic related activities.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	18.00	8.00	18.00

VI. Scheme of Apprenticeship Training

The Scheme provides opportunities for practical training to graduate engineers, technicians and 10+2 (voc.) passouts in industries and other organisations as per the Apprentices Act, 1961, (as amended in 1973 and 1986) and as per policies and guidelines laid down by Central Apprenticeship Council.

The four regional Boards of Apprenticeship/Practical Training (BOAT) located at Mumbai, Clacutta, Kanpur and Chennai are the authorities in the respective regions to implement the Apprentices Act. The period of apprenticeship training under the Act is one year for these categories of apprentices. During training period they are paid stipend which is shared between the Central Government and the employer on 50:50 basis. At present the rate of stipend payable to Graduate, Technician, Technician (Voc.) apprentices is Rs. 1400/-, 1000/- and 770/- per month respectively. These rates have come into force w.e.f. 1st August, 1996.

Target fixed for 8th Plan Period was to train 1.50 lakhs of apprentices. By the end of the Financial Year 1995-96 number of apprentices trained were about 1.14 lakhs. During the Current Financial year (as on 30th June 1996) the total number of apprentices undergoing practical training is 30,628. The target envisaged for 9th Plan Period is about 2.75 lakhs of apprentices to be trained under the scheme.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	1250.00	800.00	1800.00
Non-Plan	1047.00	685.90	750.00

VII. Community Polytechnics

The Scheme of Community Polytechnics was instituted under the Direct Central Assistance Scheme in 1978-79 in 36 polytechnics, on an experimental basis, with a view to ensure for the rural society a fair share of benefits from the investments in Technical Education system. The scheme of Community Polytechnics aims at sustainable community development without environmental degradation by way of S&T applications for socio-economic upliftment and improvement in the quality of life of the common man through micro level planning and people's participation at the alleviation, employment generation and removal of drudgery for the women through location-culture, specific non-formal need based short-term training in skill oriented technical/vocational trades with non-pre-conditions of age, sex or qualiffication. The training is specially geared to the needs of the unemployed/under-employed youths, school/college dropouts the under-privileged and disadvantaged iincluding women, minorities and the weaker sections of the society. The Community Polytechnics (CPs) also undertake activities like Technology Transfer, Technical support and S&T awareness for the community.

Until 1995-96 the list of CPs has been raised from 36 Polytechnics as in 1978-79 to 375 CPs and 31 CDRTs.

During 1996-97 a budget provision of Rs.30.00 crores under plan has been provided. The amount proposed for increase is due to the following factors:

1. It is proposed to cover more institutions under the scheme during 1996-97 and 1997-98.

2. Based on the recommendation of National Appraisal Committee and Discussion Group on CP Scheme set up by Ministry of Human Resource Development. The recommendations of Discussion Group on CP Scheme have already been approved by ES/HRM.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	3000.00	2850.00	6800.00
Non-Plan	210.00	158.00	210.00

VIII. Indian Institute of Science, Bangalore

The Indian Institute of Science, Bangalore, is one of the premier institutes of the country and over the years it has acquired an international status. The Institute has earned recognition as a formidable centre of research in Engineering Sciences and allied field. It was established in the year 1909 and given Deemed University status in 1958. It has succeeded in encouraging creativity, nurturing excellence and boosting innovative Research and Development. The faculty has been contributing to continuing Education Programme. Technology transfer and solutions to the problems of industries. The Institute has played a leading role in establishing computing facilities, Aero Space, Bio-mass technology, Bio-Medical Engg., Chemical Metallurgical and other Engineering fields. The Institute is also a centre to attract high quality academicians and retain them by providing congenial environment for research. The Institute plans to add J N Tata Auditorium, a part of National Science Seminar Complex.

The Institute has established a Super computer facility of national importance. The centre has microwave link with international terminals.

From 1993-94. Revised Pattern of funding schemes has been introduced with a view to infusing economy and rewarding initiative to promote generation of resources.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	1050.00	1390.00	1600.00
Non-Plan	2450.00	3164.00	3350.00

IX. Assistance to Technical Institutions Through the University Grants Commission

The University Grants Commission (UGC) provides financial assistance to university institutions in engineering and technology for their overall development. At present 32 such institutes are covered under the scheme. Besides, offering facilities for under-graduate courses these institutes conduct post-graduate courses and research at higher levels in engineering and technology. Consolidation and development of the teaching processes, infrastructural

development and other professional activities are proposed to be taken up vigorously during the Eighth Plan and continue for the Ninth Five Year Plan 1997-98 to 2002.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2500.00	2500.00	3000.00

X. World Bank Project : Payment for Professional And Services

The Government have launched a massive project with the assistance of the World Bank to enable the State Government to upgrade their polytechnics in capacity, quality and efficiency. The project being implemented in two phases is estimated to cost over Rs.1650.00 crores including the World Bank credit/loan assistance of about US $ 567 million over the period 1990-98 covering 540 polytechnics. These polytechnics are spread over 17 States and 2 Union Territories. The first phase is under implementation from 1990-91 and the second phase from the year 1991-92. Mid-term review of phase I and phase II states have already taken in the years 1994 & 95 respectively. The World Bank Mission has expressed satisfaction over the project implementation.

The project has a small element of central guidance, support and monitoring mechanism for which a National Project Implementation Unit (NPIU) has been established in the Educational Consultants India Ltd. (Ed.CIL), New Delhi as an independent unit. The main functions of the NPIU are to provide direction and guidance to States in project planning and implementation, monitor and review project implementation, arrange consultancy services and training programmes, liaise with the State Government and Directorates of Technical Education, Polytechnics and various bodies connected with technician Education etc.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	150.00	130.00	150.00

XI. Revision of Pay Scales of Technical Teachers

This is an on-going scheme, in which 80% expenditure involved in the Revision of pay scale and final settlement of accounts with the State Governments is met by Govt. of India after the receipt of detailed statement-wise, institution-wise expenditure involved in the implementation of the scheme of Revision of Pay scale, admissible to the State Governments.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	10.00	10.00	10.00

XII. Technology Development Missions

The Prime Minister, during the first meeting of the Planning Commission held in September, 1991 observed that institutions of excellence like IITs and IISc., Bangalore need to concentrate on technology assessment and forecast so that futuristic approaches could be reoriented to take up the development of emerging science and technology trends in the country. Sequel to this, the following 7 generic areas of strategic significance were approved :

1 Food Processing Engineering

2 Integrated Design and Competitive Manufacturing

3 Photonic Devices and Technologies.

4 Energy Efficient Technologies.

5 Comunication Networking and Intelligent Automation.

6 New Materials

7 Genetic Engineering and Biotechnology

One Indian Institute of Technology/Indian Institute of Science, Bangalore will be the lead institute for each of the 7 generic areas. There will be upto three participating Institutes, apart from the participation of industries.

A National Steering Committee has been constituted by Planning Commission. Necessary directions have also been given to boost the activities of these missions.

Mission Management Boards have been constituted by the Ministry to coordinate the day to day action of these missions. In Mission management Board, the participation of various developing agencies has been ensured along with the concerned Institutes. These missions have earned open hearted acceptance of Industry as is evident from the number of MOUs being signed by them for development of various technologies/products. The scheme is proving as a lead example to the other professional Institutes.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2000.00	822.00	1500.00

XIII North Eastern Regional Institute of Science And Technology (NERIST), Itanagar

The North Eastern Regional Institute of Science and Technology (NERIST), Itanagar (Arunachal Pradesh) was established in 1985 to generate skilled manpower in the field of engineering and technology as well as applied science streams for the development of North Eastern Region. The NERIST was conceived as a unique institution offering a sequence of modular programmes, each of 2 years duration leading to Certificate, Diploma and Degree in Technology and Applied Science. Provisional affiliation to NERIST has been accorded by North Eastern Hill University.

This Ministry had set up an Expert Committee under the Chairmanship of Prof. B.Nag for the overall assessment of the implementation of the scheme of establishment of NERIST and to make suitable recommendations for development of the Institute. The recommendations of the Expert Committee have been examined in the Ministry in consultation with NEC and other nodal Ministries, Planning Commission etc. Based on this, the EFC approved further development of NERIST during the 8th Plan at a total cost of Rs.4259.34 lakhs comprising of non-recurring component of Rs..2242.94 lakhs and recurring component of Rs. 2016.40 lakhs. Uptill 1995-96 we have released Rs. 3026.00 lakhs. A Budget provision of Rs.300.00 lakhs exists for the current financial year. This amount in toto has been released. The additional amount of Rs. 933.00 lakhs has to be provided, over and above the Budget allocation of Rs.300.00 lakhs.

The yearwise expenditure was as follows :

Year	Amount (Rs. in lakhs)
1992-93	587.00
1993-94	754.00
1994-95	800.00
1995-96	885.00

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	300.00	1233.00	1000.00

XIV. Educational Consultants India Limited (ED CIL)

Educational Consulltants India Limited, a Public Sector Undertaking under the Department of Education was established in June, 1981 to offer educational consultancy services to a number of agencies such as governments and educational institutions of developing countries and funding organisations like the World Bank, Asian Development Bank etc., and to undertake surveys of educational requirements, preparation of feasibility/evaluation reports and to plan and establish educational institution programme on turnkey basis both within the country and abroad. The authorised and paid up capital of the company was Rs.125.00 lakhs upto 31.12.1996.

Company has proposed either to raise authorised and paid up capital from Rs.125.00 lakhs to Rs 200.00 lakhs or to provide an amount of Rs.75.00 lakhs as interest free loan required to meet the additional construction cost of its own building at NOIDA. A proposal to this effect has been recommended to Ministry of Finance for concurrence.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	2.00	2..00	80.00

K. INDIAN NATIONAL COMMISSION FOR COOPERATION WITH UNESCO

I. Contribution to UNESCO

The contribution of each member State to UNESCO is determined as per the criterion laid down by the United Nations and approved by the General Conference of UNESCO. As one of its members, India's contribution to the UNESCO's budget for the biennium 1996-97 was fixed as 0.3049% and 0.30% respectively by the 28th Session of the General Conference of UNESCO which was held during 1995. Accordingly, Rs.2.00 crores has already been released and a proposal for Rs.1.65 crores is under submission against UNESCO budget for the calendar year 1996. The Government of India also earmarks voluntary contributions to UNESCO in response to the appeals made by UNESCO to its member states for contribution for specific purpose.

India is also meeting the expenditure on the rental of the building occupied by UNESCO, New Delhi. This office at present is housed at 8 Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi. For the present accommodation, Government of India has agreed to reimburse the rent at the rate of Rs.75,000/- per month. Accordingly, an amount of Rs.9.00 lakhs has been reimbursed to UNESCO, New Delhi Office from 1st April, 1995 to 31st March, 1996.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	450.00	479.00	500.00

II. Auroville Management

The Government of India took over the management of Auroville Foundation in 1990, in terms of the Auroville Foundation Act, 1988 which came into effect w.e.f. 28th September, 1988. The Foundation was established by the notifications on 29.01.1991. The Act provides for sanctions of grants by the Central Government for management of the Foundation including various developmental activities of Auroville. The Governing Board of the Foundation was constituted by notification on 30.9.1991 and reconstituted by Notification on 27.1.1995.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	20..00	20.00	50.00
Non-Plan	30..00	33.00	37.00

III. Indian National Commission for Co-operation With UNESCO

India is one of the founder members of the United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). In accordance with UNESCO Consitution, India has established an Indian National Commission for Cooperation with UNESCO to promote understanding of the aims and objectives of UNESCO amongst the people of India and to advise the Government of India on matters relating to UNESCO.

The Indian National Commission for Co-operation with UNESCO formulated a scheme for strengthening the activities of the Commission for implementation during the Eighth Five Year Plan. The scheme include :-

i) Re-organisation of the INC Library into a full-fledged documentation and reference centre for UNESCO Publication in India.

ii) Holding of Meetings of Committees/Conferences and Organisation of Exhibitions in furtherance of UNESCO's Aims and Objectives.

iii) Strengthening of voluntary organisations in UNESCO's programmes and activities.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	11.00	11.00	11.00

IV Strengthening of External Academic Relations

India has signed Cultural Exchange Programmes (CEP) with more than 80 countries, under which various educational activities are undertaken. But due to a variety of reasons the implementations in the field of education has not been satisfactory. The External Academic Relations (EAR) unit is interacting more vigorously with the Commonwealth and SAARC countries and such other countries.

For effective strengthening of External Academic Relations by the Department of Education by virtue of its coordinating role at the national level, it has to be ensured that for negotiating and finalising the educational components of the CEP and other important bilateral arrangement like Commonwealth, NAM, and SAARC, it is necessary to provide for suitable financial mechanism by which it should not only be possible to host the visit of representatives of the collaborative countries for periodical discussions and evaluation but also depute representatives of the Department and other premier institutes for dialogue with counterparts on other countries of interset to India.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	5.00	3.00	5.00

V. *Expenditure of Indiam National Commission for Co-operation With UNESCO for Publicatiom of Hindi And Tamil Editions of Unesco Courier*

The Indian National Commission in collaboration with UNESCO, continues to bring out Hindi and Tamill editions of UNESCO's monthly magazine titled 'Courier' which is one of the mo:st outstanding educational and cultural periodicals of the world. UNESCO gives a subvention of $18.420 for this purpose. This Commission gets the Hindi edition published through the Central Hindi Directorate, New Delhi and Tamil edition through the Southern Languages Book Trust, Madras.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 19'96-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Non-Plan	20..00	20.00	22.00

L. EDUCATIONAL PLANNING

I. National Institute of Educational Planning And Administration

The National Institute of Educational Planning and Administration a centre for excellence in Educational Planning and Administration intended to improve the quality of Planning and Administration in Education by means of study, generation of new ideas and techniques and disseminating them to interact with the training of strategic groups. NIEPA organises orientation and training programmes for the administrators connected with educational planning and administration. The mission and the objective of NIEPA is also to undertake aid, promote and coordinate research in various aspects of educational planning and administration, including comparative studies in educational techniques and administrative procedure in the different states of India and in other countries of the world. It acts as clearing house of ideas and information on research, training and extension in educational planning and administration services and other programmes. NIEPA also prepare print and publish paper, periodicals and books in furtherance of these objectives and specially brings out in English and Pariprekshya in Hindi. The Institute has also been providing academic and professional support services to the important bodies like University Grants Commission, Planning Commission, Kendriya Vidyalaya Sangthan, Navodaya Vidyalaya Samiti, Directorate of Adult Education, State Governments, State Institution of Public Administration, SCERTs, DIETs and Central Advisory Board of Education etc. NIEPA also organises international diploma programmes with the help of sponsoring agencies like UNESCO, UNEP, Ministry of External Affairs etc.

Training Activities

During the year 1997-98 the Institute has proposed to organise nearly 49 training programmes/workshops/seminars/symposia and to provide opportunity to 2000 participants drawn from various parts of India and as well as many other countries such as Bangladesh, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Maldives, Mauritius, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Vietnam, Zambia,, Zenzibar etc. All the training programmes would be inter disciplinary in nature and includes practical and syndicate work for case studies and seminars. During the year 1996-97, the Institute has already conducted 38 training programmes benefitting about 950 participants. It will be conducting 10 more programmes which will benefit approximately 475 participants during the remaiining part of the current financial year. Thus, the Institute will be conducting 48 programmes for the benefit of 1425 participants approximately.

Research

During the year 1997-98 the Institute will work on research projects which are already going on. Some of the ongoing projects will be completed during 1997-98. Nearly 5-6 more research studies will be taken up during the year 1997-98.

The Institute also propose to take up a few action oriented path breaking research studies in addition to providing consultancy and dissemination of new ideas during 1997-98.

The provision under Plaan is to cover the replacement of lift in the Hostel and to acquire a few flats from DDA for our faculty and other Senior staff. We also propose construction of new obffice block Computer Centre and upgradation and complete net-working of the computer system. For the new hostel block which is full ready, arrangements are to be made for furnishing and electrification. These facilities are required on urgent basis.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	100.00	100.00	617.00
Non-Plan	106.00	106.00	115.00

II. Scheme of Assistance for Studies, Seminars, Evaluation etc. for Implementation of Eduucation Policy

The Scheme of Studies, SSeminars, Evaluation etc. for the implementation of Education Policy is intended to provide financial assistance to deserving institutions and organisations con the merits of each proposal so as to admit of financing a variety of activities having a direct bearing on the management and implementation aspects of Natitional Policy on Education. This would include sponsoring of seminars, conduct of impact and evaluation studies and consultancy assignments in order to advisee the Government on the best alternatives and models for making the system wcork.

The financial assistanace under this scheme covers salaries and allowances/payment of TA/DA for project staff, stationery and printing, hiring of office equipments and other contitingencies like postage etc. Normally the ceiling of such assistance is Rs.1.00 lakh per project.

During 1996-97, financialal assistance has been given for organisation of one workshop, two seminars, five connferences and one study (uptill December, 1996).

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	35.00	35.00	35.00

III. The Scheme of Area Intensive Programme for Educationally Backward Minorities

This Central Scheme waas launched in May 1993 with the objectives of providing basic infrastructure and facilities in areas of concentration of educationally backward minoritities which do not have adequate provision for elementary and secondary educaation. Under the Scheme cent per cent financial assistance is provided to Staate Governments and Voluntary Organisations (Through State Governments) for the following programmes :-

i) Establishment of new primary/upper primary schools, non-formal education centres where such need iis felt and viability established on the basis of a school mapping exercise.

ii) Strengthening of educational infrastructure and physical facilities in the primary/upper primary schools.

iii) Opening of multi stream residential higher secondary schools for girls where science, commerce, humanities and vocational courses are taught.

The programmes, though open to all, are to be organized in such a way that the sections of people who have remained deprived of educational and developmental opportunities get priority coverage.

The scheme is funded by the Central Government on 100 per cent basis and implemented through the State Governments/Union Territory Administrations and Voluntary Organisations. The Community Development Block or a Tehsil is the unit for implementation of the programme.

Pending identification of blocks of concentration of educationally backward minorities by the Ministry of Welfare in consultation with the Registrar General's Office, the scheme was first introduced in 41 minority concentration districts listed in the Programme of Action, 1986, now extended to 331 blocks of concentration of educationally backward Minorities spread over in 13 States and Uts viz. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnattaka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal and also A & N Islands, Delhi & Pondicherry.

Budged Estimate for the year 1995-96 was Rs. 220.00 lakhs. During that year proposals amounting to Rs. 534.02 lakhs were approved by the GIAC.

Against this amount of Rs. 155.00 lakhs (Rs.127.30 lakh to Uttar Pradesh and Rs. 27.64 lakhs to Rajasthan) was released ass first instalment. Besides, this an amount of Rs. 65.00 lakhs as second instalment (Rs. 45.70 lakhs to Uttar Pradesh and Rs.19.30 lakhs to West Bengal) was released.

So far part financial assistance has been released for :-

- Opening/Construction of building for 427 primary/upper primary schools 3 secondary schools 6 residential higher secondary schools for girls 561 classrooms

- Up gradation of 22 primary schools to upper primary schools 2 high schools to higher secondary schools

- Construction of hostel building for 10 girls higher secondary schools

- Construction of toilet 10 schools

- Provision of teaching learning material in 527 primary/upper primary schools.

The Budget Estimate for year 1996-97 is Rs. 220.00 lakhs. Out of this an amount of Rs. 107.695 lakhs have been released so far, Rs. 69.03 lakh to Karnataka and 38.665 lakhs to Uttar Pradesh.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	220.00	220.00	1000.00

M. SECRETARIAT

The following provision covers expenditure on the maintenance of Non-Plan and Plan establishment of the Department, hospitality publication and entertainment expenses, expenditure on planning and statistics units vocational education and Operation Block Board.

12 Publications including some reprints, have been brought out so far during 96-97 (upto 31-12-1996). During 1997-98 the same number is expected to be brought out.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	22.00	20.00	34.00
Non-Plan	1016.00	1181.00	1284.00

N. COMPUTERISATION OF EDUCATIONAL STATISTICS IN STATES/UTS

The Department of Education had started a Central Plan Scheme of "Computerisation of Educational Statistics at State level" to collect comprehensive educational data for successfull implementation of Plan Projects and to reduce the time-leg in the collection of educational data in the existing manual series.

The scheme was first introduced in the year 1987-88 in the 9 educationally backward States and subsequently it was extended to the remaining States/UTs also from 1991-92. This scheme is being implemented in close collaboration with NIC who are responsible for making arrangement for computerised processing of detailed data at District/State level. The scheme also provides for reimbursement of cost of printing of computerised forms to the State/UT Governments. A sum of Rs.31.00 lakhs has already been reimbursed during the year 1992-93 to 1995-96 to the State Governments which had sent the bills to the Ministry for reimbursement. Rs.12.00 lakhs have been reimbursed to 7 States in 1995-96. In the current year i.e. 1996-97, the things may improve.

Some modifications are being made in the Scheme in light the recommendation made in the meeting of DPIs/DEs and Statistics Officers of States/UTs. At present all the States are not taking advantage of the scheme but the proposed revised Scheme is likely to be whole heartedly implemented/adopted by all States/UTs. Hence expenditure will increase correspondingly.

Financial Requirements:

(Rs. in lakhs)

	BE 1996-97	RE 1996-97	BE 1997-98
Plan	27.00	15.00	50.00

NIEPA DC
D09534